शुक्रवार, 24 अगस्त, 2007
2 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 6.Oct.2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 24 अगस्त, 2007/2 भाद्रपद, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 183, 185, 186, 188 और 189	2–39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 184, 187 और 190 से 200	39–67
अतारांकित प्रश्न संख्या 1798 से 1976	67–302
सभा पटल पर रखे गए पत्र	303–314
लोक लेखा समिति	
इक्यावनवां और चौवनवां प्रतिवेदन	315
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 141वें, 157वें, 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	315–316
(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	316–317
सभा का कार्य	317–320
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति	320–327
श्री गुरुदास दासगुप्त	321–325
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	333

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) 1993 के मुम्बई दंगों के संबंध में श्रीकृष्ण आयोग के प्रतिवेदन को शीघ्र लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में	333–334
(दो) महान देशभक्त खुदीराम बोस के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किये जाने के बारे में	336–337
(तीन) नक्सल विरोधी दस्ते द्वारा विशाखापट्टम के वरकपल्ली गांव में महिलाओं पर कथित यौन उत्पीड़न के बारे में	340–344
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	354–391
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	354–358
श्री निखिल कुमार	358–363
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	363–366
श्रीमती जयाप्रदा	366–372
श्री प्रबोध पाण्डा	372–375
मो. मुकीम	376–378
श्री बिक्रम केशरी देव	378–381
चौधरी लाल सिंह	381–383
डा. बाबू राव मीडियम	383–385
श्री जुएल ओराम	385–386
श्री मंजुनाथ कुन्नूर	386–389
श्री मुन्शी राम	389–391
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्ताइसवें, अट्ठाइसवें और उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	391–392
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुरःस्थापित*	392–402
(एक) काम का अधिकार विधेयक, 2007	
श्री मोहन सिंह	392–393
(दो) बाल विकास विधेयक, 007	
श्रीमती अर्चना नायक	393
(तीन) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुसूची का संशोधन)	
प्रो. महादेवराव शिवनकर	394

विषय		कॉलम
(चार)	संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुसूची का संशोधन)	
	श्री बसुदेव आचार्य	394–395
(पांच)	बुनियाद और प्राथमिक शिक्षा (अनिवार्य रूप से मातृभाषा में प्रदान किया जाना) विधेयक, 2007	
	प्रो. महादेवराव शिवनकर	395
(छह)	कृषि उत्पाद (लाभकारी मूल्य) विधेयक, 2007	
	प्रो. महादेवराव शिवनकर	395–396
(सात)	विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 007	
	प्रो. महादेवराव शिवनकर	396–397
(आठ)	ट्रस्ट निगम विधेयक, 2007	
	श्री मोहन सिंह	397
(नौ)	प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक, 2007	
	श्री रामदास आठवले	397–398
(दस)	प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक, 2007	
	श्री रामदास आठवले	398
(ग्यारह)	ग्रामीण विद्युतीकरण विधेयक, 2007	
	श्री रामदास आठवले	398
(बारह)	बालक कल्याण विधेयक, 2007	
	श्री रामदास आठवले	399
(तेरह)	पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2007	
	श्री मोहन सिंह	399
(चौदह)	ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2007	
	श्री मोहन सिंह	400
(पन्द्रह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुच्छेद 371ज के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	
	श्री कीरेन रिजीजू	400
(सोलह)	अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2007	
	श्री कीरेन रिजीजू	401
(सत्रह)	दयाभूत प्राणान्त (अनुज्ञा और विनियमन) विधेयक, 2007	
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	401

विषय	कॉलम
(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुचछेद 444 आदि का संशोधन)	
श्री तापिर गाव	402
स्व-रोजगार संवर्धन विधेयक-2006	402–431
डा. करण सिंह यादव	402–407
श्री दुष्यंत सिंह	407–412
श्री शैलेन्द्र कुमार	412–415
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	415–418
डा. प्रसन्न कमार पाटसाणी	418–420
श्री देवव्रत सिंह	420–423
श्री बिक्रम केशरी देव	423–425
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	425–430
संविधान (संशोधन) विधेयक-2004 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)	431–444
विचार करने के लिए प्रस्ताव	431
श्री मोहन सिंह	431–434
श्री फ्रांसिस फैन्थम	434–436
प्रो. रासा सिंह रावत	436–441
चौधरी लाल सिंह	441–444
श्री शैलेन्द्र सिंह	444
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	449
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	450–454
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	455–456
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	455–458

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 24 अगस्त, 2007/2 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 181; श्री के. एस. राव।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल के निलंबन के लिए सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने सूचना भले ही दी हो, लेकिन मुझे खेद है। कल ही इसे बैठक में उठाया गया था। मैं आपको अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): स्पीकर साहब, मैंने शॉर्ट नोटिस क्वैश्चन दिया है *...(व्यवधान)* उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने करोड़ों रुपए का घपला किया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब आप स्पीकर थे तो क्या ऐसा करते थे? आप इसे कभी उठा सकते हैं? प्रिविलेज नोटिस के बारे में आप जानते हैं, प्रिविलेज नोटिस का क्या होता है।

[अनुवाद]

सामान्यत: पहले से ही कार्यवाही की जा रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न सं. 181 — श्री के. एस. राव।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रक्षित विद्युत उत्पादन

***181. श्री के.एस. राव:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षित विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा विभिन्न राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं की विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए इन संयंत्रों से कितनी अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति संभव है;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्षित विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादित विद्युत की आपूर्ति को लाइसेंसमुक्त करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लाइसेंसमुक्त करने के पश्चात् रक्षित विद्युत क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार से रक्षित विद्युत आपूर्ति को लाइसेंसमुक्त करने से देश में किस हद तक विद्युत की मांग तथा आपूर्ति के बीच का अंतर कम हो पायेगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि. प्रा.) के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 31.3.2006 को देश में प्रत्येक 1 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले 2434 कैप्टिव विद्युत संयंत्र हैं जिनकी कुल क्षमता लगभग 21468 मेगावाट है। वर्ष 2005-06 में कुल लगभग 5133 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता वाले कैप्टिव विद्युत संयंत्रों ने ग्रिड को अपनी लगभग 5364 मि. यू. अधिशेष विद्युत निर्यात की है।

(ख) और (ग) विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 की अधिसूचना दिनांक 15.06.2007 से लागू होने के साथ आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी लाइसेंसधारक को कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र की आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) चूंकि कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए यह संभावना है कि उद्योग ग्रिड से विद्युत की निरंतर अनुपलब्धता की स्थिति में कैप्टिव विद्युत संयंत्र के विकल्प का चयन करे। यह अनुमान लगाया जाता है कि 11वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 12000 मे.वा. की क्षमता कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा बढ़ाई जा सकती है, जिससे इतनी सीमा तक मांग-आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सकेगा।

श्री के. एस. राव: महोदय, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों से विद्युत आपूर्ति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत किसी भी अर्थव्यवस्था और देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम यह भी जानते है कि विद्युत आपूर्ति 10 प्रतिशत कम हो रही है। यद्यपि, उन्होंने इसे लाइसेंस मुक्त कर दिया है, फिर भी उत्पादित कैप्टिव विद्युत को नजदीकी क्षेत्रों में जरूरत मंद लोगों तक पहुंचाने में राज्य सरकारें रोड़े अटका रही है। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा व्यस्ततम अवधि मूल्य और अन्य समय आपूर्ति की जा रही विद्युत के मूल्य के बीच के किसी मूल्य पर मुक्त रूप से विद्युत आपूर्ति संभव करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: देश में विद्युत की कमी के मद्देनजर सरकार ने समय पर राज्य सरकारों को कैप्टिव विद्युत उत्पादन को अधिक महत्व देने के लिए अनुदेश दिए हैं। इस प्रकार हमने उनको यह सुझाव केवल एक बार ही नहीं दिया बल्कि 2005, 2006, 2007 में भी दिया है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने भी देश के सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें भी इस पर विचार-विमर्श हुआ था। अब चूंकि इस संबंध में खुली छूट दे दी गई है, अत: कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को शीघ्र आगे आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्यारहवी योजना में कैप्टिव उत्पादन 12,000 मेगावाट से भी अधिक होगा।

श्री के. एस. राव: जैसा कि माननीय मंत्री को विदित है, आंध्र प्रदेश में तीन इकाइयां हैं जो गैस आपूर्ति आधारित उत्पादन के लिए तैयार हैं। सब कुछ तैयार है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। लेकिन गैस के अभाव में वह व्यर्थ है। माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनको नैफ्था आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यह बात वे हर बार कहते हैं।

श्री के. एस. राव: लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि राज्य सरकार नैफ्था की लागत पर आधारित नैफ्था से उत्पादित विद्युत स्वीकार नहीं कर रही है क्योंकि नैफ्था से ऊर्जा उत्पादन में खर्च अधिक होता है। क्या वे राज्य सरकार से अधिक मूल्य पर विद्युत खरीदवाएंगे जो उपभोक्ता अदा करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि एक समय वे राज्यपाल थे।

श्री सुशील कुमार शिंदे: हां महोदय, मैं आंध्र प्रदेश का राज्यपाल था। लेकिन, प्रश्न मूलत: कैप्टिव विद्युत के बारे में हैं। माननीय सदस्य मुझसे स्वतंत्र उत्पादकों के बारे में पूछ रहे हैं ये तीन इकाईयां जो आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं, वे स्वतंत्र उत्पादकों की हैं। यह कैप्टिव विद्युत उत्पादन से अलग है। लेकिन, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब महाराष्ट्र में विद्युत की कमी भी तब हमने इन स्वतंत्र उत्पादकों को आजमाया था।

माननीय सदस्य को विदित है कि मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है लेकिन कुछ समस्याएं हैं। इकाई में एक बार उत्पादन शुरू होते ही, ब्याज शुरू हो जाएगा और इसी के साथ रियायतें भी शुरू हो जाएंगी। हमने कुछ अवधि के लिए उनसे अनुरोध किय था। उसके बाद तो अनेक समस्याएं सामने आ चुकी हैं। यही कारण है कि वे नैफ्था से चलाने को तैयार नहीं हैं। अन्यथा, वे नेफ्था से चलाने को तैयार थे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, देश की कुल विद्युत के काफी बड़े भाग का उत्पादन कैप्टिव विद्युत संयंत्रों में होता है। लगभग 21,468 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता सहित, पिछले वर्ष देश में 704.41 बिलियन यूनिट के कुल उत्पादन में से 78 बिलियन यूनिट का उत्पादन कैप्टिव विद्युत संयंत्रों में हुआ। 11वीं योजना के अनुमानों में कहा गया है कि कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से कुल ऊर्जा उत्पादन 131 बिलियन यूनिट होने का अनुमान है। विद्युत की क्रमिक रूप से कमी झेलने के समय यह सब उत्साहजनक है। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से उत्पादित अधिशेष ऊर्जा 6,000 मेगावाट होने का अनुमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि वितरण के लिए क्या व्यवस्था है जिससे मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके?

अध्यक्ष महोदय: यह कैप्टिव विद्युत उत्पादन के बारे में है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं केवल कैप्टिव विद्युत पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहा हूं। विद्युत अधिनियम में संशोधन के पश्चात, कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं है और वितरण के लिए भी लाइसेंस आवश्यक नहीं है। लाइसेंस मुक्त व्यवस्था शुरू होने के कारण, अब कैप्टिव विद्युत संयंत्र नियामक व्यवस्था के पर्यवलोकन में नहीं आते हैं। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से

विद्युत प्राप्त करने वाले अधिकतर उपभोक्ता लघु उद्योग और घरेलू उद्योग से हैं। वे उनसे किस दर पर विद्युत लेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आप के पास उन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की कोई व्यवस्था है जो अधिकतर लघु और घरेलू उद्योग से संबद्ध हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विद्युत वितरण के लिए वितरण फ्रैन्चाइजी मॉडल की तरफ बढ़ रही है। क्या सरकार सभी कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए राष्ट्रीय ग्रिड नहीं है और यही कारण है कि विद्युत की लागत इतनी ज्यादा है?

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न ही नही उठता। आप एक अत्यंत अनुभवी सदस्य हैं और साथ ही बहुत सहयोग देने वाले भी हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, कैप्टिव विद्युत संयंत्र राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत नहीं दे सकते और वे राज्य ग्रिड को भी विद्युत दे सकते हैं। लेकिन कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत कंपनियों अथवा सोसाइटियों अथवा सोसाइटियों के समूह के लिए होती है। वे इसका 51 प्रतिशत भाग रखेंगे और जहां भी विद्युत बची हो, वे इसे उन उपभोक्ताओं को दे सकते हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अधिक शुल्क लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि नियामकों की बैठकों में भी इस पर कई बार विचार-विमर्श हुआ। 2005 में भी नियामकों की बैठक में इस पर विचार हुआ और विद्युत मंत्रालय के पास कुछ सिफारशें आई हैं। हमने उन पर विचार किया और परामर्श भी दिया। अब शुल्कों को निर्धारित करना राज्य नियामक आयोगों का काम है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में 'व्हीलिंग' प्रभार नहीं लगाया जाता जबकि अन्य राज्यों में लगाया जाता है। अत: अलग-अलग जगहों पर यह भिन्न है। फिर परेषण प्रभार बहुत अधिक है। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यहां मैं उड़ीसा के बारे में कह रहा हूं। लेकिन चूंकि वे उड़ीसा से हैं और उन्होंने यह प्रश्न उठाया है, मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि मैसर्स नवभारत कंपनी, जो एक कैप्टिव विद्युत संयंत्र है, वह विद्युत देना चाहती थी लेकिन राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय: इसके विवरण बाद में दिये जायें। प्रश्न काल में सारा विवरण नहीं दिया जा सकता है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अन्यथा, मैंने इसका उत्तर नहीं दिया होता। मूल्य निर्धारण राज्य नियामक आयोग का कार्य है।

श्री वनलाल जावमा: माननीय अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि यह सीधे कैप्टिव विद्युत उत्पादन से संबंधित न हो, लेकिन आपकी अनुमति से, मैं ट्यूइरिल जल विद्युत परियोजना के बारे में एक सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह 60 मेगावाट की परियोजना है और मेरे राज्य मिजोरम की एकमात्र परियोजना है। यह परियोजना 'नीपको' (एन ई ई पी सी ओ) द्वारा शुरू की गई थी। 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, पिछले चार वर्ष से यह कार्य रुका हुआ है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि यह परियोजना दोबारा शुरू की जाएगी अथवा छोड़ दी जाएगी। यही मेरा सीधा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: यह सीधे संबंधित प्रश्न नहीं है। हां, आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: आपने बिलकुल सही निदेश दिया है, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने मिजोरम के बारे में पूछा है और यह पूर्वोत्तर में है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यही कारण है कि मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, जहां तक परियोजना का संबंध है, निश्चित रूप से हमने इसे निधियों की कमी के कारण रोका हुआ है बाकी निधियां देने के लिए, दाता (डोनर) मंत्रालय के साथ दो बैठकें भी कर चुका हूं। लेकिन अभी यह चर्चा के दौर में है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पर, पूर्वोत्तर में हम ऐसी परियोजनाएं लगाने का प्रभास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय का मामला लें, हम यहां यह कार्य कर चुके हैं। हम अभी यह कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशाल क्षमता है और हम इसका दोहन करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, 2334 कैप्टिव पावर प्लांट्स में विशेष रूप से महाराष्ट्र का जो स्थान है, वह प्रोग्रैसिव न. दिखाई देता है। अगर उसमें सुविधायें देते समय लाइसेसिंग सिस्टम निकाल दिया तो इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि सभी सुविधायें देते समय न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार सुविधायें देने से पहले विचार करेगी क्योंकि विचार करते समय जो आल्टरनेटिव बेस है, उसके संबंध में इंटैरेस्ट हैवी होता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कैप्टिव पॉवर प्लांट्स के लिये लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती है।

[अनुवाद]

अब अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: लेकिन बाकी जो आवश्यकता होती है, जैसे बैंक फाइनैंस को आल्टरनेटिव बताते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटररैस्ट कम करने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से लोग नहीं आते हैं। मेरा सवाल है कि क्या आप इस दृष्टि से विचार करेंगे या करना चाहते हैं और महाराष्ट्र में यह संख्या कम क्यों है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में संख्या कम नहीं है। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे पता नहीं है लेकिन यह नहीं कह सकूंगा। पुणे मे कैप्टिव पावर प्लांट की जनरैशन की वजह से कोई लोड शैडिंग नहीं हो रही है। हम कैप्टिव पावर अपने ग्रिड में लेकर वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में बिलिंग चार्जेज लगते हैं लेकिन महाराष्ट्र में कोई बिलिंग चार्जेज नहीं है। यह बड़ी सुविधा मिली हुई है। माननीय सदस्य ने फाइनैंस में मदद की बात

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जहां तक फाइनैंस में मदद करने की बात कही गई है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पुराने सिस्टम से आजकल मदद कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो भी करना होगा, वह कानून के मुताबिक करना होगा। यदि माननीय सदस्य को कोई दिक्कत है या कैप्टिव पावर जेनरैशन तैयार है, वह कैप्टिव जेनरेशन लगाने के लिये हमारे मंत्रालय में आयें, मेरे पास आयें, हम उन्हें सुविधायें दिलाने के लिये तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें चाय भी मिलेगी।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, हम परमाणु ऊर्जा के बारे में बहुत बोलते हैं। हमारे देश में जलविद्युत उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार अकेला अरूणाचल प्रदेश 60,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय: हम रक्षित विद्युत के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विद्युत के उपयोग के लिए सरकार के पास कोई परियोजना है मेरे राज्य केरल में कोई रक्षित विद्युत संयंत्र नहीं है। क्या सरकार ऐसे निजी उद्यमियों को कोई राजसहायता अथवा सहायता देगी, जो इन परियोजनाओं के लिए आगे आएंगे।

अध्यक्ष महोदय: वे उनको आमंत्रित कर रहे हैं। केरल के बारे में प्रश्न के केवल दूसरे भाग का उत्तर दें।

श्री सुशील कुमार शिंदे: केरल में हमारे पास ग्रिड है और केरल ने रक्षित उत्पादन से 24-28 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है। केरल के पास रक्षित उत्पादन है।

अध्यक्ष महोदय: उनकी सूचना सही नहीं है।

श्री अधीर चौधरी: अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ विद्युत की मांग में भी वृद्धि होती है। सरकार हमारे देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की योजना बनाती रही है। रक्षित विद्युत संयंत्रों से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत हमारी राष्ट्रीय ग्रिड और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विद्युत प्राप्ति का अतिरिक्त स्रोत है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने व्यापारिक और रक्षित विद्युत उत्पादकों के लिए 3.2 बिलियन टन कोयला भंडारों की पहचान की है। लेकिन यह मामला कोयला मंत्रालय की जांच समिति के विचाराधीन है, जो कभी-कभी व्यापारियों और विद्युत उत्पादकों को निरुत्साहित करने की भूमिका अदा करती है। ऐसा इसलिए है कि हमारे देश में विद्युत व्यापार अभी अपनी शैशवावस्था में है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी: मुख्य ईंधन आदानों पर विभिन्न प्रकार के प्रभार और कर लगते हैं। ये हमेशा निरुत्साहित करने वाली भूमिका

अदा कर रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उन रक्षित विद्युत उत्पादकों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहे हैं ताकि वे अतिरिक्त विद्युत उत्पादन में अधिक रुचि लें।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, माननीय सदस्य ने दो अथवा तीन प्रश्न पूछे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक का चुनाव करें।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं केवल एक ही प्रश्न के चुनूंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जहां तक कोयले का संबंध है, हमने हाल ही में एक बैठक बुलाई थी और हमने अपने अधिकारियों को सिफारिशें भी दे दी हैं। हमने देखा है कि ऐसी इकाइयां जिनके पास जल, भूमि, निवल पूंजी और डी पी आर है; केवल उन्हीं परियोजनाओं की सिफारिश की जाती है ताकि हमें इनसे शीघ्र विद्युत उत्पादन मिल सके।

जब मैं उत्तर दे रहा था, तब मैंने महाराष्ट्र में 'व्हीलिंग प्रभारों' के बारे में कहा था। मैं इसमें शुद्धि करना चाहूंगा। इस पर प्रति राजसहायता नहीं दी गई है। महाराष्ट्र ने 'व्हीलिंग प्रभार' नहीं, बल्कि प्रति राजसहायता देनी बंद कर दिया है।

क्रेडिट कार्ड को अस्वीकार किया जाना

*182. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को यह शिकायतें मिली हैं कि बैंकों द्वारा शिकायतकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड का आवेदन-पत्र रद्द करने तथा ग्राहक को ऋण देने से मना करने के संबंध में लिखित में कोई कारण नहीं बताया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन बैंकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जो इस संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को बिना कारण बताए ऋण/क्रेडिट कार्ड आवेदनों को अस्वीकार किए जाने के बारे में जनता की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने बैंक के ग्राहकों को वहनीय प्रभारों पर कुशल और निर्बाध बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक संघ को सलाह दी है। बैंक ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। बैंकों को समयबद्ध तरीके से अपने ग्राहकों की शिकायतें निपटाने के लिए आंतरिक शिकायत निपटान तंत्र स्थापित करना भी आवश्यक है।

1 जनवरी, 2006 से प्रभावी संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकों के विरुद्ध क्रेडिट कार्ड, सेवा प्रभार, बैंक के सेल्स एजेंटों द्वारा किए गए वादे और बैंकों द्वारा उन्हें पूरे न करने से संबंधित शिकायतों के भी समाधान के लिए बैंक ग्राहकों को एक मंच मुहैया करवाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मई, 2003 को ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता जारी की है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सलाह दी गई है कि 2 लाख रुपए तक का ऋण मांगने वाले छोटे उधारकर्ताओं के मामले में ऋणदाता निर्धारित समय के भीतर ऋण आवेदन अस्वीकृति के मुख्य कारणों की लिखित सूचना देंगे। भारतीय बैंक संघ ने सदस्य बैंकों के स्वैच्छिक, अनुपालन के लिए एक उचित व्यवहार संहिता जारी की है। संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है कि जहां तक संभव हो, क्रेडिट कार्ड सीमा सहित ऋण अस्वीकृति के कारणों के बारे में ग्राहकों को सूचित किया जाए। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि ग्राहकों के प्रति उपयुक्त व्यवहार के लिए बैंक एक व्यापक आचरण संहिता तैयार करें और उसका अनुपालन करें।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने थोड़ा विस्तृत उत्तर देने की कृपा की है। मैं उनके उत्तर से एक बात उठाना चाहूंगा। उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि जनता से बिना कारण बताए उनके ऋण क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन-पत्र निरस्त किए जाने के बारे में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मई, 2003 को ऋणदाताओं के लिए उचित संव्यवहार संहिता जारी की है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले लगभग चार वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि उत्तर देने और कारण बताने के लिए समय सीमा का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। हमने देखा है कि विशेषताएं वर्गीकृत राज्यों में अब तक कुछ नहीं किया गया

है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई की गई है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, जहां तक प्राप्त शिकायतों का संबंध है उनके आंकड़े बहुत अधिक हो जाएंगे। सभी बैंकों से इनका संग्रहण कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इनका संग्रहण किया जा सकता है।

लेकिन जहां तक समय पर कार्रवाई करने का संबंध है, जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती हैं, तो उस पर समय पर कार्रवाई किए होती ही है। भारतीय रिजर्व बैंक की 'ऋणदाताओं के लिए उचित संव्यवहार संहिता' भारतीय बैंक संघ की उचित संव्यहार संहिता है, जो स्वैच्छिक है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। बैंककारी लोकपाल योजना है। बैंक के निर्णय से कोई, पीड़ित व्यक्ति, चाहे वह क्रेडिट कार्ड से संबंधित मामला हो अथवा कोई अन्य पहले बैंक से संम्पर्क कर सकता है, जिसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था होती है। जिसमें शिकायत निपटाई जाती हैं और यदि वह संतुष्ट न हो तो वह लोकपाल के पास जा सकता है। इसके लिए एक व्यापक योजना है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित और संचालित किया जाता है। उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। हमें ऐसे मामले नहीं मिलते जिनमें अंतत: कोई व्यक्ति वैधानिक रूप से यह कह सके कि उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यह बिलकुल उचित है।

श्री शाहीन, अब अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या माननीय मंत्री महोदय कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में दिए गए ऋणों की स्थिति और बैंकों के 'सी डी' अनुपात जानने के लिए सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के मामले में भी हमें शिकायतें मिली हैं कि बैंक ऋण देने से इंकार कर रहे हैं। यह उत्तर में बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप जम्मू-कश्मीर में स्थित बैंकों के बारे में जांच कराएंगे?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, 'सी डी' अनुपात इस प्रश्न से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ यह बताने के लिए आवधिक समीक्षा बैठकें करते हैं कि आशय कथन द्वारा हम यह सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं कि कुल मिलाकर सी डी अनुपात 60 के स्तर पर पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए भी सभी राज्यों में यह स्तर प्राप्त किया जाए, पूरा प्रयास किया जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि चाहे क्रेडिट कार्ड से लोन की बात हो या कोई भी छोटे लोन की बात हो, चाहे युवाओं के लिए शिक्षा लोन लने की बात हो, खास कर छोटे डिस्ट्रिक्ट में, पहले तो दो-दो, तीन-तीन महीने कोई भी स्पेसिफिक जवाब दिए बगैर उनके चक्कर लगवाते हैं और उसके बाद यह कह दिया जाता है कि बैंक में पैसे नहीं हैं। खास कर बिहार में, छोटे डिस्ट्रिक्ट में हमेशा यही बात आती है, हमें बार-बार बैंक वाले को जाकर कहना पड़ता है कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को काई भी स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलता है। जैसे आपने कहा कि बैंक का संघ बना कर हम उन लोगों को कहेंगे।

महोदय, वहां पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। वे बहुत गरीब व्यक्ति होते हैं और वे आगे अपनी पहुंच नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप इसे गंभीरता से लें और खास कर बिहार में इसकी जांच जरूर करवाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्रवाई के लिए यह एक सुझाव है।

श्री पवन कुमार बंसल: हम उस का ध्यान रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छी बात है।

अब, श्री रूपचन्द पाल।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो ए टी एम और डेबिट कार्ड सेवाएं सीधे संबंधित बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड सेवा कुछ अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाती है और अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामलों में भी, ये सेवाएं अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं। कभी-कभी ये आम ग्राहक की पहुंच से बाहर होती हैं और शाखा की पहुंच से भी बाहर होती हैं। अब होता यह है कि कभी-कभी ये अभिकरण समानांतर रूप से और कभी-कभी तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण से भी बाहर कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या, मैं माननीय मंत्री जी महोदय से यह जान सकता हूं कि भारतीय बैंक संघ अथवा भारतीय रिजर्व बैंक में कोई ऐसा कार्य बल अथवा अनन्य रूप से ऐसा कोई केन्द्र है, जो ऐसे अभिकरणों की समानांतर गतिविधियों की निगरानी कर सके, जो बैंकों की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ब्रांड नाम पर कार्य करते हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य वीजा और मास्टर कार्ड का जिक्र कर रहे हैं। व सह ब्रांड वाले (को-ब्रांडेड) कार्ड हैं जिनमें बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है, लेकिन यह वीजा और मास्टर कार्ड के सह-ब्रांड वाला होता है।

जहां तक ग्राहक का संबंध है उसे बैंक द्वारा जो कार्ड जारी किया जाता है, वह किसी बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसीलिए उसका समाधान बैंक के पास होता है। वीजा और मास्टर कार्ड एक भुगतान व्यवस्था है। वस्तुत: ये बैंकों के एक संघ द्वारा स्थापित किए गए हैं। हम भुगतान और निपटान व्यवस्था के नियमन के लिए एक विधेयक लाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक ग्राहक का संबंध है, उसका समाधान उस बैंक के पास होता है जिसने वह कार्ड जारी किया है और बैंक द्वारा जारी किए गए कार्ड से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए बैंक बाध्य है।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री प्रभुनाथ सिंह जी। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें और सीधा प्रश्न पूछिए। आप समय देखिए। हम अभी दूसरे प्रश्न पर हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऋण वाला विषय गम्भीर है। माननीय मंत्री ने जैसा अपने उत्तर में लिखा है कि दो लाख रुपए तक के ऋण के लिए बैंक यदि किसी के ऋण आवेदन को अस्वीकृत करेंगे, तो उन्हें निश्चित समय-सीमा के अंदर उसे लिखित में देना पड़ेगा कि किन कारणों से उसके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। मंत्री जी, बार-बार रिजर्व बैंक की गाइड लाइनों को दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गाइडलाइन तो हर चीज की जारी की जाती हैं, लेकिन उनका अनुपालन कितना होता है, इस बात को व्यावहारिक रूप में जानने की जरूरत पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन कारणों से बैंक आवेदनकर्ता का ऋण अस्वीकृत करते हैं, क्या उन्हीं कारणों पर उन्होंने दूसरे उपभोक्ता को ऋण दिया है, इस बात की जांच कराएंगे कि नहीं? ऋण अस्वीकृति का एकमात्र फार्मूला होता है कि जब बैंक के मैनेजर किसी से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कारण उसका कुछ भी हो, तो उन्हें निश्चित अवधि के अंदर बहुत आसानी से ऋण मिल जाता है, लेकिन जब वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें ऋण नहीं मिलता है। अब संतुष्टि और असंतुष्टि का कारण क्या होता है, क्या इस बिंदु की कभी मंत्री महोदय ने जांच कराई है, यदि नहीं कराई है, तो क्या अब जांच कराएंगे, जिन आधारों पर एक व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत किया गया है, उन्हीं आधारों पर दूसरे का स्वीकृत क्यों किया गया, क्या वे इसकी जांच कराएंगे?

अध्यक्ष महोदय: एम.पी. के जाने से संतुष्ट हो जाता है।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, लोन्स को अदा करने के लिए बिलकुल गाइडलाइन्स हैं, जैसा माननीय सदस्य ने खुद कहा, लेकिन जो इन्होंने संतुष्टि और असंतुष्टि की बात कही, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जो माइक्रो लैवल पर होता है, वह काम आर.बी.आई. का नहीं होता और इसी कारण हमने ओमबड्समैन का प्रावधान किया है। यदि किसी को ऋण नहीं मिलता है, तो वह ओमबड्समैन को शिकायत कर सकता है। अगर वहां से भी संतुष्टि नहीं होती, तो उसके खिलाफ आगे अपील की जा सकती है। लेकिन यह कहना वाजिब नहीं होगा कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, वे सिर्फ अपने पर्सनल ढंग से देखते हैं। उसके लिए पैरामीटर्स निर्धारित किए हुए हैं। उनके हिसाब से उनकी लोन चुकाने की कैपसिटी क्या है, वे उसे देखते हैं। अगर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लोन चाहिए, तो जिस चीज के लिए लोन चाहते हैं; जिस इलाके में लोन चाहते हैं; क्या वही काम वहां और चार लोग तो नहीं कर रहे और यदि कर रहे हैं, तो वह पांचवां हो जाएगा, तो क्या वह वहां काम कर पाएगा या नहीं। उन्हें यह बताना भी जरूरी होगा कि जो लोन वे ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल ठीक प्रकार से कर सकें और आगे अपने जीवन में उसे बेहतरी के लिए उपयोग कर सकें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, यह कागजी सरकार है। इसलिए मैं वॉक आउट करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इससे आगे कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित न किया जाए। इसे कार्यवाही में शामिल न करें।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.27 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या वॉक आउट हो रहा है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आवास वित्त कंपनियों द्वारा धोखा दिया जाना

*183. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संदिग्ध साख वाली कई आवास वित्त कंपनियां देश में परिचालन कर रही हैं तथा लोगों को धोखा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) उन आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को विनियमित करता है, जो इनके पास पंजीकृत हैं। वर्तमान में एनएचबी के पास 43 पंजीकृत एचएफसी हैं। इन्हें जनता की जमाराशियों की वापसी अदायगी में वर्तमान में चूक करने वाली किसी पंजीकृत एचएफसी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गत वर्षों में, जिन मामलों में एनएचबी को किसी एचएफसी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गत वर्षों में, जिन मामलों में एनएचबी को किसी एचएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों की गैर-अदायगी के संबंध में स्रोतों, जिनमें जनता अथवा अन्य स्रोत से शिकायतें शामिल हैं, के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, उनमें एनएचबी ने हस्तक्षेप किया और कार्रवाई की जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एचएफसी को जनता से जमाराशियां स्वीकार करने से रोक, एचएफसी को एनएचबी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपनी आस्तियों का अन्य संक्रामण करने से रोक, पंजीयन प्रमाणपत्र (सीओआर) की अस्वीकृति/रद्द करना, कंपनी एवं इसके कार्यकर्ताओं का अभियोजन, कंपनी के परिसमापन के लिए याचिका दायर करना, आदि शामिल हैं।

एचएफसी को जनता से जमाराशियां स्वीकार करने/आस्तियों का अन्य संक्रामण करने से संबंधित रोक, सीओआर प्रदान करने के लिए इसके आवेदन को अस्वीकार करने अथवा इसके सीओआर को रद्द करने अथवा कारबार जारी रखने के लिए एचएफसी की अपात्रता से संबंधित तथ्य एनएचबी द्वारा समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा और एनएचबी की वेबसाइट पर डिस्प्ले द्वारा अधिसूचित भी किए जाते हैं।

गत वर्षों में एनएचबी के सामने एक पंजीकृत एचएफसी का एक दृष्टांत आया है जो कपटपूर्ण गतिविधियों में संलिप्त पाई गई है। इस कंपनी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	विषय	स्थिति
धरोहर आवास एवं वित्त लिमिटेड, बी-21/124, बटुक भैरव रोड कामाछा, वाराणसी-221010	कंपनी को जनता से जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दिए बिना, पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। जनता से जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति सहित पढ़े जाने के लिए कंपनी ने पंजीयन प्रमाणपत्र में हेरफेर की।	(1) कंपनी का पंजीयन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है। (2) कंपनी के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दायर की गई है। (3) आर्थिक अपराध स्कन्ध (ईओडब्ल्यू), पश्चिम बंगाल द्वारा जांच की जा रही है। एनएचबी इस मामले में ईओडब्ल्यू के साथ समन्वय कार्य कर रहा है। (4) कंपनी अब परिचालन में नहीं हैं। दिनांक 27.9.06 को परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी है। (5) पंजीयन प्रमाणपत्र रद्द करने के संबंध में स्थानीय समाचार-पत्रों में एनएचबी द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

जहां तक एनएचबी के पास पंजीकृत 43 एचएफसी से इतर कंपनियों का संबंध है, जब भी एनएचबी को एनएचबी अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अतिक्रमण में आवास वित्त का कारबार करने वाली किसी एचएफसी के बारे में सूचना प्राप्त होती है, एनएचबी, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करता है। एनएचबी ने निम्नलिखित कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों में परिसमापन याचिकाएं भी दायर की हैं:

क्र.सं.	कम्पनी	स्थिति	आदेश की तारीख
1.	क्रिस्टल होमफिना कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली	परिसमापन आदेश जारी	7.4.2003
2.	बद्रिका हाउसिंग फायनांस लि., नई दिल्ली	परिसमापन आदेश जारी	7.4.2003
3.	बी.एम.डब्ल्यू. हाउसिंग डेवलपमेंट फायनांस लि., नई दिल्ली	परिसमापन आदेश जारी	7.4.2003
4.	एकता फिनस्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट लि., सूरत	परिसमापन आदेश जारी	10.8.2005
5.	टाइम्स हाउसिंग फायनांस लि., हैदराबाद	परिसमापन आदेश जारी	15.12.2003
6.	रेयालाम हाउसिंग फायनांस लि., हैदराबाद	परिसमापन आदेश जारी	22.11.2006
7.	सम्राट हाउसिंग फायनांस कं. लि., जोधपुर	परिसमापन के लिए याचिका दायर	21.11.2002
8.	शांतिदूत हाउसिंग फायनांस लि., मुम्बई	परिसमापन के लिए याचिका दायर	25.2.2004
9.	नेशनल ड्वेलिंग ऑफ इंडिया लि., पांडिचेरी	परिसमापन के लिए याचिका दायर	12.8.2005
10.	इंटरनेशनल हाउसिंग फायनांस कार्पोरेशन लि., अहमदाबाद	परिसमापन के लिए याचिका दायर	2.4.2007

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि राज्य के अनुसार ऐसी कितनी वित्त कंपनियां हैं, जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिनका आपने ब्यौरा दिया है, उनके केसेस हाईकोर्ट में चल रहे हैं। इन कंपनियों के बारे में क्या हुआ, आप यह बताने का प्रयत्न करें कि कौन-कौन सी कंपनियां राज्य-वार गड़बड़ी में हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है.

श्री पवन कुमार बंसल: सर, राष्ट्रीय आवास बैंक ने उनके लिए अब यह अनिवार्य कर दिया है कि कोई भी जो आवास वित्त कंपनी होती है, वह उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही काम कर सकती है। यह बात सन् 2000 में शुरू हुई थी। अब ऐसी 43 कंपनियां हैं, जिनके पास प्रमाणित लाइसेंस है और उनमें से सिर्फ एक ऐसी कंपनी है, उसका नाम मैंने सवाल के अपने जवाब में दिया है और वह धरोहर आवास एवं वित्त लिमिटेड कंपनी है, जिसने थोड़ी धोखा-धड़ी का काम किया था। धोखा-धड़ी इस प्रकार की थी कि जो प्रमाणपत्र उन्होंने लिया था, उसमें यह था कि जनता से पैसा जमा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उसे बदल कर यह कर लिया कि वे जनता से भी पैसा जमा कर सकते हैं। इसलिए उनके खिलाफ पहला काम तो यह किया गया है कि उनका सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है। दूसरे उनके खिलाफ एक फौजदारी इस्तगासा किया गया है और आर्थिक अपराध पक्ष की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। वैस्ट बंगाल में इकनौमिक आफेंसेस विंग की तरफ से उस कंपनी की तफ्तीश जारी है। आज के दिन वह कंपनी चालू नहीं है। वह अपना काम नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, आपने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: सर, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, उनके लिए पब्लिक नोटिसेस हमेशा दिए जाते हैं। दूसरी 10 कंपनीज वे हैं, जिनका हमने जिक्र किया है। जिसके बारे में जब भी पता लगता है कि बिना लाइसेंस के काम कर रही और शिकायत आती है, तभी पता लग सकता है कि वे धोखा-धड़ी कर रही हैं। जिन 10 कंपनियों का हमने जिक्र किया है। उनमें से छ: कंपनियां वाइंड-अप हो चुकी हैं और चार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, लोग दुखी हैं। उन्होंने अपना पैसा जमा करवा दिया है। अब उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। इसलिए भविष्य में इस तरह की कम्पनियां गड़बड़ियां न करें और जनता का विश्वास इनमें कायम हो सके। इस संबंध में आपने क्या ठोस कार्यवाही की है ताकि लोगों का विश्वास ऐसी कम्पनियों में हो और वे कम्पनियां भी ठीक प्रकार से कार्य कर सकें। यदि ऐसा नहीं होगा तो लोगों में भयंकर असंतोष व्याप्त हो जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि लोगों को अपना पैसा केवल रजिस्टर्ड कम्पनी में ही जमा करनवाना चाहिए ताकि उन पर नजर रखी जा सके और उन पर कार्यवाही हो सके। यदि कोई आदमी अपनी कम्पनी बना लेता है और दूसरा उसमें पैसा जमा कर देता है तो ऐसे में हमारे देश के सामान्य कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: पैसा जमा करने से पहले थोड़ी इन्क्वायरी अवश्य करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जान सकती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवास वित्त कम्पनियां अपने ग्राहकों पर कई तरह के अदृश्य प्रभार लगाती हैं। और यदि हां तो क्या सरकार ने उन आवास वित्त कम्पनियों को अपने नियमों को और अधिक पारदर्शी तथा सरल बनाने के लिए कोई प्रस्ताव रखा है जिससे कि आम आदमी समझ सके और तदनुसार ऋण ले सके?

श्री पवन कुमार बंसल: ईमानदारीपूर्ण कार्य दो संहिताएं हैं। पहली का उल्लेख मैंने पहले प्रश्न में किया है, पहला ऋणदाता अर्थात बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए है। इससे सम्बद्ध होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आवास बैंक इन सभी कम्पनियों से यह उम्मीद करता है कि हर काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो। कोई अदृश्य लागत नहीं होनी चाहिए। सभी बातों को विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और ऋण के लिए कम्पनी के पास जाने वाले हर व्यक्ति को यह बात समझ में आनी चाहिए कि कौन-कौन सी शर्तें हैं और उसके अनुसार वह फैसला करेगा।

अध्यक्ष महोदय: धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों द्वारा यह कार्य किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले। क्या रामदास आठवले जी सो गए हैं?

श्री रामदास आठवले: नहीं महोदय, मैं सोने वाला नहीं हूं मैं तो सोने वालों को उठाने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड एवं हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियां जो ऋण देती हैं क्या वे समाज के गरीब वर्ग के लोगों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण देती हैं? क्या आपकी ऐसी कोई पॉलिसी है, जिसके तहत समाज के गरीब वर्गों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण दिया जा सके? हाउसिंग फाइनैंस कम्पनियां इस संबंध में गलती कर रही हैं, उन पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं और जो कम्पनियां गलती नहीं कर रही हैं, उनको आप क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: कमजोर वर्ग के लोगों, खास तौर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के संदर्भ में सभी बैंकों को हिदायतें दी गई हैं, जिनके तहत वे उनकी जरूरतों के अनुसार लोन देते हैं। हाल ही में बजट स्पीच में कहा गया था कि डीआरआई, जिसका सबसे कम इंटरेस्ट रेट है, उसकी सीमा भी 20,000 रुपये कर दी गई है। प्रायोरिटी सैक्टर में भी इसकी सीमा बढ़ा दी गई है ताकि आम आदमी बैंक से पैसा ले सके । उन्हें वहां से कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलेगा क्योंकि कम्पनियों ने तो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय करके पैसा लेना है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, हाउसिंग कम्पनियां लोगों को अपने घर का सपना दिखाती हैं और उन कम्पनियों में फ्लैट लेने के लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा कर देते हैं, बाद में वे कम्पनियां बंद हो जाती हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत इस तरह की कम्पनियां जो बंद हो जाती हैं, उन पर पुलिस कार्यवाही करके, ऐसे लोगों को सीधा जेल में डाला जाए? क्या इस संबंध में सरकार कोई कानून बनाने के बारे में सोच रही है?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह प्रश्न आवास विकास की कम्पनियों से संबंधित है। मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूं कि यदि किसी के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी होती है तो वह पुलिस के पास जाकर अपनी कम्पलैन्ट दर्ज करवा सकता है। उस पर कार्यवाही होगी ही होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसका नाम भेज दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: नाम नहीं, यह जनरल शिकायत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर समस्या है। बड़े शहरों में यह रोज हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। श्री वरकला राधाकृष्णन अब अपना अनुपूरक रखेंगे।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, आज क्या हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आज आप एक सही संगत प्रश्न पूछेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: पूरे देश में एच.डी.एफ.सी के रूप में एक शक्तिशाली निगम है और उसका प्रचार-प्रसार भी व्यापक है। मैं समझ नहीं पाता कि ये फर्जी कम्पनियां जिनमें कोई सत्यता नहीं है, क्यों फल-फूल रही हैं। देश के हर हिस्से में हम आवास निगम कम्पनियां देख रहे हैं जो गरीब लोगों को ठग रही हैं और इसके साथ ही हम एच डी एफ सी का प्रचार भी देख रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि किन परिस्थितियों में ये निजी कम्पनियां देश में फल-फूल रही हैं।

मैं श्री चिदम्बरम से जानना चाहता हूं क्योंकि अकेले वही इस स्थिति को समझ सकते हैं। कृपया मुझे बताइए। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल बेहतर जानते हैं। वे उत्तर देंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: ठीक है, यदि आप इतने बड़े आदमी हो गए हैं तो आपको अभी उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल भी समान रूप से बड़े है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, एक विस्तृत मानक निर्धारित है। ..*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: पूरे देश में इन फर्जी कम्पनियों के विरुद्ध कई तरह के आरोप लग रहे हैं। सी.पी.आई., सी.पी.एम. के लोगों द्वारा बहुत से आरोप लगाए गए हैं। देश के हर हिस्से में हमने मुकदमें दर्ज किए।

अध्यक्ष महोदय: आप हमेशा अपनी बात जोरदार ढंग से कहते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन एच.डी.एफ.सी. के बारे में आप का क्या विचार है? ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको प्रतिदिन बोलने क्यों नहीं देता हूं।

..*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है कि:

"आवास वित्त कंपनी को अपने वर्तमान और भावी जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में होना चाहिए, कंपनी अपने कार्य इस प्रकार करेगी जिससे कि इसके वर्तमान तथा भावी जमाकर्ताओं का अहित न हो, कंपनी के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जनहित या जमाकर्ताओं के अहित में न हो, कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी तथा अर्जन करने की संभावना हो, कि आवास वित्त कंपनी को इस पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना जन हित में होगा तथा इस प्रमाण-पत्र का दिया जाना कंपनी के आवास वित्त क्षेत्र के प्रचालनों तथा विकास में रुकावट नहीं बनेगा"।

महोदय, अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को इन सब बातों को ध्यान में रखने का अधिदेश है तथा इसके बाद ही पंजीकरण का प्रमाण-पत्र दिया जाता है तथा जैसा कि मैने पूर्व में कहा या दिए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के सभी 43 मामलों में एन. एच. बी. शिकायत के आधार पर यदि प्रत्यक्ष रूप से स्व: प्रेरणा द्वारा समय-समय पर तत्स्थानिक तथा कार्य क्षेत्र में निरीक्षण करता है तथा तत्पश्चात इसके अनुसार कार्यवाही करता है।

अध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद।

..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 184 श्री डी.वी. सदानन्द गौडा— उपस्थित नहीं।

बायोमेट्रिक पैन कार्ड

*185. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निरस्त किए गए डुप्लीकेट परमानेन्ट अकाउण्ट नम्बर (पैन) कार्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयकर विभाग ने डुप्लीकेट पैन कार्डों की समस्या से निपटने हेतु पैन कार्डों पर बायोमेट्रिक सूचना दर्ज करने के विकल्प की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2007 तक निरस्त किए गए डुप्लीकेट परमानेंट अकाउण्ट नम्बर (पैन) कार्डों की कुल संख्या 10,18,471 है।

(ख) और (ग) इस समय विभाग पैन डाटाबेस में पैन कार्ड धारकों का बायोमट्रिक डाटा रखने तथा संग्रह करने के विकल्प की जांच कर रहा है। इसका उपयोग मिलान करने के प्रयोजनार्थ किया जाएगा। अभी तक पैन कार्डों पर बायोमेट्रिक सूचना दर्ज करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) अग्रणी बायोमेट्रिक सॅल्यूशन प्रदाताओं से तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रस्ताव प्राप्त करने, तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तों पर बातचीत करने तथा सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक संयुक्त कार्य-दल का गठन किया गया था। संयुक्त कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर इस समय विचार-विमर्श किया जा रहा है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, दिए गए उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि दो-दो पैन कार्ड धारकों की अनुमानित संख्या 13,10,127 है तथा 11,43,919 धारकों के पैन कार्डों के सत्यापन के बाद 10,18,421 पैन कार्ड डुप्लिकेट पाए गए थे।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या डुप्लिकेट पैन कार्ड रद्द किए गए हैं या नहीं? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्रालय द्वारा पैन कार्ड संबंधी निर्धारित फार्मूले का अभी तक पालन न करने वाले पैन कार्ड धारकों पर कोई दंड लागू किया गया है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: इसमें आपके दोनों अनुपूरक प्रश्न शामिल हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, डुप्लिकेट कार्ड न तो अवैध हैं और न ही जाली। अनेक कारणों से निर्धारितियों को एक से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। मैं इन कारणों को बता सकता हूं। एक समय सरकार ने अभियान चलाया था जिसके तहत प्रत्येक निर्धारिती को पैन कार्ड दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। सरकार ने बिना पैन कार्ड वाले निर्धारिती को स्वयं ही पैन कार्ड जारी भी कर दिया था।

कुछ वर्षों के बाद स्थिति यह हो गई थी कि भारी संख्या में निर्धारितियों को एक से अधिक, बल्कि आम तौर पर दो-दो कार्ड जारी कर दिये गये थे। अब हम यही काम दोबारा कर रहे हैं। उत्तर में मैंने बताया कि 13,10,127 कार्ड जिनके बारे में शक था कि ये डुप्लिकेट पैन कार्ड हैं हमने जांच कर के ऐसे 10,18,421 कार्ड रद्द कर दिए हैं। अर्थात इन्हें निष्क्रिय कर दिए गए हैं। अब ये कार्ड वैध नहीं हैं। निर्धारिती का दूसरा पैन कार्ड ही वैध है, इसके अतिरिक्त दूसरा या तीसरा पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, आपका मंत्रालय बयोमिट्रिक पैन कार्ड लागू करने जा रहा है, यह एक नई सोच है।

अध्यक्ष महोदय: यह मेरा मंत्रालय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं मंत्री से प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु आपने कहा था 'महोदय, आपका मंत्रालय'।

..(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय जैव-सांख्यिकीय (बायोमीट्रिक) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड जारी करने जा रहा है। व्यक्तिगत करदाताओं की 360 प्रोफाइलों के अतिरिक्त, यह विचार हमारी वित्तीय प्रणाली के लिए नया है। हमें अभी इस नई प्रणाली का अभ्यस्त होना है लेकिन मेरे विचार से अपनाए जा रहे इन सभी सूत्रों का एकमात्र ध्येय कर आधार को व्यापक बनाना और हमारी अर्थव्यवस्था में प्रचलित काले धन को समाप्त करना है।

महोदय, हमारा यह अनुभव रहा है कि प्रत्येक दस या पन्द्रह वर्षों में सरकार द्वारा आम माफी योजना की घोषणा की जाती है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आम माफी की कोई योजना घोषित करने जा रही है क्योंकि

अध्यक्ष महोदय: कोई 'क्योंकि' नहीं।

श्री अधीर चौधरी: इन उपायों को एकमात्र ध्येय कराधार को व्यापक बनाना और काले धन को समाप्त करना भी है। मेरा यही मानना है।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही यह कह चुके हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जैव-सांख्यिकी स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड जारी करने का उद्देश्य सह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक 'पैन' कार्ड हासिल न कर पाए और कोई भी व्यक्ति छद्म या अस्तित्वहीन पहचान के आधार पर 'पैन' कार्ड हासिल न कर सके। अब जैव-सांख्यिकी कार्डों का उपयोग बहुत से कार्यों के लिए किया जा रहा है। अब पासपोर्ट 'स्मार्ट कार्ड' और प्रवेश-कार्ड जैव सांख्यिकीय आधार पर बन रहे हैं। जैव-सांख्यिकीय आधार पर कार्ड बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। हमें इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही चाहिए। लोग-बहुत से कार्यों के लिए जैव-सांख्यिकीय पहचान-पत्रों को स्वीकार कर रहे हैं।

यह प्रश्न किसी भी तरह से आम माफी की योजना से संबंधित नहीं है। या केवल जैव-सांख्यिकीय 'पैन' कार्डों के बारे में है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री उदय सिंह: महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि व तत्परता से आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं और कर निर्धारितियों को जैव-सांख्यिकी (बायोमीट्रिक) स्थायी खाता संख्या कार्ड जारी करने पर विचार कर रहे हैं, जिसके पीछे मंशा यही है कि एक बहुत पारदर्शी और सरल तरीके से देश का कर-आधार व्यापक हो सके।

मैं माननीय मंत्री जी को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय ने कुछ वर्ष पूर्व 'सम्मान योजना' के नाम से एक योजना शुरू की थी जिसमें करदाताओं को समुचित मान्यता दी जानी थी।

अध्यक्ष महोदय: इसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है?

श्री उदय सिंह: महोदय, इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध-बहुत सरल है। क्या मंत्रालय 'पैन' कार्ड जारी करने व अन्य ऐसी चीजों को अधिक सरल बनाकर अधिकाधिक लोगों को कर के दायरे में लाने हेतु प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है और क्या वह इस बात पर ध्यान देगा कि करदाताओं को उन लोगों से अलग मान्यता प्रदान की जा रही है, जो कर नहीं देते? इससे उन्हें कराधार का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। महोदय, यही सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय: इस बात को बहुत समझदारी से पूछा गया है परंतु यह प्रासंगिक नहीं है। मुझे खेद है?

श्री उदय सिंह: महोदय, क्या मुझे इसका उत्तर पाने का अधिकार नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: किसी अन्य अवसर पर।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मंत्री जी पहले ही यह कह चुके हैं कि इसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। यह अच्छा है और सरल भी है। यह विशेष रूप से ग्रामीण लोगों और अर्ध-शिक्षित व अशिक्षित लोगों को भी आसानी से उपलब्ध होगा। लेकिन हम केवल 'पैन' कार्ड ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से कार्ड भी जारी कर रहे हैं। अत: हम सार्वभौमिक पहचान पत्र जारी क्यों नहीं करते जिससे कि केवल एक ही कार्ड का उपयोग करना पड़े किसी कार्ड का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत पहचान और एकमात्र पहचान दर्शाना ही है। इस कार्य के लिए एस.बी.आई. का 'एटीएम' कार्ड भी *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न जैव-सांख्यिकीय (बायोमीट्रिक) कार्डों से संबंधित है।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम: मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ऐसा इसलिए पूछेंगे क्योंकि इसमें वित्तीय बाध्यताएं अतंर्निहित हैं। सरकार वित्तीय बाध्यताओं को लेकर प्रतिबद्ध है। अत: क्या वे एक बहुदेश्यीय यहां तक कि वित्तीय कार्यों के लिए भी, चाहे वह एस. बी. आई. द्वारा जारी एटीएम कार्ड हो या 'पैन' कार्ड के लिए पृथक पहचान वाला पहचान-पत्र जारी करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप के प्रश्न का इस प्रश्न से कोई भी संबंध है। क्या यह इस प्रश्न से किसी भी प्रकार से संबंधित है?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं केवल एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। यदि मुझे ठीक से याद है तो गृह मंत्रालय एक विशिष्ट पहचान संख्या कार्ड जारी करने के प्रश्न की जांच कर रहा है और मेरे विचार से उसने वह प्रयोगिक तौर पर भारत के सीमावर्ती राज्यों में देना शुरू कर दिया है।

अब, मेरे कार्य क्षेत्र से संबंधित लोगों की संख्या लगभग उसे 4 करोड़ ही है। मुझे 100 करोड़ लोगों को 'पैन' कार्ड जारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह वास्तविक रूप से केवल उन्हीं 3 से 4 करोड़ कर-निर्धारितियों के लिए ही है, जिसमें एक निश्चित दर से वृद्धि होने की संभावना है। परन्तु, आपको याद होगा कि बजट घोषणा में हमने यह कहा है कि हमने वित्तीय बाजार के सभी लेन-देनों में 'पैन' कार्ड को ही एकमात्र कार्ड बना दिया है।

वर्षा का पूर्वानुमान

***186. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्षा के पूर्वानुमान की सटीक भविष्यवाणी करने की पद्धति विकसित करने की दिशा में कोई प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) 1. वर्षा के पूर्वानुमान विभिन्न स्थानिक और कालिक अवधियों में दिए जाते हैं। ये पूर्वानुमान इस प्रकार से हैं:-

(1) देश के सभी 36 मौसम वैज्ञानिक उपखंडों के लिए तीन दिनों तक की अवधि के लघु अवधि वर्षा पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं।

(2) समूचे देश के लिए मध्यम अवधि वर्षा पूर्वानुमान (3-7 दिन) तैयार किए जाते हैं।

(3) समूचे देश तथा 4 एक जैसे क्षेत्रों के लिए भी दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु के लिए दीर्घ अवधि वर्षा पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। ये पूर्वानुमान दो चरणों में जारी किए जाते हैं, पहले चरण में मार्च तक के डेटा के आधार पर अप्रैल में तथा दूसरे चरण में मई तक के डेटा के आधार पर जून के अंत तक पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

2. वर्षा के पूर्वानुमान की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

(1) वर्ष 2007 की मानसून ऋतु के लिए 125 स्वचालित मौसम केंद्र चालू कर दिए गए हैं।

(2) 50 के एम विभेदन वाले उन्नत संख्यात्मक मॉडल कार्यान्वित कर दिए गए हैं।

(3) पूर्वानुमान को उत्कृष्ट बनाने के लिए मई, 2007 से संख्यात्मक मॉडलों में अतिरिक्त उपग्रह प्रेक्षण समाहित किए जा रहे हैं।

(4) पूर्वानुमान कौशल को उत्कृष्ट बनाने के लिए मल्टी मॉडल ''मैन-मशीन-मिक्स'' पद्धति अपनाई गई है।

इन कार्यों के परिणामस्वरूप लघु और मध्यम अवधि वर्षा पूर्वानुमानों में कुछ सुधार हुआ है।

3. इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वृहत् आधुनिकीकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों को किया जा रहा है।

(1) पूर्वानुमान के लिए अच्छे कार्य-निष्पादन वाले कम्प्यूटरों की खरीद।

स्वचालित वर्षा मापी (एआरजी), स्वचालित मौसम केंद्रों (ए.डब्ल्यू.एस.) सहित प्रेक्षण प्रणालियों में बढ़ोत्तरी, ऊपरी स्तर के डेटा के लिए उन्नत रेडियों सौंदे प्रणालियां, डॉप्लर मौसम रेडार (डी.डब्ल्यू.आर.) प्राप्त करना, आदि।

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि नेशनल सेंटर फार मीडियम रेंज वेदर फोरकासटिंग, भारत में किसानों को मौसम के पूर्वानुमान उपलब्ध कराने वाला एक अग्रणी संस्थान है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पिछले 15 दिनों में अनेक राज्य भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हे तथा बिहार जैसे कुछ राज्यों में अभी भी बाढ़ का प्रकोप जारी है। इस बाढ़ में अनेक लोगों की जानें गई। तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को क्षति पहुंची है।

क्या माननीय मंत्री महोदय इस सम्माननीय सभा को इस बारे में सूचित करेंगे कि क्या इन राज्यों को पहले से कोई चेतावनी जारी की गई थी? यदि हां, तो 8 तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा दें।

श्री कपिल सिब्बल: माननीय सदस्य सम्भवत: इस तथ्य से अवगत होंगे कि बिहार एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तथा ऐसा क्षेत्र पूर्वानुमान न किए जाने के कारण नहीं हुआ हैं। तथ्य यह है कि हमारी सीमा क्षेत्र के बाहर प्रवाहित होने वाली नदियों में अधिक बहाव के कारण उसका पानी हमारे सीमा क्षेत्र के भीतर आ जाता है। जिससे इन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है।

जहां तक चेतावनी देने के पहलू का संबंध है, मेरा विचार यह कि लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे हम सीमा पार नदियों के स्तर में वृद्धि को माप सकें।

श्री रायापति सांबासिवा राव: यह बताया गया है कि गुजरात में जुलाई, 2007 में 24 घंटों के भीतर गुजरात के बड़े भाग को जलमग्न कर देने वाली वर्षा ने मौसम विभाग के कर्मचारियों को जो आश्चर्यचकित कर दिया था। क्या यह सत्य है। यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में बताएंगे कि गुजरात में मौसम संबंधी भविष्यवाणी गलत साबित क्यों हुई थी?

श्री कपिल सिब्बल: मैं इस क्षेत्र में क्षमताओं के बारे में यथा क्षमता के अभाव तथा क्षमता के संबंध में सभा के समक्ष एक विस्तृत परिदृश्य रखना चाहता हूं। पिछले 60 वर्षों से हमारे पास मौसम के लिए मैनुअल एनालाग तंत्र है। मौसम पूर्वानुमान के लिए मैनुअल एनालाग तंत्र की सीमित क्षमताएं है। संपूर्ण तंत्र को स्वचालित डिजिटल मौसम पर्वानुमान तंत्र में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए बड़े पैमाने पर धनराशि की आवश्यकता होगी। परन्तु पहली बार मेरे मंत्रालय ने विश्व में मौजूद अत्याधुनिक डिजिटल आधारित स्वचालित मौसम पूर्वानुमान तंत्र बनाने तथा इसे देश के लोगों को समर्पित करने की योजना बनाई है, यह कार्य लगभग मई 2009 तक पूरा हो जाएगा, परन्तु

किसानों को जिला स्तर पर बिलकुल सटीक सूचना देने का कार्य 2013 तक पूरा हो जाएगा। यह एक बृहद कार्य है तथा हमारा विचार इसके लिए 900 करोड़ रुपये के निवेश करने का है। मंत्रिमंडल के के समक्ष एक टिप्पण प्रस्तुत किया गया है। तथा यह कार्य हो जाएगा। मैं इस देश के लोगों विशेषकर, किसान समुदाय से यह वायदा करता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं चूंकि हमारी सरकार बाढ़ सूखा, वर्षा इत्यादि के बारे में किसान समुदाय को सूचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वादा करता हूं कि मई 2009 तक हम उन्हें एक मूलभूत तंत्र उपलब्ध करा देंगे जिसके माध्यम से हम कम से कम 50 कि. मी. रिजोल्यूशन की सीमा तक सूचना प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी प्रश्न के उत्तर में बिहार के संदर्भ में कहा है कि वहां पानी बराबर उपलब्ध रहता है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। वहां पानी नेपाल की नदियों से आता है। नेपाल के पहाड़ में जब वर्षा होती है, तो उस एरिया में सारा पानी आता है। इसकी जानकारी बिहार के लोगों को नहीं मिलती है। उसकी वजह से जान-माल की व्यापक रूप से क्षति होती है। क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वहां से आने वाली एक अन्तर्राष्ट्रीय नदी की वजह से हमारे यहां जो नुकसान होता है, उसकी रोकथाम हो सके और लोगों को बाढ़ के बारे में सही समय पर सूचना मिल सके?

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हां, हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि हम बॉर्डर के उस तरफ कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं लगा सकते हैं जिससे इनफार्मेशन हमारे डिजीटल सेन्टर्स में आए, उसके बाद हमारी कंप्युटिंग फैसिलिटीज में आए और हम उसकी इनफार्मेशन लोगों को दे सकें। लेकिन हमारी जो बाउण्डरी है, उसके अन्दर हम ये सिस्टम्स लगा रहे हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वर्ष 2013 तक हिन्दुस्तान में एक ऐसा सिस्टम लगेगा, जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसके बारे में बोल दिया है, ठीक ढंग से बता दिया है। यह टेक्नोलॉजी की बात है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि देश में कहीं पर बाढ़ है और कहीं पर सूखा है। यह बात सत्य है कि जिस इलाके में सूखे की स्थिति होती है, वहां भी बाढ़ आती है। हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड और नेपाल में बारिश होने की वजह से बाढ़ आई है। आपके पास वैज्ञानिक और इक्विपमेंट्स हैं, मौसम विभाग है, इसलिए आपको इसका पूर्वानुमान होना चाहिए और उसके द्वारा आप सरकार को बता सकते हैं कि कहां पर सूखे की स्थिति और कहां पर बाढ़ की स्थिति आने वाली है। यह प्रतिवर्ष की बात है और हम इसी सदन में हर बार इसकी चर्चा करते हैं। आपको इस बारे में जागरूक होना चाहिए और वहां पर उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हो गया।

[अनुवाद]

यह वर्षा के पूर्वानुमान का प्रश्न है। सदस्यगण सूखे के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीन किस्म की प्रेडिक्शन होती है - एक से तीन दिन की प्रेडिक्शन, तीन से सात दिन की प्रेडिक्शन, जिसे मीडियम रेंज प्रेडिक्शन कहते हैं और लांग टर्म प्रेडिक्शन। हम जो एक से तीन दिन की प्रेडिक्शन देते हैं, वे 90 प्रतिशत तक सही भी रहती हैं। हमने बिहार को यह इनफार्मेशन दी थी कि बारिश ज्यादा होगी और आने वाली है, लेकिन इतनी माइन्युटली हम इनफार्मेशन नहीं दे पाते हैं। हमने बिहार और उत्तर प्रदेश की अथारिटीज को इसकी इनफार्मेशन दी थी, यह कहना गलत है कि हमने इनफार्मेशन नहीं दी। लेकिन जब हमारा सिस्टम पूरी तरह से माडर्नाइज हो जाएगा, हमारी कंप्युटर फैसीलिटीज टेराफ्लाप्स में चली जाएंगी, स्टोरेज फैसीलिटीज बन जाएंगी, हमारे मॉडलिंग सिस्टम्स माडर्नाइज हो जाएंगे, हमारे सेंसर्स लग जाएगें, ऑटोमैटिक रेन गेजेज लग जाएंगे, वेदर स्टेशन लग जाएंगे, 55 डॉप्लर रेडार लग जाएंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह इनफार्मेशन जाएगी। हम वर्ष 2009 तक पूरी इनफार्मेशन देंगे और छोटे रिज्योल्युशन में देंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप सभी को एश्योरेंस दे रहे हैं, आप सुनिए।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय इन सभी प्रणलियों के बारे में पूर्ण रूप से अवगत हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं इसे वर्ष 2009 तक दूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें मंत्री महोदय की हतोत्साहित करने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह है कि वर्ष 2004 में भारत और नेपाल के सहयोग से बाढ़ और वर्षा के पूर्वानुमान के लिए नेपाल के क्षेत्र में 16 स्थानों पर फोरकास्टिंग नेटवर्क स्थापित करने का समझौता हुआ था? उन 16 स्थानों में से एक भी स्थान फोरकास्टिंग नेटवर्क अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है, न उनका आधुनिकीकरण करने का प्रयत्न किया गया है जबकि भारत और नेपाल, दोनों मित्र देश हैं। नेपाल से बिहार में जो नदियां आती हैं, उनकी वजह से करोड़ों रुपए की फसल और जान-माल की क्षति होती है। अगर उसकी फोरकॉस्टिंग नेटवर्क से लोगों को जानकारी मिल जाए तो कम से कम लोग ऊंचे टीलों और तटबंधों पर जाकर अपनी जान तो बचा सकते हैं।

श्री कपिल सिब्बल: माननीय सदस्य ने जैसा अभी कहा कि जो-जो समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत जो सेंसर्स लगे थे, वे आज के दिन तक आपरेटिव नहीं हैं। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। *...(व्यवधान)* हम कोशिश कर रहे हैं कि यह सारी फैसिलिटी आपरेटिव हो। नेपाल को हम यह नहीं कर सकते कि अभी तक क्यों नहीं आपरेटिव किए इसलिए हम चाहते हैं कि बातचीत हो और उसमें हम उन्हें ये फैसिलिटी आपरेटिव करने के लिए कहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 187

श्री एल. राजगोपाल — उपस्थित नहीं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य उपस्थिति नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूं?

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्डों की क्लोनिंग

*188. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान क्रेडिट कार्डों की क्लोनिंग के पता चले मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस प्रकार की क्लोनिंग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2006 तथा 2007 (जून तक) के दौरान क्रेडिट कार्डों की क्लोनिंग के कारण हुई धोखाधड़ी के मामलों, जिनमें एक लाख रुपए एवं इसके अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त है, की संख्या तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए में)
2006	127	235.42
2007 (जून तक)	61	123.11

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक अंश के रूप में बैंकों को समय-समय पर आम धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों, कार्य-प्रणाली तथा उनके द्वारा बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम करने/कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुग्राही बना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए थे जिन्हें 2 जुलाई, 2007 के मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया था। बैंकों को धोखाधड़ी के मामलों से निबटने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने तथा सक्रिय धोखाधड़ी नियंत्रण एवं प्रवर्तन उपाय करने हेतु सलाह दी गई थी। उन्हें क्रेडिट कार्ड परिचालन सुदृढ़, विवेकपूर्ण एवं लाभप्रद तरीके से किया जाना तथा इसके साथ-साथ "अपने ग्राहक को जानिए" की अपेक्षा को भी पूर्ण करना; ग्राहकों के ऋण जोखिम का निर्धारण

करना; स्पष्ट एवं सरल भाषा में निबंधनों एवं शर्तों का उल्लेख करना; बिलों को तुरंत भेजना; ग्राहक की गोपनीयता बनाई रखी जाना; आदि सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2006 में सभी वाणिज्यिक बैंकं को एक परिपत्र भी जारी किया था जिसमें क्लोनिंग/स्किमिंग से जुड़ी धोखाधड़ियों से निबटने के लिए उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई थी। इन उपायों में होर्डिंग, विज्ञापन, पर्चियों के द्वारा तथा इसके साथ-साथ कार्ड जारी करने वाले बैंकों की वेबसाइट पर सचेतक संदेश देकर ग्राहकों को शिक्षित करना शामिल है।

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग की धोखाधड़ी के 2006 में 127 मामले सामने आए हैं। इसी तरह से उन्होंने यह भी बताया कि 2007 की प्रथम तिमाही में 61 मामले सामने आए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब वर्ष 2006 में 127 मामले सामने आए, तो इन्होंने आगे त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसके चलते 2007 की प्रथम तिमाही में ही 61 मामले सामने आए और उसमें करीब 123 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे आगे इस तरह की धोखाधड़ी के मामले अधिक न हों?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, देश में लाखों क्रेडिट कार्ड हैं। वर्ष 2006 में 127 मामले ध्यान में लाए गए थे तथा प्रत्येक ऐसे मामले में कार्यवाही की जा रही है। मामले दर्ज किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में ऐसे मामलों का पता लगाने के बाद चाहे वे क्लोनिंग के हों या स्किीमिंग के हो, रिजर्व बैंक ने जून 2006 में परिपत्र जारी किया था ताकि क्रेडिट कार्डों के क्लोनिंग और स्किमिंग से बचाव के उपाय किए जा सकें। परन्तु मूलभूत उत्तरदायित्व क्रेडिट कार्ड धारण का है। धारक को अपना क्रेडिट कार्ड अथवा इससे संबंधित सूचना आसानी से सभी को उपलब्ध नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे क्लोनियां स्किमिंग से हो सकती है। धारक को अपने क्रेडिट कार्ड की रक्षा करनी चाहिए। तथा यह है कि भारत के समान बड़े देश में जहां लाखों क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं वहां वर्ष भर में ऐसे केवल 127 मामले सामने आए हैं। संपूर्ण विश्व में यह चलन है परन्तु धारक को अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड की रक्षा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष जी, इस धोखाधड़ी में क्या कोई बैंक इम्प्लॉई भी इन्वाल्व है, यदि हां उनके खिलाफ मंत्री जी ने क्या कोई कार्रवाई की है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे किसी बैंक कर्मचारी की संलिप्तता के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। क्लोनिंग या 'स्किीमिंग' उस स्थिति में ही संभव है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी अजनबी को सौंप देते हैं और ऐसा तब हो सकता है जब आप सेवा प्रदाता को सौंपते हैं अथवा होटल या रेस्त्रां में देते हैं जहां वे इसकी नकल करके ऐसा एक और कार्ड बनाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति कार्ड सेवा प्रदाता को सौंपता है तो उसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है जिसमें बैंक कर्मचारी संलिप्त हों। मैं पता लगाऊंगा और यदि कोई बैंक कर्मचारी इसमें संलिप्त है तो मैं आपको सूचित करूं गा।

[हिन्दी]

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना

+

***189. श्री रेवती रमन सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से राज्य-वार कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) देश में आज की स्थितिनुसार उत्पादित कुल विद्युत में से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (एन आर ई) का कितने प्रतिशत योगदान है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान एन आर ई विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ङ) विवरण सदन-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) दिनांक 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगभग 10256 मेगावाट की ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत क्षमता की स्थापना की गई है। इसके राज्यवार और स्रोतवार विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) दिनांक 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता का भाग लगभग 7.7 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) वर्ष 2007-08 के लिए 2000 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संयोजन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें पवन विद्युत से 1500 मेगावाट, बायो-विद्युत से 300 मेगावाट और लघु पनबिजली से 200 मेगावाट शामिल है।

(ङ) सरकार देश ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना में तेजी लाने के लिए निजी निवेशों को प्रोत्साहन दे रही है। इस संबंध में राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित अवमूल्यन, रियायती शुल्क और करों से राहत शामिल है। इनके अतिरिक्त, अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दरें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अनुबंध

दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन के राज्यवार और स्रोतवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेगावाट में)	पवन विद्युत (मेगावाट में)	बायो-विद्युत		सौर विद्युत (मेगावाट में)	कुल क्षमता (मेगावाट में)
				बायोमास विद्युत (मेगावाट में)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	178.85	122.40	301.25	28.50	0.10	631.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.24				0.02	45.26
3.	असम	2.11					2.11
4.	बिहार	50.40					50.40
5.	छत्तीसगढ़	18.05		113.30			131.35
6.	गोवा	0.05					0.05
7.	गुजरात	7.00	636.60	0.50			644.10
8.	हरियाणा	62.70		6.00			68.70
9.	हिमाचल प्रदेश	141.62					141.62
10.	जम्मू-कश्मीर	111.83					111.83
11.	झारखंड	4.05					4.05
12.	कर्नाटक	416.50	821.10	254.28	1.00		1492.88
13.	केरल	98.12	2.00			0.02	100.14
14.	मध्य प्रदेश	51.16	57.30	1.00	2.70	0.10	112.26
15.	महाराष्ट्र	209.33	1487.70	76.00	1.00		1774.03
16.	मणिपुर	5.45				5.45	
17.	मेघालय	30.71					30.71

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	17.47					17.47
19.	नागालैण्ड	20.67					20.67
20.	उड़ीसा	7.30	3.20				10.50
21.	पंजाब	123.90		28.00	1.00	0.32	153.22
22.	राजस्थान	23.85	469.80	23.30		0.15	517.10
23.	सिक्किम	39.11					39.11
24.	तमिलनाडु	89.70	3492.79	215.50	4.25	0.05	3802.29
25.	त्रिपुरा	16.01					16.01
26.	उत्तर प्रदेश	25.10		121.50	5.00	0.38	151.98
27.	उत्तरांचल	75.67				0.05	75.72
28.	पश्चिम बंगाल	98.40	1.10			0.05	99.55
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.25				0.10	5.35
30.	चंडीगढ़						
31.	दादरा एवं नगर हवेली						
32.	दमन और दीव						
33.	दिल्ली						
34.	लक्षद्वीप					0.76	0.76
35.	पांडिचेरी					0.02	0.02
	कुल (मेगावाट)	1975.60	7093.99	1140.63	43.45	2.12	10255.79

श्री रेवती रमन सिंह: मान्यवर, देश को आजाद हुए 60 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक केवल 7.7 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर सके हैं और सिर्फ 10,000 मेगावाट तक ही पहुंच पाए हैं। क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार कोई ऐसा प्रारूप बना रही है कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट इन्वैस्टमेंट भी इसमें हो सके और इसे हम कम से कम 50,000 मेगावाट तक पहुंचा सकें? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी तक इस क्षेत्र में प्राइवेट इन्वैस्टमेंट कितना हुआ है और आगे कितना होने की सम्भावना है?

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, अक्षय ऊर्जा की शुरूआत 1982 में हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। वर्ष 1992 में इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया था।

मध्याह्न 12.00 बजे

इस दौरान आप जो 60 सालों की बात करते हैं कि 10 मेगावाट की उपलब्धि हुई है, यह इन दिनों में हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी इंवैस्टमेंट हुई है उसमें ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में हुई है। जहां तक आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की तो उसमें 14 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए कई योजनाएं प्राइवेट सेक्टर को लाभान्वित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उसे हारनैस करने के लिए,

अलग-अलग योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडीज और फाइनेंशियल कंसेशन्स, इन सब का समावेश किया गया है। मैं समझता हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 14 हजार मेगावाट का जो लक्ष्य हमने रखा है उससे ज्यादा हम पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल पूरा हो चुका है। मुझे खेद है, श्री रेवती रमन सिंह। मुझे अत्यंत खेद है। समय मेरे नियंत्रण में नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

***184. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 से प्राप्त ब्याज को आयकर के प्रावधानों से मुक्त रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के हितों में और कौन-कौन से वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जैसा कि उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फोटो पहचान-पत्र

***187. श्री एल. राजगोपाल:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में कितने मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ई पी आई सी) राज्य-वार जारी किए गए;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से ई पी आई सी त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश में त्रुटिहीन ई पी आई सी जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सम्पूर्ण देश में ई पी आई सी कब तक जारी होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) भारत निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि बड़ी संख्या में त्रुटिपूर्ण निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र पाए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, त्रुटिपूर्ण निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने के कुछ इक्का-दुक्का मामले हुए हैं। त्रुटिपूर्ण निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र की दशा में, यदि कोई हो, त्रुटिपूर्ण-पत्रों को ठीक करने और निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार नि: शुल्क रूप से निर्वाचनों को जारी करने के उपाय किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का यह प्रयास रहा है कि एक समयबद्ध रीति में, यथासाध्य रूप से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र स्कीम के अधीन 100% निर्वाचकों को लाया जाए। यद्यपि सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र स्कीम के अंतर्गत लाने के लिए निरंतर प्रया किए गए हैं, फिर भी विभिन्न कारणों जैसेकि प्राकृतिक आपदाएं और प्रशासनिक तंत्र का निर्वाचक कार्य से भिन्न अन्य कार्यों में नियोजित होना, स्वयं मतदाताओं की उपेक्षा, कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से प्रगति उचित रूप से नहीं हो पाई है।

विवरण

मतदाताओं के फोटो पहचान-पत्र की प्रगति के लिए प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1.1.2006 की निर्वाचक नामावली के अनुसार कुल साधारण निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिमुक्त पहचान पत्र जारी किए गए	जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों का प्रतिशत (स्तंभ 3 और 4)	निम्नलिखित तारीख तक निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश ***	49,848,636	35,278,198	70.77	मार्च, 2007
2.	अरुणाचल प्रदेश **	672,916	160,094	23.79	मार्च, 2007

1	2	3	4	5	6
3.	असम #	17,410,558	0	0.00	मार्च, 2007
4.	बिहार $	51,478,648	30,641,377	59.52	मार्च, 2007
5.	छत्तीसगढ़	13,999,848	4,850,000	34.64	मार्च, 2007
6.	गोवा ^^	1,010,207	764,774	75.70	मार्च, 2007
7.	गुजरात ^^	36,470,548	25,100,000	68.82	मार्च, 2007
8.	हरियाणा	12,123,645	10,854,503	89.53	मार्च, 2007
9.	हिमाचल प्रदेश	4,543,024	2,918,344	64.24	मार्च, 2007
10.	जम्मू-कश्मीर	6,284,658	4,276,715	68.05	मार्च, 2007
11.	झारखंड	17,873,713	8,409,060	47.05	मार्च, 2007
12.	कर्नाटक ^^	41,610,955	32,069,242	77.07	मार्च, 2007
13.	केरल ^^	20,929,146	20,929,146	100.00	मार्च, 2007
14.	मध्य प्रदेश	38,446,833	28,473,060	74.06	मार्च, 2007
15.	महाराष्ट्र	66,438,515	45,392,934	68.32	मार्च, 2007
16.	मणिपुर ##^^	1,701,410	763,481	44.87	मार्च, 2007
17.	मेघालय	1,339,181	709,309	52.97	मार्च, 2007
18.	मिजोरम	565,094	477,099	84.43	मार्च, 2007
19.	नागालैंड ###	1,268,359	576,725	45.47	मार्च, 2007
20.	उड़ीसा ^^	27,235,112	19,661,504	72.19	मार्च, 2007
21.	पंजाब ^^	16,859,720	15,693,997	93.09	मार्च, 2007
22.	राजस्थान ^^	34,800,000	27,800,000	79.89	मार्च, 2007
23.	सिक्किम ^^	305,992	222,766	72.80	मार्च, 2007
24.	तमिलनाडु	46,304,764	44,800,000	96.75	मार्च, 2007
25.	त्रिपुरा ^^	2,005,704	1,871,552	93.31	मार्च, 2007
26.	उत्तर प्रदेश ^^	1,134,000,000	913,000,000	80.51	मार्च, 2007
27.	उत्तराखंड ^^	5,961,350	5,303,710	88.97	मार्च, 2007
28.	पश्चिम बंगाल	48,112,642	46,630,101	96.92	मार्च, 2007
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ^^	243,188	214,241	88.10	मार्च, 2007

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	572,662	402,304	70.25	मार्च, 2007
31.	दादरा और नगर हवेली ^^	133,250	95,645	71.78	मार्च, 2007
32.	दमण और दीव	88,263	60,447	68.49	मार्च, 2007
33.	लक्षद्वीप ^^	40,241	37,617	93.48	मार्च, 2007
34.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र ^^	10,123,095	6,262,840	61.87	मार्च, 2007
35.	पांडीचेरी ^^	711,595	711,595	100.00	मार्च, 2007
	योग	690913472	513712380	74.35	

** अरुणाचल प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 4, 46, 49 और 50 के निर्वाचकों के आंकड़ों को छोड़कर।

1996-97 के प्रथम चरण में कुल 67,479 ईपीआईसी तैयार किए गए थे किंतु उन्हें वितरित नहीं किया गया था। वर्तमान में निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र कार्यक्रम असम राज्य में जारी नहीं है।

^ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 6 को, जहां अंतिम प्रकाशन अभी शेष है, छोड़कर 1.1.2007 की नामावली के संबंध में निर्वाचकों के आंकड़े।

^^ 1.1.2007 की नामावली के संबंध में निर्वाचकों के आंकड़े।

1997 तक कुल 1033733 निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों को फोटोग्राफी के लिए जारी किया था। उपायुक्तों द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार उनमें से 90 प्रतिशत मतदाताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा वे छीन लिए गए थे।

नागालैंड में 1.1.2005 के संबंध में गहन पुनरीक्षण के पश्चात् ईपीआईसी का प्रतिशत 57.06% से घटकर 45.47% रह गया।

^ हैदराबाद को छोड़कर जहां ईपीआईसी कार्यक्रम चल रहा है।

[हिन्दी]

ब्रिटिशकालीन कानूनों में संशोधन

***190. श्री काशीराम राणा: क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटिश काल के दौरान अधिनियमित किए गए कानूनों को वर्तमान समय के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) सभी विधियों का, जिनके अंतर्गत ब्रिटिश काल के दौरान अधिनियमित विधियां भी हैं, उन्हें देश की वर्तमान आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल बनाने के विचार से पुनर्विलोकन करना एक सतत प्रक्रिया है। यह कार्य अपनी-अपनी विधियों को प्रशासन करने वाले भिन्न-भिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा और साधारणतया भारत के विधि आयोग द्वारा किया जाता है। सरकार ने 1998 में प्रशासनिक विधियों के पुनर्विलोकन संबंधी एक आयोग का भी गठन किया था।

[अनुवाद]

स्टैनफोर्ड-इंडिया बायोडिजाइन कार्यक्रम

***191. श्री सुग्रीव सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्टैनफोर्ट-इंडिया बायोडिजाइन कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में चिकित्सीय प्रौद्योगिकी खोज को बढ़ावा देने के लिए

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए के साथ सहयोग करके एक पहल की है। इस शुरूआत की अवधारणा पर विचार करने के लिए जनवरी, 2007 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए से 5 अग्रणीय विदेशी विशेषज्ञों और करीब 35 भारतीय भागीदारों को आमंत्रित करके दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया था। सहमति के आधार पर ''स्टैनफोर्ड-इंडिया बायोडिजाइन कार्यक्रम'' की संयुक्त रूप से शुरूआत की गई है।

इसका उद्देश्य चिकित्सीय प्रौद्योगिकी में अग्रिमों को तैयार करते हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित भारत में चिकित्सीय प्रौद्योगिकी खोज को तैयार करना है। यह शुरूआत आईआईटी से युवा इंजिनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने, भारत में मुख्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए अग्रणीय इंजीनियरी संस्थानों के साथ चिकित्सीय संस्थान की भागीदारी और मूल्य प्रभावी हल विकसित करने पर लक्षित है ताकि इन्हें एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक माहौल में प्रयोग में लाया जा सके ।

कार्यक्रम के लक्ष्य हैं; (1) शिक्षा तंत्र में चिकित्सीय प्रौद्योगिकी खोज को परिचालित करना; (2) चिकित्सीय संस्थान के साथ भागीदारी करते हुए हरेक आईआईटी में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना; (3) जैववैज्ञानिकों, इंजीनियरों, रासायनिक एवं चिकित्सीय व्यक्तियों की एक बहुउद्देश्यीय टीम द्वारा मरीजों की देखरेख के माध्यम से चिकित्सीय प्रौद्योगिकी विकास के लिए अवसरों की पहचान करना और इसके उपरांत समूह के लिए कम से कम एक नई प्रौद्योगिकी का चयन करना ताकि इसे आकार दिया जा सके एवं एक प्रोटोटोईप में विकसित किया जा सके ।

कार्यक्रम का मुख्य ध्यानाकर्षण इंप्लांट्स, चिकित्सीय युक्तियों और जैव उपस्करण पर केन्द्रित होगा। प्रारंभिक विकास चरण में राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर आधारित गहन आकार एवं योजना प्रक्रिया शामिल होंगी। संकाय एवं फैलों को स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी, यूएसए में तात्कालिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आकार खोज प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत टीम वापिस भारत आएगी तथा स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी, यूएएस में अपने अनुभव के आधार पर भारत में आकार प्रक्रिया को शुरू करेगी तथा चिकित्सीय आवश्यकताओं/चुनौतियों की पहचान करेगी।

(ग) पहला स्टैनफोर्ड इंडिया बायोडिजाइन (एसआईबी) कार्यक्रम संयुक्त रूप से एम्स तथा आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया है। इसके उपरांत आईआईटी तथा भागीदार चिकित्सीय स्कूलों के जोड़ों की देश में पहचान की जाएगी ताकि एक प्रतियोगी आधार पर अगले 5 वर्षों के लिए और अधिक एसआईबी की स्थापना हो सके ।

(घ) हाल में कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष के लिए है।

[हिन्दी]

भारत में शहरीकरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

*192. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत में शहरीकरण संबंधी कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने भारत में शहरीकरण के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकाली है। तथापि, यूनाइटेड नेशन्स पापुलेशन फंड की ''स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन 2007'' नामक हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में भारत की आबादी में वृद्धि, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार अवसर और शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबी उल्लेख हैं। भारत में शहरीकरण संगत टिप्पणियों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यद्यपि, शहरी विकास राज्यों का विषय है तथापि, भारत सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) नामक एक बड़ी पहल शुरू की है जिसमें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 50,000 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस मिशन का उद्देश्य शहरी अवस्थापना और शासन उप घटक के जरिए चुनिंदा 63 शहरों में अवस्थापना सेवाओं के एकीकृत विकास पर ध्यान देना है। अन्य सभी छोटे और मझौले नगर दूसरे उपघटक अर्थात छोटे और मझौले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत शामिल होंगे। इस प्रकार दो और घटक अर्थात 63 चुनिंदा शहरों के लिए शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं और जेएनएनयूआरएम के तहत सभी अन्य शहरों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं ताकि शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं अर्थात आवास, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, मार्गों में बिजली आदि जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

मिशन की शुरुआत से लेक र 31 मार्च, 2007 तक सभी 63 शहरों ने शहर विकास योजना तैयार कर ली है- जोकि एक विजन दस्तावेज है कि एक निश्चित समयावधि में शहर स्वयं को किस प्रकार होना देखना चाहेंगे। 49 शहरों ने मिशन की सात वर्षों की अवधि में अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों को करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के साथ करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। बीस राज्यों में 16965.81 करोड़ रुपये की 205 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और 42 शहरों के लिए 1567.38 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। छोटे और मझौले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अंतर्गत 324 नगरों के लिए 6,181.62 करोड़ रुपये की 408 परियोजनाएं मंजूर कर दी गई हैं। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 4978.19 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जिसमें से 1,271.56 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

इसी प्रकार, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत, 15 राज्यों में 35 शहरों के लिए 9495.37 करोड़ रु. की 160 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 4785.74 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंश की तुलना में 970.91 करोड़ रु. की प्रथम किस्त जारी की गई है। एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 15 राज्यों में 189 कस्बों से 196 परियोजनाओं को 1399.75 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंश की तुलना में 492.61 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है। मिशन का उद्देश्य, मिशन अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना है: अर्थात सभी शहरी सेवाओं और सरकारी कार्यों में अपनाई गई आधुनिक और पारदर्शी बजट व वित्तीय प्रबंधन प्रणालियां शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेयता, उन्नत सेवा प्रदानता, उन्नत साखपरकता के साथ वित्तीय रूप से स्वावलम्बी शहरी स्थानीय निकायों तथा ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के जरिए नागरिकों को उनके निवास पर ही सेवाएं मुहैया कराना है। आशा है कि मिशन अवस्थापना सुविधाओं और शासन में समग्र सुधार लाएगा जिससे शहरी गरीबों सहित इसके सभी नागरिकों को बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

विवरण

भारत में शहरीकरण के संबंध में संगत टिप्पणियां

भारत के शहरी क्षेत्रों में अभी भी कुल आबादी के 30% से कम आबादी रहती है। यह प्रतिशत वर्ष 2030 तक बढकर 40.7% हो जाने की आशा है। इसका मुख्य कारण आंशिक रूप से भारत में ''शहर'' की सटीक परिभाषा के कारण है (उद्धाहरणार्थ इसमें शहरी विस्तार क्षेत्र शामिल नहीं हैं) इस प्रकार की परिभाषा के बावजूद भी शहरियों की आबादी वर्ष 2030 में 590 मिलियन हो जाने की आशा है।

भारतीय शहरों की आबादी में वृद्धि का यह एक प्रमुख कारक, प्राकृतिक वृद्धि होना है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो रही है और शहर की अधिकांश श्रम आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, परन्तु इससे अतिसूक्ष्म लाभों, अवसरों और बड़े शहरों की सुविधाओं की खोज में आने वाले प्रवासियों पर रोक नहीं लगती है। छोटे कस्बों में गरीबी हमेशा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों एवं मझोले आकार वाले कस्बों की तुलना में अधिक रही है। वर्ष 1987-88 और 1993-94 के बीच मझोले एवं छोटे नगरों की तुलना में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गरीबी में तीव्र गिरावट आई है।

[अनुवाद]

''नाबार्ड'' द्वारा बाजार से ऋण लेना

***193. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बाजार से ऋण ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नाबार्ड द्वारा लिए गए ऋणों की तुलना में बाजार से लिए गए ऋण का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या ऐसा करने से आरबीआई विनियमों का उल्लंघन होता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान, नाबार्ड ने 8.69% की भारित औसत लागत पर 10,898.79 करोड़ रुपए जुटाए थे। वर्ष 2007-08 के लिए, नाबार्ड ने, 17 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार, 9.66% की भारित औसत लागत पर 6,186.51 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

2005-06 और 2006-07 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए, ऋण पोर्टफोलियों के सापेक्ष बकाया बाजार उधारों का ब्यौरा, जिनमें बैंकों की जमाराशियां और ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत राज्य सरकार को दिए गए ऋण शामिल नहीं है, निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बकाया बाजार उधार	बकाया पोर्टफोलियो	प्रतिशतता
2005-06	22,084.00	42945.53	56.08
2006-07	32,146.00	49503.07	64.94

31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार, अल्पावधिक उत्पादन ऋण, मध्यावधिक (परिवर्तन) और चलनिधि सहायता, निवेश ऋण (फार्म क्षेत्र, गैर-फार्म क्षेत्र और स्व-सहायता समूह), ग्रामीण अवसंरचना ऋण, सहकारी संस्थाओं को शेयर पूंजी अंशदान के लिए राज्य सरकार को वित्तपोषण के संबंध में कुल बकाया ऋण 67,700 करोड़ रुपए हुए (जिसमें राज्य सरकारों को 21,079.38 करोड़ रुपए के आरआईडीएफ ऋण शामिल हैं)। इतने बड़े ऋण पोर्टफोलियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, नाबार्ड ने उधारों के जरिए 52,944 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए हैं (जिसमें बैंकों से 20,746.91 करोड़ रुपए की आरआईडीएफ जमाराशियां शामिल हैं)।

(घ) जी, नहीं। नाबार्ड के बाजार उधार, समय-समय पर यथा निर्धारित, आरबीआई के कानून/विनियम के अधीन ही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेयजल योजनायें

***194. श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
प्रो. प्रेम कुमार धूमल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पेयजल योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आवंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं।

(ख) क्या राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता के क्रियान्वयन और उपयोग के संबंध में राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वय का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यों के साथ बेहतर समन्वय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के विभिन्न घटकों के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नानुसार हैं-

(1) एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य) के अंतर्गत राज्यवार आबंटन ग्रामीण आबादी, एनसी/पीसी बसावटों की संख्या, भौगोलिक स्थिति और गुणवत्ता समस्या को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वैटेज प्रतिशत अंक के लिए घटक निम्नानुसार है-

निम्न के लिए वैटेज	प्रतिशत
ग्रामीण आबादी	40
डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी के तहत राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में विशेष श्रेणी वाले पर्वतीय राज्य	35
कवर न किए गए/आंशिक रूप से कवर किए गए गांव (2: 1 के आधार पर)	15
गुणवत्ता प्रभावित गांव	10
कुल	100

(2) एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) निधियों के अंतर-राज्यीय आबंटन का निर्धारण राज्य के डीडीपी क्षेत्रों में मौजूद स्वच्छ स्रोत रहित बसावटों की संख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। वैटेज और प्रतिशत अंक के लिए घटक निम्नानुसार हैं-

निम्न के लिए वैटेज	प्रतिशत अंक
डीडीपी ब्लॉकों में ग्रामीण आबादी का अनुपात	40
एनसी/पीसी बसावट (2:1 के आधार पर)	35
गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	25

(3) एआरडब्ल्यूएसपी (आपदा) के लिए राज्यों को कोई आबंटन नहीं दिया जाता है। ये निधियां राज्यों को राज्य सरकार की रिपोर्ट, निर्धारित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्रोतों और प्रणालियों को हुई क्षति तथा इन स्रोतों और प्रणालियों को पुन: उनकी मूल स्थिति में वापस लाने के लिए आवश्यक वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए रिलीज की जाती है।

(4) जल गुणवत्ता संबंधी उपमिशन के अंतर्गत राज्यों को निधियां निम्नलिखित वैटेज मानदंड के अनुसार आबंटित की जाती है: आर्सेनिक-35%, फ्लोराइड-35%, खारापन-15%, नाइट्रेट-5%, लौह-5% और विविध समस्याएं-5%।

(ख) और (ग) जी, नहीं। एआरडब्ल्यूएसपी की वित्तपोषण पद्धति में स्वत: ही समन्वय सुनिश्चित है जिसमें केन्द्र और राज्य 50:50 के आधार पर इसे वहन करते हैं। उपमिशन परियोजनाओं

के लिए केंद्र और राज्य का अंश 75:25 है। इसके अलावा बेहतर समन्वय के लिए भारत सरकार सभी राज्यों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करती है जिसमें कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में चर्चा करने के साथ-साथ कार्य निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। नीतियों, समस्याओं, नये तरीकों और प्रत्येक राज्य की सफलता पर चर्चा करने के लिए राज्य मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। पेयजल आपूर्ति विभाग का प्रतिनिधि भी राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति का सदस्य है। विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की समीक्षा मासिक प्रगति रिपोर्टों और मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों के क्षेत्र दौरों के माध्यम से की जाती है। नियमित समीक्षा बैठकें मासिक प्रगति रिपोर्टों को विश्लेषण, निधियों का समय पर और अधिकतम उपयोग करने के लिए राज्यों के साथ पत्राचार भी समन्वय को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपाय हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की रिपोर्ट

***195. श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने नीतिगत कठिनाइयों के कारण भारत में हो रहे निवेश में गिरावट के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में निवेश की दर में गति लाने के लिए इस रिपोर्ट में कोई सुझाव दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2007 में, अन्य बातों के साथ यह भी कहा है कि "भारत में अधिक अवरोधक नीतिगत शर्तों के कारण निवेश की वृद्धि में गिरावट और निजी उपभोग तथा सरकारी खर्च में कमी आने की संभावना है जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी होकर 2008 और 2009 में क्रमश: 7.8 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत तक हो जाएगी।"

(ग) और (घ) ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट, 2007 में वैश्विक संदर्भ में सभी विकासशील देशों की स्थिति का उल्लेख है और यह खासतौर पर भारत पर केन्द्रित नहीं है। एक समूह के रूप में विकाशील देशों के संदर्भ में, रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि समायोजना की व्यवस्था करने के लिए अच्छी आर्थिक नीतियां बनाए रखने और उनका विस्तार करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में ऐसे सुव्यवस्थित और नकदी वाले स्थानीय पूंजी बाजारों के विकास को प्रेरित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया है जो विकासशील देशों को बाहरी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करें और घरेलू बैंकों तथा अन्य विनियमित वित्तीय निकायों द्वारा लिए गए विदेशी उधारों का विवेकपूर्ण विनियमन सुनिश्चित करें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा

***196. श्री गणेश सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अपनी रिपोर्ट में मूल्य वृद्धि की आशंका व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी समीक्षा बैठक में आवास ऋण और आटो ऋण की शर्तों को संशोधित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 जुलाई 2007 को वर्ष 2007-08 के लिए मौद्रिक नीति के वार्षिक नीति विवरण की प्रथम तिमाही समीक्षा घोषित की गई। समीक्षा के अंतर्गत वर्षवार आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में मार्च, 2007 के अंत में 5.9 प्रतिशत से 14 जुलाई, 2007 में 4.4 प्रतिशत गिरावट दर्ज की। समीक्षा में यह भी संकेत दिया गया है कि हाल की अवधि में मुद्रास्फीति में मंदी हुई है लेकिन वृद्धि का दबाव कायम रहा तथा अल्पकाल में मांग आवेगों की प्रतिक्रिया में पूर्ति और कुल मांग स्थितियों के संबंध में घटनाक्रमों पर ध्यान से निगरानी रखना और मध्यकाल में उत्पादन क्षमता बढ़ाना आवश्यक होगा।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर, 1994 से प्रभावी रूप से 2 लाख रुपए के ऊपर के अग्रिमों पर ब्याज दर अविनियमित कर दी है और इन ब्याज दरों को स्वयं बैंक अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से निर्धारित करते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत घाटा

***197. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पारेषण और वितरण में लगभग चालीस प्रतिशत विद्युत का घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) विद्युत के पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों का आकलन करने के लिए वर्ष 2001-02 में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (एटी एंड सी) की अवधारणा शुरू की गई थी। एटी एंड सी हानि के मानदंडों में न केवल तकनीकी हानियां बल्कि विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग, खराब फीडर, वितरण, ट्रांसफार्मर एवं उपभोक्ता मीटरिंग, असंतोषजनक बिलिंग तथा बकायों की गैर-वसूली के कारण होने वाली वाणिज्यिक हानि भी पकड़ में आ जाती है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा तैयार रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि 34.54% थी।

(ख) एटी एंड सी हानियों के मुख्य कारण हैं-

(1) तकनीकी हानियां

* मौजूदा लाइनों एवं उपकेंद्र उपस्करों की ओवरलोडिंग
* पुराने एवं अप्रचलित नेटवर्क
* लो-हाइटेंशन: लो टेंशन अनुपात
* उपस्करों की खराब मरम्मत एवं अनुरक्षण
* पर्याप्त कैपिसिटरों की संस्थापना न करना
* घटिया एवं अकुशल तथा कम गुणवत्ता के वितरित उपस्कर।
* उपभोक्ता उपकरणों के खराब पावर फैक्टर

(2) वाणिज्यिक हानियां

* दोषपूर्ण मीटर
* चोरी एवं दुरूपयोग
* मीटरों के साथ छेड़छाड़
* कर्मचारियों में दायित्वहीनता
* कम मीटरिंग कुशलता
* असंतोषजनक बिलिंग कुशलता
* बकायों की गैर-वसूली

तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जो मुख्यतया राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं-

(1) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) 2002-03 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित तकनीकी, वाणिज्यिक एवं प्रबंधन उपाय करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी गई थी।

(क) तकनीकी उपाय

* कमजोर वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण।
* वितरण उपकेंद्रों की पुन:स्थापना तथा/या अतिरिक्त वितरण उपकेंद्रों का प्रावधान।
* कम संख्या/समूह वाले उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की संस्थापना तथा कम गैर-भार वाली हानियों वाले वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन।
* शंट कैपेसिटरों की संस्थापना।
* हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली अपनाना।
* वितरण नेटवर्क का नियमित अनुरक्षण।

* डाटा संकलन समेत उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग।

* आईटी हस्तक्षेप।

(ख) वाणिज्यिक उपाय

* मीटररिंग एवं बिलिंग में सुधार।

* राजस्व संग्रहण में सुधार।

(ग) प्रबंधन उपाय

* ऊर्जा एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग अपनाना।

* भावी विस्तार के लिए समुचित नेटवर्क आयोजना।

* संबद्ध पारेषण प्रणाली समेत वितरण प्रणाली के चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के लिए नियमित आधार पर दीर्घकालिक योजनाओं की तैयारी।

* कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

(2) विद्युत चोरी के कारगर नियंत्रण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में विशेष अदालतों तथा पुलिस स्टेशनों की स्थापना के द्वारा विद्युत चोरी का पता लगाने, चोरी से जुड़े अपराधों की शीघ्र सुनवाई तथा चोरी की गई बिजली के शुल्कों की वसूली करने हेतु विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। राज्यों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर केंद्र सरकार ने विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 को लागू करने के द्वारा अधिनियम में विद्युत चोरी से जुड़े प्रावधानों को और कठोर बनाया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा विद्युत चोरी को पूर्णत: संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। वितरण लाइसेंसधारकों को चोरी के पकड़े जाने पर बिजली आपूर्ति बंद करने की शक्ति प्रदान की गई है। बड़े उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की बार-बार चोरी के लिए भी दंड में वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता

***198. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मानदंडों को संशोधित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति–

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
2. संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार है,
3. स्त्री या बालक है,
4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा नि:शक्त है,
5. बहुविनाश, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक संकट का शिकार है,
6. औद्योगिक कर्मकार है,
7. अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत किसी संरक्षण गृह; या किसी किशोर गृह; या किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में की अभिरक्षा भी है,
8. यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रकम और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित रकम से कम वार्षिक आय अर्जित कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में यह सीमा मूल रूप से 12,000 रुपए नियत की गई थी और अब इस आय संबंधी अधिकतम सीमा को केंद्रीय सरकार द्वारा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों के संबंध में आय सीमा मूल रूप से 9,000 रुपए थी जिसे 29.02.2004 और 01.03.2004 को कोलकाता में हुई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की चौथी वार्षिक बैठक में बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का संकल्प लिया गया था। इसके अनुसरण में 19 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों ने आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है और शेष बचे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से भी इस आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) ऐसे निधन व्यक्तियों की, जिन्हें पिछले तीन कलेंडर वर्षों, अर्थात् 2004, 2005 और 2006 के दौरान विधिक सहायता स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त हुआ है, राज्यवार संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव किया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन वरिष्ठ नागरिकों, सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों और अर्ध-सैनिक बलों के ऐसे कार्मिकों के, जिनकी सैनिक कार्रवाई में मृत्यु हो गई है, आश्रित कुटुंब सदस्यों और आतंकवादी/उग्रवादी हिंसा तथा दंगो के शिकार व्यक्तियों को विधिक सेवा के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्ग में सम्मिलित किया जाए।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सहायता स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले निर्धन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7132
2.	अरुणाचल प्रदेश	1677
3.	असम	75564
4.	बिहार	16359
5.	छत्तीसगढ़	13082
6.	गोवा	1223
7.	गुजरात	20448
8.	हरियाणा	7729
9.	हिमाचल प्रदेश	787
10.	जम्मू-कश्मीर	2902
11.	झारखंड	2532
12.	कर्नाटक	5294
13.	केरल	6680
14.	मध्य प्रदेश	109018
15.	महाराष्ट्र	188175
16.	मेघालय	140
17.	मिजोरम	11839
18.	नागालैंड	684
19.	उड़ीसा	6824
20.	पंजाब	12429
21.	राजस्थान	22061
22.	सिक्किम	996
23.	तमिलनाडु	431512
24.	त्रिपुरा	1940
25.	उत्तर प्रदेश	1448645
26.	उत्तराखंड	14144
27.	पश्चिम बंगाल	11612
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	125
29.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	1671
30.	दिल्ली	39187
31.	पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र	3409
	योग	2465820

[अनुवाद]

एनआरईजीएस के अंतर्गत महिला लाभार्थी

***199. डा. आर. सेनथिल:** क्या ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत महिला कामगारों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महिला कामगारों की ओर से कार्यबल में उनकी संख्या के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनआरईजीएस के अंतर्गत महिला कामगारों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। एनआरईजी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II के पैरा 6 में प्रावधान है कि महिलाओं को प्राथमिकता इस तरह दी जाएगी कि एक तिहाई लाभार्थी वे महिलाएं होंगी जिन्होंने इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराया है और काम के लिए अनुरोध किया है। वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 90.51 करोड़ श्रमदिवस रोजगार सृजित किए गए जिनमें से 36.79 करोड़ (40.65%) महिलाएं थी। वर्ष 2007-08 के दौरान जून, 2007 तक सृजित रोजगार के 29.8 करोड़ श्रमदिवसों में 14.53 करोड़ श्रमदिवस (48.76%) महिलाओं के लिए हैं। इस तरह, एनआरईजीए के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान से बहुत अधिक रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान में एनआरईजीए के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान से पहले से ही बहुत अधिक रहा है।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का परिसमापन

*200. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:***
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के परिसमापन और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुचित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इनमें से किन्हीं कंपनियों को दंडित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है, जिन्होंने या तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है या जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं। ऐसी कार्रवाई में कंपनियों को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कार्यकलाप जारी रखने, जमाराशि स्वीकार करने और परिसंपत्तियों के अन्य संक्रामण की मनाही शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध 84 समापन याचिकाएं, 70 आपराधिक कार्यवाहियों और 27 आपराधिक कार्यवाहियों और 27 पुलिस शिकायतें दर्ज की हैं। ये मामले कानूनी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इन कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालयों में समापन याचिकाएं दायर की गई हैं:

1. अल-फला फिनजील लि., नई दिल्ली
2. अल-फहद इनवेस्टमेंटमेंट लि., भोपाल
3. अल फहद फिनकम लि., भोपाल
4. एशिया पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट लि., हैदराबाद
5. एटीएन इंटरनेशनल लि., कोलकाता
6. कंसर्ट कैपिटल लि., तिरुवनंतनपुरम
7. सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि., नई दिल्ली
8. क्रिस्टल क्रेडिट कार्पोरेशन लि, नई दिल्ली
9. डीसीएल फायनांस लि., हैदराबाद
10. डीएसजे फायनांस कार्पोरेशन लि., मुंबई
11. डीलवेल इन्वेस्टमेंट एंड फायनांस लि., मुंबई
12. डुगर फायनांस इंडिया लि., चैन्नई
13. ईबीएफ फायनांस लि., हैदराबाद
14. इनाराइ फायनांस लि., मुंबई
15. फायडेलिटी फायनांस लि., चेन्नई
16. जीनिया फरायनांसियल सर्विसेज लि., हैदराबाद

17. हीलियस कार्पोरेशन लि., पटना
18. हिलियस फायनांस ऐंड इनवेस्टमेंट लि., पटना
19. हिमाचल ग्रामीण संचयका लि., चंडीगढ़
20. हॉफलैंड फायनांस लि., नई दिल्ली
21. आईएफबी फायनांस लि., कोलकाता
22. इनकान म्युचुअल बेनिफिट लि., कानपुर
23. इन्डोदीप जनरल फायनांस ऐंड इन्वेस्टमेंट कं. लि. कोलकाता
24. जेवीजी फायनांस लि., नई दिल्ली
25. जेवीजी लीजिंग लि., नई दिल्ली
26. जेवीजी सिक्युरिटीज, नई दिल्ली
27. जम्मू ऐंड कश्मीर ओरिजिनेटेड फायनांस कं. लि., जम्मू
28. जेनसन ऐंड निकालसन फायनांस सर्विसेज लि., कोलकाता
29. जीबनबिकास जन, फायनांस ऐंड इन्वेसटमेंट (इं) लि., भुवनेश्वर
30. कश्मीर वैली फिन एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि., जम्मू
31. किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट्स एंड फायनांस लि., बंगलूर
32. क्रिसि एक्सपोर्ट कमर्शियल कार्पोरेशन लि., कानपुर
33. कुबेर आटो जनरल फायनांस लि., नई दिल्ली
34. कुबेर मुचुअल बेनिफिट्स लि., कानपुर
35. लक्ष्मी ट्रेड क्रेडिट्स लि., चेन्नई
36. लालभाई फायनांस लि., अहमदाबाद
37. लोक विकास फायनांस कार्पोरेशन लि., जयपुर
38. लोक विकास कैपिटल लि., जयपुर
39. लिंक्स (इं) लि., कोलकाता
40. एमसीसी फायनांस लि., चेन्नई
41. मेमोरियल फायनांस ऐंड इन्वेस्टमेंट (इं) लि., कोलकाता
42. मिडवेस्ट इंडिया इंडस्ट्रीज लि., हैदाराबाद
43. मोनार्क फिनलीज लि., हैदराबाद
44. मर्बैंक फायनांसियल्स सर्विसेज लि., अहमदाबाद
45. मर्बैंक फायनांयियल सर्विसेज लि., हैदराबाद
46. पीरामल फायनांसियल सर्विसेज लि., अहमदाबाद
47. पद्मजा वेंचर्स लि., हैदराबाद
48. पेन्नर पैटर्सन लि., हैदराबाद
49. प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट्स लि., कोलकाता
50. रॉकलैंड लीजिंग लि., नई दिल्ली
51. रॅसेल फायनांस लि., मुंबई
52. संजीवनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट (इं) लि., मुंबई
53. सन्मॉक मोअर फायनांस लि., चेन्नई
54. सेमैटिक फायनांस लि., नई दिल्ली
55. सनराइज इन्वेस्टमेंट ऐंड फायनांस लि., जम्मू
56. सिनर्जी फायनांसिगल एक्स्चेंज लि., चेन्नई
57. तुलुनाडु फिन, ऐंड डेवलपमेंट्स लि., बंगलूर
58. टी.वी.के. ईक्विटी फंड लि., हैदराबाद
59. विजया कमर्शियल क्रेडिट लि., बंगलूर
60. विजया लीजिंग लि., बंगलूर
61. आत्मिक फायनांस लि., मुंबई
62. हिन्दुस्तान फायना मैनेजमेंट लि., नई दिल्ली
63. ओनिडा फायनांस लि., नई दिल्ली
64. मंगल फायनांस लि., नई दिल्ली
65. डासन लीजिंग लि., नई दिल्ली
66. प्रोटेक्टिव सेविंग ऐंड फायनांस लि., कोलकाता
67. तथागत स्मॉल इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट. कार्पोरेशन लि.
68. नागार्जुन फायनांसय लि., हैदराबाद
69. महाराष्ट्र अपेक्स कार्पोरेशन लि., बंगलूर
70. कोठारी ओरियंट फायनांस लि., चेन्नई
71. क्रेस्ट फिनलीज लि., हैदराबाद
72. समृद्धि सेविंग ऐंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि., भोपाल
73. सउदर्न उद्यान्स लि., हैदराबाद

74. मेगाबाईट लीजिंग ऐंड फायनांस लि., कानपुर
75. राप्ती निधि लि., कोलकाता
76. जनप्रिया फायनांस ऐंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्मेंट्स (इं) लि., कोलकाता
77. डीसीएम फायनांसयिल सर्विसेंज लि., नई दिल्ली
78. चांस सेविंग्स कं. लि., कोलकाता
79. कर्नाटक फायनांसियल सर्विसेज लि., बंगलूर
80. एस.एन. फायनांस लि., बंगलूर
81. यशस्वी लि., बंगलूर
82. बीसीएल फायनांसियल सर्विसेज लि., कोलकाता
83. सूरज सिक्युरिटीज ऐंड फायनांसियल लि., कोलकाता
84. ग्लोबल फायनांस कार्पोरेशन लि., कोलकाता।

2. अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58-बी तथा 58-सी के साथ पठित धारा 58-ई के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दायर की गई हैं:

1. एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट लि., हैदराबाद
2. आथेंटिक फायनांस लि., कोलकाता
3. एटीएन इंटरनेशनल लि., कोलकाता
4. सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि., नई दिल्ली
5. क्रिस्टल क्रेडिट कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली
6. ईबीएफ फायनांस लि., हैदराबाद
7. इन्डाउमेंट इन्वेस्टमेंट (इं) लि.
8. गैलेक्सी ग्रोफिन लि., कानपुर
9. गैलेक्सी फिनलीज लि., कानपुर
10. हिमाचल ग्रामीण संचयिका लि., चंडीगढ़
11. हॉफलैंड फायनांस लि., नई दिल्ली
12. हरियाणा क्रेडिट ऐंड लीजिंग लि., नई दिल्ली
13. आईएफबी फायनांस लि., कोलकाता
14. इन्डोदीप जनरल फायनांस ऐंड इन्वेस्मेंट कं. लि., कोलकाता
15. जनता सिनेमा प्रापर्टीज ऐंड फायनांस लि., कोलकाता
16. जेनसन ऐंड निकोलसन फायनांस सर्विसेज लि., कोलकाता
17. जेवीजी फायनांस लि., नई दिल्ली
18. जेवीजी लीजिंग लि., नई दिल्ली
19. जेवीजी सिक्युरिटीज, नई दिल्ली
20. के. एम. कैपिटल लि., नई दिल्ली
21. किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फायनांस लि., बंगलूर
22. कोठारी ओरियंट फायनांस लि., चेन्नई
23. विजया लीजिंग लि., चेन्नई
24. क्रेस्ट फिनलीज लि., चेन्नई
25. कुबेर आटो जनरल फायनांस लि., नई दिल्ली
26. लक्ष्मी ट्रेड क्रेडिट्स लि., चेन्नई
27. लिंक्स (इं) लि., कोलकाता
28. लालभाई फायनांस लि., अहमदाबाद
29. एमसीसी फायनांस लि., चेन्नई
30. एमडीडी मुचुअल बेनिफिट कं. लि., कानपुर
31. मिडवेस्ट इंडिया इंडस्ट्रीज लि. हैदराबाद
32. न्यू सेंचुरी लीजिंग ऐंड इन्वेस्टमेंट लि., बंगलूर
33. एनआईटीएल मुचुअल बेनिफिट्स लि., नई दिल्ली
34. प्लेटिनम फायनांस लि., कोलकाता
35. प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट लि., कोलकाता
36. राप्ती ग्रोथ फंड लि., कानपुर
37. रौनक फायनांस लि., जयपुर
38. रॉकलैंड लीजिंग लि., नई दिल्ली
39. रॅसेंल फायनांस लि., मुंबई
40. सन्मेक आटो इन्वेस्टमेंट एंड फिनलीज लि., चेन्नई
41. सन्मॅक मोटर फायनांस लि., चेन्नई
42. सिमैटिक फायनांस लि., नई दिल्ली

43. शेट्टी लीजिंग (इंडिया) लि., बंगलूर
44. शिवानंद फायनांस लि., मुंबई अब सुमेर लि.
45. शॉपर्स इन्वेस्टमेंट ऐंड फायनांस लि., चेन्नई
46. एसएसएल (इं) लि., नई दिल्ली
47. सूरज सिक्युरिटीज ऐंड फायनांस लि., कोलकाता
48. सिनर्जी फायनांसियल इन्लार्ज लि., चेन्नई
49. त्रिकोण फायनांस (इं) लि., कानपुर
50. त्रिकोण लीजिंग कं. लि., कानपुर
51. त्रिकोण मुचुअल बेनिफिट लि., कानपुर
52. दि मेमोरियल फयनांस कार्पोरेशन लि., कोलकाता
53. वार्नर मल्टीमीडिया लि. पूर्व नाम क्लासिक ग्लोबल सिक्युरिटीज लि., कोलकाता
54. एस.एन. फायनांस लि., बंगलूर
55. तथागत स्मॉल इंडस्ट्रि. इन्वेस्ट लि., कानपुर
56. लोक विकास फायनांस कार्पोरेशन लि., जयपुर
57. वत्स कार्पोरेशन लि., मुंबई
58. मंगल फायनांस लि., नई दिल्ली
59. पी.एल. फायनांस ऐंड इन्वेस्टमेंट लि.
60. रामकश्यप इन्वेंसमेंट लि.
61. सहजपाल फायनांस ऐंड इन्वेस्मेंट लि., चंडीगढ़
62. जीवनसेवा फिन ऐंड इन्वेस्मेंट लि., भुवनेश्वर
63. इंटीग्रेटेड फायनांस लि., चेन्नई
64. मौलिक मुचुअल बेनिफिट्स लि., कानपुर
65. मौलिक फायनांस ऐंड रिसार्ट्स लि., कानपुर
66. एस.एम. फायनांस लि., हैदराबाद
67. कीव फायनांस लि., कोलकाता
68. मेमोरियल फायनांस ऐंड इनवेस्टमेंट (इं) लि., कोलकाता
69. संचयनी सेविंग्स ऐंड इन्वेस्मेंट (इं) लि., कोलकाता
70. राप्ती निधि लि., कोलकाता

3. पुलिस में शिकायत दर्ज

जनता को छलने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत निम्नलिखित के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज की गई:

1. अलखनंदा ग्रोथ फंड लि.
2. अल फला फिनलीज लि., नई दिल्ली
3. अंबर इंन्वेस्मेंट इंडिया लि., पटना
4. अमोली फायनांस ऐंड लीजिंग लि.
5. अर्गोसी फायनांस ऐंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (इं) लि., कोलकाता
6. भगवती कमर्शियल फायनांस लि., हैदराबाद
7. दीपिका लीजिंग ऐंड फायनांस लि., हैदराबाद
8. डेशिट जनरल फायनांस ऐंड इन्वेस्टमेंट लि.
9. हॉफलैंड फायनांस लि., नई दिल्ली
10. काकतीय क्रेडिट ऐंड कमर्शियल लि., वरंगल
11. क्रांति कामधेनु लीफिन लि., वरंगल
12. क्रिसी एक्सपोर्ट्स कामर्शियल कार्पोरेशन लि., लखनऊ
13. लालभाई फायनांस लि., अहमदाबाद
14. लिंक्स इंडिया लि., कोलकाता
15. मेरीगोल्ड इंडिया लीजिंग लि., चंडीगढ़
16. मोनार्क फिनलीज लि., बंगलूर (शाखा-हैदराबाद)
17. ओबान फायनांस एंड इन्वेस्मेंट लि., हैदराबाद
18. पद्मजा वेंचर्स लि., हैदराबाद
19. प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट लि., कोलकाता
20. आर.के. सत्यदर्शी सेविंग्स एंड फायनांस लि., जालंधर
21. संचयनी सेविंग्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लि., कोलकाता (मामलास हैदराबाद में दर्ज किया गया क्योंकि कंपनी की एक शाखा हैदराबाद में है)
22. स्वर्ण भूमि फारेस्ट इंडिया लि., चंडीगढ़
23. दि मेमोरियल फायनांस एंड इनवेस्टमेंट (इं) लि.

24. एस.एन. फायनांस लि., बंगलूर

25. दधीच सेविंग्स इंडिया लि., जयपुर

26. यूनाइटेड केनरा क्रेडिट एंड लीजिंग लि., बंगलूर

27. लिंकर सिक्युरिटीज लि., भोपाल।

[अनुवाद]

रेशम बुनकरों को ऋण

1798. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना के अंतर्गत नए आवेदन-पत्रों को बैंकों द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण रेशम बुनकरों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 01.04.1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की थी, जिसे बाद में दिनांक 31.03.2007 तक बढ़ा दिया गया था। टीयूएफएस को आवश्यक संशोधनों सहित 31.03.2007 के बाद भी बढ़ा दिया गया है। पणधारियों से परामर्श करके संशोधन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, वस्त्र मंत्रालय ने संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने तक दिनांक 01.04.2007 से नए ऋणों की मंजूरी हेतु योजना को आस्थगित रखा है।

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्व राज्यों हेतु ऋण

1799. श्री कॉरिन रिजीजू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्व राज्यों ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए और अधिक ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उत्तर-पूर्व राज्यों से कुछ अन्य प्रस्ताव प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु और अधिक ऋणों के लिए भारत सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यों ने ऋण घटक (सामान्य केन्द्रीय सहायता/ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/संसाधनों का अव्ययपगत केन्द्रीय पूल आदि के 10 प्रतिशत) को केवल बाजार से उगाहने का अनुरोध किया है। जब कभी भी राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है, भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत बाजार से ऋणों को उगाहने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

किसानों के लिए एकबारगी निपटान योजना

1800. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वित्तपोषित बैंकों/ संस्थाओं ने छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों के ऋणों को किसी अन्य योजना में निपटाया गया है या समायोजित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अनुषयोज्य आस्तियों (एनपीए) से संबंधित देयराशियों की वसूली के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना के संबंध में अप्रैल 2001 के दौरान राज्य सहाकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी

बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए थे। योजना 31 अक्तूबर, 2004 को बंद की गई थी। यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी बैंक एनपीए प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में अपनी स्वयं की समझौता निपटान योजना, अपने संबंधित बोर्ड तथा संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अनुमोदन से इसे कार्यान्वित करने हेतु संबंधित उप-नियमों में दिए गए प्रावधान के अध्यधीन कार्यान्वित कर सकते हैं।

कृषि ऋण की उपलब्धता को दोगुना करने के लिए दिनांक 18.06.2004 को सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिस्थगन अवधि के साथ ऋणों का पुनर्निर्धारण करके किसानों को ऋण राहत और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए एक बारगी निपटान योजना शामिल है। नाबार्ड ने उन छोटे एवं सीमांत किसानों की अनुपयोज्य आस्तियों का एकबारगी निपटान करने हेतु सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को दिनांक 26.7.2004 को दिशानिर्देश जारी किए थे जो 24.6.2004 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता थे।

ओटीएस योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान, सहकारी बैंकों तथा आरआरबी ने क्रमश: 298.94 करोड़ रुपए और 64.04 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र (06), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (06) और केरल (03) के चार राज्यों में 31 ऋणग्रस्त जिलों में सरकार द्वारा किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। इसमें दिनांक 01.07.2006 की स्थिति के अनुसार, अतिदेय ऋणों का एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्षों की अवधि में पुनर्निर्धारण किए जाने का भी प्रावधान है।

सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान 31 जिलों के लिए ब्याज माफी के पक्ष में अपने 50% हिस्से के रूप में 1359.13 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

[अनुवाद]

राज्यों से राजस्व

1801. श्री ए. साई प्रताप:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृ पा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयुक्तालयवार/राज्य-वार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजस्व संग्रहण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस राजस्व संग्रहण में राज्यों का कितना अंश रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कितना राजस्व संवितरित किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान संग्रहण ने अनुमान को पार कर लिया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में राजस्व संग्रहण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जहां तक प्रत्यक्ष करों को संबंध है, गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व संग्रहण का ब्यौरा विवरण-I में दिए गए के अनुसार है। सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अप्रत्यक्ष करों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-II, III और IV में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों 2004-05 से 2006-07 के दौरान राज्यों की संघीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-V में हैं।

(ग) से (ङ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के संबंध में अनुमानित राजस्व संग्रहण का ब्यौरा विवरण-VI में दिया गया है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2004-05 और 2005-06 में यह थोड़ा सा कम है। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, उत्पाद शुल्क राजस्व में कमी के कारण वर्ष 2004-05 के दौरान अनुमान को प्राप्त नहीं किया जा सका।

राजस्व की वास्तविक वसूली की तुलना में अनुमानित और लक्षित वसूली विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। राजस्व की वसूली में कमी के लिए किन्हीं विशेष कारणों की पहचान करना सदैव संभव नहीं होता। अनुमान कतिपय मापदण्डों पर आधारित होते हैं। यदि इन्हें अर्थव्यवस्था में प्राप्त नहीं किया जाता तो ये अनुमानों को प्राप्त न करने में परिणित हो सकते हैं।

(च) सरकार द्वारा अधिक राजस्व की उगाही के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं—शुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाना, जहां कहीं आवश्यक हो कर छूटों की समीक्षा करना और उन्हें वापिस लेना, तस्करी रोधी और अपवंचन रोधी उपायों के माध्यम से राजस्व के रिसाव को रोकना, आयातित

वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की निगरानी करना और प्रसार करना, कर अनुपालन में सुधार के लिए कर वसूली प्रक्रिया को सरल बनाना। उच्च करदाताओं के अग्रिम कर भुगतान की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए थे। राजस्व वसूली को अधिकतम करने के लिए स्रोत पर कर कटौती के प्रशासन को भी सुदृढ़ किया गया है।

विवरण I

प्रत्यक्ष कर

मुख्य आयकर आयुक्त (सी सी ए) क्षेत्र

	2006-07	2005-06	2004-05
अहमदाबाद	9109	6143	4862
बंगलौर	20650	15063	11157
भोपाल	4089	3443	3277
मुम्बई	76096	52656	42136
कलकत्ता	9806	7548	5686
कोचीन	2117	1702	1724
हैदराबाद	10132	6627	4790
जयपुर	4379	2148	1643
चेन्नई	14818	10716	8307
दिल्ली	38388	26158	20047
चण्डीगढ़	7019	5011	4283
कानपुर	1007	701	675
मेरठ	11206	10306	8603
लखनऊ	1783	1339	1244
पुणे	8970	6336	5248
पटना	1951	1440	1463
गुवाहाटी	1802	1673	1494
भुवनेश्वर	3309	2469	2197
नागपुर	1554	1154	931
	228187	162732	129767

आंकड़े मात्र केन्द्रीय स्रोत पर कर कटौती एवं अन्य कर जैसे धन कर आदि के अंतर्गत होने वाले संग्रहण के हैं।

विवरण II

सीमा शुल्क: क्षेत्रवार राजस्व संग्रहण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रों के नाम	राजस्व संग्रहण		
		2004-05	2005-06	2006-07 (अ.)
1	2	3	4	5
1.	मुम्बई-1 (सीमा शुल्क)	5924	6409	7807
2.	मुम्बई-2 (सीमा शुल्क)	11984	14977	21247
3.	मुम्बई-3 (सीमा शुल्क)	521	455	576
4.	मुम्बई-1 (के.उ.शु.)	19	20	12
5.	मुम्बई-2 (के.उ.शु.)	11	8	11
6.	पुणे	352	347	521
7.	नागपुर	198	280	343
8.	अहमदाबाद (सी.शु.)	6768	10759	13014
9.	अहमदाबाद (के.उ.शु.)	1747	15	5
10.	बड़ोदरा	722	6	6
11.	बंगलोर (सी.शु.)	4128	3843	4993
12.	मैसूर	0	13	12
13.	कोचीन (के.उ.शु.)	58	86	112
14.	हैदराबाद (के.उ.शु.)	405	496	779
15.	बिजाग (के.उ.शु.)	2168	2352	2690
16.	चेन्नई-1 (सी.शु.)	7858	9493	12777
17.	चेन्नई-1 (निवारक)	1068	1143	1680
18.	चेन्नई (के.उ.शु.)	42	63	100
19.	कोयम्बतूर	-64	-72	-42
20.	लखनऊ (के.उ.शु.)	616	-59	8
21.	मेरठ (के.उ.शु.)	147	792	1192
22.	पटना (निवारक)	194	212	176
23.	रांची	1	0	0

1	2	3	4	5
24.	दिल्ली	6881	6800	9640
25.	दिल्ली (निवारक)	306	49	115
26.	दिल्ली (के.उ.शु.)	776	808	695
27.	चंडीगढ़	0	406	578
28.	जयपुर	22	29	33
29.	भोपाल (के.उ.शु.)	90	134	178
30.	कोलकाता (सी.शु.)	4492	4884	6619
31.	भुवनेश्वर	169	305	415
32.	शिलांग	8	14	28
	अखिल भारत योग	57611	65067	86304

अ-अनंतिम

विवरण III

उत्पाद शुल्क: क्षेत्रवार राजस्व संग्रहण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्रों के नाम	राजस्व संग्रहण		
		2004-05	2005-06	2006-07 (अ.)
1	2	3	4	5
1.	मुम्बई-1	4628	3980	5073
2.	मुम्बई-2	5721	8617	10302
3.	पुणे	4945	4438	4326
4.	नागपुर	3418	2799	2809
5.	वड़ोदरा	9149	10278	11304
6.	अहमदाबाद	7535	8476	5242
7.	बंगलोर	3607	4148	3779
8.	मंगलोर	3961	5257	5835
9.	कोचीन	3084	3667	4540
10.	हैदराबाद	2917	2777	2879
11.	विशाखापत्तनम	5173	6075	7046
12.	चेन्नई	6124	7635	7985

1	2	3	4	5
13.	कोयम्बतूर	2580	1864	2160
14.	लखनऊ	4375	6215	6934
15.	मेरठ	4085	4279	4489
16.	रांची	4786	6818	7452
17.	दिल्ली	6776	7074	7572
18.	चंडीगढ़	2509	1270	1465
19.	जयपुर	1904	1752	1967
20.	भोपाल	4434	4776	5493
21.	कोलकाता	4997	5557	5907
22.	भुवनेश्वर	1462	1785	2067
23.	शिलांग	2379	2763	3134
24.	बंगलोर-एल टी यू	0	0	365
सी. शु. गृह द्वारा अदा किया गया प्रति अदायगी उत्पाद शुल्क		2300	2050	3039
निवल उत्पाद शुल्क राजस्व		98249	110250	117086
राजस्व विभाग द्वारा न लगाया गया सेस		876	976	1035
अखिल भारत योग		99125	111226	118121

टिप्पणी-1. ''वर्ष 2006-07 के लिए राजस्व विभाग द्वारा नहीं लगाए गए उपकर'' के आंकड़े बजट अनुमान हैं।

2. बंगलोर-एल टी यू क्षेत्र अक्तूबर 2006 में अस्तित्व में आया।

अ-अनंतिम

विवरण IV

क्षेत्र वार राजस्व आंकड़े (सेवा कर)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	राजस्व संग्रहण 2004-05	राजस्व संग्रहण 2005-06	राजस्व संग्रहण 2006-07
1	2	3	4	5
1.	मुम्बई-1	3980	7099	12329
2.	मुम्बई-2	146	166	225
3.	पुणे	457	917	153.1
4.	नागपुर	209	382	604

1	2	3	4	5
5.	बड़ोदरा	204	433	719
6.	अहमदाबाद	602	860	1271
क. पश्चिम क्षेत्र		5598	9857	16679
7.	बंगलोर	760	1259	2141
8.	मैसूर	191	268	426
9.	कोचीन	356	458	719
10.	हैदराबाद	439	723	1268
11.	विशाखापत्तनम	216	311	486
12.	चेन्नई	1093	1645	2725
13.	कोयम्बतूर	348	461	766
ख. दक्षिण क्षेत्र		3403	5125	8531
14.	लखनऊ	304	464	615
15.	मेरठ	253	460	781
16.	रांची	165	233	385
17.	दिल्ली	2042	3692	6012
18.	चंडीगढ़	384	512	715
19.	जयपुर	280	426	675
20.	भोपाल	273	465	693
ग. उत्तर क्षेत्र		3701	6252	9877
21.	कोलकाता	943	1270	1770
22.	भुवनेश्वर	153	264	432
23.	शिलांग	85	128	192
घ. पूर्वी क्षेत्र		1181	1662	2394
	अखिल भारत योग	13883	22896	37481

विवरण V

पिछले तीन वर्षों 2004-05 से 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों को संघीय करों और शुल्कों से राज्यों को जारी किए गए हिस्से को दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6058.42	6950.86	8866.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	191.95	272.15	347.14
3.	असम	2584.33	3056.78	3898.99
4.	बिहार	9117.13	10420.59	13291.72
5.	छत्तीसगढ़	1876.28	2507.82	3198.80
6.	गोवा	162.07	244.70	312.11
7.	गुजरात	2219.30	3372.43	4301.63
8.	हरियाणा	742.62	1015.77	1295.64
9.	हिमाचल प्रदेश	537.32	493.26	629.16
10.	जम्मू-कश्मीर	961.00	1135.26	1413.33
11.	झारखंड	2366.40	3175.89	4050.90
12.	कर्नाटक	3878.44	4213.42	5374.33
13.	केरल	2404.95	2518.20	3212.04
14.	मध्य प्रदेश	5076.63	6341.35	8088.54
15.	महाराष्ट्र	3644.02	4721.81	6022.76
16.	मणिपुर	287.96	342.09	436.33
17.	मेघालय	269.04	350.57	447.18
18.	मिजोरम	155.78	225.83	288.05
19.	नागालैंड	173.08	248.50	316.93
20.	उड़ीसा	3977.56	4876.75	6220.42
21.	पंजाब	902.35	1227.45	1565.65
22.	राजस्थान	4305.61	5300.08	6760.37

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	144.73	214.50	273.59
24.	तमिलनाडु	4236.39	5012.75	6393.86
25.	त्रिपुरा	383.10	404.38	515.78
26.	उत्तर प्रदेश	15055.20	18202.93	23218.31
27.	उत्तराखंड	519.97	887.32	1131.83
28.	पश्चिम बंगाल	6384.89	6668.33	8505.60
	योग	78616.52	94401.77	120376.99

विवरण VI

क्र.सं.	शीर्ष	2004-2005	2005-2006	2006-2007 (अ.)
1	2	3	4	5
1.	**सीमा शुल्क**			
	बजट अनुमान	54250	53182	77066
	संशोधित अनुमान	56250	64215	81800
	वास्तविक	57611	65067	86304
	बजट अनुमान में प्रतिशत उपलब्धि	106.2	122.3	112.0
	संशोधित अनुमान में प्रतिशत उपलब्धि	102.4	101.3	105.5
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	18.5	12.9	32.6
2.	**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**			
	बजट अनुमान	109199	121533	119000
	संशोधित अनुमान	100720.	112000	117266
	वास्तविक	99125	111226	118121
	बजट अनुमान में प्रतिशत उपलब्धि	90.8	91.5	99.3
	संशोधित अनुमान में प्रतिशत उपलब्धि	98.4	99,3	100.7
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	9.2	12.2	6.2
3.	**सेवा कर**			
	बजट अनुमान	14150	17500	34500

1	2	3	4	5
	संशोधित अनुमान	14150	23000	38169
	वास्तविक	14200	23055	37484
	बजट अनुमान में प्रतिशत उपलब्धि	100.4	131.7	108.6
	संशोधित अनुमान में प्रतिशत उपलब्धि	100.4	100.2	98.2
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	80.0	62.4	62.6
4.	**कुल अप्रत्यक्ष कर**			
	बजट अनुमान	177599	192215	230566
	संशोधित अनुमान	171120	199215	237235
	वास्तविक	170936	199348	241909
	बजट अनुमान में प्रतिशत उपलब्धि	96.2	103.7	104.9
	संशोधित अनुमान में प्रतिशत उपलब्धि	99.9	100.1	102.0
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	15.0	16.6	21.4

अ-अनंतिम

प्रत्यक्ष कर के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक संग्रहण

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक संग्रहण	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक संग्रहण वृद्धि दर	बजट अनुमान की प्रतिशत उपलब्धि	संशोधित अनुमान की प्रतिशत उपलब्धि
2004-05	139510	134194	132771	26.34%	95.17%	98,94%
2005-06	177077	170077	165208	24.43%	93.30%	97.14%
2006-07	210684	229272	230091	39.27%	109.21%	100.36%

बैंकों द्वारा उठाई गई हानियां

1802. श्री सुव्रत बोस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/सहकारी बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा विश्व परिदृश्य में इन बैंकों को लाभप्रद तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) उन सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों की संख्या, जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान हानियां हुई हैं, निम्नानुसार हैं:

2002	2003	2004	2005	2006	
सरकारी क्षेत्र के बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक	–	–	–	1	–
शहरी सहकारी बैंक	10	6	7	9	8
जिला सहकारी बैंक	105	122	101	72	88
प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	572	560	519	458	194

(ख) इन बैंकों को मुख्य रूप से जोखिम के लिए अधिक प्रावधान, अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के उच्च स्तर, पूंजीगत निधियों के निम्न स्तर, लेन-देन की अधिक लागत, कारबार की कम मात्रा आदि के कारण हानियां हुई हैं।

(ग) शीघ्र एवं सक्षम निर्णय लेने के कार्य को सहज बनाने और बैंक बोर्डों को पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए दिनांक 22.02.2005 को स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की थी। सहकारी बैंकों के संबंध में, प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाले कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने राज्य सरकार की सहभागिता के साथ अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) को मजबूत बनाने/पुररुज्जीवित करने के लिए पुररुद्धार पैकेज तैयार किया है। अब तक, 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक टास्क फोर्स (टीएएफसीयूबी) का गठन किया गया है जिसने, संभावित रूप से अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार और अलाभकारी शहरी सहाकारी बैंकों के अबाध परिसमापन के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना का पता लगाने और उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मेट्रो रेल परियोजना

1803. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इन्दिरापुरम से होकर नोएडा के सेक्टर-62 तक मेट्रो रेल चलाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मामले को प्राधिकरण के साथ उठाया जाना है; और

(घ) गाजियाबाद के अन्य कौन-कौन से स्थान हैं जहां तक प्रस्तावित मेट्रो रेल को ले जाया जाना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मैट्रो रेल को गाजियाबाद तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा इक्विटी निवेश योजना

1804. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने इक्विटी निवेश योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। आईडीबीआई ने कोई "इक्विटी निवेश योजना" शुरू नहीं की है। तथापि, आईडीबीआई ने, मुख्यत: ऋण परिचालनों, यथा अपने पहले के परियोजना वित्तपोषण कार्यकलापों के भाग के रूप में प्रत्यक्ष अभिदान/हामीदारी और साथ ही कमजोर कंपनियों की देयताओं का पुनर्गठन करते हुए देयराशियों का इक्विटी में परिवर्तन, के जरिए कंपनियों में इक्विटी शेयर अर्जित किए हैं।

अन्य संस्थाओं में नीतिगत निवेश के जरिए भी इक्विटी अर्जित की जाती है। आईडीबीआई ऊर्ध्वमुखी संभाव्यता वाली कंपनियों के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दौरान, और साथ ही द्वितीयक बाजार परिचालनों के भाग के रूप, में ऐसी कंपनियों की इक्विटी में चयनात्मक आधार पर अभिदान भी करता है।

स्व-सहायता समूहों को ऋण

1805. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ख) राज्य में स्व-सहायता समूहों को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान, निर्धारित लक्ष्य, ऋण संबंधित सहायता समूहों की संख्या और संवितरित बैंक ऋण का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	ऋण संबंधित स्व-सहायता समूहों की संख्या	संवितरित बैंक ऋण (रुपए लाख में)
2005-06	10000	12752	1658.60
2006-07	11000	11742	2184.40
31.03.2007 को संचयी आंकड़े	-	41703	5562.50

स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण उनकी बचत की मात्रा पर निर्भर करता है। बैंक समूह की बहुविध मूल निधि में ऋण देते हैं। इसलिए, स्व-सहायता बैंक संयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कोई ऋण लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान

1806. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमनदों पर अनुसंधान करने के लिए नए संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जलवायु में परिवर्तनों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सरकार ने हिम, बर्फ और हिमनदों पर अनुसंधान का एक नया केन्द्र खोलने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उचित सरकारी प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाएगी।

(ग) और (घ) जी हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा की जाती है। यह समिति भारत पर मानव जन्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जांच करेगी तथा मानव जन्य जलवायु परिवर्तन प्रभावों की दोषपूर्णता का निराकरण करने के संबंध में भविष्य में किए जाने वाले उपायों का पता लगाएगी। सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और प्रशमन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करने हेतु जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद् का भी गठन किया है।

वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता

1807. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में भारत को विश्व में 17वें स्थान पर रखा गया है;

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन्स (आई.डी.ए.) सहायता हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत परियोजनाओं का ब्यौरा (31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार)

(दस लाख अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मांगी गई सहायता की अनुमानित राशि	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना	536	आंध्र प्रदेश
2.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम	210	आंध्र प्रदेश
3.	बिहार संरचनात्मक समायोजन ऋण (आई.बी.आर.डी. और आई.डी.ए. का संयुक्त ऋण)	200	बिहार
4.	बिहार विकेन्द्रीकरण सहायता परियोजना	120	बिहार
5.	हिमाचल प्रदेश एस.ए.एल. (आई.बी.आर.डी. और आई.डी.ए. का संयुक्त ऋण)	200	हिमाचल प्रदेश
6.	कर्नाटक समुदाय आधरित टैंक प्रबंध परियोजना-2	35	कर्नाटक
7.	महानदी बेसिन विकास परियोजना	830	उड़ीसा
8.	उड़ीसा समुदाय आधारित टैंक प्रबंध परियोजना	120	उड़ीसा
9.	जम्मू-कश्मीर में सहभागी पनधारा प्रबंध परियोजना	210	जम्मू-कश्मी
10.	केरल में स्थानीय शासनों को सुदृढ़ करना	120	केरल
11.	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई परियोजना	150	तमिलनाडु
12.	गरीबी उपशमन और अवसंरचना हेतु लक्षित ग्रामीण पहल (टी.आर.आई.पी.टी.आई.)/उड़ीसा ग्रामीण गरीबी में कमी लाने संबंधी परियोजना	70	उड़ीसा
13.	उ.प्र. विविध कृषि संबंधी सहायता परियोजना-II	217	उत्तर प्रदेश
14.	उ.प्र.- एस.ए.एल.-II (आई.बी.आर.डी. और आई.डी.ए. का संयुक्त)	टी.बी.डी.	उत्तर प्रदेश
15.	पश्चिम बंगाल त्वरित लघु सिंचाई विकास	272	पश्चिम बंगाल
16.	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	172	पश्चिम बंगाल

किसानों से बेबाकी प्रमाणपत्र

1813. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों द्वारा किसानों को लघु ऋण प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक आरबीआई के अनुदेशों के बावजूद किसानों से बेबाकी प्रमाणपत्र के लिए बल दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो किसानों को हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यापालकों को अनुदेश जारी किए हैं कि बैंक छोटे एवं सीमांत किसानों, फसल बंटाईदारों को 50,000 रुपए तक के ऋणों के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र की अपेक्षा से छूट दें और इसके स्थान पर उधारकर्ता से स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपए तक के ऋणों को सम्पार्श्विक एवं मार्जिन मुक्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भूमिहीन श्रमिकों, फसल बंटाईदारों और मौखिक पट्टाधारियों की पहचान और हैसियत का सत्यापन करने वाले दस्तावेज न होने के कारण बैंकों द्वारा उन्हें ऋण देने में आने वाली समस्याओं से निजात पाने के उद्देश्य से बैंकों से कहा गया है कि भूमिहीन श्रमिकों, फसल बंटाईदारों और मौखिक पट्टाधारियों को ऋण के मामले में फसल उगाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र स्वीकार करें।

सरकार के पास ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है जिसमें 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण की मंजूरी हेतु किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) ने "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर जोर दिया हो।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन

1814. श्री रनेन बर्मन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन ने इस संबंध में कोई टिप्पणी भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने प्रतिवेदन में विलयन/सम्मेलन प्रायोजक बैंकों में परिवर्तन, न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं, अभिशासन, प्रबंधन, विनियम तथा पर्यवेक्षण संबंधी कई सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ) आल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इम्प्लाइज एशोसिएशन ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल को निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

(1) एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का समामेलन कर दिया जाना चाहिए तथा प्रायोजक बैंक से असंबद्ध कर दिया जाना चाहिए।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निजीकरण/परिसमापन नहीं करना चाहिए।

(3) सरकारी हिस्सेदारी नहीं घटानी चाहिए।

(4) वाणिज्यिक बैंकों को नेतृत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

(5) कवर नहीं किए गए जिलों/राज्यों/प्रदेशों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल द्वारा की गई सिफरिशों पर विचार करके यह निर्णय लिया गया कि उन सिफारिशों को कार्यान्वयन कर दिया जाए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अनुरूप हैं। सितम्बर 2005 में, भारत सरकार ने एक बैंक द्वारा प्रायोजित राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी (फलस्वरूप, आज क्षेत्रीय बैंकों की कुल संख्या घटकर 96 रह गई है, जो 31.3.2005 को 196 थी)। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तर पर भिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कोई सम्मेलन नहीं किया जाएगा तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक वाणिज्यिक बैंकों से असंबद्ध नहीं किया जाएगा। वर्तमान में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निजीकरण/परिसमापन और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रायोजक बैंकों को कवर न किए गए जिलों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कवर करने तथा तेजी से शाखा विस्तार करने की सलाह दी गई है।

भारतीय शहरों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली

1815. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी अवसंरचना में धन लगाने के लिए भारतीय शहरों हेतु ग्रेडिंग प्रणाली बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पैनल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता

1816. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कितने समझौते किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त संस्थागत सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सहायता से हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दो करारों/समझौता ज्ञापनों (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये हैं-फरीदाबाद, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी में शिक्षा, प्रशिक्षण और नवाचार के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए 14 जुलाई, 2006 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) और यूनेस्को के बीच हस्ताक्षरित करार तथा एच आई वी/एड्स टीका विकास में सहयोगी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इंटरनेशनल एड्स वैक्सिन इनिशिएटिव (आई ए वी आई) के बीच 7 जुलाई, 2005 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन। जैव प्रौद्योगिकी विभाग-यूनेस्को केन्द्र की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई है। तथापि, डी बी टी-आई ए वी आई समझौता ज्ञापन के अंतर्गत इंटरनेशनल सेंटर फॉर जिनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आई सी जी ई बी) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूर ने ग्लोबल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कॉन्सॉर्टिया के भाग के रूप में रोगप्रतिकारकों को निष्प्रभावित करने संबंधी अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है। ये परियोजनाएं हाल ही में प्रारंभ हुई हैं।

कचरा से ऊर्जा उत्पादन

1817. श्री तुकाराम गंगाधर गढाख: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए कचरा आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने संबंधी परियोजना के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 में कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड, राज्य नोडल एजेंसी से बंगलौर में म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट पर आधारित 8 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) चूंकि प्रस्ताव मंत्रालय की स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं था, इसकी सहायता नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकारी सब्सिडी पर उच्चतम न्यायालय की रोक थी।

अफीम उत्पादन हेतु लाइसेंस

1818. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकार के स्वामित्व वाले गाजीपुर (उ.प्र.) और नीमच (म.प्र.) इकाइयों में अफीम तथा उसके सहोत्पादों की वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए निजी भेषज कंपनियों को लाईसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लाईसेंस जारी करने हेतु क्या मानदंड अपनाया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 को संशोधित किया गया है ताकि लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् सरकारी अफीम एवं अल्कालायड कारखानों से भिन्न व्यक्तियों और कंपनियों को विनिर्दिष्ट अफीम अल्कालायड/

एक्टिव फार्मास्यूटिकल संघटकों के विनिर्माण की अनुमति दी जा सके। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस प्रयोजन के लिए दो भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देना सार्वजनिक हित में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र की रुचि रखने वाली और पात्र भारतीय औषधीय कंपनियों को जिनका गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम से कम 50 करोड़ रु. का वार्षिक कारोबार रहा हो; जिसका कानून की अनुपालना का अच्छा रिकार्ड रहा हो, और जो स्वापक सामग्री के किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता/क्रेता का विपणन एजेंट न हो, उनसे रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। कम्पनियों से प्राप्त रुचि की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन इसके लिए गठित समिति द्वारा किया गया है। मूल्यांकन करने पर 16 कम्पनियां पूर्व-अर्हता के लिए उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर योग्य पाई गई हैं और इन अर्हताप्राप्त कम्पनियों से तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

[हिन्दी]

एपीएमजीएसवाई के अंतर्गत और राजस्वग्रामों को शामिल करना

1819. श्री सुभाष महरिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत वर्ष 2001 के बाद घोषित राजस्वग्रामों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अंतर्गत उन्हें आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत संपर्कता के लिए प्राथमिक इकाई एक निर्धारित जनसंख्या की 'बसावट' और न कि राजस्व गांव। कार्यक्रम का उद्देश्य 500 और उससे अधिक आबादी वाले [पहाड़ी, पूर्वोत्तर राज्यों, जनजातीय (अनूसूची-V) क्षेत्र तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों के मामले में 250 और उससे अधिक] वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 1,32,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से (2003-04 के मूल्य पर) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत लगभग 1.79 लाख संपर्कविहीन बसावटें कवरेज हेतु पात्र हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र बसावटों तथा रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज हेतु पात्र बसावटों की संख्या	9.8.2007 को स्थिति के अनुसार रिलीज की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	980	1280.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	466	233.68
3.	असम	15346	1217.35
4.	बिहार	10034	1279.98
5.	छत्तीसगढ़	12561	1886.78
6.	गोवा	55	10.00
7.	गुजरात	4253	434.62
8.	हरियाणा	2	456.32
9.	हिमाचल प्रदेश	3494	668.28
10.	जम्मू-कश्मीर	2792	217.55
11.	झारखंड	10696	563.45
12.	कर्नाटक	876	556.83
13.	केरल	473	136.97
14.	मध्य प्रदेश	18492	3421.97
15.	महाराष्ट्र	1513	1213.59
16.	मणिपुर	598	180.50
17.	मेघालय	756	123.17
18.	मिजोरम	285	271.89
19.	नागालैंड	116	161.56
20.	उड़ीसा	18339	2351.48
21.	पंजाब	536	406.93
22.	राजस्थान	11235	3523.54
23.	सिक्किम	318	212.60

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	2640	582.90
25.	त्रिपुरा	1917	170.89
26.	उत्तर प्रदेश	28842	2815.16
27.	उत्तराखंड	2531	228.12
28.	प. बंगाल	28884	1845.31
	कुल योग	179030	26452.13

[अनुवाद]

सरकारी क्वार्टरों में उन्नयन/जीर्णोद्धार

1820. श्री नकुल दास राई:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्वार्टरों को नए आवंटितियों को आवंटित करने से पूर्व सीपीडब्ल्यूडी द्वारा क्वार्टरों का पूर्ण उन्नयन/जीर्णोद्धार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उन्नयन/जीर्णोद्धार को करने के लिए सरकारी क्वार्टरों में पहले से रह रहे आवंटितियों से कुल लागत का 10%, 20% वसूला जाता है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों प्रकार के आवंटितियों के बीच भेदभाव/विसंगति के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में के लो.नि.वि. मौजूदा नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन कार्यों के लिए आबंटितियों से प्रतिशत भुगतान लेता है।

(ग) मौजूदा विसंगति को ठीक किए जाने का प्रस्ताव है।

कॉपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज को भू-आवंटन

1821. श्री मोहन जेना: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भू-आवंटन के लिए अभी भी लम्बित कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन सोसाइटीज को भूमि आवंटित करने के लिए कार्य-योजना तैयार की है जिनके विरुद्ध सीबीआई द्वारा कोई आपराधिक मामला नहीं पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इन सोसाइटीज को कब तक भूमि आवंटित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दिल्ली में करीब 238 सहकारी समूह आवास समितियों के मामले में भूमि का आवंटन लंबित है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजुल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के नियम 6 के अनुसार सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि का आवंटन वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है जिसका निर्धारण समितियों द्वारा पंजीयक सहकारी समिति (आर सी एस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय में पंजीकरण कराने और उस कार्यालय द्वारा सदस्यता की जांच करने के आधार पर किया जाता है। उन समितियों, जिनके विरुद्ध सी बी आई द्वारा कोई आपराधिक मामला नहीं पाया गया है, करने के सम्बन्ध में पंजीयक, सहकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भूमि आवंटित कोई सिफारिश अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है।

एसबीआई द्वारा बीमा योजना

1822. श्री जोवाकिम बखला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने यूनिट लिंक्ड बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई विदेशी कंपनी उक्त योजना के साथ संबद्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना में एसबीआई द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है; और

(च) इससे लोगों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कोई यूनिट सहबद्ध बीमा योजना आरंभ नहीं की है। तथापि, एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लि., जो कि एसबीआई (74% शेयरधारिता सहित) और कारडिफ एस.ए. ऑफ फ्रांस का संयुक्त उद्यम है, ने निम्नलिखित यूनिट सहबद्ध बीमा योजनाएं आरंभ की हैं:-

क्र.सं.	उत्पाद का नाम
1.	हॉरीजन (वापस हुआ)
2.	एसबीआई लाइफ-यूनिट प्लस-सिंगल (वापस हुआ)
3.	एसबीआई लाइफ-यूनिट प्लस-रेगुलर (वापस हुआ)
4.	एसबीआई लाइफ-हॉरीजन-2
5.	एसबीआई लाइफ-यूनटि प्लस-2 रेगुलर
6.	एसबीआई लाइफ-यूनिट प्लस-2 सिंगल
7.	एसबीआई लाइफ-हॉरीजन-2 पेंशन
8.	एसबीआई लाइफ-यूनिट प्लस-2-पेंशन
9.	एसबीआई लाइफ-गोल्डन ग्रेच्युटी

(ङ) और (च) उपर्युक्त यूनिट सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत किए गए कुल निवेश, कंपनी से इन यूनिट सहबद्ध बीमा योजनाओं को खरीदे गए पालिसीधारकों का होता है। आईआरडीए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसबीआई ने उपर्युक्त यूनिट सहबद्ध बीमा योजना में कोई निवेश नहीं किया है।

उदारीकृत प्रेषण योजना

1823. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदारीकृत प्रेषण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) निवासियों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा सुविधाओं के सरलीकरण तथा उदारीकरण की ओर आगे बढ़ते हुए, निवासी व्यष्टियों को 4 फरवरी, 2004 से किसी भी अनुमत प्रयोजन के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष 25,000 अमरीकी डालर तक की राशि मुक्त रूप से प्रेषित करने की अनुमति दी गई। तदनंतर 20 दिसम्बर, 2006 से 25,000 अमरीकी डालर की इस सीमा को बढ़ाकर 50,000 अमरीकी डालर कर दिया गया तथा अब 8 मई, 2007 से इसे बढ़ाकर 100,000 अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है।

योजना के अंतर्गत सभी निवासी व्यष्टि इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अर्हक हैं। तथापि, यह सुविधा कारपोरेटों, भागीदारी फर्मों, एचयूएफ, न्यास इत्यादि के लिए उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना किसी वर्तमान या पूंजीगत खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रेषण करने हेतु उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत, निवासी व्यष्टि भारत के बाहर अचल संपत्ति या शेयर या किसी अन्य आस्ति को अर्जित तथा धारित करने के लिए मुक्त हैं। व्यष्टियों को रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना योजना के अंतर्गत प्रेषण करने के लिए भारत से बाहर बैंक में विदेशी मुद्रा खाते खोलने, उनका रखरखाव करने तथा उन्हें धारित रखने की भी अनुमति है। यह सुविधा निजी यात्रा, व्यवसाय यात्रा, अध्ययन, चिकित्सोपचार इत्यादि के लिए पहले से उपलब्ध सुविधा के अतिरिक्त है। तथापि, उपहार, दान, तथा विदेशी कंपनियों में निवेश हेतु प्रेषणों के लिए निवासी व्यष्टियों को पूर्व में उपलब्ध पृथक सुविधाओं को 100,000 अमरीकी डालर की वर्धित सीमा के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है।

सेवाकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना

1824. श्री अनवर हुसैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा कर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) आपूर्ति, मांग और संस्थागत अड़चनों सहित ऋण एवं वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में कमजोर वर्गों के समक्ष आने वाली बाधाओं की पहचान करना;

(3) वित्तीय समावेशन के लिए नीतियों को कार्यान्वित करने में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की समीक्षा करना और भारत में उनकी प्रासंगिकता/प्रयोज्यता की जांच करना;

(4) प्रक्रियाओं को कारगर एवं सरल बनाने, लेन-देन की लागतों को कम करने और परिचालनों को पारदर्शी बनाने के उपायों सहित लघु एवं सीमांत कृषकों और अन्य कमजोर समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्ययोजना का सुझाव देना;

(5) संस्थागत परिवर्तनों सहित वित्तीय समावेशन की प्रस्तावित कार्ययोजना को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले उपायों की जांच करना;

(6) प्रगति का मूल्यांकन करने के संकेतकों सहित वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तंत्र का सुझाव देना।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उसकी सिफारिशों के आधार पर, विकासात्मक और संवर्धनात्मक व्यवधानों की लागत को पूरा करने के लिए नाबार्ड के पास ''वित्तीय समावेशन निधि'' और प्रौद्योगिकी अपनाने की लागतों को पूरा करने के लिए ''वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि'' नामक दो निधियां बनाई जानी हैं। प्रत्येक निधि में 500 करोड़ रुपए के समग्र कारपस की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रारंभिक निधि का अंशदान केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर महाराष्ट्र विधिक विकास बोर्ड

1831. श्री वसंतराव मोरे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र विधिक विकास बोर्ड का पुनर्गठन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

1832. श्री सूरज सिंह:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
चौ. मुनव्वर हसन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कालोनियों को कब तक नियमित किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इसमें अन्तर्ग्रस्त कानूनी तथा प्रशासनिक मुद्दों को देखते हुए इस स्तर पर कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

शहरों का विकास

1833. श्री संतोष गंगवार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) को अपने कार्य सम्पन्न करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न शहरों की विकास स्कीमों तथा अन्य शहरी अवस्थापना विकास स्कीमों के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है विगत तीन वर्षों में प्रदान की गई निधियों तथा उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र के ब्यौरा को विवरण के रूप में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों में एन सी आर पी बी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	वर्ष	एनसीआरपीबी को दी गई अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)	उपयोगिता प्रमाण-पत्र सं. एवं दिनांक	केन्द्रीय सहायता					
				बेएनएनयू आरएम*	उपयोगिता प्रमाण पत्र	एडब्ल्यूएस पी** (करोड़ रु. में)	उपयोगिता प्रमाण पत्र	यूआईडी एसएसएम टी**	उपयोगिता प्रमाण पत्र
1.	2004-05	61.70	जी-20017/1 जीआईए 2006-07/एनसीआरपीबी दिनांक 9.6.2005	शून्य	लागू नहीं	3.515	हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में 2005 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	शून्य	लागू नहीं
2.	2005-06	70.00	जी-20017/1 जीआईए 2006-07/एनसीआरपीबी दिनांक 29.3.2006	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
3.	2006-07	75.00	जी-20017/1 जीआईए 2006-07/एनसीआरपीबी दिनांक 17.5.2007	15.80	प्रतीक्षित	0.1195	शून्य	37.71	लागू नहीं

*जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

**त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

*** छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम।

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत धनराशि का संवितरण

1834. श्री महेश कनोडिया:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत धनराशि आवंटित करने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या इस मानदण्ड में राज्यों से संग्रहीत डीजल उपकर को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) हाई स्पीड डीजल से प्राप्त होने वाले उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए आबंटित किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियों का आबंटन अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकता (देश की कुल सड़क संपर्क विहीन बसावटों में सड़क संपर्क विहीन बसावटों का अनुपात) के लिए 75% वेटेज और कवरेज (देश की सड़क-संपर्कयुक्त कुल बसावटों में सड़क -संपर्कयुक्त बसावटों का अनुपात) पर 25% वेटेज के आधार पर किया जाता है। राज्यों को आबंटन के अलावा, निम्नलिखित के लिए डीजल उपकर के ग्रामीण सड़क अंश से वार्षिक आबंटन के 5% तक का विशेष आबंटन किया जाता है:

(1) पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे जिलों के लिए (गृह मंत्रालय के सहयोग से),

(2) म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगे जिलों के लिए (गृह मंत्रालय के सहयोग से),

(3) गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित जिलों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए,

(4) अत्यंत पिछड़े जिलों (जैसाकि योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया) के लिए, जिन्हें विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है,

(5) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा अभिनव पहलों के लिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

झारखंड और उड़ीसा में आरजीजीवीवाई

1835. श्री टेक लाल महतो: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने में विलंब के कारण झारखंड और उड़ीसा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन की गति काफी धीमी है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड और उड़ीसा के कितने जिलों में उक्त योजना के अंतर्गत काम रुक गया है और सरकार द्वारा उक्त काम में तेजी लाने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन पर खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यावरण और वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करने के कारण किन-किन जिलों में उक्त योजना का कार्यान्वयन रुका हुआ है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क), (ख) और (घ) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने जुलाई, 2006 में विद्युत मंत्रालय को वन स्वीकृति संबंधी समस्याओं के बारे में सूचित किया था। इस मंत्रालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन प्रदान करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुरोध किया था। दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी), जो झारखंड के 8 जिलों में प्रचालन कर रही है, ने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति पर धनबाद, बोकारो और कोडरमा के कुछ गांवों में वन स्वीकृति में विलंब के कारण प्रभाव पड़ा था। डीवीसी द्वारा अनुसरण किये जाने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन संरक्षण किये जाने पर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की हैंड बुक की धारा 2.4 के अंतर्गत अर्थात् "प्रस्ताव की कुछ श्रेणियों के लिए सरल प्रक्रिया" वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है। पीसीसीएफ सह नोडल अधिकारी झारखंड और अन्य वन अधिकारियों सहित सीसीएफ (सेंट्रल) भुवनेश्वर ने स्थलों का निरीक्षण किया और 11.8.2007 को प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। अब सरल प्रक्रिया के अनुसार डीवीसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि ग्राम मानचित्रों (राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले) के अभाव में, वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कुछ कठिनाईयों का अनुभव किया जा रहा है।

उड़ीसा में, कार्यान्वयन एजेंसियों, नेशनल हाइड्रो मैकेनिकल पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने अभी तक वन स्वीकृति से संबंधित किसी समस्या का सामना नहीं किया है।

(ग) आरजीजीवीवाई के चरण-1 में उड़ीसा की 4 परियोजनाओं, को 234.60 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है और झारखंड की 13 परियोजनाओं को 970.39 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है। उड़ीसा और झारखंड को जारी की गई वर्षवार निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

17.08.2006 के अनुसार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत झारखंड और उड़ीसा को संवितरित राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संवितरित राशि			कुल
		2005-06 के दौरान	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान	
1.	झारखंड	* 3.50	284.24	–	288.74
2.	उड़ीसा	* 3.50	63.67	52.54	119.71
	कुल	7.00	348.91	52.54	408.43

*सीपीएसयू को अग्रिम भुगतान।

[अनुवाद]

पीएसई से नकदी प्रवाह का ऋण योजनाओं में सारणीबद्ध करना

1836. **श्री बालासाहिब विखे पटील:**
श्री एस. अजय कुमार:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री सूरज सिंह:
श्री जसुभाई धनाभाई बारड़:
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) से नकदी के प्रवाह का इक्विटी और ऋण योजनाओं में निवेश करने संबंधी किसी प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में म्यूचुअल फंडों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अधिशेष निधियों के निवेश पर प्रतिषेध में छूट को अनुमोदित कर दिया है। तथापि, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में निवेश करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न तथा मिनीरत्न उद्यमों को दी गई छूट को प्रतिबंधित करते हुए यह शर्त लगाई है कि वे इक्विटी म्यूचुअल फंडों में उपलब्ध अधिशेष निधियों के 30% से अधिक का निवेश नहीं करेंगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बोर्ड अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से ऐसे निवेश के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाविधियां तथा प्रबंधन नियंत्रण प्रणालियों का निर्णय करेगा।

[हिन्दी]

देश में नकदी प्रवाह

1837. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुद्रास्फीति की दर को 5 प्रतिशत से नीचे रखने के लिए देश में नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में नकदी प्रवाह की राशि कितनी है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में नकदी के प्रवाह को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकार इस संबंध में किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) सकल पूंजी अंतर्वाह वर्ष 2005-06 के दौरान के 141.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2006-07 में 227.7 बिलियन अमरीकी डालर थे। तथापि, निवल पूंजी अंतर्वाह 2005-06 के दौरान के 23.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2006-07 के दौरान 44.9 बिलियन अमरीकी डालर थे।

(ग) और (घ) मौजूदा बृहत्-आर्थिक स्थिति, बाजार की बदलती स्थितियों, क्षेत्रक जरूरतों और विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी नीति को प्रशासित करने में अब तक हासिल किए गए अनुभव को देखते हुए विदेशी वाणिज्यिक उधार मे संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा के आधार पर अगस्त 2007 में ईसीबी नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जैसे अंतिम-प्रयोग संबंधी कुछ प्रतिबंध लगाना और प्रति उधारकर्ता प्रति वित्त वर्ष में 20 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा से अधिक उधार लेने के लिए विदेशी मुद्रा के व्यय से संबंधित शर्तें लगाना तथा रुपया व्यय के लिए 20 बिलियन अमरीकी डालर तक के उधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन लेना।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1838. श्रीमती के. रानी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को राज्यवार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार के पास राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) 2005 से 2007 (21.08.2007 तक) की अवधि के दौरान, 231 नियुक्तियां की गई थी और 21.08.2007 को 38 प्रस्ताव विभिन्न चरणों पर विचाराधीन हैं। उच्च न्यायालयवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव राज्य सांविधानिक प्राधिकरियों को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो टिप्पणियों के साथ उन प्रस्तावों को संघ सरकार को भेजते हैं। संघ सरकार प्रस्ताव को सलाह के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट करती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा दी गई सलाह को विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, इसलिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	की गई नियुक्तियां			21.08.2007 को लंबित प्रस्ताव
		2005	2006	2007 (21.08.2007 तक)	
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	17	10	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	5	6	—	—
3.	बम्बई	5	8	1	4
4.	कलकत्ता	—	16	—	—
5.	छत्तीसगढ़	2	—	—	—
6.	दिल्ली	2	12	2	2
7.	गुवाहाटी	—	6	1	1
8.	गुजरात	3	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	2	3	3	3
10.	जम्मू-कश्मीर	3	—	—	—
11.	झारखंड	—	4	—	—
12.	कर्नाटक	4	4	5	5

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	2	—	5	5
14.	मध्य प्रदेश	12	3	2	2
15.	मद्रास	17	7	4	4
16.	उड़ीसा	—	1	1	1
17.	पटना	4	13	2	2
18.	पंजाब और हरियाणा	—	13	2	2
19.	राजस्थान	8	3	7	7
20.	सिक्किम	—	—	—	—
21.	उत्तराखंड	—	1	—	—
	योग	86	110	35	38

अल्पसंख्यकों को ऋण

1839. **श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों को ऋण देने वाले बैंकों का स्तर अभी भी कुल प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का 10 प्रतिशत से कम है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यकों को ऋण देने के स्तर को कम से कम 15 प्रतिशत तक उठाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रदान किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में, अल्पसंख्यक समुदायों का शेयर इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (ख)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को शेयर	
		राशि (क)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शेयर प्रतिशत (क/ख)
मार्च, 2006	516334.78	45490.60	8.81
सितम्बर, 2006 (नवीनतम रूप में उपलब्ध)	556967.20	51669.51	9.28

(ग) सरकार ने निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार को तीन वर्ष की अवधि में वर्तमान 9% से बढ़ाकर 15% करने के प्रयास किए जाएं।

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत "कमजोर वर्ग" शीर्षक में अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल करने के लिए दिनांक 18.5.2007 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक संशोधित परिपत्र जारी किया है।

अल्पसंख्यकों को ऋण देने के बारे में, दिनांक 5.07.2007 के अपने समेकित मास्टर परिपत्र में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देने का सुझाव दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के निष्पक्ष और पर्याप्त लाभ मिलें। मास्टर परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पसंख्यक समुदायों को सुगमता से ऋण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक में एक पृथक प्रकोष्ठ स्थापित करने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

म्यूचुअल फंडों में निवेश

1840. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यूचुअल फंडों (एमएफ) में निवेश बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत डेढ़ वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार एमएफ में निवेश करने को प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) म्यूचुअल फंडों में निवेशों की वृद्धि निम्नानुसार रही है:

अवधि	निवल अंतर्वाह (करोड़ रुपए)
2005-06	52,779
2006-07	93,985
अप्रैल-जुलाई, 2007	1,30,764

(ग) जी, हां।

(घ) सेबी पंजीकृत म्युचूअल फंडों की आय तथा साथ ही ऐसे म्युचूअल फंडों से किसी निवेशक की आय (बिक्री/मोचन को छोड़कर) आयकर से छूट प्राप्त है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्राहकों को ऋण

1841. श्री नरहरि महतो:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकों के निक्षेप और अग्रिम का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के निक्षेप और अग्रिम के बीच भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों/किसानों को ऋण/अग्रिम देने संबंधी असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कुल जमाराशि एवं सकल बैंक ऋण के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर अलग-अलग 60% का ऋण जमा अनुपात (सीआरआर) प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न राज्यों/क्षेत्रो के बीच अनुपात में व्यापक असमानता से बचा जाए, ताकि ऋण विनियोजन में क्षेत्र एवं खंड स्तर पर असमानता को न्यूनतम किया जा सके ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के संयोजक बैंकों से कहा है कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठक में सीडीआर

के मुद्दे पर ध्यान दें और ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु उपायों का पता लगाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि 40 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले बैंकों के संबंध में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों की विशेष उप समितियां स्थापित करें, ताकि सीडीआर पर निगरानी रखी जा सके और सीडीआर बढ़ाने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजनाएं (एमएपी) बनाई जा सकें।

विवरण

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार एससीबी के लिए कुल जमा राशि एवं सकल बैंक ऋण संबंधी क्षेत्रवार एवं राज्यवार आंकड़े

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश	ग्रामीण		शहरी	
	कुल जमाराशि	सकल बैंक ऋण	कुल जमाराशि	सकल बैंक ऋण
1	2	3	4	5
1. **उत्तरी क्षेत्र**	56,110	32,054	117,65	75,660
हरियाणा	7,559	4,866	38,482	21,086
हिमाचल प्रदेश	8,998	3,283	4,578	2,302
जम्मू-कश्मीर	6,367	1,920	10,983	6,836
पंजाब	18,569	10,022	27,008	13,548
राजस्थान	10,230	8,395	18,274	13,453
चंडीगढ़	1,485	337	18,331	18,436
दिल्ली	2,903	3,231	—	—
2. **पूर्वोत्तर क्षेत्र**	7,483	3,986	19,233	7,088
अरुणाचल प्रदेश	678	144	—	—
असम	4,671	2,712	12,611	4,836
मणिपुर	124	163	1,072	450
मेघालय	765	334	2,595	881
मिजोरम	169	117	840	346
नागालैंड	126	104	—	—
त्रिपुरा	950	414	2,116	576
3. **पूर्वी क्षेत्र**	55,160	23,560	82,621	34,965
बिहार	15,652	5,970	12,557	3,496
झारखंड	9,191	2,510	17,705	7,187

1	2	3	4	5
	उड़ीसा	10,624	7,300	20,514	14,176
	सिक्किम	368	315	—	—
	पश्चिम बंगाल	19,097	7,405	31,845	10,106
	अंडमान एवं निकोबार	22,7	61	—	—
4.	**मध्य क्षेत्र**	59,665	29,946	106,661	45,110
	छत्तीसगढ़	4,340	1,752	15,396	9,322
	मध्य प्रदेश	9,646	7,214	19.312	9,182
	उत्तर प्रदेश	39,794	18,964	55,269	23,754
	उत्तराखंड	5,884	1,975	16,684	2,852
5.	**पश्चिमी क्षेत्र**	30,082	18,731	58,186	25,737
	गोवा	3,491	564	—	—
	गुजरात	14,344	6,870	28,210	9695
	महाराष्ट्र	12,181	11,290	29,976	16,042
	दादरा एवं नगर हवेली	66	7	—	—
	दमन एवं दीव	—	—	—	—
6.	**दक्षिणी क्षेत्र**	49,629	46349	146,911	127,606
	आंध्र प्रदेश	15,881	16,702	35,435	28,572
	कर्नाटक	14,918	13,436	31.734	22,439
	केरल	3,914	3,088	37,573	28,580
	तमिलनाडु	14,487	13,164	39,316	46,574
	लक्षद्वीप	59	10		
	पांडिचेरी	369	149	2,853	1,441
	अखिल भारत	258,128	154,785	531.269	316,166

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

विनिवेश में विसंगतियां

1842. श्री किन्जरपु येरनन्नायडु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के समय में सरकार के ध्यान में वीएसएनएल सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश के मूल्यांकन में भारी विसंगतियां आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मर्चेन्ट बैंकरों के विरुद्ध उनके मूल्यांकन में विसंगति के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विनिवेश हेतु सार्वजनिक पेशकश के स्थान पर नीतिपरक बिक्री का मार्ग अपनाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने, मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट, वर्ष 2005 की संघ सरकार की सौदा लेखापरीक्षा टीका-टिप्पणी संख्या 2 में, (जो मई 2005 में संसद के पटल पर रखी गई) जिसमें होटल जुहू सन्तूर, मुम्बई और होटल एयरपोर्ट सन्तूर, मुम्बई के बिक्री सौदे शामिल हैं, अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन अन्य मामलों में मंत्रालय द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं था। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों के आलोक में, इन होटलों के बिक्री सौदों को जांच के लिए जुलाई 2005 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को संदर्भित कर दिया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वीएसएनएल सहित वर्ष 1999 से 2003 के बीच सामरिक बिक्री के माध्यम से विनिवेशित 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा जांच की थी। वर्ष 1999-2003 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता के विनिवेश की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में, मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट [संघ सरकार (सिविल) की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा स. 2006 की 17], दिनांक 25 अगस्त 2006 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्र मों के मूल्यांकन के संबंध में टिका-टिप्पणियां सम्मिलित हैं। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने वर्ष 2006-2007 के दौरान विस्तृत जांच के लिए इस रिपोर्ट का चयन किया है। आगे की कार्रवाई, लोक लेखा समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

(ङ) और (च) वर्तमान सरकार द्वारा मई 2004 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद सामरिक बिक्री का कोई मामला नहीं हुआ है।

उड़ीसा में न्यायालय भवनों का निर्माण

1843. श्री भर्तृहरि महताब: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को उड़ीसा सरकार से उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान उड़ीसा सरकार को उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर के प्रस्तावित विस्तार के लिए 5.03 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्य सरकार को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

कम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प का प्रयोग

1844. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की खपत को कम करने के लिए कम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प का प्रयोग करने को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में आम बिजली के बल्बों की कीमत पर सीएफ एल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ग) क्या सरकार सीएफएल विनिर्माताओं को राजसहायता देकर सस्ती दरों पर सीएफएल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो ने देश में आम बिजली के बल्बों की कीमत पर सीएफएल उपलब्ध करवाने की एक योजना विकसित की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में भवनों को गिराया जाना

1845. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 22 सितंबर, 2006 तक विद्यमान निर्माणों हेतु एम.पी.डी.-2021 के अंतर्गत शत-प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज और 350 एफ.ए.आर. दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत विनियमित किए जाने के योग्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में बड़े पैमाने पर दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसे भवनों को तोड़ा जा रहा है जो कि दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत विनियमित किए जाने के योग्य हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत विनियमन हेतु योग्य भवनों को तोड़ने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिनांक 7.2.2007 को यथाअधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 में 175 वर्ग मी. तक के प्लाट में 22 सितम्बर, 2006 को पहले से यथामौजूद 100% भूकवरेज और 350 फर्शी क्षेत्रफल अनुपात वाले निर्माणों को, अधिसूचित प्रभारों को भुगतान करने पर नियमित करने का प्रावधान है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने "एमसी मेहता बनाम भारत संघ" के मामले में; 1998 में यथा अधिसूचित मास्टर प्लान-2001 (1.8.1990 को अधिसूचित) के आधार पर अनुमत्य निर्माण वाले मामलों को छोड़कर, प्लाटेड विकास में अतिरिक्त तल (तीसरा तल) के निर्माण की अनुमति देने के लिए दिल्ली नगर निगम पर रोक लगाई है।

(ख) से (घ) नियमितीकरण, प्रभारों के भुगतान पर निर्भर करता है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसे भवनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिन्हें दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसार नियमित करवा लिया गया है।

रेपो रेट में वृद्धि

1846. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वृद्धि ने मूल्य सूचकांक के संबंध में अपेक्षित परिणाम हासिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि रोकने हेतु और क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा समष्टि आर्थिक, मौद्रिक और प्रत्याशित नकदी की स्थितियों के आलोक में तथा मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर नियंत्रण करने के विचार से 30 मार्च, 2007 को रेपो दर 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दी है। 31.07.2007 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 2007-08 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की प्रथम तिमाही समीक्षा में संकेत दिया गया है कि वर्षवार आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति मार्च, 2007 के अंत में 5.9 प्रतिशत से गिरकर 14 जुलाई, 2007 को 4.4 प्रतिशत हो गई। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में गेहूं और चीनी जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति सुधार करना शामिल हैं।

मुख्यमंत्रियों की बैठक

1847. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री किरेन रिजीजू:
श्रीमती करुणा शुक्ला:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विद्युत क्षेत्र में सुधार के संबंध में नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गयी तथा किन मुद्दों पर सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहमति बनी; और

(घ) सम्मेलन के लिए गए निर्णयों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र के मुद्दों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28 मई, 2007 को बुलाया गया था।

सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी:-

(1) त्वरित क्षमता अभिवृद्धि

(2) 15% तक एटी एंड सी हानियां

(3) अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना: खुली पहुंच

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण

(5) ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता।

सम्मेलन में उपरोक्त सभी विषयों पर आम सहमति बनी थी और सम्मेलन में अपनाए गए संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार द्वारा कार्रवाई प्रक्रियारत है।

विवरण

संकल्प

विद्युत पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

1. सम्मेलन में आर्थिक विकास में विद्युत क्षेत्र जो कि विकास का एक मार्ग है, के महत्व को स्वीकारा गया है और यह संकल्प लिया गया कि केंद्र और राज्यों में त्वरित क्षमता अभिवृद्धि हेतु सघन मॉनीटरिंग वाला एक समयबद्ध कार्यक्रम, हानि में सशक्त कमी, भारत निर्माण के तहत निर्धारित ग्रामीण विद्युतीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति और दक्ष ऊर्जा एवं मांग पक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहन आदि सुनिश्चित किए जायेंगे।

2. सम्मेलन में स्वीकारा गया कि विद्युत एक समवर्ती विषय है। सभी को विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। राज्य विद्युत की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने की अपनी-अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत है। समन्वित आयोजना में केंद्र सरकार की निरंतर एहतियाती पहल, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जरिए विद्युत उत्पादन में मदद करना, अंतरराज्यीय राज्य एवं अंतर-क्षेत्रीय पारेषण, ग्रामीण विद्युतीकरण, विविध कार्यक्रमों व संस्थानों के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और राज्यों को एहतियाती कार्य समेत सुधार प्रक्रिया में मार्गदर्शन इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

3. सम्मेलन में यह स्वीकारा गया कि ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी भारत निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण भारत में विद्युत की पहुंच पर्याप्त है और यह संकल्प लिया गया कि केन्द्र सरकार भारत निर्माण के तहत निर्धारित घरेलू कनैक्शन बीपीएल परिवारों को प्रदान करने तथा राज्यों के ग्रामीण नेटवर्कों को विस्तृत करने में राज्य सरकारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से सहायता जारी रखेगी। भारत सरकार विद्युत अधिनियम के तहत अपने सांविधिक कार्यों का निर्वहन करते समय सभी संभावित वित्तीय व तकनीकी-प्रबंधकीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य शीघ्र ही स्पष्ट, किफायती और व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं तैयार करेगा जिससे विद्युत की निरंतरता, उपलब्धता, वहनीयता और आपूर्ति की चिंताएं दूर होगी। राज्यों को उन उपयुक्त राजस्व व फ्रेंचाइजी मॉडलों को भी विकसित करना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों और गैर-लाभांवित समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने, विशेषत: तब जबकि यह विद्यमान व्यवस्थाओं का बेहतर विकल्प हो, के लिए प्रणाली सुधारों का उपयोग कर सके। केंद्र राज्यों को उनकी वचनबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगा और भिन्न-भिन्न राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रहेगा।

4. सम्मेलन में यह चिंता प्रकट की गई कि देश वर्तमान में गंभीर व्यस्ततमकालीन कमी और ऊर्जा कमियों का सामना कर रहा है और सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि राज्य और केंद्र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पर जोर-शोर से कार्यवाही करेंगे ताकि विद्युत की मांग में त्वरित वृद्धि के अनुरूप क्षमताएं सृजित की जा सकें और "सन् 2012 तक सभी के लिए विद्युत" के लक्ष्य

को सुनिश्चित करने के लिए 11वीं योजना के भीतर विद्युत कमियों को पूरा किया जा सके। केंद्र और राज्य 11वीं योजना के दौरान लाभ प्रदान करने वाली सभी परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2007 तक आदेशों को समय से देना सुनिश्चित करेंगे और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के साथ परियोजनाओं को समय ये चालू करने के लिए इनकी मॉनीटरिंग हेतु एक राष्ट्रीय विद्युत परियोजना प्रबंध बोर्ड का गठन करेगा। राज्य इसी प्रकार के समर्पित यंत्र भी स्थापित करेंगे। जल विद्युत एवं नवीकरणीय स्रोतों के विकास में तेजी लाने के लिए भी तुरंत कदम उठाए जायेंगे। केन्द्र राज्यों के सक्रिय सहयोग के साथ अंतरराज्यीय और अंतरक्षेत्रीय पारेषण लाइनों को समय से विकास सुनिश्चित करना जारी रखेगा। क्षमता अभिवृद्धि के साथ सिंक्रोनाइजेशन हेतु राज्यों द्वारा अनुरूप उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क सृजित किए जायेंगे। राज्यों ने अल्ट्रा मेगा विद्युती परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना हेतु केंद्र द्वारा की गई पहल का समर्थन किया। केंद्र यूएमपीपी हेतु आवश्यक पारेषण नेटवर्क भी विकसित करेगा। राज्य अपने मौजूदा उत्पादन स्टेशनों के पीएलएफ में और अधिक सुधार की प्रक्रिया जारी रखेंगे। भारत सरकार मौजूदा कानूनी ढ़ांचे के भीतर उचित और प्रतियोगी कीमतों पर उत्पादक संयंत्रों के लिए कोयला और गैस की समय पर तथा पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। कोयला क्षेत्रों से संपर्क को यथासंभव तर्कसंगत बनाया जाएगा।

5. सम्मेलन में इस बात को स्वीकारा गया कि लगभग 20,000 मे.वा. की अनुमानित कैप्टिव उत्पादन क्षमता को गंभीर विद्युत संकट के समय चरणबद्ध तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है और यह संकल्प किया गया कि किसी भी उत्पादक क्षमता को व्यर्थ में नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को यह सुविधा प्रदान करेंगे कि वे अतिरिक्त क्षमता ग्रिड को दें और साथ ही चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंधी लेवी, शुल्कों और विनियमों को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

6. सम्मेलन ने पुन: इस बात को स्वीकारा कि राज्य पारेषण और वितरण क्षेत्रों में खुली पहुंच को प्रचालनात्मक बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करें और जरूरत पड़ने पर नियामकों को नीतिगत दिशानिर्देश जारी करने का संकल्प करे ताकि बिजली कमी के दौर में ग्रिड में बिजली-प्रवाह के परिमाण में वृद्धि की दृष्टि से सही तरीके से क्रास सब्सिडी प्रभार, ह्वीलिंग प्रभारों और अन्य प्रभारों को पुनर्गठित कर सके।

7. सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि खुली पहुंच को प्रचालनात्मक बनाने और उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा से आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा, टैरिफ को कम करने और क्षमता अभिवृद्धि के लिए जरूरी निवेश को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी; और यह संकल्प किया गया कि केन्द्र और राज्य विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ताओं तक इसकी निर्बाध पहुंच की दृष्टि से उत्पादन पारेषण और वितरण से स्वयं को पृथक करेंगे। केन्द्र और राज्य उपभोक्ताओं के हित में संबंधित राज्य के भीतर और बाहर किसी उपक्रम अथवा नियामक के साथ इस आशय का आवश्यक नीतिगत दिशानिर्देश भी जारी करेंगे।

8. सम्मेलन इस बात को स्वीकार करता है कि सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का वर्तमान स्तर विद्युत क्षेत्र की व्यवहार्यता के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न करता है और वितरण क्षेत्र, जिसे लगभग 47000 करोड़ प्रति वर्ष की वर्तमान हानि हो रही है, विद्युत प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है और यह संकल्प करता है कि राज्य एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों में एटी एंड सी हानियों को आगामी पांच वर्षों के दौरान कम-से-कम 15% तक के स्तर तक लाने और समग्र एटी एण्ड सी हानियों में व्यापक कमी को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करेंगे जैसा कि 163 नगरों और शहरों में भागीदार राज्यों द्वारा दर्शाया गया है। इस उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए किए गए विभिन्न निवेशों एवं पहलों के लाभ को कम कर रही विद्युत चोरी को संकल्प के साथ समाप्त किया जाए। इसके अलावा, ऊर्जा एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग हेतु केंद्र सरकार की समुचित सहायता से राज्य आवश्यक बेसलाइन डाटा तथा आईटी अनुप्रयोग की संस्थापना करेंगे। यह भी दोहराया जाता है कि यदि उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को निशुल्क अथवा सब्सिडीकृत विद्युत उपलब्ध कराई जाती है तो राज्य सरकार यूटिलिटियों को इसका अपफ्रंट भुगतान सुनिश्चित करेगी।

9. सम्मेलन स्वीकार करता है कि ऊर्जा प्रभावी उपयोग के माध्यम से बिजली की बचत करने की काफी महत्वपूर्ण

संभावना है और संकल्प करता है कि राज्यों और केन्द्र को मांग पक्ष प्रबंधन उपायों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे माध्यमों को सुनिश्चित करना चाहिए जो बिजली की बचत के लिए शीघ्र परिणाम दे सकें। इन माध्यमों में अपने उत्पादक के लिए समुचित वित्तीय और कर प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा सीएफएल की व्यापक मात्रा में प्राप्ति एवं वितरण, एनर्जी कंसर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) अपनाना, ऊर्जा दक्ष पंपसेटों तथा अन्य ऊर्जा दक्ष उपस्करों और उपकरणों को प्रोत्साहन एवं अनिवार्यता शामिल हो सकती है।

10. सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्तावों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा के लिए, केन्द्रीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत राज्य विद्युत मंत्रियों के स्थायी समूह की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसकी बैठक प्रत्येक तीन माह के पश्चात होगी।

राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमाओं में कमी

1848. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003 से राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमाओं में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत जमाओं को आकर्षित करने तथा इस योजना को राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों द्वारा मुहैया करायी जा रही विभिन्न जमा योजनाओं के साथ प्रतिस्पर्धी/आकर्षित बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) दिनांक 1 अक्तूबर, 1992 से आरंभ की गई राष्ट्रीय बचत योजना दिनांक 1 नवम्बर, 2002 से समाप्त कर दी गई। इस योजना के तहत दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को अथवा इसके पश्चात कोई राशि नहीं जमा की जा सकती है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समान नागरिक संहिता

1849. योगी आदित्यनाथ: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार का एकता और अखंडता हेतु समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक कानून बनाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने, जोन वेलामट्टम बनाम भारत संघ और अन्य [2003 (5) स्केल 384] के मामले में 21 जुलाई, 2003 को परिदत्त अपने निर्णय में समान सिविल संहिता के अधिनियमन के संबंध में कतिपय संप्रेक्षण किए हैं।

(ग) समान सिविल संहिता बनाने में स्वीय विधियों में, जिनके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियां भी हैं, परिवर्तन करना अंतवर्लित है। केंद्रीय सरकार की यह संगत नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में तब तक हस्तक्षेप न किया जाए जब तक कि ऐसे परिवर्तनों के लिए स्वयं ऐसे समुदायों के एक बड़े वर्ग से आवश्यक पहल न हो।

[अनुवाद]

लॉकरों से मूल्यवान वस्तुओं का गायब होना

1850. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक लॉकरों से मूल्यवान वस्तुओं के गायब होने के मामले में ग्राहकों को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्राहकों के हितों की रक्षा हेतु कोई अधिनियम या नियम अंतर्विष्ट करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बैंकर और लॉकर किराए पर लेने वाले व्यक्ति का संबंध उस प्रकृति का होता है जैसा धरोहर देने वाले और धरोहर लेने वाले के बीच होता है। हालांकि, बैंक को लॉकर में रखी वस्तुओं की जानकारी नहीं होती है और संविदा अधिनियम की धारा 148 में ''धरोहर'' की परिभाषा पूर्णत: लागू नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकरों से मूल्यवान वस्तुओं की हानि होने के मामले में ग्राहक को क्षतिपूर्ति करने हेतु बैंकों को कोई अनुदेश नहीं दिया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि ग्राहकों को दिए गए वॉल्ट एवं लॉकरों की सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी एवं आवश्यक एहतियात बरतें। बैंकों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि अपनी शाखाओं में सेफ डिपाजिट वॉल्ट एवं लॉकरों के परिचालन हेतु लागू व्यवस्थाओं की सतत आधार पर समीक्षा करें और आवश्यक उपाय करें। सुरक्षा संबंधी कार्यवाही में दस्तावेज पूरे होने चाहिएं और संबंधित कर्मचारियों को प्रक्रिया का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आंतरिक लेखा परीक्षकों को इन प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों हेतु आई.डी.बी.आई. सहायता

1851. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा देश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु कंपनी-वार कितनी सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) क्या आई.डी.बी.आई. के पास ऐसी सहायता के समुचित उपयोग की जांच करने हेतु कोई तंत्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बिजली संयंत्रों की स्थापना करने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा निम्नांकित है:

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. द्वारा बिजलीघरों को दी गई सहायता

वर्ष	कंपनियों की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि (करोड़ रुपए)
2004-05	18	2,521.98	1,009.71
2005-06	31	4,601.35	3,286.84
2006-07	25	3,499.10	3,347.60

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों अथवा उपयोगिता कंपनियों को दोनों तरीकों से, रुपया सावधि ऋण/विदेशी मुद्रा ऋण/आस्थगित भुगतान गारन्टी, सहायता प्रदान करता है।

परियोजनाओं की निगरानी, सामान्य प्रक्रिया जैसे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके, ऋण वितरण पूर्व दौरा करके, नामित निदेशकों की नियुक्ति करके और एक विशेष तंत्र अर्थात उधार देने वाले के अभियंताओं, एक विशेषज्ञ एजेंसी, की नियुक्ति करके, जो परियोजना के तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करती है और परियोजनाओं आदि की कार्यान्वयन स्थिति के बारे में सूचना देती है, दोनों तरीकों द्वारा की जाती है। निधियों का अंत उपयोग भी न्यास तथा प्रतिधारण खाता, अग्रहणाधिकार खाता तथा परियोजना संबंधी व्यय, साथ ही वित्तपोषण के साधनों का सांविधिक लेखा परीक्षकों/सनदी लेखाकारों से प्रमाणपत्र प्राप्त करके सामान्यतया समस्त संवितरण सुनिश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

1852. श्री बी. विनोद कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय हुआ;

(ख) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के पश्चात ग्रामीण ऋण पर पड़े प्रभाव का कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया सितम्बर, 2005 में शुरू की गई थी और परिणामस्वरूप 145 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 45 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समामेलित कर दिए गये हैं, इस प्रकार सूचना देने की तारीख तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 से घटकर 96 हो गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्षा-जल संचयन

1853. श्री अनंत कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भवन उप-नियमों में वर्षा-जल संचयन को शामिल करना बाध्यकारी उपाय बनाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इन उपायों के क्या परिणाम निकले हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के पुनर्भरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि वे वर्षा जल के संरक्षण और उपयोग के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित माडल भवन उप-नियमों में वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल किया गया है जिसे सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

कुछ राज्य सरकारों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपने भवन उप-नियमों में वर्षा जल संचयन के प्रावधान शामिल किए हैं।

उत्पाद-शुल्क में छूट

1854. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को उत्पाद शुल्क में छूट दी थी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक ऐसे राज्य को कितनी अवधि के लिए और किस कारण से उत्पाद शुल्क में छूट दी गयी थी;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों को दी गई उत्पाद शुल्क छूट का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) उत्पाद शुल्क में छूट दिये जाने की योजना का सरकार ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और गुजरात राज्य के कच्छ जिलों की विशिष्ट ईकाईयों द्वारा उत्पादित विशिष्ट सामानों पर कुछ शर्तों के अधीन विस्तृत किया है।

उपर्युक्त सभी छूटें, गुजरात के कच्छ जिले को छोड़कर, सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक नीति के तहत प्रदान की गई है। हालांकि जहां तक गुजरात के कच्छ जिले की बात है, उसको छूट इसलिए दी गई थी कि वहां जनवरी, 2001 में भीषण भूकंप आया था जिससे औद्योगिक परिसम्पत्तियों को बहुत नुकसान हुआ था। यह छूट एन ई आर, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पात्र ईकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 10 वर्ष के लिये है और कच्छ के मामले में पांच वर्ष के लिये है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने उत्पाद शुल्क में छूट देने के कारण राजस्व में हुई हानि का आकलन इस प्रकार किया है:-

वर्ष	राजस्व हानि करोड़ रुपये
2004-05	1502
2005-06	4150
2006-07	7000

*आंकड़े अनंतिम, इसमें उत्तरपूर्वी क्षेत्र में स्थित चार आयल रिफाइनरीज को दी गई छूट के कारण हुई राजस्व हानि शामिल नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों को ऋण

1855. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का 10 प्रतिशत देश के कमजोर वर्गों को देने हेतु अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बैंकों ने उक्त अनुदेशों का पालन किया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 30.4.2007 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को उधार देने के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10% का उप-लक्ष्य अथवा तुलनपत्र-बाह्य प्रकटन की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग) सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है। तथापि, अर्थव्यवस्था के अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में बढ़ती ऋण उपलब्धता के कारण कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी आई है।

[अनुवाद]

समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

1856. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन शहरों को शामिल किया गया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत सभी शहर एवं कस्बे (शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवा (बीएसयूपी) उप-मिशन-II के अंतर्गत 63 चयनित शहरों को छोड़कर) शामिल हैं।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत की गई प्रगति इस प्रकार है:-

1.	मंजूर की गयी परियोजनाएं	-	257
2.	शामिल कस्बों/शहरों की संख्या	-	250
3.	अनुमोदित आवासीय यूनिटों की कुल सं.	-	1775819
4.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	-	2406.82 करोड़ रुपये
5.	कुल केन्द्रीय अंश	-	1743.06 करोड़ रुपये
6.	जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	-	759.79 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

आवास सूचकांक

1857. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) को एन.एच.बी. रेजीडेक्स के संबंध में तकनीकी सलाहकार समूह (टी.ए.जी.) की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में अंतर्निहित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा एन.एच.बी. द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) ने सिफारिश की है कि भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार प्रारम्भ में 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले 35 शहरों के लिए सूचकांक बनाया जा सकता है। आवास मूल्य सूचक ांक में प्लाटों पर बने मकानों और फ्लैटों दोनों, जिनमें पुराने और नये निर्मित मकान एवं फ्लैट शामिल हैं, के लेन-देन की कीमतें, संदर्भ अवधि के दौरान लेन-देन (बिक्री/पुनर्बिक्री) की सूचना सम्मिलित होनी चाहिए। समूह ने यह भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय आवास बैंक को सतत आधार पर सूचकांक बनाने के लिए नोडल एजेंसी होना चाहिए।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने टीएजी की सिफारिशों, विशेष रूप से आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं मिलान तथा सूचकांक बनाने से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्राहकों को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करना

1858. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकरों को इस सुविधा के लिए अपना सेवा शुल्क स्वयं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों के लिए अपने बोर्डों के अनुमोदन से अपने ग्राहकों को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं देने हेतु योजना बनाने की अनुमति देते हुए मार्गनिर्देश जारी किए गए थे। इस योजना के तहत, बैंकों को नकदी/लिखत लेने, पटल पर प्राप्त चेकों पर नकदी की सुपुर्दगी तथा कंपनियों/सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को मांग ड्राफ्टों की सुपुर्दगी तथा अलग-अलग ग्राहकों से नकदी/लिखत लेने तथा मांग ड्राफ्टों की सुपुर्दगी जैसी सेवाएं घर पर ही देने की अनुमति दे दी गई है।

इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों से कहा गया है कि घर पर ही सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राहक से लिया जाने वाला प्रभार, यदि कोई हो, तो उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में ही शामिल किया जाना चाहिए और यह ग्राहक के साथ किए जाने वाले समझौते का एक भाग होना चाहिए। प्रभार को घर पर ही सेवाएं प्रदान किए जाने से संबंधित विवरणिका में सुस्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अधिवक्ता के रूप में सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण

1859. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटिल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अधिवक्ताओं की कमी और बढ़ते अपराध के मद्देनजर अधिवक्ता के रूप में सरकारी कर्मचारियों को अपना पंजीकरण करवाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तराखंड में उद्योगों को रियायत

1860. श्री मोहन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड में स्थित उद्योगों को आयकर, उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर में दी गयी रियायत तथा परिवहन में दी गयी राज सहायता की प्रकृति और अवधि क्या है;

(ख) क्या पड़ोसी राज्यों में उद्योगों को समान रियायत देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, कर लाभ तभी उपलब्ध होता है यदि उपक्रम ने विनिर्माण अथवा उत्पादन शुरू कर दिया है अथवा 7.1.2003 से 31.3.2012 की अवधि के दौरान काफी अधिक विस्तार किया हो। पहले पांच कर निर्धारण वर्षों के लिए कर लाभ की मात्रा शत-प्रतिशत और बाद के पांच कर निर्धारण वर्षों के लिए 25 प्रतिशत (कम्पनियों के मामलों में 30 प्रतिशत) उपलब्ध है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, कतिपय शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पादों का विनिर्माण करने वाली विनिर्दिष्ट इकाइयों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

पात्र इकाइयों (नई इकाइयां अथवा मौजूदा इकाइयां काफी अधिक विस्तार और 7.1.2003 को अथवा उसके पश्चात परन्तु 31 मार्च, 2010 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर रही हैं) को वाणिज्यिक उत्पादन को शुरू करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त होती है।

जहां तक केन्द्रीय बिक्री कर का संबंध है, उत्तराखंड में स्थित उद्योगों को राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में किसी छूट का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (5) द्वारा विनिर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन प्रयोज्य केन्द्रीय बिक्री कर की दर को कम करने अथवा छूट देने का शक्तियां दी गई है। तदनुसार उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में स्थित उन औद्योगिक इकाइयों, जो 7.1.2003 को अथवा उसके पश्चात परन्तु 31.3.2010 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करती है, की संबंधित इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक प्रतिशत की केन्द्रीय बिक्री कर की दर अधिसूचित की है।

जहां तक उद्योगों को परिवहन आर्थिक राजसहायता का संबंध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु राज्यों से बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्र आधारित छूटें कर ढांचे को विकृत करती हैं, कर आधार को कम करती हैं और आमतौर पर स्थायी निवेशों में परिणत नहीं होती हैं, अत: इनका विस्तार नए क्षेत्रों के लिए नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन संबंधी भारत भूटान समझौता

1861. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री तूफानी सरोज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूटान भारत के साथ मिलकर पुणे-सांग-चू पन-विद्युत परियोजना चला रहा है;

(ख) यदि हां तो भारत सकार द्वारा इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है तथा भारत को कितना लाभ हो रहा है;

(ग) कुल कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादित करने का लक्ष्य है और इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या इस परियोजना को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां। भूटान में पुणे-सांग-चू-I जल विद्युत परियोजना (1095 मे.वा.) के क्रियान्वयन पर भारत सरकार और राजकीय भूटान सरकार के बीच 26.7.2007 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है।

(ख) और (ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कर एवं शुल्कों को छोड़कर परियोजना की अनुमानित लागत दिसंबर, 2006 के मूल्य स्तर पर 3,514.81 करोड़ रुपए हैं। परियोजना को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना की अधिशेष बिजली भारत को निर्यात की जाएगी, जिससे देश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी। परियोजना की संस्थापित क्षमता 1095 मे.वा. होने की आशा है, जिसके अंतर्गत 182.5 मे.वा. की अलग-अलग छह यूनिटें होंगी।

(घ) और (ङ) परियोजना का निर्माण शुरु होने की तारीख से 7 वर्षों में इसके चालू हो जाने की आशा है।

दुकानों की सीलिंग

1862. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर एम.सी.डी./डी.डी.ए. ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनेक दुकानों को सील किया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने एम.सी.डी./डी.डी.ए. से तदर्थ लाइसेंस प्राप्त करने वाले तथा 20 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर भूतल पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाले लघु व्यापारियों की दुकानें सील करने का आदेश भी पारित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो उनकी दुकानों की सीलिंग करने के क्या कारण है; और

(घ) छोटे दुकानदारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है कि विभिन्न तदर्थ पंजीकरण स्कीमों/नीतियों के अंतर्गत अनियोजित/रिहायती क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदत्त तदर्थ व्यापार पंजीकरण/भण्डारण लाइसेंसों का, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए नवीकरण नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्याायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985 में आईए संख्या 22 में आईए संख्या 1970 में, एस.सी.मेहता बनाम भारत संघ मामले में अपने फैसले में, रिहायशी क्षेत्रों में अधिकतम 20 वर्ग मीटर क्षेत्र की छोटी दुकानों में 22 श्रेणियों/मदों के व्यापार की अनुमति प्रदान की है।

(घ) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में रिहायशी परिसरों में भूतल में 24 श्रेणियों की मदों/क्रियाकलापों के संबंध में व्यापार के लिए अधिकतम 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में छोटी दुकानों की अनुमति है।

चावल की आपूर्ति के लिए राजसहायता

1863. श्री के. सुब्बारायणः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य के गरीब तबकों को 2 रुपए प्रति किलो के भाव से रियायती दर पर चावल की आपूर्ति करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 2 रुपए प्रति किलो के भाव से चावल उपलब्ध कराने की स्कीम के लिए तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार से कोई वित्तीय सहयता नहीं मांगी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1864. श्री एम. शिवन्ना: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में 1000 मेगावाट की तीन ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विशेष प्रयोजनार्थ साधन (एस.पी.वी.) की स्वीकृति दे दी है तथा इसे केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना किन स्थानों पर किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार गठित स्टेट पावर प्राक्योरमेंट को-आर्डिनेशन सेंटर ने कर्नाटक राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों की ओर से विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए कर्नाटक राज्य में 1000 मेगावाट प्रत्येक की तीन थर्मल परियोजनाएं चामलापुरा (मैसूर जिला), घाटप्रभा (बेलगााम जिला) और जीवारगी (गुलबर्गा जिला) में आरंभ की है। स्पेशल पर्पज व्हीकल अर्थात पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लिमिटेड का अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा गठन किया गया है ताकि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की तहर इन परियोजनाओं से संबंधित आरंभिक कार्यकलापों को आगे बढ़ाया जा सके।

नकदी आरक्षित अनुपात

1865. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में नकदी आरक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एस वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने सी.आर.आर. में कितनी बार वृद्धि की है; और

(घ) मुद्रा-स्फीति को रोकने में सी.आर.आर. में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान नकदी स्थिति की समीक्षा में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007-08 की वार्षिक मौद्रिक नीति की प्रथम तिमाही समीक्षा के अंतर्गत 4 अगस्त, 2007 में शुरू हुए पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल मांग और अल्प मीयादी देयताओं को आरक्षित नकदी निधि अनुपात 50 आधार अंक बढ़ाकर 6.50% से 7.00% करने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) मौजूदा समष्टि-आर्थिक और मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा में और मौद्रिक स्थितियों के लिए उत्तरदायी मुद्रा-स्फीति दबावों पर नियंत्रण करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 11.12.2006, 14.2.2007, 4.4.2007 की अधिसूचनाओं के तहत 4 अगस्त, 2007 से बैंकों की आरक्षित नकद निधि अनुपात को 5.00% (2 अक्तूबर, 2004 से प्रभावी) से बढ़ाकर 7.00% कर दिया।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्युरिटीज मार्केट

1866. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की योजना सरकारी-निजी भागीदारी के मॉडल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्युरिटीज मार्केट्स की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने बम्बई लोक न्यास अधिनियम, 1950 के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्युरिटीज मार्केट (एनआईएसएम) की स्थापना एक लोक न्यास के रूप में की है। अनेक कंपनियों द्वारा निजी और सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों से, संचयी निधि में अंशदानों, प्राध्यापिकी पीठ की स्थापना हेतु अंशदान, संगोष्ठियों और कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु निधि; कैम्पस निर्माण हेतु अंशदान, छात्रवृत्तियों की स्थापना, छात्रों को पुरस्कारों की स्थापना, आदि के रूप में एनआईएसएम के वित्तीय संसाधनों में स्वैच्छिक अंशदान किया जाना अपेक्षित है। इनके एनआईएसएम के कार्यक्रम और घटनाओं को बाजार की आवश्यकताओं और बाजार विकास के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु एनआईएसएम की विभिन्न गतिविधियों के साथ स्वेच्छा से जुड़ना अपेक्षित है।

भारत-तिब्बत सीमा पर रामपुर जल-विद्युत परियोजना

1867. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-तिब्बत सीमा के निकट रामपुर जल-विद्युत परियोजना के एक भाग के लिए चीन की दो कंपनियों ने बोली लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के सुरक्षा पहलू की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जैसा कि सतलुज जल विद्युत निगम लि. जो कि रामपुर जल विद्युत परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, द्वारा सूचित किया गया है कि दो चीनी फर्मों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी मात्र ने ही हिमाचल प्रदेश में रामपुर जल विद्युत परियोजना के वैद्युत-यांत्रिकी कार्यों के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की है-

संयुक्त उद्यम निम्न के बीच है-

(1) मै. हरबिन पावर इंजीनियरिंग कंपनी लि., सं. 39 सेंडा डोंगली रोड, डोंगली जिला, हरबिन, चाइना और

(2) मै. हरबिन इलेक्ट्रिक मशीनरी कंपनी लि. सं. 39, सेंडा डोंगली रोड, डोंगली जिला, हरबिन, चाइना।

(ग) और (घ) जी, हां। सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक अंतर-मंत्रालयीन बैठक में सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श कर लिया गया है।

महिलाओं के नाम पर मकानों का आबंटन

1868. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शहरी गरीबों हेतु सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाए गए मकानों की महिलाओं के नाम पर आबंटित करने के लिए सभी राज्यों को निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि भूमि का स्वामित्व अधिमानत: पत्नी के नाम पर हो और वैकल्पिक रूप से पति और पत्नी के संयुक्त नामों से हो। आपवादिक मामलों में पुरुष लाभार्थी के नाम में स्वामित्व की अनुमति दी जा सकती है।

किसानों को सहायता

1869. श्री जुएल ओराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी बैंक कृषि तथ सम्बद्ध क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने के अपने प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, नहीं। सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया गया कृषि ऋण पिछले चार वर्षों के दौरान काफी बढ़ गया है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	संवितरित राशि
2003-04	26,875
2004-05	31,231
2005-06	39,404
2006-07	42,480*

*अनंतिम

तथापि, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए, भारत सरकार अल्पकालिक सहाकारी ऋण संरचना के लिए एक पुनरुत्थान पैकेज को लागू कर रही है। पैकेज कार्यान्वयन करने के इच्छुक राज्यों को कुछ कानूनी व संस्थागत सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार और नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।

अब तक, 18 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। पुनरुत्थान पैकेज में, कुल मिलाकर देश के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और अल्पकालिक सहाकरी ऋण संरचना द्वारा क्रमश: 68:28:4 के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए 13,596 करोड़ रुपए का अनुमानित वित्तीय परिव्यय शामिल है। इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार पहले ही नाबार्ड को 1425 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा शुल्क अपवंचन

1870. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ई.ओ.यू.) द्वारा कितनी धनराशि के शुल्क का अपवंचन किया गया तथा इसे वसूली करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या निर्यातोन्मुखी इकाइंयां (ई.ओ.यू.) विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करने के बजाय इनकी बिक्री अवैध रुप से घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी.टी.ए.) में कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ई.ओ.यू.) के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों को ऋण

1871. श्री विजय कृष्ण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान तथा देश के अन्य राज्यों में लघु उद्योगों को राष्ट्रीय बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में लघु उद्योगों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों (एसएसआई) को दिए गये बकाया ऋण की राशि निम्नानुसार है:-

राज्य	बकाया राशि (रुपये करोड़ में)		
	2004	2005	2006
उत्तर प्रदेश	4652	5287	6506
बिहार	593	646	712
झारखंड	636	730	945
राजस्थान	2086	2252	2639
अन्य राज्य	44679	49396	71636

(ग) और (घ) लघु उद्योगों से प्राप्त हुई शिकायतों पर, संबंधित बैंकों से परामर्श करके, कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ऋण

1872. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के आंतरिक ऋण के साथ ही विदेशी ऋण में वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ऋणों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के आंतरिक ऋण और विदेशी ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

		2004-05 (करोड़ रुपये)	2005-06	2006-07 (सं.अ.)
1.	आंतरिक देनदारियां #	1,933,544	2,165,902	2,,434,329
2.	विदेशी ऋण*	60,878	94,243	102,135
3.	कुल बकाया देनदारियां (1+2)	1,994,422	2,260,145	2,536,464
		(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)		
1.	आंतरिक देनदारियां	61.8	60.7	59.0
2.	विदेशी ऋण	1.9	2.6	2.5
3.	कुल बकाया देनदारियां	63.8	63.4	61.5

स्रोत: प्राप्ति बजट 2007-08

#आंतरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 2004-05 में 64,211 करोड़ रुपये, 2005-06 में 29,062 करोड़ रुपये और 2006-07 (सं.अ.) में 70,000 करोड़ रुपये के निवल उधार शामिल हैं।

*विदेशी ऋण के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए उधार प्रतिबिंबित करते हैं और ये पारंपरिक विनियम दरों पर आधारित हैं।

टिप्पणी: सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में दिए गए अनुक्रत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के स.घ.उ. से संबंधित नवीनतम अनुमानों पर आधारित है।

(ग) केन्द्र सरकार के बकाया ऋण भार की रखाव लागत कम करने के लिए अभी हाल ही में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) ऊंची ब्याज दर वाली पूर्ववर्ती व्यवस्था के दौरान संविदित ऊंची कूपन दर वाली सरकारी प्रतिभूतियों की वापस-खरीद।

(2) राज्य ऋण योजना के तहत प्राप्त हुई आय को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को ऊंची कूपन दर वाली विशेष प्रतिभूतियों की आदयगी करने के लिए इस्तेमाल करना।

(3) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से लिए गए ऊंची लागत के विदेशी ऋणों की अदायगी। राजकोषीय वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और कई द्विपक्षीय स्रोतों को 6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के विदेशी ऋण की समय पूर्व अदायगी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

एफडीआई अंतर्प्रवाह

1873. श्री के.एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की उच्च निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा तथा अन्य विद्युत परियोजनाओं, नागर विमानन, पेट्रोलियम आदि के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंडों को और उदार बनाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार एफडीआई नीति की समीक्षा करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई संबंधी उच्चतम सीमा में वृद्धि करने, अनिवार्य विनिवेश शर्तों में छूट देने तथा कुछ क्षेत्रों को प्रेस नोट 1 के आबंधों से मुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार ने उदार और पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अपनाई है जिसके अनुसार अधिकांश क्षेत्रकों/कार्यपालकों में स्वत: मार्ग के अधीन 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की, विदेशी इक्विटी सीमाओं पर उच्चतम सीमाओं और प्रक्रियाओं सहित, निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि उच्चतर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों के प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा की गई थी। प्रेस विज्ञप्ति 4 (2006) में यौक्तिकीकरण के उपाय अंतर्निहित हैं, जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की वेबसाइट एचटीटीपी:// डीपीपी.एनआईसी.इन पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सरकारी तथा निजी बीमा कंपनियां

1874. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों की बीमा कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बीमा के लिए सीधे कंपनी संपर्क करने वाले ग्राहकों को एजेंट के कमीशन की कोई छूट दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त राशि को किस शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं में स्वीकृत संविदा के निबंधन के अनुसार, क्षतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति या लाभ संबंधी बीमा संरक्षा के रूप में सेवाएं सम्मिलित हैं। जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में, बीमित व्यक्ति पालिसी दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद, नियमों और शर्तों से असंतुष्ट होने पर पालिसी को 15 दिन के अन्दर वापिस कर सकता है। किसी बीमा कंपनी द्वारा दावे के निपटान में विलंब के मामले में, बीमाकर्ता द्वारा बैंक दर से 2% से अधिक की दर से ब्याज देय है। बीमकर्ता, नकद साथ ही, इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस), क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे, इन्टरनैट आदि द्वारा प्रीमियम भुगतान जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 की शर्तों के अनुसार, जब ग्राहक बीमा सुरक्षा खरीदने के लिए किसी बीमा कंपनी से संपर्क करता है तो एजेंट्स कमीशन के बदले में ग्राहक को कोई छूट नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

कैथेलोइक सायराइन बैंक में अनियमितताएं

1875. श्री सुव्रत बोस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैथेलोइक सायराइन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जा रही अनियमिताओं को रोकने में भारतीय रिजर्व बैंक असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बैंकों के विरुद्ध कोई जांच शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कैथोलिक सीरियन बैंक की आश्रम रोड, अहमदाबाद और फोर्ट, मुम्बई शाखाओं में की गई भारतीय रिजर्व बैंक की संवीक्षा के जांच परिणामों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने, "अपने ग्राहक को जाने", कुछ खातों के खोलने और परिचालन करते समय काले धन का वैध बनाने से रोकने के नियम के उल्लंघन तथा इन गड़बड़ियों का पता लगाने की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47क (1) (ख) के अंतर्गत 20 जुलाई, 2007 को बैंक पर 10 लाख रुपए का आर्थिक दण्ड लगाया है।

(ग) और (घ) कैथोलिक सीरियन बैंक लि. के एक शेयरधारक द्वारा 1994-95 के दौरान बैंक द्वारा किए गए कुछ पट्टा लेनदेन के संबंध में बैंक, उसके पूर्व अध्यक्ष (त्यागपत्र दे दिया), इसके निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, त्रिचूर के समक्ष एक आपराधिक विविध याचिका (सीएमपी 3585/2006) दायर की गई है। न्यायालय ने अपने दिनांक 3 फरवरी, 2007 के आदेश के अंतर्गत शिकायत में कथित आरोपों की जांच के लिए एक सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त किया। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को सलाह दी है कि वह मामले की जांच पड़ताल करने के लिए बैंक के सांविधिक लेखाकार नियुक्त करने हेतु न्यायालय से अनुरोध करने के विकल्प की तलाश करें।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन

1876. श्री काशीराम राणा:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरों में व्याप्त गरीबी के उन्मूलन हेतु निर्धारित लक्ष्य में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ सरकारी मशीनरी को भी संवेध बनाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, नहीं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्य अर्थात उपभोक्ता निर्धनता के संख्या अनुपात को 10% प्वाइंट तक कम करने के लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ग) और (घ) शहरी गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 01.12.1997 से अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक रोजगारोन्मुख कार्यक्रम पहले से ही चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीं कक्षा तक पढ़े बेरोजगार तथा अल्प रोजगार प्राप्त निर्धन व्यक्तियों को एक ओर स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करके तथा दूसरी ओर सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम उपयोग के द्वारा उन्हें दैनिक आधार पर रोजगार देकर लाभकारी रोजगार प्रदान करना है।

[अनुवाद]

व्यवहार्यता अंतराल निधिपोषण

1877. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी निजी भागीदारी मार्ग के माध्यम से की जा रही अवसंरचना परियोजनाओं के व्यवहार्य अंतराल निधिपोषण के लिए कर्नाटक से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार सरोवर परियोजना में लागत उपरिव्यय की प्रतिपूर्ति

1878. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध मुख्यतया बांध-विरोधी अभियानों के कारण होने वाले लागत उपरिव्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार को अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरदार सरोवर परियोजना की अधि-लागत की प्रतिपूर्ति के लिए गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूकम्प एवं जोखिम मूल्यांकन केन्द्र के कार्यकलाप

1879. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूकम्प एवं जोखिम मूल्यांकन केन्द्र (ई.आर.ई.सी.) के कार्य/कार्यकलापों की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस एजेंसी का ब्यौरा क्या है जिसने ई.आर.सी. के कार्यकलापों की समीक्षा की है तथा इसकी अनुशंसाएं क्या हैं;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या ई.आर.ई.सी. के कार्यकलापों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) भूकंप जोखिम मूल्यांकन केंद्र (ई.आर.ई.सी) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा पृथ्वी आयोग के अन्तर्गत आने वाले भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक अभिन्न अंग है। केंद्र के प्रबुद्ध वैज्ञानिकों की स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी), केन्द्र के कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा भी करती है और भूकंप जोखिम मूल्यांकन केंद्र द्वारा आरंभ किए जाने के लिए वैज्ञानिक परियोजनाओं की सिफारिश करती है। इन सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है और सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। स्थायी सलाहकार समिति द्वारा की गई कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

(1) दिल्ली के भूकंपीय खतरे के संबंध में प्रथम स्तर (1:50,000 के पैमाने पर) के सूक्ष्म अनुक्षेत्रण (माईक्रोजोनेशन) का कार्य शुरु करना, जिसमें इस कार्य को पूरा करने के लिए क्षेत्र के भूकंप विवर्तनिकी, क्षेत्रीय अनुक्रिया, भूवैज्ञानिक एवं भूतकनीकी अध्ययन भी शामिल हैं।

(2) उच्चतर विभेदन पैमाने पर दिल्ली, गुवाहाटी और अहमदाबाद के भूकंपीय खतरे संबंधी सूक्ष्म अनुक्षेत्रण (माइक्रोजोनेशन) के लिए विस्तारपूर्वक योजना तैयार करना।

(ग) तदनुसार 1:50,000 के पैमाने पर दिल्ली के भूकंपीय खतरे संबंधी सूक्ष्म अनुक्षेत्रण (माईक्रोजोनेशन) का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमि का बेहतर ढंग से उपयोग करने की योजना बनाने और जोखिम के मूल्यांकन हेतु खतरे का परिमाण निर्धारित करने के लिए दिल्ली के सूक्ष्म अनुक्षेत्रण (माइक्रोजोनेशन) का कार्य 1:10,000 के पैमाने पर किया गया है। पांच और शहरों के सूक्ष्म अनुक्षेत्रण (माइक्रोजेशन) का कार्य करने के लिए विस्तृत रुप से प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भूकंप जोखिम मूल्यांकन केन्द्र के बने रहने के साथ-साथ भूकंप जोखिम मूल्यांकन केन्द्र के कार्यकलापों से जुड़ी नौ और परियोजनाएं पृथ्वी आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। इन परियोजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

1880. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजनिति में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा इसके अपराधीकरण के मद्देनजर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये संशोधन कब तक किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कोई आचरण संहिता भी तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) निर्वाचन प्रक्रिया से बुराई दूर करने और उसे आपराधिक तथा भ्रष्ट प्रभावों से मुक्त करने के विचार से अभी हाल ही में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002 और लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 को अधिनियमित किया गया है। तथापि, सरकार आगे और सुधार लाने के उद्देश्य से और उपायों तथा साधनों का पता चलाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। इस संबंध में, सरकार के पास विभिन्न निकायों/व्यष्टियों जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, भारत निर्वाचन आयोग, भारत विधि आयोग, कार्मिक, लोक शिकयत, विधि और न्याय मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति आदि की सिफारिशें हैं। चूंकि निर्वाचन सुधार की प्रक्रिया एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ग) से (ङ) विधायकों के लिए एक आचार-संहिता बनाना ऐसा विषय है जिस पर विधान-मंडलों को विनिश्चय करना है और सरकार इस विषय में हस्तक्षेप करने का कोई आशय नहीं रखती है।

[अनुवाद]

आवास के संबंध में ग्यारहवीं योजना के कार्य-समूह की रिपोर्ट

1881. श्री एल. राजगोपाल: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं योजना के कार्य-समूह की रिपोर्ट के अनुसार 25 मिलियन आवासीय इकाइयों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ई.डब्ल्यू.एस., निम्न आय वर्ग, एमआईजी तथा एचआईजी के कितने आवासों की कमी है; और

(ग) इस समस्या का समाधान सरकार किस प्रकार से करेगी?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीओ) ने यह बताया है कि शहरी आवास संबंधी 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजनावधि के प्रारंभ में शहरी क्षेत्रों में अनुमानत: 24.71 मिलियन रिहायशी मकानों की कमी है।

आवास की श्रेणी-वार कमी इस प्रकार है:-

श्रेणी	2007 की स्थिति के अनुसार रिहायशी मकानों की कमी (मिलियन)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	21.78
निम्न आय वर्ग (एलआईजी)	2.89
मध्य आय वर्ग (एमआईजी)	0.04
उच्च आय वर्ग (एचआईजी)	
योग	24.71

उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 2007 की स्थिति के अनुसार मकानों की अनुमानित कमी 1.95 मिलियन है।

(ग) सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जोएनएनयूआरएम) शुरू किया है। इस मंत्रालय द्वारा जोएनएनयूआरएम के तहत दो योजनाएं चलाई जा रही है यथा शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)। पहली योजना का लक्ष्य देश के 63 शहरों में बुनियादी आवस्थापना मुहैया कराना है जबकि दूसरी योजना का लक्ष्य चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले स्लम निवासियों के लिए पर्याप्त आवास एवं बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करके एक स्वास्थ्यकर एवं सहायक शहरी पर्यावरण के साथ समग्र स्लम विकास करना है।

इसके अलावा शहरी निर्धनों के आवास के लिए एक ब्याज दर सब्सिडी योजना को योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी श्रेणी के लोगों को गृह ऋण देते समय ब्याज दर में सब्सिडी मुहैया कराना है।

बीमा क्षेत्र में सुधार

1882. श्री रनेन बर्मन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र में सुधार की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इनसे लोगों को किस सीमा तक लाभ मिलेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 190वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, जीवन बीमा पालिसियों के खंडन से संबंधित कानूनी मामलों; पालिसियों के नामांकन; समनुदेशन और अंतरण; बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 की परिभाषाओं में संशोधन और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के बारे में सिफारिशें की है। इसकी सिफारिशों पर आईआरडीए ने, पर्यवेक्षकों और हानि निर्धारकों; निवेश; प्रशुल्क; शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधियों तथा विदेशी शेयरधारिता की सीमा इत्यादि से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए श्री के.पी. नरसिम्हन, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया।

इसके अतिरिक्त, विधि आयोग/नरसिम्हन समिति/आईआरडीए/एलआईसी तथा साधारण बीमाकर्ता (सार्वजनिक क्षेत्र) संघ (जिप्सा) की सिफारिशों पर, बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 से संबंधित एक मंत्रिमण्डल के लिए टिप्पणी पर, दिनांक 21.12.2006 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया गया था। विधेयक को विचार के लिए मंत्रियों के समूह को भेजा गया है।

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण

1883. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि वह आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, सभी बीमा कंपनियों का स्थलेतर और स्थल पर दोनों प्रकार से निरीक्षण करता है। आईआरडीए स्थलेतर निरीक्षणों के माध्यम से उनके शोधक्षमता मामलों और वित्तीय रिर्पोटिंग मानदंडों की नियमित निगरानी करता है। आईआरडीए ने बीमा कंपनियों के कार्यालयों का स्थल पर निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण विभाग की अलग से स्थापना की है। स्थल पर निरीक्षणों के दौरान, आईआरडीए, बीमा कंपनियों के मार्किट संचालन, परिचालन के तरीके और अभिशासन के मानदंडों सहित उनके सांविधिक प्रावधानों और विनियामक निर्देशों के अनुपालन की सीमा का निरीक्षण करता है।

ग्राम ज्ञान केन्द्र

1884. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेषकर कर्नाटक से ग्राम ज्ञान केन्द्र (वीकेसी) स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्य-वार कौन-कौन से स्थान निर्धारित किए गए है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। ग्राम ज्ञान केन्द्रों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा किया जा रहा है। नाबार्ड से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। कपार्ट को कर्नाटक राज्य से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) कपार्ट द्वारा अब तक निर्धारित किए गए ग्राम ज्ञान केन्द्रों के स्थान का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) इन ग्राम ज्ञान केन्द्रों को मार्च, 2008 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

विवरण

ग्राम ज्ञान केन्द्र से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	राज्य	जिला/ब्लाक	स्थान
1	2	3	4	5
1.	मुक्ति, गांधी मंदिर रोड, डेनकनाल	उड़ीसा	देवगढ़, रिमाल	फलसामल हिलांग
2.	मल्टी एप्लाइड सिस्टम, प्लाट नं. 45, स्वर्णपुरी काम्प्लैक्स, पटिया, भुवनेश्वर,	उड़ीसा	क्योंझर	खिरीटांगिरी तरूमुन्गा टंगारपाड़ा बढ़ापटना
3.	प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर वालंटरी एक्शन, द्वारा ग्रीन ग्रो, आटी रोड, जिला बालासोर	उड़ीसा	बालासोर, नीलगिरी ब्लॉक मुख्यालय	मिहासापट्टा अजोध्या बस्पपुर छत्तरपुर, गरडिही केपी लखराज नरसिंहपुर
4.	सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, पथापाटनम रोड, चेकपोस्ट के पास परालेखेमुन्डी, गजपती	उड़ीसा	गजपति, गुम्मा ब्लॉक मुख्यालय	बड़ाकालासोटे राजगिडी बाजीहल नमगुड्डा, तुमुल्ले
5.	सोसायटी फॉर सोशल सर्विसेज मध्य भारत चेपटर, जी-128, एथीराज टॉवर, जीई रोड, सौर्य सिनेमा के पास, भिलाई, जिला-दुर्ग	छत्तीसगढ़	दुर्ग, डांडी लोहारा ब्लॉक	बुंदूली जताड़ा मारी भावरमारा
6.	सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ई-7/803, अरेरा कालोनी, बीएलके-फंडा, भोपाल	छत्तीसगढ़	कोरबा, कोरबा ब्लॉक	अजगरबहार गर-उपरोड़ा बेला पारसखेत बुंदेली, कुरदीन
7.	आग्रपाली प्रशिक्षण संस्थान, कारीगर मोहल्ला, वार्ड नं. 4 देवली, जिला-टांक	राजस्थान	टांक, देवली	राजमहल कसीर गावड़ी, पोली याड़ा संचाली पनवाड़
8.	डेवलपमेंट ऑफ एक्शन फाउंडेशन, 18 पिल्लैयार, कोरी स्ट्रीज सोमासुन्दरम कालोनी, मदुरै	तमिलनाडु	मदुरै, रामनाथपुरम टुटीकोरीन	अलंगनालूर मेल्लूर कोट्टमपट्टी टी.कल्लूपट्टी तिरूपुल्लानी मंडपम खडीपट्टी ऑफ मदुरै कडालाडी ऑफ रामनाथपुरम, ओट्टापिडरम तिरूचैंदूर ऑफ टुटीकोरीन

1	2	3	4	5
9.	लोक पंचायत,.लेन-3, शिवाजी नगर, संगमनेर, जिला-अहमदनगर	महाराष्ट्र	अहमदनगर, संगमनेर	नन्नाज दुमला निमगांव सरोले साकुड़
10.	गौमुख इन्वायरमेंटल ट्रस्ट फॉर सस्टेनेबल, डेवलपमेंट, 92/2, दुर्गा, गंगोटे पाथ, एरांडवाने, पुणे	महाराष्ट्र	पूना	चाले मुलसी
11.	दिलासा जन विकास प्रतिष्ठान, 5-शिवालिका अपार्टमेंट, समाधान कालोनी, जिला-औरंगाबाद	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	कच्चीघाटी लडसवांगी पिमपारीराजा
12.	युवा ग्रामीण विकास, ग्राम व पोस्ट गारगोटी, ब्लॉक-भूदरगढ़, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	गारगोटी	आदमपुर कडगांव पिमपालगांव
13.	निर्देश, ग्राम मजौलिया, पोस्ट-खाबरा, जिला-मुजफ्फ रपुर	बिहार	मुजफ्फरपुर, सीजीसी-वैशाली	सेरूकहीन

एनटीपीसी द्वारा विदेशों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1885. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने नाइजीरिया तथा इंडोनेशिया की सरकारों के साथ इन देशों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबन्धन एवं शर्तें क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एनटीपीसी लिमिटेड ने नाइजीरिया की संघ सरकार (एफ.एन.जी.) के ऊर्जा मंत्रालय के साथ नाइजीरिया में इन शर्तों के अध्याधीन विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि एफ.एन.जी. अपने विद्यमान/भावी एल.एन.जी. संयंत्रों से वहां के लिए जहां अगले 5 से 6 वर्षों के अन्दर प्रचालन शुरू होने की संभावना है, उचित दामों पर उपलब्धता आधार पर/25 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराएगी। एफ.जी.एम द्वारा उक्त वचन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद एन.टी.पी.सी. नाइजीरिया में तकनीकी संभाव्यता के अध्याधीन एक 500 मे.वा. कोयला आधारित और एक 700 मे.वा. गैस आधारित विद्युत संयत्र स्थापित करेगा। एन.टी.पी.सी. ने इन्डोनेशिया सरकार के साथ किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

बैंकों द्वारा डाकघर सेवाओं का उपयोग

1886. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंकों का विचार बैंकिंग प्रयोजनार्थ डाकघर सेवाओं का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सेवाएं डाकघरों के माध्यम से कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 25 जनवरी, 2006 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यवसाय सुविधा प्रदाता एवं सम्पर्की मॉडलों के प्रयोग के जरिए वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यवर्तियों के रुप में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), व्यष्टि वित्त संगठनों (एमएफआई), डाक घरों तथा अन्य केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) की सेवाओं का उपयोग करने का परामर्श दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, व्यवसाय सुविधा प्रदाता के रुप में डाकघर ऋणकर्ताओं एवं क्रियाकलापों की पहचान करने, ऋण आवेदनपत्रों के एकत्रीकरण एवं प्रारंभिक कार्यवाही, बचत एवं बैंकों की अन्य सेवाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने, ऋण आवेदन पत्र जमा करने और उस पर कार्यवाही करने, मंजूरी पश्चात निगरानी, आदि में सहायता प्रदान कर सकते हैं। व्यवसाय सम्पर्की के रुप में, डाकघर सामान्य सुविधा सेवाओं के अतिरिक्त कम मूल्य के ऋण संवितरित कर सकते हैं, बैंकों को देय मूल/ब्याज वसूल कर सकते हैं, कम मूल्य की जमाराशि एकत्र कर सकते हैं, व्यष्टि बीमा/म्यूच्युअल फंड/पेंशन/तीसरे पक्ष के अन्य उत्पाद बेच सकते हैं तथा कम मूल्य की निधियां प्राप्त एवं प्रेषित कर सकते हैं।

इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ ने सदस्य बैंकों को डाकघरों के विशाल नेटवर्क और ग्राहकों के साथ उनके विशिष्ट मेलजोल के जरिए ग्रामीण हिताधिकारियों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए भारतीय डाक के साथ संभावित तालमेल करने का परामर्श दिया है। इस पहल का उद्देश्य सदस्य बैंकों को अपने ऋण विनियोजन का विस्तार करने, लाभप्रदता में वृद्धि करने और अधिक लेनदेन लागत के बिना ग्रामीण विकास में योगदान करने एवं उसके द्वारा वित्तीय समावेशन के संबंध में राष्ट्रीय नीति को प्राप्त करने में सहायता करना है।

भारतीय डाक ने योजना को अनुकूल बनाकर अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार बैंकों के साथ तालमेल व्यवस्था की है और सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

नर्मदा बांध से विद्युत उत्पादन

1887. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में नर्मदा बांध से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात ने महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश को इन तीनों राज्यों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार उनके हिस्से की विद्युत की आपूर्ति करना शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गुजरात में नर्मदा बांध (सरदार सरोवर विद्युत काम्प्लेक्स) से विद्युत उत्पादन अगस्त, 2004 में शुरू हुआ था। नर्मदा जल विवाद अधिकरण एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के प्रावधानों के अनुसार सरदार सरोवर विद्युत काम्प्लेक्स (6×200 राइट बैंड पावर हाउस), 5 × 50 (कैनाल हैड पावर हाउस)= 1450 मे.वा.) से उत्पादित विद्युत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के बीच 57:27:16 अनुपात में बांटी जा रही है।

एमआरपी आधारित उत्पाद शुल्क

1888. श्री अधीर चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को भेषक उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित उत्पाद शुल्क लगाने से उत्पाद शुल्क राजस्व में हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर अवकाश-राज्यों में उत्पाद शुल्क में सीमा नहीं होने से गैर-अनुसूचित औषधियों जिनमें आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां भी शामिल हैं, की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) औषधिक उत्पादों पर फुटकर बिक्री मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि इससे कर निर्धारण में विश्वसनीयता लायी जा सके, मूल्यांकन विवाद को और कम मूल्यांकन के कारण कर अपवंचन को रोका जा सके। यह किसी प्रकार की कर रियायत नहीं है। अत: मात्र इस कारण से किसी राजस्व की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) उन औषोधियों के मामले में जो औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (गैर-अनुसूचित उत्पाद) के अंतर्गत कवर नहीं होती है, विनिर्माताओं को इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे सरकार/राष्ट्रीय औषधिक मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) के अनुमोदन के बिना स्वयं इनका मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार की कीमतें साधारणतया विभिन्न कारकों जैसे कि थोक में दवाओं के मूल्य, अनुद्रव्यों की लागत, अनुसंधान एवं विकास लागत, उपयोगिता/पैकिंग सामग्री लागत, बिक्री संवर्द्धन लागत, व्यापारिक लाभ, गुणवत्ता आश्वासन लागत, और आयात करने में आयी लागत, पर निर्भर करती हैं। यह सही है कि गैर-अनुसूचित

उत्पादों के मामले में भिन्न-2 ब्राण्डों की कीमतें भिन्न-भिन्न होती हैं, जब कि उनकी संरचना और भार/पैक का आकार एक समान होता है। ऐसा इसलिए होता है कि गैर अनुसूचित उत्पादों का मूल्य निर्धारण विनिर्माता उत्पादन की आर्थिक लागत के आधार पर करते हैं जो कि मामले दर मामले में भिन्न-भिन्न होती है। हालांकि अपने मूल्य मानीटरिंग क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में सरकार गैर अनुसूचित उत्पादों की कीमतों की गति पर नियमित नजर रखती है और जहां भी कीमतों में असाधारण वृद्धि होती है वह तुरंत कार्रवाई करती है।

स्वच्छ पेयजल

1889. श्री अनवर हुसैन:
श्री मित्रसेन यादव:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों, विशेषकर असम, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से प्रदूषित नदियों के किनारों पर स्थित गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समितियों द्वारा असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से निधियों की रिलीज के लिए अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इनकी जांच की गई थी और राज्यों से कुछ स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया है।

एनजीआरवाई के संबंध में केरल सरकार से अनुरोध

1890. श्री पी. करुणाकरन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत खाद्यान्नों के बदले नकद धनराशि प्रदान करने के लिए केरल राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) एसजीआरवाई दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में यह उल्लेख है कि "केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्न के बदले नकद का कोई अतिरिक्त आबंटन नहीं किया जाएगा"।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की परियोजनाएं

1891. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा स्थान-वार कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) नीचे दिये गए सात प्रोजेक्ट एनबीसीसी द्वारा जम्मू व कश्मीर में कार्यान्वित किए जा रहे हैं:-

1. गर्वन्मेंट डिग्री कालेज, फॉर वूमेन, कठुआ, जम्मू।
2. गर्वन्मेंट डिग्री कालेज, साम्बा, जम्मू।
3. गर्वन्मेंट डिग्री कालेज, बसोली, जम्मू।
4. गर्वन्मेंट डिग्री कालेज, मेन्धर, जम्मू।
5. गर्वन्मेंट डिग्री कालेज, बीरवाह, कश्मीर।
6. गर्वन्मेंट डिग्री कालेज, बुडगाम, कश्मीर।
7. गर्वन्मेंट डिग्री कालेज, पाट्टन, कश्मीर।

(ख) चालू वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान प्रधानमंत्री पुन: निर्माण योजना के अंतर्गत इन सात परियोजनाओं के लिए 5.00 करोड़ रुपये के आबंटन का निर्धारण किया गया है।

नई ग्रामीण विकास योजनाएं

1892. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई नई ग्रामीण विकास योजनाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी बैंकों हेतु नए लाइसेंस जारी करना

1893. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में विद्यमान सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने, विशेषकर आंध्र प्रदेश में सहकारी बैंकों हेतु नए लाइसेंस जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान सहकारी बैंकों की संख्या विवरण में दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21.4.2006 को अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को लाइसेंस जारी किया है। इसके साथ-साथ फाजिल्का मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, पंजाब को 17.8.2006 को और अम्बाला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, हरियाणा को 16.1.2007 को लाइसेंस जारी किया गया है।

विवरण

31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य केन्द्र शासित प्रदेश	एससीबी	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीडी	यूसीबी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	22	*	*	118
2.	बिहार	1	22	1	*	5#
3.	छत्तीसगढ़	1	6	1	12	
4.	गुजरात	1	18	1		284
5.	हरियाणा	1	19	1	19	
6.	झारखण्ड	*	8	*	*	
7.	कर्नाटक	1	21	1	177	288
8.	केरल	1	14	1	46	60
9.	मध्य प्रदेश	1	38	1	38	74@@
10.	महाराष्ट्र	1	31	1	29	622###
11.	उड़ीसा	1	17	1	46	14
12.	पंजाब	1	18	1	87	16###
13.	राजस्थान	1	27	1	36	39

1	2	3	4	5	6	7
14.	तमिलनाडु	1	24	1	181	131**
15.	उत्तर प्रदेश	1	50	1	*	77$$
16.	उत्तरांचल	1	10	*	*	-
17.	पश्चिम बंगाल	1	17	1	24	51+
18.	हिमाचल प्रदेश	1	2	1	1	-
19.	जम्मू-कश्मीर	1	3	1	*	4
20.	अंडमान-निकोबार	1	*	*	*	-
21.	अरूणाचल प्रदेश	1	*	*	*	-
22.	असम	1	*	1	*	17@
23.	चंडीगढ़	1	*	*	*	-
24.	दिल्ली	1	*	*	*	15
25.	गोवा	1	*	*	*	-
26.	मणिपुर	1	*	1	*	-
27.	मेघालय	1	*	*	*	-
28.	मिजोरम	1	*	*	*	-
29.	नागालैण्ड	1	*	*	*	-
30.	पाण्डिचेरी	1	*	1	*	-
31.	सिक्किम	1	*	*	*	-
32.	त्रिपुरा	1	*	1	*	-
	समस्त भारत	31	367	20	696	1815

\# एस सी बी ने कार्य करना शुरू नहीं किया है।

* कोई बैंक नहीं एससीएआरडीबी अपनी शाखाओं।

@ असम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश

\# बिहार और झारखण्ड

@@ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

महाराष्ट्र और गोवा

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश

** तमिलनाडु और पाण्डिचेरी

$$ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

\+ पश्चिम बंगाल और सिक्किम

एससीबी: राज्य सहकारी बैंक

डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक

पीसीआरडीडी: कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक

यूसीबी: शहरी सहकारी बैंक

भारतीय स्टेट बैंक में असंतोषजनक सेवाएं

1894. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:,

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राहकों की शिकायतों का तत्परता से निवारण नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि शाखाओं के कार्यकरण की निगरानी और कोटि निर्धारण आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। बैंक द्वारा ऐसे निरीक्षणों के दौरान दिल्ली में किसी भी शाखा का कोटि निर्धारण "संतोषजनक रूप से कार्य न करने वाली" शाखा के रूप में नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) बैंक तीन सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर 90% से अधिक शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करने में सक्षम है, जब तक शिकायत की विस्तृत जांच करना अपेक्षित न हो। तथापि, ऐसे मामलों में जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, बैंक द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों में उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्रों की स्थापना करना शामिल है। शाखाओं में ग्राहक सेवा की शाखा प्रबंधक/नियंत्रकों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं, जिसमें ग्राहकों की शिकायतों और ग्राहक सेवा में सुधार करने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है।

प्रतिभूति मुद्रणालयों का विस्तार

1895. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिभूति मुद्रणालयों की विभिन्न इकाइयों से संबंधित लक्ष्यों तथा कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे देश में प्रतिभूति मुद्रणालयों का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विभिन्न प्रतिभूतियों मुद्रणालयों को चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रतिभूति मुद्रणालयों में राष्ट्रीय पहचान पत्रों तथा स्मार्ट कार्डों आदि के मुद्रण जैसे क्षेत्रों में नए व्यवसाय अवसरों की सम्भावनाओं का पता लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) गत दो वर्षों के दौरान दो प्रतिभूति मुद्रणालयों के वित्तीय संदर्भ में लक्ष्य और कारोबार का ब्यौरा निम्नानुसार है।

यूनिट का नाम	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु. में)	कारोबार (करोड़ रु. में)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय,	2005-06	275.00	241.86
नासिक	2006-07	387.00	312.40
प्रतिभूति मुद्रणालय,	2005-06	57.16	43.06
हैदराबाद	2006-07	54.19	62.79

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) चूंकि नासिक और हैदराबाद में स्थित दोनों प्रतिभूति मुद्रणालय भारत प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण में है, अत: निगम नये व्यापार अवसरों को तलाश करने में सक्षम है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

1896. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री राजेश पाठक:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री संजय धोत्रे:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सौर ऊर्जा का उपयोग लगातार कम होता जा रहा है तथा इसकी पूरी क्षमता की तुलना में कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए किस प्रकार की राजसहायता दी जा रही है; और

(ग) सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

नवीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सौर ऊर्जा का दोहन दो माध्यमों, नामत: सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय के जरिए क्रमश: बिजली और ताप ऊर्जा में प्रत्यक्ष रूपान्तरण द्वारा किया जा सकता है। देश में सौर ऊर्जा का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है तथापि, सौर ऊर्जा प्रणालियों की उच्च प्रारंभिक लागत वृहत पैमाने पर इसके उपयोग में एक बाधा है।

(ख) मंहगी सामग्रियों के प्रयोग, विनिर्माण की प्रक्रियाओं और आयातित किए जा रहे कुछ संघटकों, आदि के कारण पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की लागत की तुलना में सौर ऊर्जा प्रणालियों की आरंभिक लागत अधिक है। तथापि, इन प्रणालियों की प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत कम होती है क्योंकि इन्हें चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार द्वारा इन प्रणालियों की लागत को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

सौर ऊर्जा प्रणालियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर कई स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न सौर ऊर्जा प्रणालियों हेतु उपलब्ध कराई जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा इलैक्ट्रोनिक तथा प्रिंट माध्यमों के जरिए; राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर प्रदर्शनियों का आयोजन करके; देशभर में 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाकर, जिला स्तर पर जिला अक्षय ऊर्जा सलाहकार समितियों और एआईसीटीई से अनुमोदित बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजों में अक्षय ऊर्जा क्लबों का गठन करके सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा संबंधी एक विशाल प्रचार एवं जागरूकता अभियान चलाया गया है।

विवरण

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्षेत्र	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)
1	2	3
1.	**सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी)**	
	एसपीवी लालटेन	विशेष श्रेणी के राज्यों में अविद्युतीकृत गांवों और बस्तियों के लिए 2400 रू.; अन्य राज्यों के लिए शून्य विशेष श्रेणी के राज्यों में अविद्युतीकृत गांवों और बस्तियों में रहने वाली और कक्षा 9-11 में पढ़ने वाली गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की बालिका के लिए 100% सीएफए

1	2	3
	एसपीवी घरेलू रोशनी प्रणालियां	मॉडल पर निर्भर करते हुए विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 4,500 से 8,660 रु., और अन्य राज्यों के लिए 2500 से 4,800 रु.
	एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां	विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 17,300 रु. अन्य राज्यों के लिए 9,600 रु.
	1 किवा. पी. < क्षमता का एसपीवी स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र	विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,25,000 रु./किवा.पी. अन्य राज्यों के लिए 1,25,000 रु./किवा.पी.
	10 किवा.पी. क्षमता का एसपीवी स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र	विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,70,000 रु./किवा.पी. अन्य राज्यों के लिए 1,50,000 रु./किवा.पी.
2.	शहरी क्षेत्रों में सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) अनुप्रयोग	लागत का 25%, अधिकतम 5000/- रु. के अध्यधीन
	सौर सड़क रोशनी कंट्रोल प्रणालियां	लागत का 50%, अधिकतम 10,000/- रु. के अध्यधीन और क्रमश: 11 वाट तथा 18 वाट सीएफएल के लिए 12,000/- रु.
	सौर सड़क/सार्वजनिक पार्क रोशनी (74/75 डब्लूपी मॉडयूल्स)	
	एसपीवी प्रकाशमान होर्डिंग (न्यूनतम 2 वर्ग मी. क्षेत्र को प्रकाशमान करने के लिए अधिकतम 1 किवा.पी. एसपीवी मॉडयूल के साथ)	लागत का 50%, अधिकतम 15,000 रु./100 डब्ल्यूपी मॉडयूल के अध्यधीन
	सौर रोड स्टड	लागत का 50%, अधिकतम 1000/- रू के अध्यधीन
	सौर ब्लिंकर	लागत का 50%, अधिकतम 7,500/- रु. के अध्यधीन
	(न्यूनतम 37 डब्लू पी. मॉडयूल)	लागत का 50%, अधिकतम 2.5 लाख रु. के अध्यधीन
	सौर ट्रैफिक सिग्नल (न्यूनम 500 डब्ल्यू पी मॉडयूल)	लागत का 50%, अधिकतम 2.00 लाख रु. प्रति किवा. पी. के अध्यधीन
	बीआईपीवी प्रणालियां (अधिकतम 5 किवा. पी. मॉडयूल)	लागत का 50%, अधिकतम 1.00 लाख रु. प्रति किवा.पी. के अध्यधीन
	एसपीवी विद्युत पैक (अधिकतम 1 किवा.पी. मॉडयूल)	
3.	एसपीवी जल पंपन प्रणालियां	प्रयोग किए गए एसपीवी ऐरे का 30 रु./डब्ल्यू पी. अधिकतम 50,000 रु. प्रति प्रणाली के अध्यधीन
4.	सौर जल तापन प्रणालियां (एसडब्लूएचएस)/ अन्य सौर तापीय प्रणालियां	सौर जल तापन प्रणालियां घरेलू उपयोगकर्ताओं को 2%, संस्थाओं को 3% और सामुदायिक एवं औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को 5% की दर पर सब्सिडीकृत ऋण के अलावा मोटिवेटर को प्रोत्साहन के रूप में 100/- रु./वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र

1	2	3
		सौर वायु तापन/स्टीम उत्पादन प्रणालियां लागत के 35%-50% की दर पर पूंजीगत सब्सिडी, 3500-5000 रु. प्रति वर्ग मी. के अध्यधीन **डिश/सामुदायिक प्रकार के सौर कुकर** लागत का 30%, डिश प्रकार के सौर कुकर हेतु 1,500/- रु. और शैफ्लर/सामुदायिक प्रकार के कुकर हेतु 15,000 रु. तक सीमित
5.	**अक्षय ऊर्जा दुकानें**	7% की दर पर सब्सिडीकृत ऋण, अधिकतम 10 लाख रु. के अध्यधीन दुकान की लागत का अधिकतम 85% दो वर्षों के लिए मासिक आवर्ती अनुदान और दो वर्षों के लिए प्रति माह अधिकतम 5,000/- रु. तक प्रोत्साहन, प्रत्येक का भुगतान राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।
6.	**सौर भवन**	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु लागत का 50%, प्रति भवन अधिकतम 2 लाख रु. के अध्यधीन सौर भवन की लागत का 10%, प्रति भवन अधिकतम 50 लाख रु. के अध्यधीन

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत परियोजनाओं में निवेश

1897. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान 5,600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने हेतु देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 50,000 करोड़ रूपये निवेश करने का है जैसा कि दिनांक 1 अगस्त, 2007 के "द बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एक विद्युत नीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) 11वीं योजना को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, 78755 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की 11वीं योजना के दौरान अनंतिम रूप से परिकल्पना की गई है। इसमें से 5,615 मेगावाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम सहित) में विकसित किए जाने की संभावना है। इसमें 4055 मेगावाट जल विद्युत तथा 1,560 थर्मल विद्युत शामिल है। 5,615 मेगावाट उत्पादन क्षमता के विकास के लिए अनुमानित निवेश लगभग 2800 करोड़ रुपये होगा। सम-अनुरूप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण/विकास हेतु इसी अनुसार निवेश किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में देश के उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए कोई पृथक विद्युत नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास संबंधी नीति की घोषणा की थी जिसमें विभिन्न कदमों तथा उपायों को शामिल किया गया था। अन्य सहित जल नीति बेसिन वार विकास पर बल देती है जिसमें अन्य राज्यीय मुद्दों पर मतैक्य, भूवैज्ञानिक जोखिमों को कम करना, स्वीकृतियों के अंतरण हेतु सरल प्रक्रिया, संयुक्त उद्यम व्यवस्था को प्रोत्साहित

करना आदि का विकास शामिल है। तत्पश्चात, फरवरी, 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति की घोषणा की गई थी, जो कि अन्यों सहित राज्यों विशेषतया उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए तीव्रता से जल क्षमता का प्रयोग करने पर बल देती है।

पेयजल सुविधाएं

1898. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों के शामिल नहीं किए गए जिलों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा अन्य विभिन्न विकास एजेंसियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं तथा राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रस्तावों को स्वीकृति देने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब के मद्देनजर जिला स्तर पर सीधे प्रस्ताव स्वीकार करने तथा जिलाधीशों में धनराशि आबंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और केंद्र को वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण बसावटों को पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। राज्य सरकारें त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से अलग-अलग ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने में सक्षम हैं। 2006-07 में राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। केंद्र की ओर से कोई प्रक्रियात्मक विलंब नहीं होता है क्योंकि पहली किस्त के रूप में आबंटन की 50% राशि बिना किसी शर्त के अप्रैल में रिलीज कर दी जाती है, केवल विगत वित्तीय वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने अंतिम किस्त ली थी।

विवरण

2006-07 के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य+डीडीपी), स्वजलधारा और जल गुणवत्ता के अंतर्गत आबंटन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एआरडब्ल्यूएसपी	स्वजलधारा	जल गुणवत्ता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20084.08	2880.00	3412.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	10299.00	597.00	69.00
3.	असम	17369.00	1004.00	4422.00
4.	बिहार	18571.00	2434.00	7941.00
5.	छत्तीसगढ़	6549.00	858.00	1327.00
6.	गोवा	253.00	33.00	0.00
7.	गुजरात	13161.56	1838.00	5838.00

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	6045.63	596.00	298.00
9.	हिमाचल प्रदेश	9706.86	1420.64	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	26324.79	3429.00	28.00
11.	झारखंड	7261.00	310.96	2101.00
12.	कर्नाटक	19502.40	2005.00	12536.00
13.	केरल	6216.00	914.00	311.00
14.	मध्य प्रदेश	18797.00	2463.00	6023.00
15.	महाराष्ट्र	36152.00	4737.00	7634.00
16.	मणिपुर	3379.00	205.00	4.00
17.	मेघालय	4073.00	234.00	15.00
18.	मिजोरम	2920.00	168.00	3.00
19.	नागालैंड	2998.00	173.00	16.00
20.	उड़ीसा	10332.00	1354.00	8516.00
21.	पंजाब	4098.00	537.00	2036.00
22.	राजस्थान	41489.68	3884.00	20663.00
23.	सिक्किम	1229.00	72.00	9.00
24.	तमिलनाडु	12057.00	1772.00	1063.00
25.	त्रिपुरा	3613.00	207.00	461.00
26.	उत्तर प्रदेश	27990.00	4114.00	5013.00
27.	उत्तराखंड	7523.00	986.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	15806.00	2071.00	14200.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32.73	27.00	6.00
30.	दादर व नगर हवेली	5.92	17.00	0.00
31.	दमन व द्वीव	13.53		0.00
32.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	13.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	3.64		0.00
34.	पाण्डिचेरी	38.72	13.00	53.00
35.	चंडीगढ़	5.46		0.00
	कुल	353900.00	41366.60	103998.00

[हिन्दी]

गांवों का विद्युतीकरण

1899. श्री गणेश सिंह: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से दूरदराज के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में स्थित गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(घ) प्रत्येक राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऐसे सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना वाले गांवों और विद्युतीकृत जनगणना वाले गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वन समीपवर्ती सहित दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं और जहां ग्रिड-विस्तार व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है। ऐसे गांवों का विद्युतीकरण लघु पनबिजली, बायोमास/बायोईधन, सौर प्रकाशवोल्टीय आदि जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से, उनकी उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, किया जाता है। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पूर्व-निर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन प्रणालियों की लागत के 90% तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए दूरस्थ गांवों और बस्तियों के राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) अविद्युतीकृत गांवों के राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य वर्ष 2009 तक सभी गांवों को विद्युतीकृत करना है। उन सभी दूरस्थ गांवों को इस मंत्रालय के दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया जहां ग्रिड-विस्तार व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है। ऐसे गांवों की पहचान का कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सौंपा गया है। इसके पश्चात राज्य सरकारों द्वारा विद्युतीकरण के लिए ऐसे दूरस्थ गांवों और बस्तियों को लेने हेतु इस मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मंत्रालय ने अब तक ऐसे 2350 गांवों तथा बस्तियों के लिए सहायता प्रदान की है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों और बस्तियों के राज्यवार ब्यौरा (दिनांक 31.7.2007 के अनुसार)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08 (दिनांक 31.7.2007 के अनुसार)
1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	40	50	66
असम	0	0	16
छत्तीसगढ़	0	0	0
गुजरात	0	0	36

1	2	3	4
हरियाणा	0	45	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	27	0
झारखंड	29	234	61
कर्नाटक	0	0	16
केरल	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	30	10
महाराष्ट्र	0	110	0
मणिपुर	3	25	0
मेघालय	1	0	0
मिजोरम	7	13	0
नागालैंड	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0
राजस्थान	0	129	89
सिक्किम	0	13	0
तमिलनाडु	0	0	0
त्रिपुरा	0	205	0
उत्तर प्रदेश	0	0	20
उत्तराखंड	164	1	0
पश्चिम बंगाल	49	135	0

विवरण II

अविद्युतीकृत गांवों की संख्या के राज्यवार ब्यौरा

राज्य	दिनांक 30.6.2007 के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	0
अरूणाचल	1668
असम	5383
बिहार	18395
छत्तीसगढ़	3270
दिल्ली	0
गोवा	0

1	2
गुजरात	158
हरियाणा	0
हिमाचल प्रदेश	326
जम्मू-कश्मीर	113
झारखंड	20235
कर्नाटक	356
केरल	0
मध्य प्रदेश	1904
महाराष्ट्र	5085
मणिपुर	362
मेघालय	2354
मिजोरम	137
नागालैंड	455
उड़ीसा	20994
पंजाब	0
राजस्थान	12990
सिक्किम	25
तमिलनाडु	0
त्रिपुरा	367
उत्तर प्रदेश	12693
उत्तराखंड	910
पश्चिम बंगाल	2739

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण

1900. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विभिन्न राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर "ग्रामीण विद्युतीकरण आपूर्ति प्रौद्योगिकी" मिशन के अंतर्गत दूर-दराज के गांवों के विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन के अंतर्गत कर्नाटक के दुर्गम और दूरदराज के जनजातीय गांवों को भी शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि, नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से दूर दराज के गांवों के विद्युतीकरण हेतु 17 डिस्ट्रीब्यूटिड जेनेरेशन (डीजी) प्रोजेक्टस कार्यान्वयन शुरू किया है। 14 प्रोजेक्ट, जो कि पायलट परियोजनाएं हैं, के लिए विद्युत मंत्रालय से, दो परियोजनाओं के लिए विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय से तथा एक परियोजना के लिए ओरिएंटल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड के 90% वित्तीय अनुदान से शुरू की गई है। शेष 10% वित्तपोषण एनटीपीसी-फाऊंडेशन से हैं जिसकी स्थापना सामाजिक आर्थिक पहलों के लिए एनटीपीसी द्वारा की गई है अबतक आठ (8) डीजी परियोजनाएं शुरू की जा चुकी है और नौ (9) वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है।

आरंभ की जा चुकी परियोजनाएं

राज्य	डीजी परियोजनाओं की संख्या
उत्तर प्रदेश	03
राजस्थान	01
छत्तीसगढ़	04

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

राज्य	डीजी परियोजनाओं की संख्या
उत्तर प्रदेश	03
राजस्थान	05
छत्तीसगढ़	01

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान में चूक

1901. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंबई स्टॉक एक्सचेंज ने वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान न करने वाली कंपनियों की ट्रेडिंग के निलंबन हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने सूचित किया है कि इसने 2005-06 तथा 2006-07 के लिए सूचीयन शुल्क अदा करने में विफलता के लिए क्रमश: 20 एवं 41 कंपनियों को निलंबित कर दिया है। यह चेथेष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करके कंपनी को निलंबित कर देता है यदि वह कम्पनी सूचीयन करार के अनुसार वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान करने में विफल रहें।

[अनुवाद]

गुजरात में स्वजलधारा योजनाओं का कार्यान्वयन

1902. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य सरकार से 'स्वजलधारा योजना' के अंतर्गत सभी गांवों को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) गुजरात सरकार से सभी जिलों में स्वजलधारा योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, स्वजलधारा योजना के अंतर्गत राज्य के 13 जिलों के सभी गांवों को शामिल करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

जनवरी, 2006 में संपन्न अखिल भारत के राज्य मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर स्वजलधारा योजना को इसके वर्तमान स्वरूप में बन्द करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्य मंत्रियों ने सिफारिश की और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनिवार्य सामुदायिक अंशदान के संबंध में व्याहारिक कठिनाइयों का जिक्र किया। तथापि, भारत सरकार ने स्वजलधारा के अंतर्गत वित्त पोषण पद्धति में बदलाव करते हुए केन्द्र और समुदाय के बीच 90:10 की भागीदारी की जगह केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 की भागीदारी को स्वीकार किया है। राज्य अपनी हिस्सेदारी के प्रतिशत घटक के रूप में स्थानीय स्थितियों के अनुसार सामुदायिक अंशदान को संस्थागत बना सकते हैं तथा उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

बैंकों में निगरानी तंत्र

1903. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए किसी निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य है;

(ग) उन बैंकों के क्या नाम हैं जिनके कार्यकरण को इस तंत्र द्वारा असंतोषजनक पाया गया है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त बैंकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जमाओं, अग्रिमों, अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए), लागत और आय का अनुपात, आस्तियों पर प्रत्याय लाभ आदि सहित विभिन्न कार्य निष्पादन मानदंडों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लक्ष्य के आशय-विवरण (एसओआई) के

आधार पर, भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने के तंत्र का लागू किया है।

(ग) से (ङ) आशय-विवरण की व्यवस्था का लक्ष्य दोष ढूंढना नहीं है अपितु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी कार्य निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित, मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहित करना है। आशय विवरण में निर्धारित उनके वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा जहां भी आवश्यकता हो, उचित निदेश दिए जाते हैं।

पी.एम.जी.एस.वाई के कार्यान्वयन में विलम्ब

1904. श्री टेक लाल महतो: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) अपने छठे और सातवें चरण में है जबकि झारखंड में अभी इसका तीसरा चरण भी पूरा नहीं हो पाया है;

(ख) झारखंड में इस योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) झारखंड में इस योजना की प्रगति अन्य राज्यों की प्रगति के बराबर कब तक पहुंचने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत झारखण्ड के लिए चरण I से चरण IV के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुछ राज्यों के लिए चरण VI और चरण VII के परियोजना प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय होने की वजह से, परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनकी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। झारखण्ड में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित करने वाली कुछ बाधाएं परियोजनाओं को विलंब से सौंपने सहित प्रशासनिक विलम्ब, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों की अपर्याप्त क्षमता और समर्पित इकाइयों का अभाव, अपर्याप्त संविदा क्षमता तथा सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं। राज्य सरकार को राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों को सुदृढ़ करके गति तेज करने के उपाय करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

ग्रामीण निर्धनों को आवास ऋण देना

1905. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण वापस करने की क्षमता सिद्ध करने के बावजूद भी बैंकों द्वारा ग्रामीण निर्धनों को आवास ऋण नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनों को आवास ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	2004	2005	2006
बकाया ऋण	771209	1302421	1821336

यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋण बकाया में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु ऋण प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु संस्थागत ऋण की आसान उपलब्धता हेतु स्वर्णजयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना शुरु की गई थी।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक की विशेष ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग व्यक्तियों को नई आवास इकाई अधिगृहीत करने तथा इसके निर्माण हेतु 5 लाख रुपए तक और विद्यमान इकाई का उन्नयन अथवा बहुत अधिक मरम्मत करने हेतु 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है।

(3) बैंकों को यह सलाह दी गई है कि किसानों को इंदिरा आवास योजना तथा स्वर्णजंयती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ग्रामीण आवास अग्रिमों के मामले में चुकौती कार्यक्रम निर्धारित करते समय बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किय जाए कि ऐसे अग्रिमों पर देय ब्याज/किश्त को फसल चक्र से जोड़ा गया हो।

(4) प्रत्येक पात्र हिताधिकारी को 20000 रुपए तक का आवास ऋण विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत 4 प्रतिशत ब्याज पर प्रदान किया जाता है।

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत परियोजनाएं

1906. श्री सुभाष महरिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या के मद्देनजर आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) योजना की शुरूआत अर्थात 1.4.1999 से लेकर अब तक राजस्थान से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत 58 विशेष परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 21 परियोजनाओं को राज्य में कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह, मध्य प्रदेश से एसजीएसवाई के तहत 69 विशेष परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 21 परियोजनाओं को राज्य में कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। एसजीएसवाई के तहत राज्य सरकारों और अन्य प्रायोजक एजेंसियों से प्राप्त विशेष परियोजना प्रस्तावों पर कार्रवाई द्विस्तरीय अंतर मंत्रालयी परियोजना जांच/अनुमोदन समिति तंत्र के माध्यम से एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है और सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी जाती है जिन परियोजनाओं को अंतर-मंत्रालयी समिति उपयुक्त और व्यवहार्य माडल समझती है। परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, प्रयोजक राज्य सरकारों द्वारा उनमें अनुमोदन एक सतत, प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) एसजीएसवाई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसजीएसवाई के लिए निधियों के वार्षिक आबंटन का 15% हिस्सा विशेष परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने के लिए अलग रखा जाता है और यह बीपीएल परिवारों की संख्या के अनुसार निर्धारित अथवा उस पर आधारित नहीं होता है।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा ऋण की वापसी

1907. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वित्त मंत्रालय** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान बैंकों के ऋण वापस न करने के संबंध में किसानों के विरुद्ध बैंक-वार कितने मामले दर्ज किए गए है;

(ख) उक्त मामले कितनी धनराशि के लिए दर्ज किए गए थे और तत्संबंधी बैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋणों को वापस न कर पाने के कारण राज्य-वार कितने किसानों को जेल भेजा गया और कितने किसानों की भूमि जब्त की गई;

(घ) किसानों के दस हजार रुपए तक के ऋणों को माफ न किए जाने के कारण हैं; और

(ङ) किसानों के ऋणों को माफ करने से संबंधित नियम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गए अनुसार सूचना नहीं रखी जाती। जहां तक ऋण माफ करने का संबंध है, सरकार एकसमान रुप से ऋण माफ करने का समर्थन नहीं करती क्योंकि इससे वसूली एवं ऋण प्रथा बिगड़ती है।

तथापि, कृषि ऋण की उपलब्धता को दोगुना करने के लिए दिनांक 18.6.2004 को सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण पैकेज में,

अन्य बातों के साथ-साथ, अधिस्थगन अवधि के साथ ऋणों का पुनर्निर्धारण करके किसानों को ऋण राहत और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान योजना शामिल है। इस ऋण राहत योजना का लाभ उठाने वाले किसान बैंकों से नए ऋण लेने के पात्र हो गए।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र (06), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (06) और केरल (03) के चार राज्यों में 31 ऋणग्रस्त जिलों में सरकार द्वारा किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। इसमें दिनांक 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार, अतिदेया ऋणों पर समस्त ब्याज को इस प्रकार माफ किए जाने का प्रावधान है जिससे उस तारीख को सभी किसानों के पास पिछले ब्याज का कोई भार नहीं रहेगा। इसमें दिनांक 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार, किसानों के अतिदेय ऋणों का एक वर्ष के अधिस्थगन के साथ 3-5 वर्षों की अवधि में पुनर्निर्धारित किए जाने का भी प्रावधान है।

सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान 31 जिलों के लिए ब्याज माफी के पक्ष में अपने 50% हिस्से के रुप में 1359.13 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

[अनुवाद]

ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी

1908. श्री जोवाकिम बखला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऑनलाइन ट्रेडिंग में की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्टॉक एक्सचेंजों में विभिन्न धोखाधड़ियों के कारण निवेशकों के साथ छल किया जा रहा है; और

(ङ) यदि, हां तो सरकार द्वारा देश में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसईआईएल) को निवेशकों से इंटरनेट कारोबार के संबंध में प्रयोक्ता पहचान और पास वर्ड के दुरूपयोग संबंधी 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) इंटरनेट कारोबार के संबध में ब्रोकरों की ओर से सुरक्षा और अभिगमन नियंत्रण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एनएसईआईएल ने प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक द्वारा अनिवार्य प्रणाली लेखापरीक्षा का निर्धारण किया है। इसने न्यूनतम सुरक्षा मानक भी विनिर्दिष्ट किए हैं जो साफ्टवेयर सुविधाकारी इंटरनेट आधारित कारोबार द्वारा मुहैया कराए जाने चाहिए।

(घ) इंटरनेट कारोबार के संबंध में प्राप्त शिकायतों में धोखाधड़ी शामिल नहीं है। तथापि, प्रयोक्ता पहचान और पास वर्ड के या किसी अन्य प्रकार के प्रवंचन से निपटने के लिए प्रक्रम बने हुए हैं।

(ङ) सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सुनिश्चित किए जाने के लिए ब्रोकरों को इंटरनेट कारोबार आरंभ करने की अनुमति देने के पहले प्रणाली अपेक्षाओं को लागू करने के लिए न्यूनतम शर्तें निर्धारित की है।

शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं

1909. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं (बीएसयूपी) प्रदान करने के लिए उप-मिशन-II के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं

(बीएसयूपी) उप मिशन-II के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं के शहरवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत आवास, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, समुदाय शौचालय/स्नानघर इत्यादि जैसी बुनियादी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

(ग) और (घ) परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद, परियोजना की प्रकृति के आधार पर, उन्हें पूरा करने के लिए सामान्यत: 2 से 3 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(ङ) और (च) आशा है कि परियोजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर लेंगी।

विवरण

जेएनएनयूआरएम शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)—अनुमोदित परियोजनाएं (शहरवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	मिशन शहरों का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित नई रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (स्वस्थाने)	पुनर्स्थापन के अंतर्गत अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	उन्नयन हेतु अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	उन्नयन हेतु अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (स्वस्थाने+ पुनर्स्थापन+ उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम किस्त (25% केन्द्रीय अंश)	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कुल एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	5	623.0	13441	35559	0	49000	311.95	311.95	77.99	77.99
		विजयवाड़ा	4	348.86	0	15000	0	15000	173.12	175.74	43.28	43.28
		विशाखापट्टनम	7	416.06	15320	0	0	15320	206.13	209.93	51.53	51.53
		उप-योग	16	1388.82	28761	50559	0	79320	691.20	697.62	172.80	172.80
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2	564.94	0	25728	0	25728	396.13	168.81	99.03	0.00
		उप-योग	2	564.94	0	25728	0	25728	396.13	168.81	99.03	0.00
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर	4	391.45	27976	0	0	27976	312.18	79.26	78.05	78.05
		उप-योग	4	391.45	27976	0	0	27976	312.18	79.26	78.05	78.05
4.	दिल्ली	दिल्ली	3	617.28	0	27980	0	27980	268.23	349.05	67.06	0.00
		उप-योग	3	617.28	0	27980	0	27980	268.23	349.05	67.06	0.00
5.	गुजरात	अहमदाबाद	3	523.95	0	32640	0	32640	254.28	26.68	63.59	63.59
		सूरत	5	381.60	0	30128	0	30128	183.98	197.61	46.07	46.07
		वड़ोदरा	1	88.61	0	6668	0	6668	42.17	46.44	10.54	10.54
		उप-योग	10	994.16	0	69436	0	69436	480.43	513.73	120.20	120.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	हरियाणा	फरीदाबाद	2	64.23	3248	0	0	3248	31.18	33.05	7.79	7.79
		उप-योग	2	64.23	3248	0	0	3248	31.18	33.05	7.79	7.79
7.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1	9.9	252	0	0	252	7.05	2.94	1.76	1.76
		उप-योग	1	9.9	252	0	0	252	7.05	2.94	1.76	1.76
8.	कर्नाटक	बंगलौर	4	249.78	13407	0	0	13407	117.93	131.85	2.48	29.48
		मैसूर	1	45.28	2788	0	0	2788	33.13	12.15	8.28	8.28
		उप-योग	5	295.06	16195	0	0	16195	151.06	144.00	37.76	37.76
9.	केरल	कोच्ची	1	26.61	1531	197	0	1728	13.31	13.31	3.33	3.33
		तिरुवनंतपुरम	2	42.59	913	2107	0	3020	33.86	8.73	8.52	8.52
		उप-योग	3	69.20	2444	2304	0	4748	47.17	22.03	11.84	11.84
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल	12	341.01	12688	5764	0	18452	163.51	177.50	40.88	40.88
		इंदौर	2	74.73	4132	885	0	5017	36.20	38.53	9.05	9.05
		जबलपुर	4	87.53	4434	4134	0	8568	43.69	4384	10.92	10.92
		उप-योग	18	503.27	21254	10783	0	32037	259.41	259.86	60.85	60.85
11.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	5	1648.08	23026	23011	0	46037	673.24	974.83	168.31	168.31
		नागपुर	3	219.51	5121	0	0	5121	84.10	135.48	21.02	21.02
		नाशिक	8	334.25	16000	0	0	16000	150.82	183.44	37.70	37.71
		नांदेड	1	87.06	4132	0	0	4132	66.33	20.73	16.58	16.58
		पुणे	15	766.67	29288	0	0	29288	362.08	404.59	90.52	90.52
		उप-योग	32	3055.63	77567	23011	0	100578	1336.57	1719.07	334.14	334.15
12.	नागालैंड	कोहिमा	1	134.50	0	3504	0	3504	105.60	28.90	26.40	26.40
		उप-योग	1	134.50	0	3504	0	3504	105.60	28.90	26.40	26.40
13.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	1	107.71	5337	0	0	5337	84.57	23.14	21.14	21.14
		जयपुर	1	169.43	12000	0	0	1200	84.63	84.81	21.16	21.16
		उप-योग	2	277.14	17337	0	0	17337	169.20	107.95	42.30	42.30
14.	तमिलनाडु	चेन्नई	12	304.91	13222	0	685	13907	119.66	185.25	29.91	29.91
		कोयम्बटूर	4	355.15	16470	0	0	16470	161.50	193.65	40.37	40.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		मदुरै	3	170.20	13644	0	0	13644	78.51	1.69	1963	19.63
		उप-योग	19	830.26	43336	0	685	44021	35.67	470.59	89.92	89.92
15.	त्रिपुरा	अगरतला	1	16.3	256	0	0	256	13.96	2.77	3.49	3.49
		उप-योग	1	16.73	256	0	0	256	13.96	2.77	3.49	3.49
16.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	1	3.34	264	0	0	264	1.52	1.82	0.38	0.38
		लखनऊ	1	32.53	1632	0	0	1632	14.78	17.74	3.70	3.70
		मथुरा	1	4.58	240	0	0	240	3.33	1.25	0.83	0.83
		मेरठ	1	32.84	2000	0	0	2000	14.93	17.91	3.73	3.73
		कानपुर	1	8.85	544	0	0	544	4.02	4.83	1.01	1.01
		उप-योग	5	82.13	4680	0	0	4680	38.58	43.55	9.64	9.64
17.	पश्चिमी बंगाल	कोलकाता	41	925.19	46781	3136	0	49917	435.73	489.46	108.3	106.96
		आसनसोल	4	244.31	6395	4000	0	10395	120.81	123.50	30.20	30.21
		उप-योग	45	1169.50	53176	7136	0	60312	556.54	612.6	139.14	137.17
मिशन अवधि का कुल योग		38 शहर	169	10464..29	296482	220441	685	517608	5208.16	5256.13	1302.18	1134.13

[हिन्दी]

अनुसंधान कार्यक्रम हेतु विदेशी धनराशि

1910. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए अन्य देशों के लिए अन्य देशों से धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विदेशों से प्राप्त धनराशि करने संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) विदेशों से प्राप्त उक्त धनराशि का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विदेशी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण

1911. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्पादन और निवेश हेतु सरकारी बैंकों के लिए ऋण संवितरण लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ ऋण संवितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार ने 18 जून, 2004 को कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप के लिए ऋण उपलब्धता तीन वर्षों में अर्थात 2004-05 से 2006-07 तक दोगुनी करने के लिए, एक पैकेज की घोषणा की है। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, 2005-06 से 2007-08 तक सभी बैंकों के लिए कृषि ऋण लक्ष्य निम्नलिखित है:-

वर्ष	लक्ष्य
2005-06	1,41,000
2006-07	1,75,000
2007-08	2,25,000

(ग) कृषि हेतु ऋण संवितरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण बुनियादी स्तर पर 7 प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर पर संवितरित किए जा रहे हैं।
* वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पिछले तीन वर्षों से प्रतिवर्ष 50 लाख नए किसानों को ऋण देने की सलाह दी गई है।
* बैंकों को कृषि ऋणों हेतु कागजी कार्यवाही प्रक्रिया को सरल करने का सुझाव दिया गया है।
* 50,000 रुपए तक के ऋण के लिए सम्पार्श्विक और मार्जिन की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

इसके साथ-साथ इस राशि के लिए अदेयता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक की नई ऋण नीति

1912. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नई ऋण नीति की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपना वार्षिक नीति वक्तव्य 24 अप्रैल, 2007 को जारी किया था और मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक विवरण की प्रथम तिमाही समीक्षा 31 जुलाई, 2007 की है। वार्षिक नीति वक्तव्य और प्रथम तिमाही समीक्षा का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.आरबीआई.ओआरजी.इन पर उपलब्ध है। आने वाले समय में मौद्रिक नीति का समग्र उद्देश्य रूप से निम्नलिखित होगा:-

* अर्थव्यवस्था में निर्यात एवं निवेश मांग में सहायक मौद्रिक एवं ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करते हुए कीमत स्थिरता एवं सुनियोजित एवं विश्वसनीय मुद्रा-स्फीति की प्रत्याशाओं पर बल को मजबूती प्रदान करना, ताकि वृद्धि की गति को जारी रखा जा सके।
* अधिक ऋण प्रदान किए जाने तथा वित्तीय समावेशन का साथ-साथ अनुसरण करते हुए समष्टि आर्थिक और विशेषत: वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए वित्तीय बाजारों में ऋण गुणवत्ता एवं व्यवस्थित दशाओं पर पुन: बल देना।
* मुद्रा-स्फीति संबंधी प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति को प्रभावित करने वाली उभरती हुई वैश्विक एवं घरेलू स्थिति के लिए उपयुक्त सभी संभव उपायों सहित तुरंत प्रतिक्रिया।

[हिन्दी]

दिल्ली स्थित द्वारका में दूतावास भवन का निर्माण

1913. **श्री अवतार सिंह भड़ाना:**
श्री सज्जन कुमार:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों को चाणक्यपुरी में भूमि की कमी के कारण द्वारका में दूतावास भवनों के निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठाता।

[अनुवाद]

विद्युत प्रशुल्क

1914. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत की उच्च दरों के क्या कारण है;

(ख) क्या प्रशुल्क निर्धारण में विश्व बैंक नीतियों का कोई प्रभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास विकसित देशों के विद्युत प्रशुल्क से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा चार्ज किए जाने वाले विद्युत टैरिफ का निर्धारण करना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस ई आर सी) का सांविधिक कार्य है। ऐसा करने में एसईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 में समाविष्ट प्रावधानों से निर्देशित होते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वे घटक शामिल हैं जो प्रतिस्पर्धा, कुशलता, संसाधनों के किफायती इस्तेमाल तथा उपभोक्ता हितों के संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे साथ ही विद्युत लागत की उचित तरीके से वसूली, क्रास सब्सिडियों में कमी तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति को सुनिश्चित करेगी। विभिन्न स्टेकहोल्डरों को सुनने के पश्चात पारदर्शी तरीके से एसईआरसी से टैरिफ का निर्धारण अपेक्षित है।

उपभोक्ता को आपूर्ति विद्युत की लागत में समूची थोक बिजली की खरीद लागत, पारेषण लागत तथा वितरण को आपूर्ति कंपनियों (डिस्काम) की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय उपलब्धि, अर्थात् समेकित तकनीकी एवं व्यवसायिक (ए टी एवं सी) हानि प्रचालनात्मक व्यय प्रणाली उन्नयन/संबंर्धन हेतु सब्सिडी इत्यादि शामिल है। तदनुसार भिन्न-भिन्न डिस्कॉम क्षेत्रों और उसी डिस्कॉम क्षेत्र के अन्दर भी उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच भी टैरिफ में अन्तर हो सकता है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यूएसए, जापान, चीन (ताइपे), फ्रांस एव यूनाइटेड किंगडम (यूके) में औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के फुटकर मूल्य निम्नवत थे:-

क्रम	देश का नाम	औद्योगिक उपभोक्ता		घरेलू उपभोक्ता	
		मूल्य यूएस डॉलर/कि.वा.घं.	मूल्य रुपये/कि.वा.घं.	मूल्य यूएस डॉलर/कि.वा.घं.	मूल्य रुपये/कि.वा.घं.
1.	यूएसए	0.0549	2.25	0.0961	3.94
2.	जापान	0.1272	5.21	0.1963	8.05
3.	चीन (ताइपे)	0.0512	2.10	0.0690	2.83
4.	फ्रांस	0.0483	1.98	0.1365	5.59
5.	यूके	0.1003	4.11	0.1580	6.47

*तुलनात्मक प्रयोजनों के लिए उपर्युक्त परिवर्तन 1 यूएस डॉलर=41.00 रु. की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए किया गया है।

माध्यस्थम, सुलह और बीच-बचाव केन्द्र

1915. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मामलों की लंबित स्थिति को कम करने के लिए देश भर के उच्च न्यायालयों में माध्यस्थम, सुलह और बीच-बचाव केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर छापे

1916. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में आयकर छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। अप्रैल, 2002 से कन्याकुमारी जिले में आठ समूहों में तलाशियां ली गई थी।

(ख) तलाशियों के फलस्वरूप परिसम्पत्तियों एवं बही खातों की जब्तियां की गई।

(ग) मामलों के इन समूहों की आय के निर्धारण के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बैंकों की शाखाएं खोला जाना

1917. श्री कीरेन रिजीजू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बैंकों की शाखाएं खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार/जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी की सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों के साथ दिनांक 19.4.2007 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा गया था कि अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले पहचान किए गये जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। बैंकों से यह भी कहा गया था कि नई शाखाओं के लिए अपने प्रस्ताओं को अंतिम रूप देकर भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे। मौजूदा शाखा प्राधिकार नीति के तहत बैंकों को ग्रामीण एवं अल्प बैंकिंग सुविधा वाले जिलों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिले शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 16.7.2007 के अपने परिपत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 121 अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों, जिनमें न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक जनसंख्या है, की सूची भेजी है, जिसका विशेष उद्देश्य अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता पर निगरानी रखना है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की एक समान मात्रा मिलना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भेजी गई अल्पसंख्यक बहुलता वाले 121 जिलों की सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों की राज्य वार/जिले-वार सूची

राज्य/सं.शा.क्षेत्र	जिले
1	2
अंडमान	
	1. निकोबार
	2. अंडमान
आंध्र प्रदेश	
	3. हैदराबाद
अरूणाचल प्रदेश	
	4. तवांग
	5. चंगयांग

1	2
	6. तिराप
	7. पश्चिमी कमेंग
	8. पारम पारे
	9. लोअर सुवनसिरि
	10. पूर्वी कमेंग
असम	
	11. धुबरी
	12. गोलपारा
	13. बरपेटा
	14. हेलाकांडी
	15. करीमगंज
	16. नागांव
	17. मारीगांव
	18. दरांग
	19. बोंगईगांव
	20. कचार
	21. कोकराझार
	22. नॉर्थ कछार हिल्स
	23. कामरूप
बिहार	
	24. किशन गंज
	25. कटिहार
	26. अरेरिया
	27. पूर्णिया
	28. सीतामढ़ी
	29. दरभंगा
	30. पश्चिमी चपारन

1	2
दिल्ली	
	31. मध्य
	32. उत्तर पूर्व
गोवा	
	33. दक्षिण गोवा
	34. गुड़गांव
	35. सिरसा
हिमाचल प्रदेश	
	36. लाहोल और स्पीति
	37. किन्नौर
जम्मू और कश्मीर	
	38. लेह (लद्दाख)
झारखंड	
	39. पकोड़
	40. साहिबगंज
	41. गुमला
	42. रांची
कर्नाटक	
	43. दक्षिण कन्नड़
	44. बिदार
	45. गुलबर्ग
केरल	
	46. मालापुरम
	47. एर्नाकुलम
	48. कोटटायम
	49. इदुकी
	50. वयनाड

1	2
	51. पत्तनमतिट्टा
	52. कोजीकोड़
	53. कासरगॉड
	54. त्रिशूर
	55. कन्नूर
	56. कोल्लम
	57. तिरूवनंतपुरम
	58. पालकाड
	59. अलापुझा
मध्य प्रदेश	
	60. भोपाल
महाराष्ट्र	
	61. अकोला
	62. मुम्बई
	63. औरंगाबाद
	64. मुम्बई (सबअर्बन)
	65. अमरावती
	66. बलदाना
	67. परभनी
	68. वसीम
	69. हिंगोली
मणिपुर	
	70. तमेनगोंग
	71. उखुर्ल
	72. चुरचांदपुर
	73. चंदेल
	74. सेनापति

1	2
	75. तोबाल
मेघालय	
	76. पश्चिम गारो हिल्स
मिजोरम	
	77. लावगंली
	78. ममित
उड़ीसा	
	79. गजपति
पांडिचेरी	
	80. माहे
राजस्थान	
	81. गंगानगर
सिक्किम	
	82. उत्तर
	83. दक्षिण
	84. पूर्व
	85. पश्चिम
तमिलनाडु	
	86. कन्या कुमारी
उत्तर प्रदेश	
	87. रामपुर
	88. बिजनौर
	89. मुरादाबाद
	90. सहारनपुर
	91. मुजफ्फर नगर
	92. मेरठ
	93. बहरायच

1	2
94.	बलरामपुर
95.	गाजियाबाद
96.	पीलीभीत
97.	बरेली
98.	सिद्धार्थ नगर
99.	श्रावस्ती
100.	ज्योतिबा फूले नगर
101.	बागपत
102.	बुलंदशहर
103.	शाहजहांपुर
104.	बदायूं
105.	बाराबंकी
106.	खेरी
107.	लखनऊ
उत्तरांचल	
108.	हरद्वार
109.	उद्यम सिंह नगर
पश्चिम बंगाल	
110.	मुर्शिदाबाद
111.	मालदा
112.	उत्तर दीनाजपुर
113.	बीर भूम
114.	दक्षिण 24-परगना
115.	नादिया
116.	दक्षिण दीनाजपुर
117.	हावड़ा
118.	उत्तर 24 परगना
119.	कूच बिहार
120.	कोलकत्ता
121.	वर्धमान

आई.डी.बी.आई. से उद्यमियों को ऋण

1918. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) को उद्यमियों से ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान आई.डी.बी.आई. द्वारा उद्यमियों का उलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) आई.डी.बी.आई. द्वारा विस्तारण, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए उपस्कर वित्त, अल्पावधि ऋण, आदि के लिए उधमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का वर्षवार ब्यौरा; पिछले तीन साल के दौरान स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या और वितरित राशि निम्नांकित है:-

क्र.सं.	विशिष्ट	2004-05	2005-06	2006-07
1.	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	551	777	651
2.	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	292	462	400
3.	प्रदान की गई राशि (संवितरित)(करोड़ रुपए में)	6,071	13,578	14,592

सोसायटियों को आबंटित भूमि

1919. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डीडीए से भूमि आबंटन प्राप्त दिल्ली की सोसायटियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमि के आबंटन की निबंधन और शर्तें क्या है;

(ग) क्या डीडीए द्वारा आबंटन के समय सोसायटियों की प्रामाणिकता की जांच की गई है;

(घ) क्या उक्त सोसायटियों ने निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया और इस संबंध में लगाए गए किसी जुर्माने अथवा की गई किसी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में किस किस्म की कार्रवाई की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने सितंबर, 2004 से अब तक निम्नलिखित सोसाइटियों को धार्मिक प्रयोजनों तथा सामुदायिक हाल के लिए दिल्ली में पट्टे के आधार पर तथा अलग-अलग जोनल दरों पर भूमि आवंटित की है:-

क. धार्मिक श्रेणी

1. गुरु सिंह सभा
2. विष्णु धार्मिक सभा
3. राजयोग एजूकेशन एण्ड रिसर्च
4. दिल्ली मार्थोमा चर्च
5. मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया
6. नानकसर ठाट ईश दरबार

ख. सामुदायिक हाल

7. सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीयल वर्कर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी (सीएचबीएस)
8. नेशनल सीएचबीएस
9. श्रेष्ठ विहार सीएचबीएस
10. श्याम सीएचबीएस
11. गवर्नमेंट टीचर्स सीएचबीएस

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि उपर्युक्त सोसायटियों के संबंध में आवंटन की किसी भी शर्त के उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पृथक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना

1920. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए पृथक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पृथक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करने के पीछे क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक विशेष मंच की आवश्यकता को स्वीकार करता है क्योंकि विद्यमान मंच उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशिष्ट रूप से संरचित नहीं किए गए हैं। तथापि, इसने उनके लिए पृथक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को अनुमोदित नहीं किया है।

[हिन्दी]

एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत कार्य दिवसों में वृद्धि

1921. **श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री अनवर हुसैन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के कार्यान्वयन की कमियों के कारण विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों से श्रमिकों के अपने गांवों से शहरों की ओर पलायन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करने हेतु 100 दिनों की वर्तमान कार्यदिवस संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एनआरईजी अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार, जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। तथापि, कामगार अधिनियम के तहत गारंटीयुक्त रोजगार के अलावा किसी अन्य तरह का रोजगार शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम और राष्ट्रमंडल खेल-गांव के बीच सुरंग

1922. श्री रशीद मसूद: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम और राष्ट्रमंडल खेलगांव के बीच बनाई जाने वाली प्रस्तावित सुरंग के संबंध में सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग (डी.यू.ए.सी.) ने इस प्रस्तावित सुरंग का अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सरकार ने ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित नहीं की है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के अलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली नगर कला आयोग ने प्रस्तावित सुरंग के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

(घ) दिल्ली नगर कला आयोग ने विभिन्न समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के विचारार्थ सुरंग हेतु चार वैकल्पिक एलाइन्मेंटों का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वैकल्पिक एलाइन्मेंटों पर विचार किया। दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा सुझाए गए नवीनतम एलाइन्मेन्ट का उत्तर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 16.8.2007 का भेजा गया है।

ग्रामीण विकास परियोजनाओं को पूरा किया जाना

1923. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु समय बढ़ाए जाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य जनजातीय बहुल राज्यों विशेषकर झारखंड को विशेष पैकेज देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत धनराशि कब तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर राज्यों और झारखण्ड के साथ-साथ देशभर में, कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इनमें से कई कार्यक्रमों में परियोजना आधारित कार्यान्वयन रीति का प्रावधान है। जब कभी परियोजना को बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त होता है तो उन पर मामला-दर-मामला आधार पर, दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है। वर्तमान में,

पूर्वोत्तर राज्यों और झारखण्ड को विशेष पैकेज देने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों द्वारा शुल्क अपवंचन

1924. श्री मोहन सिंह:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने करोड़ों रूपए का कर अपवंचन किया है, जैसा कि दिनांक 13 अगस्त, 2007 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनियों द्वारा कर अपवंचन के लिए क्या कार्य पद्धति अपनाई गई;

(ग) क्या आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत विदेशी कंपनियों की घोषित आय की संवीक्षा की जाती है। ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप विदेशी कंपनियों के कुछ मामलों में कुल आय में वृद्धि की गई है। दिनांक 31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार मांगे गए अतिरिक्त कर एवं ऐसी विदेशी कंपनियों से बकाये की राशि 8020 करोड़ रु. है।

उनके स्थाई संस्थापन होने, व्ययों को अनुमति न देने एवं कर कर संधियों की व्याख्या के संबंध में अंतर होने के आधार पर कतिपय आय की कराधेयता के परिणामस्वरूप कुल आय में वृद्धि हुई है। अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमों के कारण आय में कतिपय समायोजन किए गए हैं।

(ग) से (ङ) आयकर विभाग ने ऐसे सभी मामलों में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कर मांग की अदायगी के लिए नोटिस जारी किए हैं। बकाया मांग की वसूली के लिए कानून के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी इक्विटी

1925. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 2004, 2005, 2006 और 2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में सरकार की इक्विटी का अनुपात कितना है;

(ख) क्या विभिन्न बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की योजनाएं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में 31 मार्च, 2004, 2005, 2006 तथा 2007 की स्थिति के अनुसार धारित इक्विटी के प्रतिशत का ब्यौरा विवरण में दी गई है। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 3 (2ख) (ग) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, हर समय, राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुकता पूंजी, जिसमें इक्विटी शेयर शामिल हो, का न्यूनतम 51 प्रतिशत धारित करेगी। इसी प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, हर समय, स्टेट बैंक की निर्गमित पूंजी का न्यूनतम 55 प्रतिशत धारित करेगी। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों में सरकार कोई भी शेयर धारित नहीं करती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धारित अपने शेयरों को बेचने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अपने आस्ति एवं निवेश पोर्टफोलियों में वृद्धि के समनुरुप अपनी विनियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक निर्गमों के जरिए अतिरिक्त शेयर जारी करके, जब कभी भी आवश्यक हो तथा सांविधिक उपबंधों के अधीन, इक्विटी पूंजी जुटाते हैं। हालांकि सरकार की इक्विटी की राशि में कोई कमी नहीं आई है, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम, फॉलो-ऑन सार्वजनिक निर्गम के जरिए अतिरिक्त इक्विटी पूंजी जुटाने से इन बैंकों में सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता कम होती है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में केन्द्र सरकार की धारिता (विगत चार वर्षों के लिए प्रतिशतता-वार)

सरकार की पूंजी (% शेयरधारिता)

बैंक समूह	बैंक का नाम	31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2007
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीयकृत बैंक	इलाहाबाद बैंक	71.16	71.16	55.23	55.23
	आन्ध्रा बैंक	62.50	62.50	51.55	5155
	बैंक आफ बड़ौदा	66.83	66.83	53.80	53.80
	बैंक आफ इंडिया	69.47	69.47	69.47	69.47
	बैंक आफ महाराष्ट्र	76.77	76.77	76.77	76.77
	केनरा बैंक	73.17	73.17	73.17	73.17
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	100.00	100.00	100.00	100.00
	कार्पोरेशन बैंक	57.17	57.17	57.17	57.17
	देना बैंक	70.99	51.19	51.19	51.19
	आईडीबीआई लि.	—	58.48	52.75	52.71
	इंडियन बैंक	100.00	100.00	100.00	80.00
	इंडियन ओवरसीज बैंक	61.23	61.23	61.23	61.23
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	66.48	66.48	51.09	51.09
	पंजाब एंड सिंध बैंक	100.00	100.00	100.00	100.00
	पंजाब नैशनल बैंक	80.00	57.80	57.80	57.80
	सिंडिकेट बैंक	73.52	73.52	66.47	66.47
	यूको बैंक	74.98	74.98	74.98	74.98
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	60.85	60.85	55.43	55.43
	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.00	100.00	100.00	100.00
	विजया बैंक	53.87	53.87	53.87	53.87
भारतीय स्टेट बैंक समूह	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
	भारतीय स्टेट बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	0.00	0.00	0.00	0.00

स्रोत: स्वस्लेतर विवरणियां (भरेलू परिचालन)

टिप्पणी: उपर्युक्त सभी अवधियों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों में 59.73% धारिता थी, जिसे 29 जून, 2007 को भारत सरकार को अंतरित कर दिया गया था।

पोस्त की खेती के लिए स्मार्ट कार्ड परियोजना

1926. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में पोस्त उत्पादकों के लिए स्मार्ट कार्ड परियोजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है;

(ग) इसमें अंतर्निहित जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य पोस्त उत्पादक राज्यों में स्मार्ट कार्ड परियोजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पोस्त का उत्पादन करने वाले तीन राज्यों-मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्त उत्पादकों को माइक्रोप्रोसेसर चिप आधारित स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए स्मार्ट कार्ड परियोजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। तथापि, चूंकि हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटियां जिन्हें परियोजना कार्यान्वित करने वाले मै. स्मार्ट चिप लि. द्वारा संतोषप्रद ढंग से दूर नहीं किया जा सका, के कारण केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा परियोजना से इसकी एकतरफा वापसी की घोषणा कर दी और सभी स्थानों से सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया जिसके परिणामस्वरूप कार्य में रुकावट आ गई। चूंकि परियोजना कार्यान्वनकर्ता ने बार-बार स्मरण कराने के बावजूद बैंक गारंटी का भी नवीकरण नहीं किया, इसलिए केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने बैंक को बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए लिखा जिस पर मै. स्मार्ट चिप ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है और मामला न्यायाधीन है।

(ख) स्मार्ट कार्ड परियोजना इसलिए शुरू की गई थी समायोजन, माप, प्रारंभिक माप रजिस्टर जांच, उखाड़ना तथा माप करना तथा आंकड़ों का संग्रहण और समर्पित सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए रिपोर्ट बनाना जैसे खेती के विभिन्न कार्य के दौरान अफीम पोस्त उत्पादकों के सम्पूर्ण आंकड़ा संग्रहण को डिजिटल बनाया जा सके।

(ग) स्मार्ट कार्ड प्रणाली में पोस्त उत्पादकों की अनिवार्य सूचनाएं होती है, जैसे नाम, गांव, लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र, फसल क्षेत्र, अफीम उपज, गांव का औसत उत्पादन, लम्बरदार का नाम, उत्पादक की पिछले वर्ष की उपज और गांव में उत्पादकों की संख्या, क्षेत्र प्रभाग ओर यूनिट स्तर।

(घ) और (ङ) स्मार्ट कार्ड परियोजना को अफीम उत्पादक सभी तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तथापि उपर्युक्त (क) के उत्तर में दी गई स्थिति को देखते हुए और मामले के न्यायाधीन होने के कारण परियोजना शुरू नहीं की गई।

उत्पाद शुल्क अपवंचन के लंबित मामले

1927. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंधित बड़ी संख्या में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आकलन के मामले, जिनमें भारी धनराशि अंतर्ग्रस्त है, दो वर्षों से ज्यादा से अंतिम निपटान हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या प्रतिष्ठानों को भारी राजस्व से जुड़े अंतरिम आकलन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए अनुदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मै. आई टी सी लि. और इसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ लंबित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का ब्यौरा क्या है और ये कितने वर्षों से लंबित हैं तथा धनराशि की वसूली के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों द्वारा ऋण का वितरण

1928. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त ऋणों पर ब्याज दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण पर ब्याज दर कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सहकारी बैंकों (सीबी) तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अभिकरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
सीबी	31,231	39,404	42,480	13,160
पीएसबी	65,218	94,278	1,14,478	24,020

*30 जून, 2007 तक (आंकड़े अनंतिम)

किसानों द्वारा खरीफ एवं रबी 2005-06 के लिए प्राप्त किए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए, 1,00,000/- रुपये तक के मूलधन पर उधारकर्ता की देयता के दो प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि उनके खाते में जमा की गई थी। खरीफ 2006 से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान को 3 लाख रुपये की उच्चतम सीमा के साथ मूल राशि पर 7% पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से अपनी उधार राशियां लेने पर किफायती दर पर पुनर्वित प्रदान कर रही है।

कोटा ताप विद्युत संयंत्र

1929. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कोटा ताप विद्युत संयंत्र की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(घ) संयंत्र के विस्तार के पश्चात कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) राजस्थान में कोटा थर्मल पावर प्लांट की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 1045 मेगावाट है।

(ख) से (घ) जी, हां। कोटा थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता को 880 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 195 मेगावाट की एक यूनिट संस्थापित करके विस्तार करने का प्रस्ताव है। मै. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. ने 30.6.2006 को मुख्य संयंत्र के लिए मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. को आदेश सौंप दिया है। दिनांक 7.2.2006 को पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। 0.9 मिलियन टन प्रति वर्ष के लिए मै. साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लि. से कोल लिंकेज भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

टी एस सी के अन्तर्गत संचार और क्षमता विकास

1930. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत संचार और विकास इकाई की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संचार और क्षमता विकास इकाई की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार को अब तक 277.86 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं हेतु नीति निर्देश

1931. श्री के.एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म वित्त संस्थाओं वित्त पोषण को सुदृढ़ और विनियमित करने के लिए नीति निर्देश तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार ने देश में व्यष्टि वित्त सेवाओं के लिए वातावरण अनुकूल नीति तैयार करने के लिए दिनांक 20.3.2007 को लोक सभा में एक विधेयक "व्यष्टि वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियम) विधेयक, 2007" पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य व्यष्टि वित्तीय क्षेत्र के उन्नयन, विकास और विनियम के लिए औपचारिक संवैधानिक ढांचा प्रदान करना है। इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार है:-

(1) व्यष्टि वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन के कार्य को राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (राष्ट्रीय बैंक) को सौंपना;

(2) व्यष्टि वित्त के क्रियाकलाप में लगे हुए सहकारी सोसायटियों, आदि जैसे विभिन्न अस्तित्वों को परिभाषित करना;

(3) व्यष्टि वित्त सेवाओं के हिताधिकारियों के विभिन्न प्रवर्गों को, पात्र ग्राहकों के रूप में परिभाषित करना जिनके अंतर्गत स्व-सहायता समूह या ऐसे पात्र ग्राहकों के संयुक्त दायित्व समूह सम्मिलित है;

(4) राष्ट्रीय बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यष्टि वित्त संगठनों द्वारा पात्र ग्राहकों से बचत अर्थात चालू लेखा या मांग निक्षेप लेखा के रुप से भिन्न बचतों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, स्वीकार किए जाने का उपबंध करना;

(5) बचत का संग्रहण करने के लिए अनुमति दिए जाने हेतु व्यष्टि वित्त संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करना;

(6) आरक्षित निधि के सृजन और लेखाओं को बनाए रखने तथा व्यष्टि वित्तीय संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नियतकालिक विवरणियों का उपबंध करना;

(7) बचत सेवाओं और व्यष्टि वित्तीय सेवाओं के संबंध में राष्ट्रीय बैंक के कृत्यों और शक्तियों का उपबंध करना;

(8) पात्र ग्राहकों और व्यष्टि वित्तीय संगठनों के बीच विवादों के परिनिर्धारण के लिए एक या अधिक व्यष्टि वित्त ओमबड्समैन की नियुक्ति के लिए स्कीम की विरचना करने हेतु राष्ट्रीय बैंक को सशक्त करना;

(9) विधेयक के प्रयोजनों का कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाने हेतु राष्ट्रीय बैंक को सशक्त करना।

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान

1932. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संस्थानों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां, देश के कुछ भागों में। फिर भी, तमिलनाडु से राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग)

(1) 2008 तक फरीदाबाद में जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यूनेस्को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रवर्तन क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

(2) 1 अप्रैल, 2007 से जैवप्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था के स्वरूप में राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आर जी सी बी), त्रिवेन्द्रम का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

भू-ताप ऊर्जा

1933. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित ''रेस टु सेन्टर ऑफ द अर्थ टु हार्नेस इनर्जी'' समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हां। 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में दिनांक 6 अगस्त, 2007 को प्रकाशित समाचार 'रेस टु सेन्टर ऑफ द अर्थ टु हार्नेस इनर्जी' का संबंध स्वीटजरलैंड में विद्युत उत्पादन के लिए मैसर्स जीओपार बेसल द्वारा पृथ्वी के अंदर बेसल द्वारा पृथ्वी के अंदर की हीट के दोहन के लिए भू-पटल की गहरी खुदाई से संबंधित है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विद्युत उत्पादन और प्रत्यक्ष ताप दोनों ही अनुप्रयोगों के लिए देश में भूतापीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संभाव्यता वाले स्थानों पर भूतापीय ऊर्जा हेतु संसाधन मूल्यांकन किया गया है। तथापि, विद्युत उत्पादन हेतु भूतापीय ऊर्जा की खोज हेतु अब तक कोई गहरी खुदाई नहीं की गई है।

एमआरटीपी से संबंधित मामले

1934. श्री रनेन बर्मन: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम आर टी पी सी) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से संबंधित मामलों को लेखा-जोखा नहीं रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहारों से संबंधित मामलों को लेखा-जोखा हेतु रजिस्टर रखता है।

हिमाचल प्रदेश के लिए पैकेज

1935. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए एक विशेष विकास पहल की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक इस पैकेज में कितनी धनराशि रखी गई है; और

(घ) आज की तारीख तक सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I के अनुसार।

(ग) विवरण-II के अनुसार।

(घ) विवरण-III के अनुसार।

विवरण I

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के दिनांक 28 मई, 2005 को हिमाचल प्रदेश दौरे के दौरान, राज्य सरकार ने विभिन्न विकासात्मक मामलों से संबंधित एक ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री को सौंपा था। माननीय प्रधानमंत्री ने 28 मई, 2005 को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा रखी गई मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया में हिमाचल प्रदेश के लिए बुनियादी विकासात्मक अवसंरचना को सुदृढ़ करने, जन-जीवन स्तर में सुधार लाने तथा अत्यधिक ऋण भार से निपटने में राज्य सरकार को सहायता देने की दिशा में मूलत: एक "विशेष विकासात्मक पहल" करना शामिल था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए मामलों पर कार्यान्वयन की क्षेत्र-वार ताजी वस्तुस्थिति, केन्द्र से प्राप्त प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया निम्नवत है:-

क. रेल

1. भानुपल्ली से बिलासपुर (110 कि.मी.)-इस बारे में रेलवे से बात की जाएगी।
2. नांगल से तलवाड़ा-निर्माण कार्य में गति लाई जाएगी और वर्ष 2008 तक कार्य समाप्त कर लिया जाएगा।
3. चंडीगढ़-बद्दी-दिसम्बर, 2005 तक सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

ख. मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)

1. 3 विश्वविद्यालयों के अवसंरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिए अनुदान—इस प्रयोजनार्थ 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

ग. पेयजल

- आंशिक तौर पर कवरित 6000 इलाकों को वर्ष 2007 तक सार्वभौमिक कवरेज में शामिल करने के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत विशेष परियोजना की शुरूआत की जाएगी।
- इस पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

घ. सड़क संपर्क

- लगभग 250 की जनसंख्या वाली 410 पंचायतों को कवर करने के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत 200 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

ङ. हवाई अड्डे

1. कांगड़ा हवाई अड्डा-हवाई पट्टी का 400 फीट विस्तार किए जाने से इस पर 45 सीटर ए.आर.टी. विमान उतारा जा सकेगा।
2. कुल्लू हवाई अड्डा-हवाई पट्टी का विस्तार किया जा रहा है। संपर्क उपकरण लगाए जाएंगे।

- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी।

च. योजना

- वर्ष 2005-06 के लिए 400 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता दी जाएगी।

छ. विद्युत

- एन.एच.पी.सी. परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की इक्विटी 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इससे राज्य को अधिक लाभ मिलेंगे।

ज. वित्तीय पुनर्संरचना

- अपने ऋण भार घटाने के लिए हिमाचल प्रदेश को संरचनात्मक समायोजन सुविधा ऋण के माध्यम से मदद दी जाएगी।

झ. सिंचाई

- यदि राज्य दूरस्थ क्षेत्रों में सघन सिंचाई के लिए प्रस्ताव भेजता है तो भारत सरकार सहानुभूतिपूर्वक इसकी जांच करेंगी।

विवरण II

प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी निधियां

क्र.सं.	एस.डी.आई. के घटक	घोषणा के वित्तीय भार (करोड़ रुपए में)	हिमाचल प्रदेश सरकार को 31.07.2007 तक जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	**रेल:**		
	(क) 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली बिलासपुर से भानुपल्ली रेल लाइन का एक राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर पूरा वित्तपोषण	766.70*	शून्य
	(ख) 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली नांगल तलवाड़ा बड़ी रेल लाइन को तीव्र गति से पूरा करना	400.00	125.61 (रेलवे को)
	(ग) वर्ष 2005 तक बद्दी-चंडीगढ़ बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा करना (300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत)	328.14	शून्य
	(घ) बद्दी में इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना	सी.ओ.एन.सी.ओ. आर. द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद ही पता चल पाएगा	शून्य
2.	राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में अवसंरचना स्तरोन्नयन किया जाना (20 करोड़ रुपए)	20.00	25.06
3.	वर्ष 2007 तक पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत 6000 पी. सी. इलाको का कवरेज (518 करोड़ रुपए की अनुमनित लागत)	518.00	263.93
4.	पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत लगभग 250 की जनसंख्या वाली 257 असंयोजित पंचायतों को जोड़ना (200 करोड़ रुपए)	200.00	254.17
5.	(क) कांगड़ा तथा कुल्लू हवाई अड्डों पर हवाई पट्टियों का विस्तार तथा कुल्लू हवाई अड्डे पर संपर्क टावर की स्थापना (100 करोड़ रुपए)	100.00	शून्य
	(ख) हेलिकॉप्टरों की अधिप्राप्ति अथवा हेलिकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए प्रति हेलिकॉप्टर 1 करोड़ रुपए का व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण	जब भारत सरकार निर्णय लेगी तभी पता चल पाएगा	

1	2	3	4
6.	8 से 10 नामित पर्यटन सर्किटों के लिए एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना	97.00	15.90
7.	विशेष योजना सहायता दिया जाना	400.00	400.00 (निर्बन्ध)
8.	एस.जे.वी.एन. परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की इक्विटी को मौजूदा 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना	सरकारी घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा	शून्य
9.	राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में डी.टी.एच., डिश एन्टीनों का आपूर्ति (संख्या 20,000)	6.00 (लगभग)	शून्य
10.	राज्य के ऋण को कम करने के लिए संरचनात्मक समायोजन सुविधा ऋण	सरकारी घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा	शून्य
11.	सघनता आधारित सिंचाई स्कीमें	242.00	30.39
	कुल	3077.84**	1115.06**

* आरंभिक अनुमान 1200.00 करोड़ रुपए के थे जो रेलवे द्वारा किए वास्तविक सर्वेक्षण के बाद 766.70 करोड़ रुपए पर आ गए।

**इन आंकड़ों में क्रम सं. क्रम सं. 1(घ), 8 तथा 18 पर उल्लिखित घोषणाओं के वित्तीय निहितार्थ के आंकड़े शामिल नहीं है। इन घोषणाओं की जब वास्तविक धनराशि मिलेगी तब उन आंकड़ों को शामिल करने से कुल आंकड़ा लगभग 4200.00 करोड़ रुपए हो जाएगा।

विवरण III

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित परियोजनाओं की स्थिति

1. रेल परियोजना

(क) भानुपल्ली से बिलासपुर रेल लाइन- 63.1 कि.मी. रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा इस कार्य पर आने वाली लागत का अनुमान 766.70 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ख) नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन- नांगल बांध तथ चुरूरू-तकराला (33 कि.मी.) के बीच रेल लाइन को पूरा कर लिया गया है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है। चुरुरू-तकराला से अम्ब अंदौरा (11 कि.मी.) के अगले खण्ड में भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इस रेल लाइन के लिए वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय रेल बजट में 22.08 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

(ग) **चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन**- रेल बजट 2007-08 में घोषणा की गई।

2. **तीन विश्वविद्यालयों की अवसंरचना का स्तरोन्नयन**- राज्य के तीन विश्वविद्यालयों ने अवसंरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणाओं की तुलना में केन्द्रीय सहायता के तौर पर 25.06 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की।

3. **पेयजल सुविधाएं**- भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 से जुलाई, 2007 की अवधि के बीच 263.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

4. **सड़क संपर्क**- 254.17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 166 पंचायतों को जोड़ने वाली 162 सड़क परियोजनाएं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्वीकृत की गई। इन अनुमोदनों के साथ, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को मूर्त रूप दिया गया।

5. **हवाई अड्डे**- (क) कांगड़ा हवाई अड्डा-हवाई पट्टी का 400 फीट विस्तार कार्य पूरा हुआ (ख) कुल्लू हवाई अड्डा-हवाई पट्टी का विस्तार किया जा रहा है। संपर्क उपकरण अभी लगाए जाने बाकी है।

6. **पर्यटन**- पर्यटन सर्किटों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की ओर से सहायता दी गई।

7. **योजना**- प्रधानमंत्री घोषणा के अनुसार विशेष योजना सहायता निर्बंध की गई।

8. **विद्युत**- रामपुर हाइडल परियोजना, जिस पर भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में एस.जे.वी.एन. द्वारा स्थापित किए जाने पर सहमति हुई है, के मामले में भारत सरकार एन.जे.पी.सी. में इक्विटी सीमा को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने पर ''सैद्धांतिक'' तौर पर सहमत हो गई है।

9. **वित्तीय पुनर्संरचना**- हिमाचल प्रदेश के लिए विकास योजना ऋण हेतु विश्व बैंक का मूल्यांकन अभी किया जा रहा है।

10. **सिंचाई**- भारत सरकार ने संकेत किया है कि परियोजनाओं को ए.आई.बी.पी. वित्त पोषण के अंतर्गत कवर किया जाए।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

1936. श्री एस. अजय कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने हेतु सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बड़े पैमाने पर आवास ऋण अग्रिम प्रदान करने के संबंध में सरकार से अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार, गरीबों और कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के लिए, ग्रामीण केन्द्रों और बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है, ताकि उन्हें बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाली वित्तीय सेवाओं के नेटवर्क में लाया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक की सितम्बर 2005 में जारी की गई शाखा प्राधिकरण नीति के अंतर्गत, बैंकों को अपनी शाखा विस्तार योजनाएं रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बैंकों को सामान्य व्यक्तियों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप एवं क्षेत्र, प्राथमिकता क्षेत्र को वास्तविक ऋण उपलब्धता, वित्तीय समावेशन के संवर्धन की आवश्यकता, उपयुक्त नये उत्पादों की शुरूआत तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और कम बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा प्राधिकरण नीति का उद्देश्य उत्तम बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंकों के लिए बैंकिंग क्षेत्र के अंदर अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना भी है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्टूबर, 1994 से आवास ऋणों सहित 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज की दरों को अविनियमित कर दिया है और ब्याज दरों का निर्धारण बैंकों द्वारा अपने बार्डों के अनुमोदन से स्वयं किया जाता है। 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमा के लिए, आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) को अधिकतम उधार दर के रूप में निर्धारित किया गया है।

आवास वित्त के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 2.7.2007 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंक प्रतिभूति, मार्जिन, रिहायशी इकाइयों की कालावधि, वापसी अदायगी कार्यक्रम आदि जैसे पहलुओं के संबंध में अपने बोर्डों के अनुमोदन से आवास वित्त के संबंध में अपने मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए स्वतंत्र है।

आपदा चेतावनी प्रणाली

1937. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में आज की तारीख तक आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी फर्मों की सहायता ली है/उनके साथ सहयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) देश के किसी भी राज्य के लिए अलग से कोई आपदा चेतावनी प्रणाली नहीं है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में कार्यरत आपदा चेतावनी प्रणालियों की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र द्वारा विकसित अंतरिम हिंद माहसागर सुनामी चेतावनी प्रणाली पिछले छः महीनों से कार्य कर रही है। संबंधित केंद्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को चेतावनी की प्रसारण करने के लिए सुनिश्चित प्रणाली के साथ पूर्ण अंतरिम हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली को सितंबर 2007 तक लगाए जाने की आशा है।

(2) भारत मौसम विज्ञान विभाग का चक्रवात चेतावनी तंत्र तीन चरणों में कार्य कर रहा है। पहला चरण ''चक्रवात निगरानी'' के रुप में जाना जाता है, इसमें इनसेट एवं अन्य उपग्रहों से प्राप्त हुए उपग्रह प्रेक्षणों, जहाजों से प्राप्त डेटा, महासागर ब्वॉय तथा संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडलों के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का मॉनीटरन किया जाता है। दूसरे चरण में तटीय क्षेत्र पर खराब मौसम आरम्भ होने से 36-48 घंटे पहले ''चक्रवात से सतर्क रहने की सूचना'' जारी की जाती है। तीसरे चरण में किसी स्थान पर चक्रवात आने से 24-36 घंटे पहले ''चक्रवात संबंधी चेतावनियां'' जारी की जाती है। जब चक्रवातीय तंत्र भारत की तट रेखा के समीप आते हैं तो तट से टकराने के बाद उनके तेज होने और आगे बढ़ने की स्थिति का मानीटरन, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समूचे तटीय क्षेत्र पर लगे चक्रवात संसूचन रेडारों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। तूफानों की संभावित गति का पूर्वानुमान, तूफान के मार्ग के पूर्वानुमान संबंधी मॉडलों की सहायता से किया जाता है और तूफान के मार्ग, तीव्रता तट से टकराने का अंतिम रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

(3) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों से प्राप्त वर्षा संबंधी डेटा के आधार पर भारत मौसम विज्ञान विभाग नदी उप जल ग्रहण क्षेत्र वर्षा परिदृश्य का मानीटर करता है तथा बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनियां जारी करने के उद्देश्य से केंद्रीय जल आयोग को मात्रात्मक वर्षा पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चेतावनी प्रणालियां राज्यवार नहीं लगाई गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में बचत

1938. श्री काशीराम राणा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी बचत औद्योगिकी खातों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बचतों के अंतर्गत बैंकों में कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ख) क्या सरकार की नीतियों ने लोगों में बचत की आदतों को हतोत्साहित किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में लोगों में बचत की आदत पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जमाराशि के प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जनसंख्या समूह-वार जमाराशि विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वित्तीय समावेशन संबंधी डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बचत की आदत डालने और संगठित वित्तीय व्यवस्था में वित्तीय रूप से अलग-अलग जनसंख्या का आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने 500 करोड़ रुपए प्रत्येक की राशि से निम्नलिखित 2 निधियां बनाने का निर्णय लिया है:

* विकासात्मक और संवर्धन संबंधी व्यवधानों की लागत पूरा करने के लिए नाबार्ड के साथ वित्तीय समावेशन निधि।
* प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि वे बिना न्यूनतम शेष या बहुत कम न्यूनतम शेष से मूल बैंकिंग ''अतिरिक्त सुविधा रहित खाता'' उपलब्ध कराएं ताकि जनसंख्या के अधिकांश वर्गों की ऐसे खातों तक पहुंच हो सके।

बैंकों से यह भी कहा गया है कि शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक जिले की पहचान करें और उसे अंगीकार करें।

विवरण

जमा के प्रकार के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जनसंख्या समूह-वार जमाराशियां

(खातों की संख्या में, राशि लाख रु. में)

जनसंख्या समूह	चालू		बचत		आवाधिक		कुल	
	खाता संख्या	राशि	खाता संख्या	राशि	खाता संख्या	राशि	खता संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2006				
ग्रामीण	25,61	12117,04	1060,17	102393,24	309,92	111550,90	1395,70	226061,18
	(1.8)	(5.4)	(76.0)	(45.3)	(22.2)	(49.3)	(100.0)	(100.0)
अर्द्ध शहरी	42,44	26890,15	883,39	124709,54	290,80	150613,12	1216,64	302212,23
	(3.5)	(8.9)	(72.6)	(41.3)	(23.9)	(49.8)	(100.0)	(100.0)
शहरी	56,92	52844,62	723,95	146623,84	280,85	231344,77	1061,72	430813,23
	(5.4)	(12.2)	(68.2)	(34.2)	(26.5)	(53.7)	(100.0)	(100.0)
महानगर	74,51	166064,97	766,67	213177,74	335,74	752844,31	1176,92	1132087,02
	(6.3)	(14.7)	(65.1)	(18.8)	(28.5)	(66.5)	(100.0)	(100.0)
अखिल भारत	199,49	257916,77	3434,18	586904,36	1217,31	1246353,10	4850,98	2091174,24
	(4.1)	(12.3)	(70.8)	(28.1)	(25.1)	(59.6)	(100.0)	(100.0)
				2005				
ग्रामीण	28,16	11123,60	1049,22	89652,24	341,70	112328,28	1419,08	213104,11
	(2.0)	(5.2)	(73.9)	(42.1)	(24.1)	(52.7)	(100.0)	(100.0)
अर्द्ध शहरी	40,00	24877,31	882,09	111138,25	329,89	159669,84	1251,98	295685,40
	(3.2)	(8.4)	(70.5)	(37.6)	(26.3)	(54.0)	(100.0)	(100.0)
शहरी	48,72	45097,49	656,99	117535,78	308,05	212257,76	1013,76	374891,01
	(4.8)	(12.0)	(64.8)	(31.4)	(30.4)	(56.6)	(100.0)	(100.0)
महानगर	60,31	130841,04	611,68	152402,53	311,11	579889,94	983,10	863133,51
	(6.1)	(15.2)	(62.2)	(17.7)	(31.6)	(67.2)	(100.0)	(100.0)
अखिल भारत	177,20	211939,43	3199,99	470728,81	1290,74	1064145,80	4667,93	1746814,04
	(3.8)	(12.1)	(68.6)	(26.9)	(27.7)	(60.9)	(100.0)	(100.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2004				
ग्रामीण	25,99	9044,79	1001,08	76029,18	360,53	110007,74	1387,60	19581,71
	(1.9)	(4.6)	(72.1)	(39.0)	(26.0)	(56.4)	(100.0)	(100.0)
अर्द्ध शहरी	36,98	20809,25	832,01	9240,54	337,52	153167,13	1206,51	268216,92
	(3.1)	(7.8)	(69.0)	(35.1)	(28.0)	(57.1)	(100.0)	(100.0)
शहरी	45,45	38661,54	628,02	98918,93	322,24	192715,27	995,71	330295,74
	(4.6)	(11.7)	(63.1)	(29.9)	(32.4)	(58.3)	(100.0)	(100.0)
महानगर	57,11	111800,05	582,39	125912,96	342,27	479966,01	981,76	717679,01
	(5.8)	(15.6)	(59.3)	(17.5)	(34.9)	(66.9)	(100.0)	(100.0)
अखिल भारत	165,53	180315,63	3043,50	395101,61	1362,56	935856,15	4571,58	1511273,39
	(3.6)	(11.9)	(66.6)	(26.1)	(29.8)	(61.9)	(100.0)	(100.0)

स्रोत: भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आधार सांख्यकीय परिवर्तन

[अनुवाद]

आर.आर.बी. को कर संबंधी छूट

1939. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बीज़) को उपलब्ध कर रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर.बी.आई. ने आर.आर.बीज़. पर कोई कृतिक बल नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कृतिक बल ने आर आर बीज़ को कर रियायतों को पुन: बहाल करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (8) में अन्य बातों के साथ अशोध्य और संदिग्ध ऋण के किसी प्रावधान के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) को सकल कुल आय की 7.5% और इसकी शाखाओं द्वारा दिए गए सकल औसत अग्रिम की 10% से अधिक राशि की कटौती के लिए प्रावधान है।

इसके अलावा, आयकर आयकर अधिनियम की धारा 36(8) इसमे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऐसे बैंकों द्वारा सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व के संबंध में रिजर्व खाते में अग्रनीत राशि 20% तक की कटौती की अनुमति देती है।

(ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने 11.9.2006 को प्रचालनात्मक क्षमता के लिए आर.आर.बी. बोर्डों की अधिकारिता पर कार्य बल का गठन किया।

(ग) कार्य बल ने सिफारिश की है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 तक के अंतर्गत कर लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचालन की अधिक लागत तथा अलग ग्रामीण क्रेडिट प्रणाली के अभी तक समेकित न होने के मद्देनजर पांच वर्ष की और अवधि के लिए अथवा आर.आर.बी. का पुनर्गठन पूरा होने तक, जो भी पहले हो, जारी रह सकता है।

(घ) रिपोर्ट अभी भी आर.बी.आई. के विचाराधीन है। आर.बी.आई. की राय प्राप्त होने के बाद ही रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी।

नाबार्ड से आर.बी.आई. द्वारा अपनी हिस्सेदारी निकालना

1940. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए निधि की वर्तमान औसत लागत कितनी है;

(ख) क्या नाबार्ड को हाल ही में निधि की बढ़ती लागत के कारण अपनी ब्याज दरों में संशोधन करने की सलाह दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नाबार्ड से अपनी हिस्सेदारी निकालने की एक योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(च) क्या अपनी हिस्सेदारी निकालने के बाद आर.बी.आई. द्वारा नाबार्ड के निदेशक मंडल में अपना अधिकार खो देने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो उन किसानों जो गम्भीर वित्तीय संकट में हैं, के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का औसत निधि लागत वर्ष 2006-07 और 2007-08 (21 अगस्त, 2007 तक)के लिए क्रमश: 8.66 और 9.66 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक को, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, जिनमें अन्यों के साथ-साथ नाबार्ड भी शामिल है, मैं अपनी जमा पूंजी को कम करना है। यह अनुशंसा विनियमित अस्तित्व के स्वमित्व के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामना किए जा रहे हित-टकराव को रोकने के लिए की जा रही है।

(च) और (छ) जी नहीं। नाबार्ड के पण के विनिवेश के बावजूद बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व जारी रहेगा। सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 18.6.2004 का एक कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन वर्षों में कृषि को दोगुना करना शामिल है। 2003-04 के दौरान 86,981 करोड़ रुपए के मुकाबले 2006-07 के दौरान इस क्षेत्र में ऋण उपलब्धता 2,03,297 करोड़ रुपए रही है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 7% वार्षिक ब्याज दर पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार खरीफ 2006 से एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है। और सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके अपने संसाधनों से दिए गए उधार पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता और सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से ली गई उधार राशियों पर रियायती दरों पर पुनर्वित प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, बैंकों को, परिवारों के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड का प्रावधान करके, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के साथ "अतिरिक्त सुविधा हेतु" खाते खोलकर वित्तीय पहुंच प्राप्त करने, कारबार सुविधा प्रदाता/कारबार सम्पर्की मॉडल के रूप में किसान गैर-सरकारी संगठनों, डाकघरों जैसे सिविल सोसाइटी संगठन का उपयोग करके वित्तीय पहुंच प्रदान करने के अनुदेश दिए गए हैं।

राज्यों का ऋण बोझ

1941. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से अपने ऋणों की समय-सीमा को पुन: निर्धारित करने तथा ब्याज दरों में कमी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राज्यों के ऋण भार और ऋण राहत की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत निधियों (एन.एस.एस.एफ) में से राज्यों के बकाया ऋणों पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) ने राष्ट्रीय विकास परिषद उप-समिति गठित की थी। इस उप-समिति की अक्टूबर, 2005 और नवम्बर, 2006 के बीच हुई बैठकों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एन.एस.एस.एफ. के बकाया ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने और ब्याज दर कम करने का अनुरोध किया था। एन.एस.एस.एफ. के बकाया ऋणों पर राहत देने तथा एन.एस.एस.एफ. की वित्तीय स्थिति पर विचार करने हेतु राज्य सरकारों के दावे सहित सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए इस उप-समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एक मत से निम्नलिखित सिफारिशें की:-

(1) 1999-2000 से 2002-03 तक एन.एस.एस.एफ. से राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों की ब्याज-दर 1 अप्रैल, 2007 से 10.5 प्रतिशत के हिसाब से पुन: निर्धारित की जाएगी। ब्याज-दर के घटने या अन्यथा तीन वर्षों के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, इन पुराने ऋणों की समीक्षा की जाएगी।

(2) एन.एस.एस.एफ. ऋणों की मौजूदा ब्याज-दर 9.5 प्रतिशत ही रहेगी।

(3) राज्य सरकारों के खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण लेने के अनुरोध पर विचार प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा ताकि वे गैर-एन.एस.एस.एफ. ऋण की अदायगी कर सकें।

(4) 2002-03 तक अनुबंधित एन.एस.एस.एफ. ऋणों की पूर्व-अदायगी हेतु राज्य सरकारों के अनुरोधों पर भी विचार बाजार से उधार लेने की अनुमोदित उच्चतम सीमा के भीतर मामला-दर-मामला के आधार पर किया जाएगा।

2. उपर्युक्त सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 2002-03 तक अनुबंधित एन.एस.एस.एफ. ऋणों की पूर्व-अदायगी हेतु जनवरी और मार्च, 2007 के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली की राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। बाद में, मध्य प्रदेश सरकार ने एन.एस.एस.एफ. ऋणों के पूर्व भुगतान हेतु किए गए अनुरोध को वापिस ले लिया था।

उड़ीसा और दिल्ली की राज्य सरकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, 10.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज-दर वाले अपने एन.एस.एस.एफ. के ऋणों का पूर्व-भुगतान करने की अनुमति दे दी गई थी:-

(1) 2007-08 में पूर्व-भुगतान की सीमा 1999-2000 से 2002-03 तक की अवधि हेतु बकाया सकल एन.एस.एस.एफ. ऋण की 10 प्रतिशत राशि तक सीमित होगी।

(2) 2007-08 में 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा उस राज्य सरकार की शर्तों पर आधारित होगी जो इसे बाजार से उधार लेने की अनुमोदित उच्चतम सीमा और/अथवा संबंधित राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अधिशेष राशि के भीतर वित्त प्रदान करती हो।

[हिन्दी]

एनआरईजीएस के अंतर्गत भुगतान में विलम्ब

1942. श्री गणेश सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आर ई जी एस) के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा एन आर ई जी एस के अंतर्गत धनराशि का समय पर वितरण किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं। राज्य सरकारें समय पर मजदूरी देने के लिए कार्रवाई कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। प्रस्ताव के साथ-साथ उपयोग प्रमाण-पत्र, जिसमें पूर्व में रिलीज की गई निधियों के कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि के उपयोग को दर्शाया गया है, और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर निधियां रिलीज की जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को निधियों की रिलीज में कोई देरी नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।\

[अनुवाद]

सिक्के उपलब्ध कराना तथा चलाना

1943. श्री जी. एम. सिद्देश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) का विचार दस रुपये के सिक्के चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर बी आई ने पांच रुपये के नोट को पुन: चलाने का निर्णय लिया है;

(घ) क्या पांच रुपये के सिक्कों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार ने 10 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों की मांग को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए 10 रुपए (बायमेटालिक) के सिक्के चलाने का निर्णय लिया है। सिक्के का बाहरी वृत एल्यूमिनियम-ब्रोन्ज का और केन्द्र का भाग क्यूप्रो-निकल का होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

1944. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री रामकृपाल यादव:
श्री नारायण चन्द्र वरकटकी:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं कार्यक्रमानुसार नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है; और

(ङ) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में आरंभ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नामक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही अब तक प्रगति कर रही है। पूर्व की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जहां विद्युतीकरण की औसत दर 3000 गांव प्रति वर्ष रही है, वहीं आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 9819 गैर-विद्युतीकृत गांव 2005-06 में विद्युतीकृत किए गए, 28,706 गैर-विद्युतीकृत गांव 2006-07 में विद्युतीकरण किए गए और दो वर्षों में लगभग 12,000 विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण किया गया। वर्ष 2007-08 मे अब तक 4467 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 7708 विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण किया गया है। साथ ही, अप्रैल, 2005 में स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों को नि: शुल्क 13 लाख बिजली कनैक्शन जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने आरजीजीवीवाई की प्रगति की बार-बार समीक्षा की है और इसके त्वरित कार्यान्वयन के लिए सभी स्टेहोल्डरों से कहा गया है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को नियत समय-सीमा में हासिल किया जा सके। कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न कुछ मामले निम्नानुसार है-

* राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को देर से प्रस्तुत किया जाना।
* टर्न-की संविदाओं से परिचय नहीं होने के कारण राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा निविदा जारी करने में विलंब।
* बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्य प्राधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची जारी करने में विलंब।
* बिहार में नए उप-केन्द्रों के लिए भूमि आवंटन पश्चातवर्ती भूमिअधिग्रहण में विलंब।

(घ) क्रियान्वयक एजेंसियों ने बताया है कि 17 अगस्त, 2007 तक आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 42,992 गैर-विद्युतीकृत गांवों समेत 65554 गांवों में तथा 19,585 विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य कर लिए गए हैं। इसके राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 2007-08 के दौरान अब तक जारी निधि 400 करोड़ रुपये के लगभग है।

(ङ) देश में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

*परियोजनाओं के त्वरित एवं कारगर क्रियान्वयन के लिए इन्हें टर्न-की आधार पर क्रियान्वयन किया जाता हैं।

* भारत सरकार ने एक अंत:-मंत्रालयीन मॉनीटरिंग कमिटी बनाई है जो आवधिक रूप से परियोजनाओं को स्वीकृत करने तथा क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित करती है।

* ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए राज्यां को जिला समिति गठित करने के कहा गया है। सभी राज्यों ने जिला समितियों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

* भारत सरकार तथा आरईसी, जो आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी है, सभी स्टेकहोल्डरों, अर्थात राज्य सरकार, राज्य विद्युत यूटिलिटियां तथा क्रियान्वयन एजेंसी के साथ सहमत समय के अनुसार स्कीम के त्वरित क्रियान्वयन के लिए कई समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है।

* जहां भी राज्य की इच्छा हुई है, वहां स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) की सेवाएं प्रदान की गई है। सीपीएसयू को 139 जिले आवंटित किए गए हैं।

विवरण

गांवो की राज्यवार और वर्षवार संख्या, जहां कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आरजीजीवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य किए जाने की सूचना है

क्रम सं.	राज्य	2005-06 के दौरान			2006-07 के दौरान			2007-08 के दौरान (17.08.2007 के अनुसार)			संचयी (17.08.2007 के अनुसार)		
		विद्युतीकृत (संख्या)	गैर-विद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	गैर-विद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	गैर-विद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	गैर-विद्युतीकृत (संख्या)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	4724	0	4724	4,724	0	4,724
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
4.	बिहार	0	1600	1600	0	8415	8415	0	1,386	1386	0	11401	11,401
5.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	31	31
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
7.	गुजरात	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		—
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
11.	कर्नाटक	350	47	397	8000	0	8000	2,919	0	2919	11269	47	11,316
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
13.	मध्य प्रदेश	0	6	0	0	0	0	50	15	65	50	15	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	29	29
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
22.	राजस्थान	0	230	230	570	765	1335	0	332	332	570	1327	1,897
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	7503	7503	0	16620	16620	0	1,855	1855	0	25978	25,978
27.	उत्तरांचल	0	87	87	2332	798	3130	0	83	83	2332	968	3,300
28.	पश्चिम बंगाल	0	352	352	0	2108	2108	0	736	736	0	3196	3,196
29.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	350	9819	10169	11527	28706	40233	7708	4,467	12175	19,585	42,992	62577

[अनुवाद]

कोयला आधारित ताप विद्युतीकरण परियोजनाओं की स्थापना

1945. श्री महेश कनोडीया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वदेशी कोयले तथा आयातित कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाओं का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंद्रा (गुजरात) में आयातित कोयला परियोजना पर कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड का विकास कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। 11वीं योजना की 78,577 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि में से 52,905 मे.वा. के कोयला आधारित होने का प्रस्ताव है, जिसमें से कुल 1350 मे. वा. क्षमता की परियोजनाओं द्वारा आयातित कोयले के प्रयोग का विचार है।

(ग) और (घ) विद्युत मंत्रालय ने लगभग 4000 मे.वा. प्रत्येक की कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टस (यूएमपीपी) के विकास के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्यों के परामर्श से चार पिट-हेड स्थल तथा तटवर्ती क्षेत्रों में पांच स्थल अभिज्ञात किए गए हैं। गुजरात के मुन्द्रा में स्थित यूएमपीपी तटवर्ती स्थलों में से एक

है। इस परियोजना के विकासकर्ता, अर्थात मै. टाटा पावर कंपनी को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए चुना गया था तथा विशेष उद्देश्य तंत्र, अर्थात कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड, जिसे परियोजना के लिए स्थापित किया गया था, को भी विकासकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया है। कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड ने सूचित किया है कि वॉयलर एवं स्टीम टरबाइन जेनरेटर पैकेजों की आपूर्ति के लिए ठेके निष्पन्न कर लिए गए हैं। इस परियोजना द्वारा 12वीं योजना में पूरा लाभ प्रदान किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा

1946. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री मोहन रावले:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में भूतपूर्व मंत्रियों, सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस अधिकारियों तथा न्यायाधीशों द्वारा कितने सरकारी आवासों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन आवासों को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खाली करवाये गए ऐसे आवासों की संख्या कितनी है;

(घ) आज की तारीख तक खाली नहीं किए गए आवासों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या उन्हें खाली कराने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) शून्य

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में लागू नहीं।

(घ) शून्य

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनएफएफडब्ल्यूपी तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित धनराशि

1947. श्री सुभाष महरिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संरकार को राजस्थान राज्य सरकार से काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र परियोजना (डीपीएपी) और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) संबंधी बकाया धनराशि जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लम्बित धनराशियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2005-06 के दौरान काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत खाद्यान्नों के कम आबंटन के बदले में केन्द्रीय निधियों की रिलीज के संबंध में राजस्थान की राज्य सरकार से एक पत्र प्राप्त था। इस संबंध में, राज्य सरकार का ध्यान इन अनुदेशों की ओर आकृष्ट किय गया था कि एनएफएफडब्ल्यूपी के अंतर्गत चल रहे कार्य, जिलों के पास पहले से उपलब्ध संसाधनों से पूरे किए जाएं। चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए निधियों की कमी की स्थिति में उनका मूल्यांकन किया जाए और कार्यक्रम अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अपने हिस्से में से उन कार्यों के लिए धनराशि दी जाए।

इस मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के दौरान मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत राजस्थान राज्य को 160.25 करोड़ रुपए और 25.82 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज की है। चालू वर्ष 2007-08 के दौरान डीडीपी और डीपीएपी के अंतर्गत अब तक क्रमश: 12.22 करोड़ रुपए और 4155 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। समेकित बजंरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान 42.76 करोड़ रुपए और वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक 9.73 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

[हिन्दी]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत लागत की भागीदारी

1948. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री सुरेश कलमाडी:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जे.एन.एन.यू.आर.एम. हेतु केन्द्र और राज्य के बीच लागत की भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार मौजूदा फार्मूला में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) मिशन के तहत लागत का बंटवारा निम्नलिखित है:-

शहरों/कस्बों/यूए की श्रेणी	अनुदान		वित्तीय संस्थाओं से यूएलबी या पैरास्टेटल अंश/ऋण
	केन्द्र	राज्य	
2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर/यूए	35%	15%	50%
2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक और 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर/यूए	50%	20%	30%
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर में शहर/कस्बे/यूए	90%	10%	–
उपरोक्त के अतिरिक्त शहर/यूए	80%	10%	10%
समुद्र के किनारे और अन्य शहरी क्षेत्रों के 20 कि.मी. के अंदर जो शहर खारे पानी और सतही स्रोतों की अनुपलब्धता के कारण जल की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए डीसोलिनेशन प्लांट का गठन	80%	10%	10%

(ख) मिशन की शुरूआत से धनराशि जारी करने के राज्यवार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अवसंरचना और शासन के लिए जारी की जा रही धनराशि (15.8.2007 तक)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4472.50	4710.83	10180.53	19363.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	2006.94	2006.94

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0.00	0.00	791.26	791.26
4.	बिहार	0.00	0.00	461.93	461.93
5.	छत्तीसगढ़	0.00	4800.00		4800.00
6.	गोवा	0.00	0.00		0.00
7.	गुजरात	1844.00	15576.20	5911.93	23332.13
8.	हरियाणा	0.00	1297.88	383.09	1680.97
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	522.61		522.61
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	2359.35		2359.35
11.	झारखंड	0.00	0.00		0.00
12.	कर्नाटक	0.00	10167.19	618.62	10785.81
13.	केरल	0.00	4405.00		4405.00
14.	मध्य प्रदेश	474.29	11107.42		11581.71
15.	महाराष्ट्र	2219.79	41358.21	3707.25	47285.25
16.	मणिपुर	0.00	0.00		0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00		0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00		0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00		0.00
20.	उड़ीसा	0.00	120.26	5158.40	5278.66
21.	पंजाब	0.00	2241.75	1868.63	4110.38
22.	राजस्थान	0.00	4146.93		4146.93
23.	सिक्किम	0.00	0.00		0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	12913.28	8068.37	20981.65
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00		0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	1860.47		1860.47
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00		0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	8708.45	793.53	9501.98
29.	दिल्ली	0.00	0.00		0.00

1	2	3	4	5	6
30.	पांडिचेरी	0.00	0.00		0.00
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00		0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1139.72	1139.72
33.	दादर नगर हवेली	0.00	0.00		0.00
34.	लक्षदीप	0.00	0.00		0.00
35.	दमन व दीव	0.00	0.00		0.00
	कुल	9010.58	126295.83	41090.20	176396.61

[अनुवाद]

शहरीकरण पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

1949. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससी) ने यह रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2025 तक भारत की आधी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्य क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या के बहिर्गमन को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसी ग्रामीण जनसंख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो रही है, तथा जो इन सुविधाओं से वंचित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने इस क्षेत्र के देशों के विभिन्न संस्थानों से लिए गए विशेषज्ञों द्वारा देश के संबंध में लिखी गई रिपोर्टों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में यह अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2025 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों की आधी जनसंख्या शहरीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण की वजह से शहरी क्षेत्रों में रहेगी। ये अनुमान इस धारणा पर किए गए हैं कि यदि मौजूदा वैश्विक प्रवृति जारी रहती है तो एशिया दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इस क्षेत्र में त्वरित आर्थिक संवृद्धि औद्योगिकरण और शहरीकरण हो रहा है जिससें शहरों में परिवर्तन और उसका विकास होगा। यद्यपि, यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए है लेकिन भारत इस क्षेत्र का प्रमुख देश होने की वजह से आर्थिक विकास और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

(ग) और (घ) आर्थिक विकास की चुनौतियों के मद्देनजर आयोजना प्रक्रिया के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना तैयार करने, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के जरिए संपर्क सुविधा मुहैया कराने की आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना विकसित करने की समयबद्ध कार्य-योजना वाले भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण आवास, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना तैयार हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) की शुरूआत और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) वाले स्वरोजगार कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने की पहलकदमियां है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में सर्व शिक्षा अभियान के जरिए शिक्षा सुविधाएं और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आदि के जरिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना शामिल है। इन सभी उपायों का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के पलायन को रोकना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार सृजन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन करना और ग्रामीण लोगों

के जीवन स्तर में सुधार करना है। वर्ष 2006-07 के दौरान 210 लाख से अधिक परिवारों को एनआरईजीएस के अंतर्गत 90.40 करोड़ श्रमदिवस रोजगार मुहैया कराए गए। एसजीआरवाई के अंतर्गत लगभग 42.39 करोड़ श्रमदिवस रोजगार सृजित किए गए। एसजीआरवाई के जरिए सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी 16.82 लाख थे और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए 14.98 लाख से अधिक मकान बनाए गए।

भेषज कंपनियों द्वारा धनराशि को हड़पना

1950. श्री सुव्रत बोस: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीर्षस्थ भेषज कंपनियां अपनी सहयोगी/अनुषंगी कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग समझौते के माध्यम से धनराशि को हड़प रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है और ऐसी कंपनियों के नाम क्या है;

(ग) क्या विभिन्न भेषक कंपनियों की लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्टों का विश्लेषण नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास भेषक कंपनियों द्वारा अपनी सहयोगी/अनुषंगी कंपनियों के साथ लाइसेसिंग समझौते के माध्यम से धनराशि हड़पने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) कंपनियों की लागत लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के अंतर्गत की जाती है तथा इसके अनुपालन की निगरानी कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय भेषक मूल्यांकन प्राधिकरण भी भेषक कंपनियों के संबंध में यथोचित नियामक कार्रवाई करने हेतु इस मंत्रालय से लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्राप्त कर रहा है।

[हिन्दी]

नैनो-प्रौद्योगिकी हेतु कोष

1951. श्री रामदास आठवले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नैनो-प्रौद्योगिकी से जुड़े आविष्कारों को बाजार में लाने हेतु एक कोष की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) हाल ही में प्रारंभ किया है जिसके लिए 5 वर्ष हेतु 1000 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। अनुसंधान के इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण क अतिरिक्त नैनो मिशन की योजना, अधिक सार्वजनिक निजी भागीदारियों के माध्यम से संस्थान-उद्योग संबंधित परियोजनाओं, व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की स्थापना के माध्यम से उद्यमिता का संवर्धन कर तथा निजी क्षेत्र को इस उदीयमान प्रौद्योगिकी में निवेश करने तथा उसका उन्नयन करने हेतु प्रोत्साहित और सक्षम बना कर नैनो प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण के प्रति विशेष प्रयास करना है।

[अनुवाद]

कौशल विकास बैंक

1952. डा. एम. जगन्नाधन: क्या **वित्त मंत्री** कौशल विकास बैंक के बारे में 4 मई, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4137 क उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना को कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा यह सूचित किया गया है कि स्किल डेवलपमेंट बैंक के संबंध में एक टिप्पणी सीआईआई के बजट-पूर्व ज्ञापन के साथ केन्द्रीय बजट 2007-08 के लिए प्रस्तुत की गई थी।

राजनीतिक दलों को भूमि का आबंटन

1953. श्रीमती मनोरमा माधवराव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य/क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजधानी में अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि के आबंटन हेतु अर्हता निर्धारित करने के लिए नियत दिशा-निर्देश/मानदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार इस दिशा-निर्देश के अनुसार राजधानी में राउज एवेन्यू और एम जी रोड के इंस्टीट्यूशनल एरिया में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भूमि आबंटित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राजनीतिक पार्टियों को दिल्ली में उनके कार्यालय आवास के निर्माण हेतु भूमि के आबंटन की पात्रता निर्धारण करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, दिल्ली में भूमि के आबंटन हेतु मंत्रालय में गठित स्कीनिंग समिति नीति के अनुसार और राउज एवेन्यू और एम.बी. रोड में भूमि की उपलब्धता सहित भूमि के आबंटन की सिफारिश हेतु विचार करती है और आबंटन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाता है।

विवरण

(1) दिल्ली में कार्यालय आवास के निर्माण हेतु भू-आबंटन के लिए उन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी गई और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जिन पार्टियों, के (संसद के दोनों सदनों में) कम से कम 7 सांसद हो, पर विचार किया जाएगा।

(2) राजनीतिक पार्टियों को भारत के चुनाव आयोग से राष्ट्रीय/राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपनी स्थिति और मान्यता की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा।

(3) यदि राजनीतिक पार्टियों ने उनके कार्यालय प्रयोजन हेतु सरकारी बंगला (बंगले)/स्यूट विट्ठल भाई पटेल हाऊस में दखल में ले रखा है उन्हें आवंटित भूमि पर उनके कार्यालय भवन के निर्माण के तत्काल बाद अथवा प्लाट का खाली दखल लेने की तारीख से 3 वर्षों के भीतर, जो भी पहले हो उसे खाली करना होगा।

(4) आबंटित भूमि पर निर्मित बिल्डिंग का उपयोग राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनके राष्ट्रीय स्तरीय राजनीतिक पार्टी इकाई के साथ-साथ पार्टियों के अन्य विंग/संगठन के लिए किया जाएगा। इन परिसरों का उपयोग केवल कार्यालय प्रयोजनों हेतु किया जाएगा। प्लाटों की उप किराएदारी का नियंत्रण इस संबंध में संस्थागत प्लाटों हेतु जारी किए गए अनुदेशों/पाबंदियों के अधीन किया जाएगा।

(5) इन परिसरों का प्रयोग रिहायशी/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

(6) भू-आबंटन लीज-होल्ड आधार पर किया जाएगा और आबंटन, आबंटन की तारीख को प्रचलित आंचलिक विभिन्न संस्थागत दरों के प्रीमियम के भुगतान पर किया जाएगा। आवंटी पार्टी प्रीमियम के 2.5% की राशि के मूल किराए का वार्षिक भुगतान भी करेगी। इन आबंटनों को फ्री-होल्ड में तब्दील करने की अनुमति नहीं होगी।

(7) राजनीतिक पार्टियों को आबंटन हेतु दोनों सदनों में उनके सांसदों की संख्या के अनुसार भूमि की जितनी मात्रा दी जाएगी, वह निम्नानुसार है:-

(क) सांसदों की कुल संख्या 15 तक हेतु 500 वर्ग मीटर।

(ख) सांसदों की कुल संख्या 16 से 25 के बीच हेतु 1000 वर्ग मीटर।

(ग) सांसदों की कुल संख्या 26 स 50 सांसदों के बीच हेतु 2000 वर्ग मीटर।

(घ) सांसदों की कुल संख्या 51 से 100 के बीच हेतु एक एकड़।

(ङ) सांसदों की कुल संख्या 101 से 200 के बीच हेतु दो एकड़।

(च) सांसदों की कुल संख्या 201 अथवा अधिक हेतु चार एकड़।

(8) राजनीतिक दलों को आबंटित भूमि में एक अथवा अधिक प्लाट हो सकते हैं।

(9) यदि राजनीतिक दलों को पहले भूमि आबंटित की गयी थी, तो पहले आबंटित मात्रा घटाकर नए मानकों के

अनुसार भूमि के ताजा आबंटन पर विचार किया जा सकता है।

(10) विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलों के दिल्ली राज्य यूनिटों के मामले में, निम्नलिखित दो श्रेणियों हेतु 500 वर्ग मीटर तक भूमि के आबंटन पर विचार किया जाएगा:-

(क) दिल्ली विधान सभा में प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की दिल्ली राज्य इकाइयां, तथा

(ख) दिल्ली विधान सभा में कम से कम सात (7) विधायकों वाले राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलों की दिल्ली इकाइयां।

(11) अन्य मान्यता-प्राप्त राज्य स्तर के राजनीतिक दल जिनके (दोनों सदनों में मिलाकर) कम से कम 4 सांसद हो, उन्हें विट्ठल भाई पटेल हाउस में कार्यालय-स्थान के आबंटन पर विचार किया जाएगा;

(12) जब किसी राजनीतिक दल का अस्तित्व न रह तो भूमि वापिस ले ली जाए। तथापि, यदि किसी राजनीतिक दल का बंटवारा होता है तो पट्टे पर दी गयी भूमि दल के उस घटक को दी जाएगी जिसे न्यायालय/ निर्वाचन आयोग द्वारा उस दल का वारिस माना गया है। ऐसी घटना से उत्पन्न किसी अन्य अप्रत्याशित स्थिति को मामला-दर-मामला आधार पर निपटाया जाएगा;

(13) आबंटी भवन-निर्माण का कार्य स्थानीय निकाय, भूमि व विकास कार्यालय, तथा दिल्ली शहरी कला आयोग से भवन योजना को अनुमोदित कराने के बाद करेगा;

(14) आबंटित भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण/ढांचा है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी आबंटी की होगी;

(15) प्लाट पर उगे हुए वृक्ष यदि कोई हो, सरकारी सम्पदा होगें और सक्षम प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना हटाए न जाएं।

(16) आबंटी अपने खर्च पर करार ज्ञापन (एमएओ) तथा लीज डीज का निष्पादन करेगा।

(17) भूमि का कब्जा प्रारम्भ में लाइसेंस आधार पर, पहली छमाही हेतु प्रीमियम तथा एडवांस ग्राउंड रेंट की प्राप्ति पर तथा करार ज्ञापन के निष्पादन पर दिया जाएगा। प्रीमियम के रूप में जमा की गई धनराशि करार के ठीक प्रकार से लागू होने हेतु प्रतिभूति के रूप में मानी जाएगी तथा यदि करार के ज्ञापन की शर्तें निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण होगी भूमि को लीज पर दिया जाएगा तथा प्रतिपूर्ति की राशि प्रीमियम बन जाएगी तथा लाइसेंस फीस मूल किराया हो जाएगा।

(18) निम्नलिखित परिस्थितियों में आबंटन मंसूख हो जाएगा:-

(क) यदि आबंटी आबंटन/करार के ज्ञापन/लीज डीज की शर्तों के अनुसार प्रीमियम और मूल किराए या किसी अन्य सरकारी देय का भुगतान नहीं कर पाता है।

(ख) यदि पार्टी दखल के हस्तांतरण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर भवन के निर्माण नहीं कर पाती है।

(ग) यदि परिसर का प्रयोग उस प्रयोग से इतर किया जाता है जिस प्रयोजन के लिए भूमि का आबंटन किया गया है/लीज पर दिया गया है।

(घ) यदि आबंटी मास्टर प्लान सहित भवन उप नियमों/अन्य सांविधिक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है।

(ङ) आबंटन पत्र या करार का ज्ञापन या लीज डीड में निहित किन्हीं शर्तों जिन्हें बाद में निष्पादन किया जाना है, में से किसी का उल्लंघन।

ट्रांसफर प्राइसिंग द्वारा कर अपवंचन

1954. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय कंपनियों/बैंकों ने ट्रांसफर प्राइसिंग के द्वारा करोड़ों रुपये के कर का अपवंचन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) जुलाई, 2007 तक कंपनियों/बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या ऐसी कंपनियों/बैंकों द्वारा ऐसी कर की मांगों के विरुद्ध कोई अपील दर्ज कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा अंतरण मूल्य निर्धारण की लेखा परीक्षा किए जाने के फलस्वरूप कतिपय कंपनियों के मामले

में अंतरण मूल्य और न्यूनतम मूल्य में अंतर पाया गया है। गत तीन वित्त वर्षों के दौरान किए गए समायोजन नीचे दिए गए हैं-

	2004-05	2005-06	2006-07
मामलों की संख्या	240	320	444
समायोजिक राशि (करोड़ रुपए में)	1,300.19	2,260.24	3,455.82

(ग) विभाग ने ऐसे मामलों के संबंध में मांग जारी की है तथा बकाया मांग की वसूली के लिए कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारियों के आदेशों का कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के साथ विलय हो जाता है। कर निर्धारितियों द्वारा इन आदेशों के विरूद्ध अपीलें पूरे देश में फैले विभिन्न अपीली अधिकरणों के समक्ष दायर की जाती हैं। अंतरण मूल्य निर्धारण समायोजना के विरूद्ध दायर अपीलों के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर सूचना नहीं रखी जाती है/उपलब्ध नहीं है।

मल्टी मॉडल परिवहन नीति

1955. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मल्टी मोडल परिवहन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों में मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु सहमति व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों ने केन्द्र सरकार से मल्टी मोडल परिवहन नीति को कार्यान्वित करने के लिए विशेष सहायता/सहायता अनुदान देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सरकार ने शहरी क्षेत्र के लिए अप्रैल, 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार की है जिसमें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं के विभिन्न माध्यमों एवं प्रचालकों के बीच तालमेल बैठाने की व्यवस्था है ताकि परिवहन के विभिन्न माध्यम एवं प्रचालक सुव्यवस्थित यात्रा व्यवस्था दे सकें।

[हिन्दी]

बीमा कंपनियों का लाभ

1956. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कुल व्यापार, वर्ष, दावों के आधार पर अदा की गई धनराशि और शुद्ध लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बीमा ग्राहकों की सहायता और उनके हितों की रक्षा हेतु कोई हेल्पलाइन अथवा परामर्श केन्द्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीमा कंपनियों की पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल बिक्री, दावों के लिए अदा की गई राशि और निवल लाभ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आईआरडीए ने सूचित किया है कि पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा विनियमावली, 2002 के अनुसार, उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए बीमाकर्ता के पास एक उचित शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आईआरडीए ने यह भी सूचित किया है कि सभी बीमा कंपनियों में एक समर्पित उपभोक्ता सेवा कक्ष और टोल फ्री नम्बर है, जिसका प्रचार उनकी वेबसाइट के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से व्यापक रूप से किया गया है। यदि, शिकायतकर्ता बीमाकर्ता से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास बीमा लोकपाल अथवा आईआरडीए के शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क करने का विकल्प है।

विवरण

साधारण बीमा कंपनियां

(रुपए करोड़ में)

	कुल बिक्री				दावों के लिए अदा की गई राशि				निवल लाभ			
	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
सरकारी क्षेत्र	17283.45	15976.44	14948.82	14284.65	13887.64	12962.71	10285.77	9180.72	2907.36	1319.28	1171.58	1358!35
गैर-सरकारी क्षेत्र	8646.57	5361 .53	3507.62	2257.83	3433.95	2901.28	1243.72	713.79	229.74	154.38	121.91	67.60
कुल	25930.02	21337.97	18456.45	16542.49	17321.59	15863.99	11529.49	9894.52	3137.10	1473.66	1293.49	1425.35

जीवन बीमा कंपनियां

(रुपए करोड़ में)

	कुल प्रीमियम				अदा किए गए लाभ				निवल लाभ			
	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
सरकारी क्षेत्र (जीवन बीमा निगम)	175188.15*	90792.22	75127.29	63533.43	#	33956.80	28455.71	23930.34	#	631 .58	708.37	551.81
गैर-सरकारी क्षेत्र	28217.77	15083.54	7727.51	3120.33	2470.27	1306.65	244.86	81.78	(1933.22)	(1102.48)	(866.94)	(966.36)
कुल	203405.92	105875.76	82854.80	66653.75	2470.27	35263.45	28700.57	24012.13	(1933.22)	(470.90)	(158.57)	(414.55)

#वार्षिक लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है
*अनन्तिम आंकड़े

[अनुवाद]

निवेशकों को शिक्षित बनाना

1957. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निवेशकों को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों, पूंजी बाजार निवेशों और म्यूचुअल फंड के बारे में शिक्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) निवेशकों को जानकारी पूर्ण ढंग से निवेश करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, सेबी मान्यताप्राप्त निवेशक संघों, भारतीय म्यूचुअल फंड संघ और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से निवेशक जागरूकता और शिक्षा के लिए कार्यशालाएं संचालित कर रहा है। यह विभिन्न भाषाओं में बाजार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में पठन और प्रतिपादन सामग्री को प्रकाशित कर रहा है।

भारतीय कंपनियों के हितों की रक्षा

1958. श्री राव्यापति सांबासिवा राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों/विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त

उद्यम में प्रवेश करते समय भारतीय कंपनियों के हितों की रक्षा करने हेतु मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जिन भारतीय कंपनियों का 12 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार उनके हितों की रक्षा नीतिगत उपायो द्वारा की जाती है जिसके तहत उस विदेशी कंपनी द्वारा किसी नए उद्यम के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है ताकि उनके हित का हनन न किया जा सके।

राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति

1959. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) शहरी क्षेत्र के बदले हुए सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और आवास व संबद्ध अवस्थापना की बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए वर्तमान राष्ट्रीय आवास नीति 1998 के स्थान पर एक नई नीति को जल्द ही अंतिम रूप देकर कार्यान्वित किया जाएगा।

एनटीपीसी और बीएआरसी के बीच समझौता ज्ञापन

1960. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) न आटोमेटेड बॉयलर टयूब इसंपेक्शन सिस्टम को विकसित करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीआरसी) के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो इसकी निबंधन और शर्तें क्या है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) एनटीपीसी लि. ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए डेवलप एंड डिलीवर ऑटोमेटेड बॉयलर टयूब इंस्पेक्शन सिस्टम पर संयुक्त अनुसंधान हेतु भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर (बीएसआरसी) के साथ दिनांक 26.7.2007 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना कोयला आधारित विद्युत स्टेशन में ऑटोमेटेड बॉयलर टयूब इंस्पेक्शन के लिए प्रोटोटाइप क्राउलर विकसित करने हेतु है। एनटीपीसी निरीक्षण प्रोब्स उपलब्ध करवाएगा। बीएआरसी प्रौद्योगिकी विकसित करेगा तथा बीएआरसी में अपने रोबोटिक लैब में प्रोटोटाइप ऑटोमेटेड बॉयलर टयूब इस्पेक्शन सिस्टम को एसेम्बल करेगा। प्रोटोटाइप को एनटीपीसी लि. के किसी एक विद्युत स्टेशन में जांच की जाएगी।

(ग) इस संयुक्त अनुसंधान परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 170 लाख रुपये हैं।

(घ) इस परियोजनाओं को पूरा करने हेतु 26 माह की कुल अवधि की परिकल्पना की गई है।

कच्चे तेल का आयात

1961. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कच्चे तेल के आयात को मुक्त व्यापार समझौते के दायरे में लाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मुक्त व्यापार करारों पर वार्ताएं की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया है। जारी आसियान-इंडिया मुक्त व्यापार करार वार्तालाप के अंतर्गत आसियान ने कच्चे पाम तेल और कच्चे पेट्रोलियम तेल पर टैरिफ रियायतों के लिए अनुरोध किया है।

(ग) आसियान-भारत मुक्त व्यापार करार पर इस समय वार्तालाप जारी है।

एनटीपीसी का सुदृढ़ीकरण

1962. श्री जी. एम. सिद्देश्वर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को सुदृढ़ बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एनटीपीसी लिमिटेड एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसे कि नवरत्न दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापक स्वायतता प्रदान की गई है। इसमें बिना किसी वित्तीय सीमा के नये निवेशों को अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति शामिल है। एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड ने अभी तक लगभग 70000 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर कुल 16070 मे.वा. क्षमता के लिए परियोजनाओं को निवेश अनुमोदन प्रदान करने के लिए नवरत्न शक्तियों को इस्तेमाल किया है।

ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने लगभग 22350 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की परिकल्पना की है जिसमें 20340 मे.वा. थर्मल और 1920 मे.वा. जल विद्युत क्षमता शामिल है। इसमें से 500 मे.वा. क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है, 13360 मे.वा. क्षमता निर्माणाधीन है, 7790 मे.वा. क्षमता के लिए मुख्य संयंत्र की बोलियां आमंत्रित की गई है और शेष 500 मे.वा. क्षमता के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1963. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय एक दिसम्बर, 1997 से अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीं कक्षा तक पढ़े बेरोजगार तथा अल्परोजगार प्राप्त निर्धन व्यक्तियों का एक ओर स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करके तथा दूसरी ओर सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम उपयोग के द्वारा उन्हें दैनिक आधार पर रोजगार देकर लाभकारी रोजगार प्रदान करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय निधियों तथा हुई वास्तविक प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

एसजेएसआरबाई के अंतर्गत जारी केन्द्रीय निधियां

क्र.स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05 जारी केन्द्रीय निधियां	2005-06 जारी केन्द्रीय निधियां	2006-07 जारी केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1116.41	1526.17	2295.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.69	0.00	46.68

1	2	3	4	5
3.	असम	245.07	0.00	368.27
4.	बिहार	468.09	681.66	586.83
5.	छत्तीसगढ़	119.31	405.67	698.46
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	164.36	0.00	894.65
8.	हरियाणा	668.47	681.12	571.67
9.	हिमाचल प्रदेश	2.17	45.36	9.24
10.	जम्मू-कश्मीर	128.17	9.06	849.38
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	1165.15	822.99	1416.98
13.	केरल	554.95	681.26	639.22
14.	मध्य प्रदेश	931.49	1596.76	2388.35
15.	महाराष्ट्र	1508.66	2552.92	3776.34
16.	मणिपुर	0.00	111.39	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	97.65
18.	मिजोरम	491.04	351.90	533.40
19.	नागालैंड	34.02	194.51	145.23
20.	उड़ीसा	48.91	469.86	808.97
21.	पंजाब	0.00	39.68	135.71
22.	राजस्थान	256.29	495.38	852.93
23.	सिक्किम	0.00	0.00	10.38
24.	तमिलनाडु	511.69	924.36	1891.51
25.	त्रिपुरा	352.18	0.00	127.08
26.	उत्तरांचल	160.31	309.14	93.96
27.	उत्तर प्रदेश	2622.61	3071.43	4566.49
28.	पश्चिम बंगाल	424.02	617.47	1063.13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	28.64	0.00	0.00
31.	दादर नगर और हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	191.00	0.00	0.00
	योग	12200.70	15588.09	24868.45

विवरण II

एसजेएसआरवाई के अंतर्गत वर्षवार, राज्यवार वास्तविक प्रगति (31.7.2007 तक सूचित)

क्र सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05			2005-06			2006-07		
		व्यक्तिगत/ सामूहिक लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए शहरी गरीबों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाखों में)	व्यक्तिगत/ सामूहिक लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए शहरी गरीबों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाखों में)	व्यक्तिगत/ सामूहिक लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए शहरी गरीबों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	7704	5631	6.11	5887	11613	0	2195	4945	0.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	40	0	3.88	36	100	2.59	23	3	0.82
3.	असम	1150	4638	0.94	0	2085	0.63	192	0	1.64
4.	बिहार	0	0	3.28	0	0	0	0	0	000
5.	छत्तीसगढ़	1903	4559	0.56	2155	602	0.25	2814	6203	0.06
6.	गोवा	53	345	0	0	0	0	0	0	0.00
7.	गुजरात	4307	5958	0.27	4892	2776	0.12	8339	4171	1.13
8.	हरियाणा	2362	4171	0.37	5215	7965	0.69	4400	5958	0.21
9.	हिमाचल प्रदेश	302	839	0	89	394	0.06	370	962	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जम्मू-कश्मीर	1265	1748	0.29	918	5165	0	0	0	0.56
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12.	कर्नाटक	4572	2709	1.24	3451	1241	1.28	7359	5064	0.00
13.	केरल	3007	4736	0.12	3847	4527	0.53	4420	4908	0.29
14.	मध्य प्रदेश	8704	7524	1.47	9187	19645	0.52	5672	39078	1.24
15.	महाराष्ट्र	9114	14518	0.53	20611	20140	2.77	19134	31436	1.02
16.	मणिपुर	0	2506	0	0	0	2.47	0	628	0.76
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18.	मिजोरम	1175	379	0	48	1346	22.36	0	1906	1.92
19.	नागालैंड	265	250	0	0	333	0.53	0	0	0.28
20.	उड़ीसा	3967	2273	0.76	8375	1703	0	3544	1572	0.33
21.	पंजाब	527	1440	0.25	17	597	0.01	0	1065	0.03
22.	राजस्थान	4660	1957	0.5	6643	3340	0.16	862	1973	0.65
23.	सिक्किम	76	176	0.56	44	118	0	0	0	0.13
24.	तमिलनाडु	2356	5016	0.59	7433	19920	0	18211	10403	20.51
25.	त्रिपुरा	544	4783	1.07	578	4253	0.48	2286	1728	0.17
26.	उत्तरांचल	153	1212	0	0	0	0	0	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	6919	29031	4.2	11789	24255	4.69	11267	27608	7.42
28.	पश्चिम बंगाल	4033	2361	1.92	5349	3986	1.46	2151	600	0.31
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	0	0.87	6	0	0.62	43	0	1.24
30.	चंडीगढ़	72	961	एन.ए.	24	794	एन.ए.	31	785	एन.ए.
31.	दादर नगर और हवेली	10	98	0	0	0	0	67	219	0.00
32.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
33.	दिल्ली	214	220	एन.ए.	624	775	एन.ए.	71	230	एन.ए.
34.	पांडिचेरी	1108	1792	1.46	2738	4400	0.64	0	0	0.00
	योग	90566	111831	31.24	99956	142073	42.86	93451	151445	41.68

बैंकों में स्वतंत्र निदेशकों के पद

1964. श्री वी. के दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निदेशकों के नामांकन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(घ) किन-किन बैंकों में ये पद वर्तमान में रिक्त पड़े हैं और कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, 1980 की धारा 9(3) के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ, तीन से छः गैर-सरकारी निदेशकों और सनदी लेखाकार (सीए) श्रेणी के अंतर्गत एक गैर सरकारी निदेशक के नामांकन का प्रावधान है। सार्वजनिक शेयरधारिता वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक से तीन के बीच शेयरधारक निदेशकों का चयन शेयरधारकों द्वारा किया जाना होता है, जो जनता द्वारा धारित शेयरों की प्रतिशतता पर निर्भर करता है- 16 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता तक एक, 16 और 32 प्रतिशत के बीच दो और 32 प्रतिशत से अधिक तीन। सीए श्रेणी के अंतर्गत निदेशक को छोड़कर, सरकार द्वारा नामित और शेयरधारकों द्वारा चयनित गैर-सरकारी निदेशकों की कुल संख्या संयुक्त रूप से छः से अधिक नहीं होगी।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के नामांकन के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड/प्रक्रिया में स्थूल रूप से यह प्रावधान है कि समान्यतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंध, मानव संसाधन, वित्त, विधि, विपणन, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। जहां तक संभव हो, महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में समग्रतः देश के सभी छः अंचलों—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। गैर-सरकारी निदेशक कम से कम स्नातक होना चाहिए। किसानों, जमाकर्ताओं और कारीगरों के मामले में मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी (एसीसी) के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की जा सकती है। निदेशक की आयु नियुक्ति बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा अधिमानतः 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। उत्कृष्ट विशेषज्ञों प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बैंक/वित्तीय संस्था में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नामित नहीं हो सकता, जिसमें उसने किसी भी श्रेणी में पिछले दो कार्यकाल अथवा छः वर्ष, जो भी अधिक हो, चाहे लागातार हो या अन्तराल के साथ हो, के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।

(घ) और (ङ) रिक्तियों की बैंक-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तथापि, इन रिक्तियों को भरने के लिए नामांकनों को पहले ही अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका है और उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अधिसूचित की जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	श्रेणी 9(3)(ज) के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की रिक्तियां
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	3
2.	आंध्र प्रदेश	1
3.	बैंक आफ बड़ौदा	1
4.	बैंक आफ इंडिया	2
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2
6.	केनरा बैंक	2

1	2	3
7.	कार्पोरेशन बैंक	3
8.	देना बैंक	3
9.	इंडियन बैंक	1
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	3
12.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2
13.	पंजाब नैशनल बैंक	3
14.	सिंडिकेट बैंक	1
15.	यूको बैंक	1
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
17.	विजया बैंक	3
	कुल	34

[अनुवाद]

फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (एफबीटी)

1965. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन क्षेत्रों पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगाया गया है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान जून, 2007 तक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के अंतर्गत कुल कितना राजस्व एकत्र किया गया है;

(ग) 2005-06 के दौरान कर संग्रह लक्ष्य की तुलना में कितना कर वसूला गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में और अधिक सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) अनुषंगी लाभ कर (एफ बी टी)अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर लगाया जाता है।

(ख) वित्त वर्ष 2006-07 में संग्रहीत कुल एफ बी टी 5323 करोड़ रु. (अनंतिम) है तथा वित्त वर्ष 2007-08 में जून, 2007 तक संग्रहीत एफ बी टी की राशि 804 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

(ग) वित्त वर्ष 2006-07 में अनुषंगी लाभ कर (एफ बी टी) के संग्रह में वित्त वर्ष 2005-06 में संग्रहीत राशि की तुलना में 11.55% की वृद्धि दर्ज की गई।

(घ) अनुषंगी लाभ कर (एफ बी टी) संरचना में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए जब भी जरूरी समझा जाता है, अनुपालन में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

अवसंरचना में निवेश

1966. श्री रनेन बर्मन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंककारी कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी बाण्ड पत्रों में निवेश के स्थान पर कृषि संबंधी अवसंरचना अथवा लघु उद्योगों पर धन खर्च करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक परिचालनात्मक, लचीली तथा विनियामक शक्तियां देने के उद्देश्य से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में पुन: संशोधन करने के लिए बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 लोक सभा में विचारार्थ तथा पारित करने हेतु लंबित है। तथापि, वर्तमान में, बैंकिंग विधि, जिसमें सरकार बांडों में निवेश करने की बजाय कृषि अथवा लघु उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाओं में धन निवेश करने की किसी योजना का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नाबार्ड का सूक्ष्म वित्त संस्थान

1967. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने हाल ही में एक सूक्ष्म वित्त संस्थान आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) नाबार्ड को स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन को बढ़ाने के अतिरिक्त व्यष्टि वित्त क्षेत्र को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार, नाबार्ड ने कर्नाटक एग्री डेवलपमेंट फाइनैन्स कंपनी लि. (केएडीएफसी) को मॉडल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी व्यष्टि वित्त संस्था के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इसे प्रायोगिक आधार पर व्यष्टि वित्त संस्था (एमएफआई) में बदलने का निर्णय लिया है। केएडीएफसी को नाबार्ड फाइनैंशियल सर्विसेज लि. (एनएबीएफआईएनएस) के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा और यह नाबार्ड के अनुषंगी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें नाबार्ड की न्यूनतम 51% इक्विटी होगी। संभवत: यह व्यष्टि वित्त संस्था वर्ष 2007-08 के दौरान कार्य करना शुरू कर देगी।

फ्यूज सीएफएल बल्बों का निपटान

1968. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने सम्पूर्ण देश में ऐसे 50 केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया है जहां फ्यूज सीएफएल का निपटान किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य-वार सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए चयन किये गए स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) यह सूचित किया गया है कि काम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लेम्पों (सीएफएल) में पारे की मात्रा 1.3 मिलिग्राम से 5 मिलिग्राम तक होती है जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए नुकसान देय नहीं होता है जब तक कि बल्ब अखंडित या उपयोग में रहते हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सीएफएल से पारे के सुरक्षात्मक प्रबंध पर एक नीति तैयार करने के लिए 14.8.2007 को एक टास्क फोर्स गठित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1969. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा वित्त निगम (पीएफसी) ने देश में स्थापित की जा रही अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने लगभग 4000 मेगावाट क्षमता प्रत्येक की कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के विकास के लिए पहल शुरू की थी। ये परियोजनाएं निर्माण, स्वामित्व तथा प्रचालन आधार पर विकसित की जा रही है और परियोजना विकासकर्ता का चयन परियोजना विशेष शेल कंपनियों द्वारा शुरू की गई/शुरू की जाने वाली टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिन्हें पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, जो कि इस पहल के लिए एक अभिज्ञात मॉडल एजेंसी है, पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सब्सिडियों के रूप में स्थापित की गई है।

राज्यों के साथ परामर्श करके केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने यूएमपीपी की स्थापना हेतु निम्नलिखित नौ स्थानों को अभिज्ञात किया था-

1. सासन (मध्य प्रदेश)
2. मुंद्रा (गुजरात)
3. कृष्णपटनम (आंध्र प्रदेश)
4. अकलतारा, (छत्तीसगढ़)
5. ताद्री (कर्नाटक)

6. गिरये (महाराष्ट्र)

7. चेम्यूर (तमिलनाडु)

8. सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा और

9. सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा और

10. तिलैया (झारखंड)

उपरोक्त में से, मुंद्रा और आसान स्थित यूएमपीपी के संबंध में बोली प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) और तिलैया (झारखंड) में यूएमपीपी के संबंध में बोली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना

1970. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की त्रिवार्षिक समीक्षा पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या समीक्षा के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2006 में त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के अधीन रहते हुए नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों के 106 पद अनुमोदित किए गए हैं:

1.	इलाहाबाद	65 न्यायाधीश
2.	आंध्र प्रदेश	27 न्यायाधीश
3.	कलकत्ता	08 न्यायाधीश
4.	दिल्ली	01 न्यायाधीश
5.	कर्नाटक	01 न्यायाधीश
6.	केरल	01 न्यायाधीश
7.	पंजाब और हरियाणा	02 न्यायाधीश
8.	मध्य प्रदेश	01 न्यायाधीश

राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की स्वीकृति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 65 पदों, कर्नाटक में 1 पद और मध्य प्रदेश में न्यायाधीशों के 1 पद का पहले ही सृजन कर दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ मामले में 6 अक्टूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की संपूर्ण प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को पूरी करनी होती है।

राष्ट्रीय शहरी आयोग की स्थापना

1971. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शहरी आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयोग की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में सरकारी क्षेत्र के बैंक

1972. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विदेशों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंक और उनकी शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के समक्ष विदेशों में और अधिक शाखाएं खोलने के कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और किन-किन देशों में ये शाखाएं खोली जानी है;

(ग) क्या सरकार को मेजबान देश से इन शाखाओं के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राप्त हुई शिकायतें किस प्रकार की है;

(ङ) क्या आरबीआई इन बैंक शाखाओं के कार्यकरण की निगरानी कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 31 जुलाई, 2007 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विदेश में 115 शाखाएं हैं, जिनमें पंजाब नैशनल बैंक-1, इलाहाबाद बैंक-1, भारतीय स्टेट बैंक-33, बैंक आफ इंडिया-22, बैंक आफ बड़ौदा-42, इंडियन बैंक-3, इंडियन ओवरसीज बैंक-6, यूको बैंक-4, केनरा बैंक-2 और सिंडिकेट बैंक-1 शामिल हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों से 7 देशों, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ओमान, बहरिन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और न्यूजीलैंड में विदेश शाखाएं खोलने के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को मेजबान देशों के विनियामकों की ओर से इन शाखाओं के कामकाज के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक तिमाही विवरणियों, विदेशी विनियामक उल्लंघन की घटना, यदि कोई है, की सूचना देने वाले बैंकों के मुख्य कार्यकारी की ओर से भेजे गए तिमाही पत्रों और बैंकों के मासिक अनुपालन प्रमाणपत्रों के जरिये स्थलेत्तर निगरानी द्वारा विदेश स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं पर नजर रखता है। इसके अलावा, किसी उल्लंघन के न होने पर बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष ये प्रमाणित करना जरूरी है कि किसी भी देश में, जहां संबद्ध बैंक की शाखा/कार्यालय हैं, किसी विनियम का उल्लंघन सूचित/प्रेषित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक कभी-कभी इन शाखाओं का स्थल पर निरीक्षण करता है।

एस.बी.आई. में जमा राशि

1973. श्री सुग्रीव सिंह:
किसनभाई वी. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की जमा राशियों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.बी.आई. ने इस प्रवृत्ति के लिए जिम्मेवार कारकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय स्टेट बैंक की जमाराशियों में पिछले तीन वर्षों में निम्नानुसार बढ़ोत्तरी होती है:-

(रुपए करोड़ में)

की स्थिति के अनुसार	जमाराशियां
31.3.2005	367047.53
31.3.2006	380046.06
31.3.2007	435521.09

(ग) और (घ) उपर्युक्त के आलोक में, ऐसे किसी अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है।

देश में वाणिज्यिक बैंक

1974. श्री वी. विनोद कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991, 2001 और 2007 में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार देश में वाणिज्यिक बैंकों की कितनी ग्रामीण शाखाएं हैं;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) देश भर में, वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या मार्च 1991, 2001 तथा 2007 की समाप्ति के अनुसार, क्रमश: 35206, 32562 तथा 30573 है।

(ख) जी, हां।

(ग) हालांकि ग्रामीण शाखाओं की संख्या वर्ष 1991 के 35206 से घटकर वर्ष 2007 में 30573 हो गई है, इसी अवधि के दौरान शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 60220 से 71548 और अर्द्ध-शहरी शाखाओं की संख्या 11344 से 16273 हो गई है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या समूह वर्गीकरण को अद्यतन करने के परिणाम स्वरूप, मार्च 2006 में बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों की स्थिति (अर्थात ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी, शहरी एवं महानगर) में 2001 की जनगणना के अनुसार केन्द्रों की जनसंख्या में 1991 की जनगणना की तुलना में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप, कई बैंक सुविधायुक्त केन्द्रों के जनसंख्या समूह का कम जनसंख्या समूह से अधिक जनसंख्या समूह में अद्यतन होने के कारण परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, कई बैंक सुविधायुक्त केन्द्रों, जो 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण के रूप में पहले वर्गीकृत थे, उन्हें 2001 की जनगणना के अनुसार अर्द्धशहरी, शहरी, महानगर के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

पैन कार्ड धारकों को तंग किया जाना

1975. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थायी खाता संख्या (पैन) की गोपनीयता नहीं रखी जाती और पैन से संबंधित जानकारी तथा आंकड़े लीक कर दिए जाते हैं जिससे पैन कार्ड धारक को बैंक एजेन्टों तथा अन्य लोगों के हाथों परेशानी झेलनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो पैन से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। स्थाई खाता संख्या से संबंधित सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। सरकार की जानकारी में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है जिसमें पैन से संबंधित डाटा लीक हुआ है जिनकी वजह से पैन धारक को बैंक के एजेन्टों से परेशानी झेलनी पड़ती है।

धोखा-धड़ी करने वालों से वसूली

1976. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के दौरान धोखा-धड़ी हुई थी जैसा कि दिनांक 12 मई, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा धोखा-धड़ी का पता लगाए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक धोखा-धड़ी करने वालों और संबंधित बैंकों से धनराशि वसूली करने में असफल रहा है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी हां, 12.05.2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशन के अनुसार रूपए-रूबल करार के तहत रूस को वस्तुओं के निर्यात के संबंध में धोखा-धड़ी से शुल्क प्रति अदायगी प्राप्त करने के कई मामले राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए हैं।

(ख) उक्त धोखा-धड़ी के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जांच की और कुछ बैंकों के संव्यवहारों की नमूना संवीक्षा की जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि बैंकों ने प्रलेखी ऋण और विनिमय नियंत्रण विनियमों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का पालन किया है। वस्तुत: भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में कोई कार्रवाई शेष नहीं है।

(ग) शुल्क/निर्यात प्रोत्साहनों की वसूली के लिए धोखा-धड़ी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने धोखा-धड़ी करने वालों द्वारा धोखा-धड़ी से शुल्क की प्रति अदायगी लेने के कारण 471.044 करोड़ रुपये की मांग की है जिसमें से 8.56 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उसी समय 29 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जिनमें से 6 कारण बताओ न्यायनिर्णित कर लिए गए हैं इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशालय ने 8 मामलों में अभियोजन शुरू कर दिया है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6785/2007]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6786/2007]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 861(अ) जो 1 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 को अधिसूचित किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6787/2007]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 14 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 762(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2007 जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 849(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2007 जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 850(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2007 जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 853(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2007 जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1044(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर विवरणी इलेक्ट्रोनिक फर्निशिंग स्कीम, 2007 जो 27 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1281(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1355(अ) जो 3 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (48) के प्रयोजनार्थ जीरो कूपन बाण्ड के रूप में उसमें उल्लिखित विवरणों सहित बाण्ड को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1356(अ) जो 3 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए लागत स्पष्टीति सूचकांक 551 को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6788/2007]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड 23ग के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 851(अ) 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (iv) और उपखंड (v) के प्रयोजनार्थ मुख्य आयुक्तों अथवा महानिदेशकों को 1 जून, 2007 से विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 852(अ) जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या किसी भी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और उपखंड (vi क) के प्रयोजनार्थ मुख्य आयुक्तों अथवा महानिदेशकों को 1 जून, 2007 से विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6789/2007]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ग) के अंतर्गत जारी दिनांक 21 मई, 2007 की परिपत्र संख्या 2/2007 जो डिजीटल हस्ताक्षरों के माध्यम से टीडीएस प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के विकल्प के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6790/2007]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष जी, प्रेमचन्द गुप्ता की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) दूसरा संशोधन नियम, 2007 जो 31 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2007 जो 30 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गम) (संशोधन) नियम, 2007 जो 11 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 24 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6791/2007]

[अनुवाद]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6792/2007]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 के खंड 21 के उपखंड (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) "महात्मा बसवेश्वर" से संबंधित आयोजन के अवसर पर पांच रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2006 जो 26 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 312(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "दाण्डी मार्च के 75 वर्ष" से संबंधित आयोजन के अवसर पर पांच रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2006 जो 3 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) "संपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी" विषय पर पांच रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 5 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) "संपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी" विषय पर दस रुपए का बाई-मेटलिक सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) "लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं वर्षगांठ" के उपलक्ष्य में सौ रुपए और पांच रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6793/2007]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 528(अ) जो 2 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय किसी निर्यातोन्मुखी उपक्रम में उत्पादित अथवा विनिर्मित माल जो विदेश व्यापार नीति-2004-2009 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निर्यात किया जाता है, के विनिर्माण अथवा संसाधन में उपयोग हेतु घरेलू टैरफ क्षेत्र में किसी यूनिट को शुल्क के भुगतान के बिना निकासित टैगों, लेबलों, मुद्रिक थैलों, स्टीकरों, बेल्टों, बटनों और हैंगरों जैसी वस्तुओं की पूर्ति हेतु शर्तें, सुरक्षोपायों और प्रक्रियाओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन अधिसूचना करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 416(अ) जो 6 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जिसके द्वारा 7 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 2/2005-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेनवेट क्रेडिट (पांचवां संशोधन) नियम, 2007 जो 11 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 516(अ) जो 30 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजनयिक मिशनों अथवा वाणिज्य दूतावासों अथवा राजनयिक एजेंटों अथवा कैरियर कंसुलर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिदाय दावों को प्राप्त करने के लिए उसमें उल्लिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को सहायक/उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेनवेट क्रेडिट (सातवां संशोधन) नियम, 2007 जो 3 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 530(अ) जो 2 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 531(अ) जो 2 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय बैंडेज और प्लास्टर्स आफ पेरिस (फार्मास्यूटिकल ग्रेड) पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6794/2007]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 की धारा 12, 17 से 19 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 182(अ) जो 8 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 183(अ) जो 6 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 299(अ) जो 19 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 42/2001-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 300(अ) जो 19 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 45/2001-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 301(अ) जो 19 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 12 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 23/2006-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 302(अ) जो 19 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 26/2004-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6795/2007]

(4) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 772(अ) जो 17 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें उक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6796/2007]

(5) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6797/2007]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 364(अ) जो 21 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 365(अ) जो 21 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा जिसमें 11 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 421(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 366(अ) जो 21 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 154/1994-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 485(अ) जो 16 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए शुल्क ड्राबैक दरें अधिसूचित की गई हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 529(अ) जो 2 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.सु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 539(अ) जो 8 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6798/2007]

(7) 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:

(एक) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6799/2007]

(दो) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6800/2007]

(तीन) सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6801/2007]

(चार) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6802/2007]

(पांच) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक, वाराणसी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6803/2007]

(छह) मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6804/2007]

(सात) रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6805/2007]

(आठ) सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6806/2007]

(नौ) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6807/2007]

(दस) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6808/2007]

(ग्यारह) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6809/2007]

(बारह) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6810/2007]

(तेरह) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6811/2007]

(चौदह) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6812/2007]

(पन्द्रह) रत्नागिरि सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6813/2007]

(सोलह) रीवा सिधी ग्रामीण बैंक, रीवा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6814/2007]

(सत्रह) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6815/2007]

(अठारह) कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6816/2007]

(उन्नीस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6817/2007]

(बीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6818/2007]

(इक्कीस) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6819/2007]

(बाईस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6820/2007]

(तेईस) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6821/2007]

(चौबीस) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6822/2007]

(पच्चीस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6823/2007]

(छब्बीस) श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6824/2007]

(सत्ताईस) वेनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6825/2007]

(अट्ठाईस) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6826/2007]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2007 जो दिनांक 29 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/2007/2518 में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में) जो दिनांक 29 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/2007/2518(133) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2007 जो दिनांक 29 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/2007/2519 में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में) जो दिनांक 29 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/2007/2519(134) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेण्ट बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2007 जो दिनांक 29 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/2007/2517 में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) जो दिनांक 29 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/2007/2517 (135) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बे-बैक) (संशोधन) विनियम, 2007 जो दिनांक 29 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/2007/2007 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6827/2007]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 136 जिसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, जो 29 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6828/2007]

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों के शैक्षणिक विकास की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा-संघ सरकार (सिविल) (2007 का संख्यांक 14)-कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6829/2007]

(दो) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-आयुध निर्माणियों में भंडारों तथा मशीनरी के प्रापण की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2007 का संख्यांक 19)-कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा-आयुध निर्माणियां (रक्षा मंत्रालय)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6830/2007]

(तीन) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों में वाणिज्यिक विंगों के कार्यकरण के कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा-संघ सरकार (सिविल) (2007 का संख्यांक 21)-कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा-(विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6831/2007]

(11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क) की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 535(अ) जो 3 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित आंशिक ओरिएण्टेड यार्न के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6832/2007]

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

इक्यावनवां और चौवनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "विदेश मंत्रालय द्वारा संपत्ति प्रबंधन" के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(2) "स्वीकृत अनुदानों पर अधिशेष तथा प्रभारित विनियोग (2005-2006)" के बारे में 54वां प्रतिवेदन।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06, 2006-07 तथा 2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 141वें, 157वें, 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं यह विवरण लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमावली (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 के प्रावधानों के अनुपालन में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश 73-ए के अधीन सम्मानित सदन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 141वीं, 157वीं तथा 172वीं रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. 141वीं रिपोर्ट जैवप्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय वर्ष 2005-06 की विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार से संबंधित है। मैंने 141वीं रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण 5.5.2005 और 23.12.2005 और 25.8.2006 को प्रस्तुत किये थे और सदन को सूचित किया था। वर्तमान विवरण में रिपोर्ट के पैरा 43 में की गई सिफारिशों से संबंधित अद्यतन स्थिति में दी गई है। विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-I पर है।

[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6833/2007]

3. 157वीं रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। मैंने समिति द्वारा उसकी 141वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में 25.8.2006 को विवरण प्रस्तुत किये थे तथा सदन को सूचित किया था। वर्तमान विवरण में रिपोर्ट के पैरा 44, 56 एवं 62 में की गई सिफारिशों से संबंधित अद्यतन स्थिति दी गई है। विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-II पर है।

[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6834/2007]

4. 172वीं रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगो पर विचार करने से संबंधित है। समिति ने अपनी 28.3.2007 को आयोजित बैठक में डीबीटी के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में हुई प्रगति की समीक्षा की और 26.4.2007 को अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की।

[सभा पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6835/2007]

5. रिपोर्ट में 17 सिफारिशें हैं, इनमें से कुछ सलाहकारी प्रकार की हैं। अन्य सिफारिशें जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं: कार्यक्रमों का पुनर्गठन, कृषि जैवप्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण, टीका विकास के लिए प्रौद्योगिकियां, पशु विज्ञान और सार्वजनिक निजी साझेदारी इत्यादि।

6. जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समिति की सभी 17 सिफारिशों पर विचार किया गया। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्यसभा सचिवालय को भेज दिया गया है। कृत कार्रवाई का ब्यौरा अनुबंध-III पर है।

*सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.03½ बजे

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण

*सभा पटल पर रखा गया।

और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) की 162वीं रिपोर्ट में की-गई-सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन-भाग-II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 14 दिसम्बर, 2006 को अपनी 162वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की 162वीं रिपोर्ट में कुल 34 सिफारिशें की गई थीं। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण अनुबंध में संलग्न है जिसे सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति दी जाए।

[सभा पटल पर रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6836/2007]

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि बुधवार, 29 अगस्त 2007 को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य सम्मिलित किये जायेंगे:

(एक) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना:

(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) विधेयक, 2007।

(ख) राज्य सभा द्वारा यथापारित अंतर्देशीय जलयान (संशोधन) विधेयक, 2005।

(ग) राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2006।

(घ) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2007।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशिष्ट प्रावधान) अध्यादेश, 2007 के निरसन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशिष्ट प्रावधान) विधेयक, 2007 पर विचार किये जाने और पारित किये जाने की अनुमति हेतु सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं:

1. सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधेयक लाया जाना चाहिए।
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय, भुवनेश्वर में पिछले 25 वर्षों से रखे गये महात्मा बुद्ध के अवशेषों को इसके उत्खनन स्थान ललितगिरी पर रखने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ा जाए:

1. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से बने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को जिनकी हालत अत्यधिक खराब हो चुकी है। प्रथम श्रेणी मार्ग को भी प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना में शामिल कर नया कार्य प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है।
2. गुजरात के सौराष्ट्र एरिया को राष्ट्रीय राजमार्ग से बहुत कम जोड़ा गया है। उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

(एक) भारतीय खाद्य निगम की दुर्गापुर यूनिट (पश्चिम बंगाल) स्थित चावल मिल में पिछले 31 वर्षों, अर्थात 1976 से 49 नैमित्तिक कामगार नैमित्तिक आधार पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 1991 में चावल मिल के बंद हो जाने पर आज तक वे भारतीय खाद्य निगम में क्रय कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। यद्यपि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार 1999 में औद्योगिक न्यायाधिकरण, आसनसोल) ने नैमित्तिक कामगारों को स्थायी करने का आदेश दिया परन्तु भर्ती में विलम्ब करने के लिए प्रबंधन ने उच्चतर न्यायालय में मामला दायर किया। यह अमानवीय है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

[श्री सुनील खां]

(दो) नमोशुद्रा, पोंड और माजी जातियां पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियां मानी जाती हैं जबकि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये अनुसूचित जातियों की श्रेणी में परिगणित नहीं की जाती। वस्तुत: बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप नमोशुद्रा जाति के लोग शरणार्थी हैं। केन्द्र सरकार के विधान द्वारा इन जातियों को अनुसूचित जातियां घोषित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, मैं मांग करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाए:

1. सभी प्रकार के चयन मंडलों, चयन समितियों, लोक सेवा आयोगों में कम से कम एक प्रतिनिधि-अन्य पिछड़ा वर्ग से सुनिश्चित किये जाने हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख—अनुपस्थित। श्री मनसुखभाई डी. वसावा—अनुपस्थित।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं लोक महत्व के निम्नांकित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की मांग करता हूं:

(क) पूर्वमध्य रेलवे अंतर्गत सकरी-निर्मली रेलखंड में लोहना एवं झंझारपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कमलाबालान नदी पर बहुत पुराना पुल है, नदी में बालू जमाव के कारण बरसात में पानी पुल के ऊपर बहने लगता है, जिससे रेल यातायात बाधित हो जाता है। जनहित में वहां पर नया ऊंचा रेल पुल बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) पूर्वमध्य रेलवे अंतर्गत झंझारपुर-लोकहा रेलखंड का लोकहा बाजार अंतिम स्टेशन है, जो भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है। नेपाल से बड़ी संख्या में यात्री इन स्टेशन से रेल यात्रा करते हैं। यहां पर विश्रामालय नहीं है, शैड टूटे हुए हैं। इस टर्मिनल स्टेशन पर यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने तथा स्टेशन के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिसिंह चावड़ा—अनुपस्थित।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैं मांग करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलति किया जाए:

1. उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति है। प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए। नहरों में पानी छोड़ा जाए, कृषकों को खाद्य, सिंचाई, 16 घंटे बिजली दी जाए तथा राजस्व वसूली को माफ किया जाए।

2. गरीब किसानों को कृषि योग्य भूमि आवंटन, इंदिरा आवास, अंत्योदय कार्ड, बंद पड़े नलकूपों को ठीक कराने तथा निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएं।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं:

(एक) राजस्थान में तेल से प्राप्त लाभांश पर रायल्टी में हिस्सेदारी का मुद्दा।

(दो) राजस्थान के सभी जिलों को एन.आर.ई.जी.ए. में सम्मिलित किये जाने संबंधी मुद्दे पर चर्चा की जाए।

अपराह्न 12.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना*

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 11, ध्यानाकर्षण पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इंतजार कीजिए। पहले तीन माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए।

---

*माननीय अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों द्वारा निवेदन किए जाने पर ध्यानाकर्षण को नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा में परिवर्तित कर दिया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, हमने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी अन्य सदस्य नहीं बोलेगा। मैं हरदम तैयार रहता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): **मैं, कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता** मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं तथा मेरा अनुरोध है कि वो इस बारे में वक्तव्य दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सहमत हैं तो हम उस (दूसरे) विषय पर विचार कर सकते हैं। बाढ़ पर चर्चा करने के बाद हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं इस पर सहमत नहीं हूं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): मैं तैयार हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: लेकिन मैं तैयार नहीं हूं।

श्री शरद पवार: मैं तैयार हूं और इस पर कोई परेशानी नहीं है। परन्तु, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे यह नोटिस इस सूचना के साथ कल रात 9.15 बजे मिला था कि 10 बजे मैं संसदीय सचिवालय को विस्तृत वक्तव्य सौंप दूं। यह एक अतिमहत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे सारी सभा जानना चाहेगी। यदि संसदीय सचिवालय 15 से 45 मिनट में हमसे रिपोर्ट प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो मेरे विचार से यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। इसमें विलम्ब हुआ है। मैं इस विलंब के कारण का पता लगाऊंगा। परन्तु, क्या आप उन्हें कुछ समय देना चाहेंगे? मेरे विचार से पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, इस विषय को दूसरे दिन के लिए डैफर कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या हम इस पर 29 अगस्त को विचार कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं हूं। आप प्रस्तुत कर सकते हैं। मुद्दा यह नहीं है। मूल्य वृद्धि की मुद्दा अति आवश्यक है ...*(व्यवधान)*। मेरा कहना यह है कि जब यह नोटिस स्वीकार कर लिया गया है तो इस पर चर्चा की जानी चाहिए। ऐसे पूर्व उदाहरण भी हैं। आप इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा यही मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। परन्तु मुद्दा यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात इसी सभा में नियम 193 के तहत इसी विषय पर पूर्ण चर्चा की अनुमति देना बहुत मुश्किल है। इसलिए, मेरे विचार से मंत्री नियम 193 के तहत चर्चा के लिए सहमत हैं।

श्री शरद पवार: महोदय, मैं तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से हम अगले बुधवार को इस पर चर्चा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर नियम 193 के तहत चर्चा की जाएगी तथा श्री गुरुदास दासगुप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: परन्तु इसमें एक दिक्कत है। मैं सभा को स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा कि सामान्यत: नियम 193 के तहत चर्चा दिन के अंत में की जाती है और ऐसा करने से विषय का महत्व सदैव ही कम हो जाता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए हम इस पर बुधवार को विचार कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसकी बात सुनूं। किसी में भी धैर्य नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। यदि सभा के माननीय नेता सहमत हैं तो बुधवार को 2 बजे हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, आपके सुझाव का हम सदैव पालन करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी उनसे यही अपील है कि इस वाद-विवाद के पश्चात उस दिन के विधायी कार्य को पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (चेतिया): अध्यक्ष महोदय, बाढ़ वाले 193 का क्या होगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके इधर रहिए। वह इसके बाद होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बाढ़ के विषय में चर्चा आज ही होगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मेरा एक ही अनुरोध है। बाढ़ पर चर्चा अधूरी है तथा विशेषकर बिहार के अनेक सदस्यों ने मुझसे अनुरोध किया है कि चर्चा सोमवार तक भी जारी रखी जाए क्योंकि बिहार के अधिकतर सदस्य अपने कार्यक्रमों के लिए आज पटना जा रहे हैं। इसलिए, मेरा आपसे निवेदन है कि बाढ़ पर चर्चा आज पुन: आरम्भ हो तथा इसे आज समाप्त नहीं किया जाए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): हमारा किसानों के बारे में भी 193 है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंडे की छुट्टी है। बुधवार को डिसकशन करा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चर्चा तत्काल आरंभ होगी।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुझे यही डर है कि यदि इस पर चर्चा दिन के अंत में करेंगे तो विषय का महत्व कम हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि आगामी बुधवार तक मैं अध्यक्ष रहा तो चर्चा 3 बजे आरंभ हो जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, आपने कहा था कि इस पर चर्चा 2 बजे आरंभ होगी।

अध्यक्ष महोदय: एक सरकारी विधेयक भी है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया की गारंटी नहीं दे सकता हूं परन्तु मैं लोक सभा चैनल जो आपके नियंत्रण में है, तथा दूरदर्शन जो मेरे नियंत्रण में है—ये दोनों ही चैनल वाद-विवाद को निश्चय ही उच्चतम प्राथमिकता देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: ये तो दया दिखा रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में हल्की-फुल्की टिप्पणियां तथा हास्य-परिहास भी होना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: हमारी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन कल और परसों बनारस में है। हमारे लगभग सभी एमपीज आज ही चले गये हैं। सोमवार और मंगलवार सदन की बैठक नहीं है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि बुधवार को बाढ़ पर चर्चा खत्म कर दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: बाढ़ पर डिसकशन आज और अभी होगी। आप बैठिए। बनारस की ट्रेन के जाने में अभी देर है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इस बात को छोड़िए। मैं उनकी बात पर राजी नहीं हुआ हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं देखूंगा कि सभी नाम यथावत् रहें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय इस चर्चा हेतु मेरा नाम दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसलिए, मुझे कामरेड गुरुदास दासगुप्त के बाद बोलने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: गुरुदास जी के बाद यह बोलेंगे, फिर वह बोलेंगे, क्या यह केवल सी.पी.एम. का ही हाउस है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आज जिसका नाम पहले है वो चर्चा आरंभ कर सकता है तथा अन्य दल-वार सदस्यों की संख्यानुसार बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, ध्यानाकर्षण को अब नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। मामले के महत्व को देखते हुए इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया है। श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा 29 अगस्त 2007 को चर्चा हेतु प्रस्ताव किया जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैंने सुझाव दिया है कि चर्चा 2 बजे आरंभ होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अपराह्न 2 बजे एक लघु विधेयक को निपटाया जाना है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: 29 तारीख को बाढ़ पर डिस्कशन होगा?

अध्यक्ष महोदय: आज भी बाढ़ पर डिस्कशन होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आज हम लोग यहां नहीं होंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा की बैठक स्थगित कर दूंगा। बहुत हो गया। हम एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विधेयक का बहुत ही थोड़े समय में शायद एक घंटे में ही निपटारा किया जा सकता है। हम इस विधेयक पर कार्यवाही पूरी करेंगे। मेरा कहना है कि मैंने निर्णय लिया है कि इसे तुरन्त यदि आवश्यक हुआ, तो हम उस दिन अपराह्न 2.00 बजे तक मध्याह्न भोजनावकाश नहीं करेंगे और विधेयक को बुधवार, 29 अगस्त 2007 को चर्चा हेतु लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप तीनों एक साथ बोलेंगे, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, चूंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित किया जा रहा है, अत: मुझे भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य के पश्चात् बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह अध्यक्षपीठ द्वारा तय किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसे पूर्वोदाहरण हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, अस्थायी तौर पर यह तय किया गया था कि भारत-अमरीकी परमाणु करार पर चर्चा 29 अगस्त, 2007 को होगी।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह तय नहीं किया गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, कार्यमंत्रणा समिति में जो निर्णय लिये जाते हैं, उन पर यहां सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसी परम्परा से बचना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। *...(व्यवधान)* माननीय सदस्य स्वयं ही हर बात का अंदाजा नहीं लगा सकते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सभा के अनेक पक्षों की ओर से यह मांग है कि इस विषय के महत्व को देखते हुए इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर दिया जाए। मैं इसके लिए तैयार हूं, परन्तु ऐसा करने के लिए सभा के सभी पक्षों से सहयोग अपेक्षित है। यदि आप इस पर अलग से चर्चा नहीं करना चाहते तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जारी रखूंगा। अत: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। बुधवार, जो कि अगला कार्य दिवस है, को अपराह्न 3.00 बजे चर्चा आरम्भ होगी। इस विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होगी। श्री गुरुदास दासगुप्त का नाम पहले नवम्बर पर होंगे तथा दूसरा श्री बसुदेव आचार्य का होगा, परन्तु उन्हें कब बोलना है यह अध्यक्षपीठ द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसे 30 तारीख को लिया जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने कहा है कि होगा—जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी लेंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आज सुबह ही 29 तारीख तय की है।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग ही 193 मांगते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वह भी 193 है।

अध्यक्ष महोदय: हमने तो पहले ही माना है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): आज प्राइवेट मैम्बर बिल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। बाढ़ पर छ: घंटे से चर्चा चल रही है। आप ही के दल के माननीय सदस्य 66 मिनट से अधिक का समय ले चुके हैं। मैं आज ही आपको बोलने की यथाशीघ्र अनुमति दूंगा। कितने सदस्य बोलेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी आपको बाढ़ के डिस्कशन में भाग लेने का मौका देंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम यहां नहीं होंगे। हम लोगों का कड़ा विरोध है। आज प्राइवेट मैम्बर बिल का दिन है, आज कैसे बाढ़ की डिस्कशन को पूरा करेंगे? यह पूरा नहीं हो सकेगा। क्या 29 को बाढ़ की डिस्कशन है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहस का उत्तर देना होगा।

[हिन्दी]

हमने वही बोला है आपने सुना नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह कैसे होगा? क्या आज बाढ़ के डिस्कशन का रिप्लाई होगा?

अध्यक्ष महोदय: क्या ऐसा कोई रूल है कि शुक्रवार को रिप्लाई नहीं होगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: शुक्रवार को प्राइवेट मैम्बर बिल पोस्टपोन होगा?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बाढ़ पर जितने सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें इस विषय पर बोलने दीजिए। मुझसे इसके लिए विशेष आग्रह किया गया है। मैंने उनसे कहा है कि मैं उनके आग्रह से अवगत करा दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं यह निर्णय नहीं ले सकता। माननीय गृह मंत्री जी उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बिहार के सांसद इस विषय पर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं और आज वे बिहार जा रहे हैं, इसलिए बहस जारी रह सकती है और यदि आप अनुमति दें तो उसका अगले दिन उत्तर दिया जा सकता है। इस विषय पर आपको ही निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सर, वही मैं कह रहा हूं कि आज रिप्लाई नहीं हो सकता। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बाढ़ पर डिस्कशन अभी चलेगा। 3.30 प्राइवेट मैम्बर बिल आने वाला है। आप लोग बोलते रहिए, कितना बोलेंगे।

श्री रघुनाथ झा: सर, हमने आपको कहा कि हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन आज रात नौ बजे से शुरू हो रहा है और यह तीन दिन चलेगा। हमारे सारे एम.पीज. चले गये। हम लोग अभी ट्रेन और प्लेन पकड़कर जाने वाले हैं। इसलिए हमने आपसे निवेदन किया था कि हम बिहार के लोग अधिक सफर हैं, वहां पांच सौ से अधिक लोग मर गये हैं। सारे बिहार में अभी भी कहीं जाने का रास्ता नहीं है। यदि हमें समय नहीं होगा और हम लोग यहां नहीं होंगे तो हम होम मिनिस्टर साहब से कैसे पूछेंगे और क्लेरिफिकेशन करेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इसे बुधवार को ले लीजिए या अगले दिन कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बुधवार को आप इनका डिस्कसन ले लीजिए, इसका जवाब अगले दिन करा दीजिए। आप इसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। चाहे तो आप हमारा

जवाब 30 तारीख को करा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसकी अर्जेन्सी है और वहां पांच सौ लोग मर गये, उसकी अर्जेन्सी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: क्या बात कर रहे हैं। पहले दिन से हमने फ्लड पर डिस्कशन के लिए टाइम दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्षपीठ को दोषी मत ठहराइये। कितना समय नष्ट हो चुका है। यह अति है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: आपने समय दिया है और कल भी दुख प्रकट किया है। लेकिन आप दूसरे की बात भी सुनिये। यही तो हमारी मजबूरी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: स्पीकर साहब तो टाइम देते थे, लेकिन हम ही लोग हाउस नहीं चलाते थे, स्पीकर साहब को क्या प्रॉब्लम है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्राथमिकता के तौर पर इस विषय अर्थात बाढ़ पर चर्चा की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

छ: घंटे का डिस्कशन हुआ है।

[अनुवाद]

आपकी पार्टी के सम्मलेन के कारण आप एक विशेष निर्देश चाहते हैं। आप शीघ्र ही चर्चा आरम्भ कीजिए और यदि आप चाहें तो माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हैं। आप बोलिये, ठीक है। बाढ़ पर चर्चा आरम्भ कीजिए। अब आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, 'शून्य काल' का क्या होगा? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): सर, जीरो ऑवर क्यों नहीं होगा, इतने सारे इम्पार्टेंट इश्यूज हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री आठवले जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं इतने सारे सलाहकारों से नहीं निपट सकता। मैं श्री दासगुप्त जी, श्री आचार्य जी तथा श्री चन्द्रप्पन जी का आभारी हूं कि वे मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं, क्योंकि मैंने इसकी अनुमति दी है। परन्तु सभा की भावना को देखते हुए, मैं इस चर्चा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर रहा हूं। यदि सभी पक्षों की ओर से इस प्रकार बाधा उत्पन्न की जाएगी तो अध्यक्ष किस प्रकार कार्य कर सकता है? आप छह घंटे से बोल रहे हैं। मैं सदस्यों से परेशान हूं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिसका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूची में है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ अब अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोल सकती हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के भाषण के दौरान बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

रनिंग कमेंट्री बंद करनी होगी। नहीं होगा तो हम एक्शन लेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज दिल्ली में बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और वे बहुत ही पीड़ित और दुखी हैं। दिल्ली में इस समस्या से आम आदमी बहुत परेशान है। दिल्ली में यह हालत है कि जो कंपनियां यहां आई हैं, चाहे वह बी.एस.ई.एस. यमुना हो, बी.एस.ई.एस. राजधानी या एन.डी.पी.एल. हो, मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये कंपनियां यहां आई और इन्होंने दिल्ली के सारे निवासियों को इन्होंने इस तरह से दुखी किया है कि वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। दिल्ली के चारों ओर स्लम वाले इलाके हैं, झुग्गी क्लस्टर्स हैं या पॉश कालोनीज हैं। उसमें हर जगह या तो बिजली पूरी नहीं आती है और यदि कुछ जगहों पर पूरी बिजली आती भी है तो बिजली की जो दरें बढ़ी हैं, उस दर के कारण इतने बड़े-बड़े बिल आते हैं कि लोग उन्हें भरने में अपने आपको असहाय पा रहे हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी की तरह अम्बानी ग्रुप ने अपनी दो कंपनियां लाकर लोगों के जो मीटर लगाये गये हैं और जिस तरह से वे चलते हैं, उसके कारण आम आदमी, जो छोटा कर्मचारी हैं, छोटा दुकानदार है, वह दिन भर में जितना कमाता नहीं है, उससे ज्यादा का बिल देने में उसे परेशानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2002 में इस कंपनी ने इस कार्यभार को संभाला था। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): क्या आप अपनी ही सरकार की बुराई कर रही हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री कृपलानी जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ: मैं सरकार की बुराई नहीं कर रही हूं। मैं बिजली वालों की बात कर रही हूं। इससे पहले डीवीबी या डेसू कंपनी थी *...(व्यवधान)* लगता है कि उन्होंने आप लोगों को भी खरीद रखा है। अपोजीशन इसलिए नहीं बोलती क्योंकि आप लोगों के मुंह इस वजह से बंद हैं। *...(व्यवधान)* जो बीस-बीस साल पहले के बिल हैं, वे लोग हरेक बिल के पीछे पुराने बिल लगाकर उसमें एरियर मांगना चाहते हैं। इस बात से आम आदमी बहुत दुखी है और आम आदमी के बारे में जगह-जगह चोरी की बात करके, जैसे अगर उसके घर में कुछ मशीनें रखी हैं, उन मशीनों को उसके घर में दिखाते हैं कि ये आपके घर में यूज होती हैं। हर घर में यह कहर उन्होंने ढाया है कि अंदर जाने के बाद प्वाइंट्स गिनते हैं। अगर एक घर पुराना है और उसमें एक वृद्ध लेडी भी रहती है तो उसके घर में पचास प्वाइंट्स होंगे तो उसे पूरा का पूरा बिल लगाकर भेजते हैं। मेरा कहना यह है कि जिन कंपनियों ने आने के बाद यहां हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, इतने बड़े-बड़े ऑफिसेज लिये, उसकी तो कोई बात नहीं है लेकिन वे बिजली की दरें दिन-प्रतिदिन बढ़ाना चाहती हैं।

दूसरी तरफ मैं कल एक अखबार में पढ़ रही थी कि इनके मुताबिक पांच साल में बिजली की दरें 38 फीसदी बढ़नी थीं लेकिन इनका कहना यह है कि अभी केवल 16 फीसदी ही बढ़ी है। अगर 16 फीसदी में आम आदमी इतना दुखी है तो 38 फीसदी में दिल्ली के हालात क्या होंगे? आम आदमी पर इसका बोझ न पड़े, उसके लिए सरकार 50-50 फीसदी सब्सिडी दे रही हैं। मेरा मानना यह है कि इन कंपनियों पर चैक लगाई जाए या जो पुराना तरीका था, डीवीबी या डेसू जो थीं, उनको काम सौंपा जाए जिससे आम आदमी को इसमें राहत मिले और जो बिल बढ़कर आ रहे हैं, वे बिल बढ़कर न आएं। इतना बिल आए जिसे आम आदमी भर सके और बिजली पा सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, आप श्रीमती कृष्णा तारीथ द्वारा उठाये गये मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): महोदय, मेरे राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद। यह राष्ट्रीय अनुशासन योजना से संबंधित है।

भारत सरकार को संबंधित वर्षों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार को 19,04,47,879 रुपये की राशि जारी नहीं किया है।

मैं सरकार से इस धन को शीघ्र जारी करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.21 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शरद पवार सामान्य प्रक्रिया यह है कि सम्मिलित किये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में मंत्रालय को मौखिक रूप में सूचना दी जाती है। औपचारिक सूचना फाईल पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद दी जाती है। कल सुबह भी आपके मंत्रालय को सूचित किया गया था। इसलिए, इसमें मेरे कार्यालय की कोई गलती नहीं है।

अपराह्न 12.22 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) 1993 के मुम्बई दंगों के संबंध में श्रीकृष्ण आयोग के प्रतिवेदन को शीघ्र लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं संसद में एक गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। मैं अपील करता हूं कि सरकार इसे गंभीरता से ले। आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बर्बर हत्या की घटनाओं में से एक 1993 में मुम्बई में हुई। लगभग 1,000 लोग मारे गए। यह षडयंत्र पूरे मुम्बई शहर में रचा गया था। उस साम्प्रदायिक घटना के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

उस घटना की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने श्रीकृष्ण आयोग नामक एक आयोग गठित किया था। पांच वर्ष कार्य करने के बाद आयोग ने कई चीजों की पहचान की तथा उसने सरकार को कई सार्थक सुझाव भेजे। लेकिन दुर्भाग्यवश आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के नौ वर्षों के बाद भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इससे 31 पुलिस अधिकारियों की अपराधी के रूप में पहचान की गई थी। उनको प्रोन्नति दी गई न कि सजा। रिपोर्ट में कई लोगों को दंगा कराने वालों या दंगे में भाग लेने वालों के रूप में पहचान की गई। लेकिन अभी तक सरकार कोई भी कार्रवाई करने में असफल रही है। इससे अल्पसंख्यकों के बीच एक गलत संदेश जाता है। वे सोचते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा क्योंकि बाद के मामले में, यद्यपि विलम्ब हुआ था, लेकिन सजा हुई थी। यह अच्छी बात है कि यद्यपि इसमें विलम्ब हुआ था लेकिन सजा हुई और किसी को न्याय से वंचित नहीं होना पड़ा। लेकिन उसके पूर्व जो घटना हुई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस पर ध्यान दे और राष्ट्र को यह आश्वासन दें कि श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और आयोग द्वारा पहचान किये गये दोषियों को उचित सजा मिलेगी तथा राष्ट्र को इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगों के आतंक से मुक्त किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): माननीय विदेश मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, हमारे दल के सदस्य इससे स्वयं को संबद्ध करना चाहेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आप सभी उनके साथ अपने को सम्बद्ध कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, संप्रग की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी भी श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए समानरूप से चिंतित हैं। मैं मुम्बई गया था। मेरी उपस्थिति में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया था कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से पर अमल हुआ है और रिपोर्ट के अन्य भागों पर हम तेजी से विचार कर रहे हैं। देश तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य सदस्यों की तरह संप्रग अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी भी ईमानदारी से तथा गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त कर रही हैं। वे मामले में कार्रवाई कर रही हैं और हमें यह देखना चाहिए कि इस संबंध में हरसंभव प्रयास किया जाए तथा इस पर कड़ाई से कार्रवाई हो।

[अनुवाद]

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को उठाने का मौका दिया। पूरे देश में पिछड़े समुदाय के छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में शोध छात्रों के लिए राजीव गांधी फैलोशिप नामक योजना के विस्तार के संबंध में केन्द्र सरकार के पास एक उत्तम कार्यक्रम है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस छात्रवृत्ति को पिछड़े समुदाय के छात्रों को भी दिया जाए। मैं सरकार से इस छात्रवृत्ति की राशि शोध छात्रों तथा छात्रों के लिए बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

[श्री मधु गौड यास्की]

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी.सी.एस.एस.आर., सी.एस.आई.आर., ए.आई.सी.आर., और संघ लोक सेवा आयोग में भी, सदस्यों की नियुक्ति करते समय पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण को लागू करे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने में उच्चतम न्यायालय द्वारा पैदा किये गये गतिरोध के बारे में भी सोचे। चूंकि सरकार आई.आई.टी. को 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राजसहायता दे रही है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि पिछड़ी जाति कल्याण आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लागू करने के लिए उतनी ही राशि खर्च की जाए। मैं सरकार से एक पिछड़ी जाति मंत्रालय के सृजन के लिए तथा उसके माध्यम से पिछड़ी जाति के उन छात्रों को जो उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते हैं, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। हम सरकार द्वारा अनारक्षित श्रेणी के गरीब छात्रों के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी सरकार के निर्णय को लागू करने का स्वागत करते हैं।

अंत में, एक बार पुनः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले की जांच करे क्योंकि पूरे देश के छात्र समुदाय बहुत आंदोलित हैं। सं.प्र.ग. की अध्यक्षा और माननीय प्रधानमंत्री साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ी जाति के लिए कोटा के सृजन तथा इस वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराने के निर्णय को सही ढंग से लागू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेव राव शिवनकर (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्व के विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का आयात किया गया है जिसे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यह निकृष्ट और लाल रंग का गेहूं है जो खाने के अयोग्य है। मैं माननीय शरद पवार जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस गेहूं के आटे से चपाती नहीं बनती है और जो बनती है, उससे इतनी बदबू आती है। मैं वह गेहूं लाया हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं। नियम के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

यहां मत दिखाइए। आप मिनिस्टर साहब को भिजवा दीजिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की बदनामी नहीं करना चाहता हूं, आपको देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम के अनुसार यह अनुमेय नहीं है। फिर भी आप वही कर रहे हैं। आप एक प्रोफेसर हैं।

[हिन्दी]

इसे मत दिखाइए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस गेहूं को महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले के कलैक्टर को दिखाया है। गढ़चिरौली जिला बैकवर्ड एरिया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि यह गेहूं रोटी बनने लायक नहीं है, इसलिए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट न करायें। दूसरा, इस गेहूं में यूरिया मिलाया हुआ है, जिन्होंने ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। इस गेहूं को सस्ते अनाज की दुकानों से विदड्रा किया जाये। यह खराब गेहूं है जो बीपीएल के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसे सस्ते अनाज की दुकानों से विदड्रा करने के लिए तुरंत निर्णय ले।

अपराह्न 12.30 बजे

(दो) महान देशभक्त खुदीराम बोस के सम्मान में एक स्मारक डाक-टिकट जारी किये जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती मिताली सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, क्रांतिकारी खुदीराम बोस की शहादत की सौवीं वर्षगांठ 11 अगस्त, 2008 को पड़ेगी। मैं सरकार से महान देश भक्त खुदीराम बोस के नाम से एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध करता हूं जो 18 वर्ष की उम्र में भारत में अंग्रेजी राज के दौरान हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उपनिवेश में 18 वर्ष के इस नौजवान ने अपनी अगली पीढ़ी को यह दिखा दिया कि भय पर कैसे काबू पाया जा सकता है और देश की आजादी के लिए शहादत को कैसे गले लगाया जा सकता है।

उनकी शहादत ने देश के युवाओं को अंग्रेजी उपनिवेशवादी शासन की जंजीरों से मातृभूमि को मुक्त करने के लिए अपना बलिदान करने को उत्साहित किया। प्रसिद्ध गीत 'एक बार विदाई दे मां, घूरे असि'। जिसका अर्थ है, 'मां को अलविदा, मैं फिर लौटूंगा' आज भी हमें उपनिवेशवाद के विरुद्ध उत्साहित करता है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं माननीय सदस्य तथा सभा को बताना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय को सरकार के सामने रखा है। खुदीराम बोस शताब्दी मनायी जाएगी। इस पूरे मामले पर फिल्म के संबंध में हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। इस संबध में एक दल का गठन किया गया है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार, दोनों, संयुक्त रूप से शताब्दी समारोह मनाने के लिए कदम उठाएंगे। इस मामले में संयुक्त कार्रवाई के लिए हम पश्चिम बंगाल सरकार के संपर्क में हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे उम्मीद है कि इसमें डाक टिकट का मामला भी सम्मिलित है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: हमें अवश्य इस बात को समझना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने अति लोक महत्व के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो एकल पोस्ट ऑफिस हैं जिनको हम उप डाकघर कहते हैं, सरकार ने एक आदेश निकालकर सारे देश में बंद कर दिये हैं। उप डाकघर प्रायः गांवों में हैं क्योंकि शहरों में तो बड़े पोस्ट ऑफिसेज सारे देश में हैं लेकिन जो छोटे-छोटे गांव हैं, वहां जो उप डाकघर चलते हैं, उनमें केवल एक पोस्टमैन होता है। कुरियर की सेवाएं भी वहां पर नहीं होती हैं जिनके माध्यम से वे अपनी चिट्ठियां इधर-उधर पहुंचा सकें। सरकार ने इन्हें यह कहते हुए बंद किया है कि उनमें घाटा हो रहा है इसलिए उप डाकघर बंद कर देने चाहिए। मैं सरकार को उदयपुर का एक उदाहरण देना चाहती हूं जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। वहां एक उप डाकघर ऐसा है जहां 5000 आर.डी. अकाउंट्स हैं, करीब 300 सीनियर सिटिजन्स के अकाउंट्स हैं, 700 एफ.डी. की हुई हैं और इसी तरीके से वहां पर टेलीफोन के बिल करीब 2000 की संख्या में प्रति माह जमा होते हैं। ये सब होते हुए भी उन उप डाकघरों को बंद कर दिया गया, केवल यह कहकर कि ये घाटे में चल रहे हैं। जबकि सही तथ्य यह है कि वह सबसे अच्छा उप डाकघर चल रहा था। इसके बंद होने से वहां के लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सरकार इस तरीके से अगर उप डाकघर बंद कर देगी तो गांवों की जनता किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी? वे चिट्ठी लिखते थे, डाकघरों को बैंकों के रूप में इस्तेमाल करते थे, अपना पैसा जमा कराते थे, वे सब सुविधाएं इन्होंने बंद करा दी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इन्हें पुनः शुरू करवाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का समय दिया। पूरे भारत से बहुत संख्या में हज यात्री विदेश जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से अत्यधिक हज यात्री जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों की संख्या को देखते हुए उनका कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो उनकी फॉर्मैलिटीज होती हैं, जिसमें तमाम सरकारी कार्यालयों से उनके फार्मों को गुजरना पड़ता है, वह तीव्र गति से हो। साथ ही साथ जो हज यात्री छूट रहे हैं, उनको भी इनक्लूड करके हज पर भेजा जाए और उनको पासपोर्ट और वीजा में प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ-साथ जब हज यात्री यहां से जाएं या कहीं से भी प्रस्थान करें हज जाने के लिए, तो उनके ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था भी सरकार सुनिश्चित करे।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को उनके द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के बाद में सूचना दी है। आपको धैर्य रखना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई व्यवधान पैदा करता है तो उसे अयोग्य करार दिया जाएगा।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी रतनपुर सुरारा में 25 गांव ऐसे हैं, जिन गांवों में फायरिंग रेंज बना है। वहां आर्मी फायर करती है और 25 साल से हर एक मिनट के बाद गोली चलती है। मेरा कहने का मकसद यह है कि वहां 25 साल से लोग कितने बहरे, डिसेबल्ड और हैंडीकेप्ड हुए, आप इसका इन्वेस्टीगेशन करवा सकते हैं। वहां पिछले दिनों तीन-चार बड़े-बड़े बम मिले, बाद में उनकी इन्वेस्टीगेशन करवाई गई कि ये किसके हैं। वे ऐसे फेंक कर चले गए थे, अगर वे बम फट जाते तो उस गांव की तबाही हो जाती। इस वजह से वहां उनकी टोटली जमीन बर्बाद हो गई। उन्हें जानवरों के लिए फॉडर नहीं मिलता है और न ही उनके लिए कोई कम्पनसेशन है। इसलिए हमारी मांग है कि मेहरबानी करके इस फायरिंग रेंज को वहां से चेंज करवाएं। इन 25 गांवों की हालत बहुत खराब है।

महोदय, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले वहां तीन बच्चों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वहां कभी बम ब्लास्ट नहीं हो पाता और बच्चे उस बम से छेड़खानी करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसे दूर कहीं ले जाएं, जहां पापुलेशन न हो। वे 25 गांव वाले कहते हैं कि हमें ही कहीं अन्य जगह पर उठा कर ले जाओ।

[अनुवाद]

हम उसके लिए तैयार हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक गंभीर विषय है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: तीन माननीय सदस्यों ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण तथा एक माननीय सदस्य ने प्रश्नकाल स्थगित करने के संबंध में सूचना दी है। कल इस विषय में एक प्रश्न पूछा गया था और संबंधित माननीय मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया जा चुका है। इसलिए, मैं आज पुन: इसे उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमें एक मिनट बोलने का समय दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कल इस पर बात हुई थी।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आप हमें एक-एक मिनट बोलने के लिए दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, तो मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

आप जानते हैं कि आधे घंटे की चर्चा के लिए प्रोसिजर हैं, अभी आपके कहने से यह नहीं हो पाएगा।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमें एक मिनट बोलने के लिए दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आधा मिनट भी नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

एक ही विषय पर हर दिन चर्चा नहीं होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विषय महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इस पर हर रोज चर्चा नहीं हो सकती। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.45 बजे

(तीन) नक्सल विरोधी दस्ते द्वारा विशाखापट्टनम के वरकपल्ली गांव में महिलाओं पर कथित यौन उत्पीड़न के बारे में

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जहां तक दूसरे विषय, जिसके बारे में आपने सूचना दी है का संबंध है, पर कल चर्चा हुई थी।

श्री किन्जरपु येरननायडु: माननीय मंत्री महोदय कल उपस्थित नहीं थे। आंध्र प्रदेश में 11 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई है लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री मंजुनाथ कुन्नुर—उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आप क्यों बोल रहे हैं? इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यही विषय कल भी उठाया गया था।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अफसोस, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती। यदि आपने मुझे सुना हो तो मैंने जो कहना था कह दिया। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह निर्देश भी देने हैं कि इसे दूरदर्शन पर भी न दिखाया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यही आप मेरे साथ सहयोग करते हैं तो मैं आपको अनुमति दे सकता हूं। आप जानबूझकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, तमिलनाडु में कुछ नेताओं ने घोषणा की है कि वे केरल को जाने वाली तथा केरल से आने वाली रेलगाड़ियों का रास्ता आज से बंद कर देंगे। यह बहुत ही गंभीर तथा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

तमिलनाडु के भाई-बहनों के खिलाफ मेरे मन में कुछ नहीं है। हम पालाघाट डीविजन के दो भागों में बंटवारे के विरुद्ध अपनी शिकायतें वैधानिक रूप से रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: उस दिन मैं यही बात कह रहा था। देश के बारे में किसी को चिंता नहीं है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तमिलनाडु सरकार से संपर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि रेलगाड़ियां सुचारू रूप से चलें। अन्यथा, केरल में इस समय ओनम का पर्व है। *...(व्यवधान)* मुझे उनके विरुद्ध में कुछ नहीं कहना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री रशीद, आप किसे संबोधित कर रहे हैं। आप किसकी अनुमति से बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि केरल में इस समय ओनम पर्व है और बहुत से लोग अन्य राज्यों से केरल में आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह देश में चल रही लगातार लड़ाई का परिणाम है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, यदि रेलगाड़ियों का परिचालन बाधित हुआ तो इससे लोगों को अनावश्यक कष्ट होगा। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूं कि *...(व्यवधान)* महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस विषय को देखें।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। मैं पहले ही आपको यह बात कह देता। ऐसी बातें कहना अच्छा नहीं है लेकिन मैं इसके लिए बाध्य हूं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, सरकार को किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहिए केरल तक रेलगाड़ियां पहुंचें। अन्यथा, इससे लोगों को अनावश्यक कष्ट होगा।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस बात की जानकारी है। आपने इसका उल्लेख किया है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इसमें दिलचस्पी लें।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ही क्यों?

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, माननीय गृह मंत्री को तमिलनाडु सरकार से संपर्क करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेलगाड़ियां सुचारू रूप से चलें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी बड़े बंदरगाहों तथा गोदी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाए।

[श्री अधीर चौधरी]

आप अच्छी तरह जानते हैं कि समुद्री व्यापार में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है और समुद्री व्यापार में उन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जानकर अफसोस होता है कि जब शिक्षण संस्थाओं में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है और सभी केन्द्रीय कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लगभग सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय की गई है तो इन कर्मचारियों को जो ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, पोत परिवहन उद्योग में भर्ती लगभग बंद हो गई है जबकि इसमें काम दिनोंदिन बढ़ रहा है तथा जर्जर श्रम बल के सहारे ही काम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में गोदी बोर्ड के कर्मचारियों को उनकी कमाई से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

यह भी पाया गया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों, जिसमें पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग प्रशासनिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कुछ उपक्रमों के कर्मचारी सम्मिलित हैं तथा अधिकांश राज्य सरकारों के कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष तय की गई तब मैं समझता हूं कि बड़े बंदरगाहों और गोदी बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध यह और कुछ नहीं बल्कि भेदभाव है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर गंभीरता से सोचे तथा कारगर कदम उठाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, कल माननीय सदस्य, डा. बाबू राव द्वारा उठाये गये इसी प्रकार के विषय पर लम्बे समय तक चर्चा हुई थी। माननीय मंत्री उपस्थित नहीं थे। आज, संयोग से वे उपस्थित हैं, और इसी कारण आप उस विषय को उठाना चाहते हैं। फिर भी हर रोज ऐसा होता रहेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या हर समय, हर कोई पीठासीन अधिकारी के काम में बाधा डाल सकता है?

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: आंध्र प्रदेश में स्थिति बहुत भयावह है।

अध्यक्ष महोदय: केवल आपका विषय ही भयावह है। चूंकि माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे अनुरोध नहीं किये जाएंगे और माननीय मंत्री को भी जवाब नहीं देना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, केवल आपकी अनुमति से ही उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति दे रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं जानकारी हासिल करूंगा और इसकी सही-सही जांच करूंगा तथा आंध्र प्रदेश सरकार से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहूंगा।

[अनुवाद]

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): महोदय, प्रसार भारती निगम का निर्माण इस उत्तम इरादे के साथ किया गया था कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को कार्यकरण में स्वायत्तता दी जाएगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सारी कार्यवाही बंद करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: लेकिन प्रसार भारती अधिनियम में इन सरकारी प्रसारणों के लिए सरकारी वित्तपोषण का विलोप कर दिया गया था। परिणामत:, प्रसार भारती को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए व्यावसायिक चैनलों का अनुकरण करते हुए अपने प्रसारण सामग्री का व्यावसायीकरण के लिए बाध्य होना पड़ा क्या इस प्रकार इसने एक वास्तविक सार्वजनिक प्रसारण के आदर्श का परित्याग कर दिया। गैर-व्यावसायिक स्वरूप सार्वजनिक सेवा के प्रसारण का विशेष कार्य रहा है। इसलिए, सार्वजनिक सेवा प्रसारण आर्थिक और व्यावसायिक होने के बजाए मुख्यत: सांस्कृतिक और राजनीतिक होता है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण के मूल सिद्धांत का परित्याग निजी क्षेत्र के व्यावसायिक प्रसारकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट क्षेत्र की एक रणनीति है।

इसलिए निवेदन है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए जिससे वे अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारियां पूरी करने में सक्षम बन सकें।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, आज आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान हमारे देश में महिलाओं पर किये जा रहे अत्याचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, विश्व में हमारे देश का सिर ऊंचा है। विश्व में भारत की आवाज बड़े आदर से सुनी जाती है क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में महिलाओं को अत्यधिक आदर किया जाता रहा है?

लेकिन, दुर्भाग्यवश आज महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। महिलाओं का बलात्कार होता है और उन पर आपराधिक हमलों में चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रेमी और सहकर्मी औरतों के चेहरे पर तेजाब फैंकते हैं। ऐसी दुर्भाग्यशाली महिलाओं का जीवन नरक बन गया है। यह एक गंभीर अपराध है। इसलिए, सरकार को अपराधियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें कठोर सजा देनी चाहिए। महोदय, इस खतरे को स्थाई रूप से समाप्त करने के लिए मैं सरकार से कड़े उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको दो अथवा तीन राज्यों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। यह ठीक नहीं है। केवल शहरों का जिक्र करें। आपका बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): *(कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैंने आपको पुकारा है? यदि मैं आपको नहीं पुकारता हूं तो आप स्वयं शुरू हो जाते हैं। फिर, आप बैठ जाइए।

सबसे पहले, वह हटा दीजिए जो उन्होंने कहा है। अब श्री बिक्रम केशरी देव।

श्री बिक्रम केशरी देव: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपके व्यवधान और बाधाएं हटा दी गई हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव: ठीक है, महोदय। अब आपने मुझे बोलने का अवसर दे दिया है तो मैं शीघ्र अविलम्बनीय लोक महत्व का एक मामला उठा रहा हूं जिसमें केन्द्र सरकार के शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कालाहांडी जिले के थुआमुल-रामपुर खंड में जलजनित बीमारियों और अतिसार के कारण लगभग 30 आदिवासियों की मृत्यु हो चुकी है ...*(व्यवधान)* इस महामारी से मरने वाले लोगों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमान आठवले, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पिछले सप्ताह ही श्री थॉमस को बाहर जाना पड़ा था। इसे भूले नहीं।

...(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव: धीरे-धीरे यह बीमारी आदिवासी क्षेत्रों में फैल रही है और यह कोरापुट, नबरंगपुर जिलों में पहुंच रही है और केबीके क्षेत्र में अनेक लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं।

राज्य सरकार चिकित्सकों का दल भेजकर पूरा प्रयास कर रही है लेकिन यदि केन्द्र सरकार सहायता नहीं करेगी तो कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर खंड में यह बीमारी सैकड़ों लोगों की जान ले लेगी। महोदय, इसलिए, मैं आपसे हस्तक्षेप करने और यदि संभव हो तो स्वास्थ्य मंत्रालय को चिकित्सकों का विशेष दल भेजने का निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

एक अन्य समस्या जो उठ खड़ी हुई है वह यह है कि अनेक आदिवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति उचित ढंग से प्राप्त नहीं हो रही है। वे खुंभी की जड़ें और अन्य चीजें खा रहे हैं जिससे वे बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, उन क्षेत्रों में सचल वैन चल रही थी। मैं नहीं जानता वे क्यों बंद कर दी गई। मैं माननीय कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले मंत्री से इस जिले के लिए पांच सचल वैन प्रदान करने का आग्रह करता हूं ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और आदिवासी लोगों को सार्वजनिक वितरण की सुविधा उनके घर पर ही उपलब्ध हो सके।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): अध्यक्ष महोदय, नारियल जटा उद्योग इस देश के मुख्य परंपरागत उद्योगों में से एक है। 6.5 लाख से अधिक कामगार-जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं—आजीविका के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं। 'गॉड्स ओन कंट्री' का सुनहरी रेशा विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान में नारियल जूट उद्योग संकट से गुजर रहा है। उद्योग की अन्तर्निहित समस्याओं के साथ-साथ, विश्व अर्थव्यवस्था में रुपए में आई मजबूती के कारण नारियल जटा निर्यात को भी झटका लगा है जो केवल निर्यात में ही प्रदर्शित नहीं हो रहा बल्कि संपूर्ण उद्योग में प्रदर्शित हो रहा है। जूट निर्यातकों को भारी हानि हो रही है

[डा. के.एस. मनोज]

क्योंकि उन्होंने विदेशी खरीददारों के साथ समझौते तब किये थे जब रुपए की कीमत कम थी।

इस संकट से निपटने के लिए शीघ्र ही केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। अतः, इस उद्योग को बचाने के लिए मैं सरकार से निम्न उपाय करने का आग्रह करता हूं जो इसी तरह के अन्य उद्योगों के लिए पहले से ही किये गये हैं:

(क) सभी नारियल जटा उत्पादों के 'एफओबी' मूल्य के दस प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क की वापसी सहायता देना, जो वर्तमान में जूट, ऊनी, सूती और अन्य उत्पादों के लिए दी जाती है।

(ख) बाहरी विपणन सहायता (ईएमए) जो वर्तमान में जूट 'फ्लोरिंग्स' के लिए 'एफओबी' मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से उपलब्ध है और लाभार्थी विशेष के लिए अधिकतम 'ईएमए' लाभ को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह लाभ नारियल जटा उद्योग को भी दिया जाए।

(ग) दस करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले निर्यातकों के बाजार विकास की अधिकतम सीमा 1,10,000 रुपए है। इसे बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये तक के कारोबार (टर्नओवर) के लिए इसको 3,00,000 रुपए किया जाए।

(घ) आईएसओ प्रमाणीकरण और अन्य प्रमाणीकरण के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाए।

(ङ) नारियल जटा उद्योग में भी औद्योगिक इकाईयों द्वारा एसएसआई का दर्जा प्राप्त करने के लिए सीमा पांच करोड़ की जाए जैसाकि कुछ अन्य उद्योगों में है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री आरून रशीद।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: थैंक्यू तो बोलते हैं लेकिन आप लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

***श्री जे.एम. आरून रशीद:** महोदय, रमजान का महीना 14 सितम्बर, 2007 से शुरू हो रहा है। दलिया और रबड़ी इत्यादि तैयार करा और मस्जिदों से उसे धर्मार्थ गरीबों में वितरित करना हमारी पुरानी प्रथा है। इसलिए रमजान के महीने में चावल और रसोई गैस की भी आवश्यकता बढ़ जाती है। हर रोज उपवास शुरू होने पर और खत्म होने पर अतिरिक्त खाना पकाना होता है और यह हमारी पुरानी प्रथा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु के हमारे मुख्यमंत्री डा. कालिग्नार करुणानिधि ने घोषणा की है कि इस महीने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये अधिक चावल की आपूर्ति की जाएगी। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु को इस महीने खाद्यान्नों, विशेषत: चावल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), रसोई गैस की आपूर्ति में वृद्धि करना भी आवश्यक है क्योंकि अनेक स्थानों पर इसकी आपूर्ति भी कम है। मुस्लिमों और उनमें विशेषत: गरीबों और आम जनता में भी गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये चावल की आपूर्ति बढ़ाई जाए और एलपीजी की अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। मैं केन्द्र सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आधे घंटे में 16 मुद्दे उठाने की अनुमति दी है। आपको सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

आप क्यों हाथ उठाते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह भी नहीं आया। मेरे पास सूची में आपका नाम नहीं है।

[अनुवाद]

अब श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। राजस्थान को *...(व्यवधान)*

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मंजुनाथ, मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप यहां नहीं थे। कृपया अब व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: राजस्थान को विश्व का जो पानी मिलता है, जो उपलब्ध होता है, वह केवल एक या सवा परसेंट ही मिलता है। इसके बाद राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, मरूस्थलीय इलाका है और वर्षा पर ही सबसे ज्यादा निर्भर यह प्रान्त है।

अपराह्न 1.00 बजे

वर्तमान भूगोल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं समझता हूं कि यूपी भी इससे छोटा है। आज भारत में राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है।

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार ने रावी-व्यास समझौते के अंतर्गत 0.60 एफएम पानी राजस्थान को रावी नदी से देने का इकरार किया था, लेकिन वह पानी नहीं मिल पा रहा है। नहरें बन गयी हैं और पानी नहीं मिलने के कारण यह समस्या और भी गंभीर होती चली जा रही है। पंजाब के मुख्य मंत्री दोहरी बात करते हैं। कभी कहते हैं कि मैं पानी दे रहा हूं और कभी कहते हैं कि नहीं दे रहा हूं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी राजस्थान पर दया करें। राजस्थान को जितना पानी मिलना आवश्यक है और जब हमारी नहरें बन गयी हैं, तो 0.60 एफएम पानी राजस्थान को मिलना बहुत जरूरी है। मान्यवर, मैं इसके साथ-साथ प्रार्थना करूंगा कि अभी तक एक सदस्य की भी नियुक्ति इस बोर्ड में नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, इस संबंध में काफी प्रयास कर चुकी हैं। कई बार जल विभाग के मंत्री जी से भी राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी द्वारा प्रार्थना की जा चुकी है।

मैं समझता हूं कि राजस्थान बहुत दुखी है। राजस्थान में कई जगह बाढ़ आयी है और कई जगह पानी नहीं पड़ा है। राजस्थान का जो वास्तविक हिस्सा है, जिसके बारे में कई बार विचार हो चुका है, यह सुप्रीम कोर्ट तक गया और सभी प्रकार की बातें हुई, इसलिए इस बोर्ड में एक आदमी की नियुक्ति की जाए और राजस्थान का पानी का जो हक है, उसे 0.60 एफएम पानी की स्वीकृति मिले, तो राजस्थान की खेती ठीक प्रकार से हो सकेगी और राजस्थान बहबूद हो सकेगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको जयपुर से कोई नहीं हटा सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां, श्री कुन्नूर। भविष्य में, कृपया समय पर आएं।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): जी, महोदय।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस महान सभा में इस संबंध में लगभग दो वर्ष पहले ही बोला था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर 282-340 किलोमीटर और 340-404 किलोमीटर के बीच, हरिहर-हावेरी और हावेरी-हुबली के बीच 4-लेन सड़क परियोजना में केन्द्र के हस्तक्षेप के बारे में है। इस मार्ग पर यह परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। समय सारणी के अनुसार यह सितम्बर, 2003 में पूरी की जानी थी। लेकिन बाद में, इसे वर्ष 2006 तक बढ़ा दिया गया है लेकिन अब तक, निकट भविष्य में इसके पूरे होने के कोई आसार नहीं हैं क्योंकि ठेकेदार, एस्सार कंपनी ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के इस खंड पर कार्य बंद कर दिया है। लेकिन, राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर 4-लेन मार्ग के इस कार्य को शीघ्र तेज करने की आवश्यकता है।

इस खंड पर, हमेशा दुर्घटनाएं होती रही हैं जिनके परिणामस्वरूप जानमाल की हानि होती है, और पहले इस खंड के निर्माण के समय सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड पर अनेक विचलन, घुमाव और गड्ढे हैं। इससे लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इस प्रकार, सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण, अनेक स्थानों पर सड़क टूट गई है। पानी जमा हो जाता है और भारी वर्षा के कारण सड़क खराब हो जाती है और इस खंड में असंख्य गड्ढे देखे जा सकते हैं।

इसलिए, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर इस परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा कराने का आग्रह करता हूं।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कर्नाटक विधान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष के साथ इसी सड़क पर दुर्घटना हो चुकी है और उनकी मेरुरज्जु टूट चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे अत्यंत खेद है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: अब उनका इलाज चल रहा है। सड़क खराब होने के कारण यह दुर्घटना हुई।

अध्यक्ष महोदय: मुझे उनकी आई चोट पर अत्यंत खेद है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: महोदय, इस खंड की देखभाल नहीं की गई है। मैं एक बार पुन: भारत सरकार से इस सड़क को पूरा कराने के लिए शीघ्र कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे उस दुर्घटना पर खेद है। मैं आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखना चाहता हूं। अन्य राज्यों की भांति, केरल में भी कृषि संकट ने किसानों के सामने अनेक कठिनाईयां खड़ी कर दी हैं। अनेक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यह फसल बर्बाद होने, प्राकृतिक आपदा अथवा उनके उत्पादों के मूल्य में गिरावट के कारण होता है। राज्य में ऐसी गंभीर स्थिति व्याप्त होने के कारण, अनेक किसान ऋणों और ब्याज की अदायगी नहीं कर पाए।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, केरल सरकार ने इस वर्ष एक विधेयक पारित किया है। जो ऋण राहत अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सहकारी समितियां और अन्य वित्तीय संस्थान भी, जो केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत आ गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाए जा सकते हैं। अत:, इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि राहत प्रदान करने के लिए उनको बाध्य करने हेतु एक कानूनी प्रावधान काफी सहायक होगा। अत:, मैं सरकार से एक अधिनियम, कृषि ऋण राहत विधान लाने का आग्रह करता हूं ताकि न केवल केरल राज्य बल्कि अन्य राज्यों में भी किसानों के मुद्दे हल किये जा सकें।

श्रीमती पी. सती देवी (बडागरा): महोदय, आपके माध्यम से, मैं इस महान सभा का ध्यान खाड़ी देशों में अप्रवासी भारतीय महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं और पीड़ा की तरफ दिलाना चाहती हूं। आजीविका चलाने के लिए विदेश, विशेषत:, खाड़ी देशों में जाने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। खाड़ी देशों के लिए कामगारों की भर्ती के लिए देश में अनेक भर्ती एजेंसियां हैं। उनमें से अनेक फर्जी हैं। ये एजेंसयां घरेलू नौकर और आया का काम दिलवाती हैं। वे हवाई टिकट दे रही हैं और उन्हें खाड़ी देशों में ले जा रही हैं। लेकिन खाड़ी देशों में पहुंचने के बाद, इन महिलाओं को वहां सक्रिय कुछ गिरोहों को सौंप किया जाता है और उसके पश्चात संविदा की सभी सुविधाओं से इंकार कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: सरकार क्या कर सकती है?

श्रीमती पी. सतीदेवी: इन महिलाओं का अनेक प्रकार से शोषण होने की अनेक घटनाएं हैं। इनमें से कुछ महिलाएं वेश्यावृत्ति कराने वाले गिरोहों के शिकंजे में फंसी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: हमारी सरकार क्या कर सकती है?

श्रीमती पी. सतीदेवी: मैं विदेश मंत्रालय, विशेषत: प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का ध्यान देश में चल रही इन अवैध भर्ती एजेंसियों को रोकने और पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर खाड़ी देशों में स्थित (भारतीय) दूतावासों से इन महिलाओं को सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। खाड़ी देशों में स्थित दूतावास इन महिलाओं को कोई सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। अत:, मैं विदेश मंत्रालय, विशेषत:, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का ध्यान इन घरेलू नौकरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि वहां इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान रोजमर्रा होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। प्रतिदिन अखबारों में दर्जनों लोग विभिन्न राजमार्गों, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पर हादसों के शिकार होते हैं। जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन देश के राजमार्गों पर अच्छे ट्रॉमा हास्पिटल्स, अच्छी सुसज्जित एम्बुलैंसेज जिनमें ऑक्सीनेटर, मौनीटर्स और इंसेटिव केयर की सुविधा नहीं होने के कारण जिन दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाया जा सकता है, उन्हें भी नहीं बचाया जाता। कई बार बहुत छोटी-छोटी इंजरीज होती हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चलता है कि इस मरीज का छोटा सा इंटरवेंशन टाइम से हो जाता, तो इसे बचाया जा सकता था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजमार्गों पर ट्रॉमा सैंटर्स बनें। मेरे अपने एरिया में बहरोड़ और किशनगंज, दो ऐसी जगहें हैं जहां बहुत एक्सीडैंट होते हैं। वहां पर मैं आपके माध्यम से ट्रामा सैंटर्स, ट्रॉमा हास्पिटल्स और ट्रॉमा एम्बुलैंस की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा बिन्दु है।

डा. करण सिंह यादव: हां, इस प्रकार यह एक आपातकालीन व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रो. रासा सिंह रावत। जो भी हो, आप समय पर नहीं पहुंचे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमाप्रार्थी हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप शार्ट में बोलिये।

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, राजस्थान में दस हजार से अधिक इकाइयां मार्बल, खनन, प्रोसेसिंग व हस्तशिल्प उद्योग में कार्यरत हैं जिन पर 20 लाख से अधिक परिवार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। इस कुटीर व लघु उद्योग में अधिकांशतया आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे का वर्ग तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। राजस्थान के लगभग 20 जिलों में किसी न किसी रूप में यह उद्योग फैला हुआ है जो वहां की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। विगत कुछ वर्षों से अधिकांश समय वर्षा के न होने, निरंतर अकाल की स्थिति होने, खेती का उत्पादन कम होने आदि के कारण राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार पत्थर एवं मार्बल का खनन उद्योग है।

भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा विभिन्न देशों के मार्बल ब्लाक्स हेतु आयात लाइसेंस कुछ मुट्ठी भर आयातकों को ही जारी किये गये हैं जिसके कारण 75 प्रतिशत मार्बल उत्पन्न करने वाले राजस्थान के मार्बल उद्योग पर अत्यधिक कहर हो रहा है, अत्यंत नुकसानदेह सिद्ध हो रहा है। इन चन्द आयातकों के एकाधिकार वाली स्थिति में टिके रहने से देश के और राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला मार्बल उद्योग संकट में डाला जा रहा है। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि केवल थोड़े से मुट्ठी भर आयातकों के स्वार्थ के लिए आयात और लाइसेंस जारी करने वाली मार्बल की नीति तुरंत समाप्त करनी चाहिए। मार्बल बलॉक में कोई भी आयात लाइसेंस जारी न करें अन्यथा लाखों लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि मार्बल आयात लाइसेंसिंग पॉलिसी को बंद किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आज पहले ही 23 मुद्दों की अनुमति दे चुका हूं जबकि सहमति केवल पांच के लिए थी।

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: बाकी मुद्दे शाम को उठाए जाएंगे।

अब सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 12 लेते हैं, नामत:, देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर आगे चर्चा।

अब, मैं श्री सैयद शाहनवाज हुसैन से बोलने का अनुरोध करना चाहता हूं। इस चर्चा के लिए हमें मात्र चार घंटे आवंटित हुए थे जबकि हमने पहले ही लगभग छ: घंटे और एक मिनट का समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार मुझे बोलने का मौका मिल ही गया। पिछले कई दिनों से मैं तैयारी कर रहा था और जो कागज मैंने तैयार किया था वह

भी गुम हो गया। उपाध्यक्ष जी, बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है और देश में बाढ़ पर चर्चा हर बार होती है, नियमित रूप से होती है। हर बार हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं और अगर पुरानी चर्चाओं को निकालकर देखा जाए तो सत्ता पक्ष की ओर से हर बार जवाब आता है कि हम इसके लिए यह उपाय कर रहे, वह उपाय करने वाले हैं। दुनिया के कई देशों ने बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया है लेकिन हम लोगों ने बाढ़ का पानी जो हमारे लिए वरदान हो सकता था उस पानी को हमने अपने ऊपर अभिशाप के रूप में ले लिया है। उपाध्यक्ष जी, बिहार की स्थिति बहुत भयावह है। बिहार पर बहुत लोगों ने चर्चा की है और माननीय गृह मंत्री जी वहां का दौरा करके आ चुके हैं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष जी, इन्होंने हमें एक शेर सुनाने का वायदा किया था।

उपाध्यक्ष महोदय: शेर आपको बाद में दिखाएंगे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: शेर हम इन्हें दिखाना भी चाहते हैं और सुनाना भी चाहते हैं। बिहार के करीब 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 200 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं, 8000 के करीब गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब डेढ़ पौने दो करोड़ की आबादी इससे पूरी तरह से प्रभावित हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जो 8611 करोड़ से ज्यादा की मांग की है और अभी केन्द्र सरकार ने उनको पैसे भेजे हैं जिसका जिक्र माननीय गृह मंत्री जी ने जो हमें लिखकर दिया है, उसमें भी उस राशि का जिक्र किया है, लेकिन वह राशि बहुत कम है। मैं इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां 8-9 हजार करोड़ रुपये की मांग की गई, वहां आपने 114 करोड़ रुपया देने की बात कही है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हम बिहार के बारे में बात कह रहे हैं और चाहते हैं कि जब गृह मंत्री जी अपना उत्तर दें, तो जो सहायता वे बिहार की कर सकते हैं, उसके बारे में अवश्य बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या का स्थायी हल होना बहुत आवश्यक है। जिस बाढ़ का सामना बिहार को करना पड़ रहा है, उसकी वजह बिहार में बारिश नहीं, बल्कि नेपाल में जो बारिश होती है, उसकी वजह से बिहार प्रभावित हो जाता है। बिहार के अंदर वर्ष 2001 में एनडीए की सरकार के समय भारत-नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ था और तब सेठी जी मंत्री थे, तभी यह तय हुआ था कि मल्टीपरपज हाई लेवल डैम बनाए जाएंगे जिनसे बिजली का उत्पादन होगा और उससे बाढ़ पर भी नियंत्रण होगा। वहां कोसी में, कुचाह में बढ़ाह के पास कमला नदी में, नेपाल में शीशा पानी के पास और बागमती में नुन्थर के पास इस डैम का निर्माण होना था। सात जगह इसके लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी तक वहां पूरी तरह काम नहीं हो रहा है। वर्ष 2004 में इसको खुल जाना चाहिए था लेकिन एक-दो जगह पर अभी तक खुला नहीं है। इसके लिए ज्वाइंट कोशिश की जानी चाहिए थी। जिसका डीपीआर बनना था, उसमें 60 प्रतिशत नेपाल को बनाना था और 40 प्रतिशत भारत को बनाना था। उस पर भी सरकार ने काम नहीं किया है। एनडीए की सरकार ने वर्ष 2004 में 30 करोड़ रुपये आवंटित किये थे, जो अभी जाकर इन्होंने रिलीज किये हैं। तीन साल से यह सरकार उस पर सो रही थी, कोई काम उस पर नहीं किया। जिसके कारण बिहार के लोगों ने इतना बड़ा बाढ़ का प्रकोप झेला है।

हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि इस पर डैम बन जाए तो 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, यह चर्चा मुश्किल से होती है, लेकिन यह विषय चर्चा के बाद खत्म हो जाता है। इसका परमानेन्ट हल किया जाना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। सरकारें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन इस पर एक ऐसा हल निकालने की जरूरत है, जिससे हम बिहार के लोगों को मुक्ति दिला सकें। बिहार की नदियां महानन्दा, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, कमला बलान, कोसी, चानन नदी इन सभी में बाढ़ आई है। अभी कुछ दिन पहले भागलपुर जिले में बाढ़ नहीं थी, जहां से मैं सांसद हूं, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि वहां भी बाढ़ आ गई है। जब पहले चर्चा चल रही थी, तब वहां बाढ़ नहीं थी लेकिन आज नारायणपुर, नौगछिया, बीतपुर, घोड़ाडीह, जगदीशपुर, शाहकुण्ड और कहलगांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं और जितने दिन से चर्चा चल रही है, बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन जो लाभ बाढ़ पीड़ितों को हमें देना चाहिए, वह लाभ देने में हम असमर्थ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि बिहार सरकार ने जो 8611 करोड़ रुपयों की मांग की है, इन पैसों को तुरंत रिलीज करना चाहिए। आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है कि बिहार में पहले ही बहुत गरीबी है, बीपीएल सूची में बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। सरकार यह निर्णय करे कि जिन लोगों के बाढ़ में घर बह गए हैं, इंदिरा आवास के तहत घर देने की घोषणा करे, तभी उन लोगों के जख्म पर मरहम लग सकता है। बिहार में जितनी नदियां हैं, वे एक ही दिन में पानी से नहीं भरी हैं। इस विषय पर गृह मंत्री जी बोले तो समझ में आता है, क्योंकि यह उनसे संबंधित विषय है, लेकिन मैंने देखा जल संसाधन कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों उठ कर खड़े हुए। मंत्री से लोगों की अपेक्षा होती है कि वे जख्म पर नमक न छिड़कें, बल्कि मरहम लगाएं, लेकिन जल संसाधन मंत्री और राज्य मंत्री ने बहुत आरोप लगा दिए। मैं उस समय मौजूद था, हमने उनसे पूछा

कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है।

उन्होंने वायदा किया। एक शायर ने कहा "भला वायदे पर उनके किस को एतबार आए, जो वायदा करके अक्सर आपने वायदे को भूल जाते हैं," पिछले तीन साल से यह वायदा कर रहे हैं। क्या नीतीश जी की सरकार आ गई, इसलिए बिहार में बाढ़ आ गई? बिहार में लालू जी की सरकार थी। उनके समय में नदियों में बालू भर गया था। लालू जी के बालू की वजह से नदी का रेत पूरी तरह उठ गया। जो नदी गहरी थी, वह ऊंची हो गई और जो पानी नदियों में बहता था, वह खेतों में बहने लगा। भागलपुर में कतरनी का चावल होता है जिसे शकील जी, जो मंत्री हैं, जानते होंगे, बहुत सुगंधित चावल होता है, उसका चूरा होता है, वहां बालू भर गया, उससे खेती प्रभावित हो गई। हम गृह मंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वह जिन किसानों के खेतों में बालू भर गया और बाढ़ से जिन की फसल खत्म हो गई है, उनको पर-हैक्टेयर पांच हजार रुपया देने की घोषणा करेंगे जिससे किसानों को फायदा हो। बिहार पर कृपा की जाए और उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार में जब मंत्री जाते हैं तो नीचे से लोग देखते हैं। लोग टापू में बैठे होते हैं। उनको कुछ दिखायी नहीं देता है। या ऊपर गिद उड़ते दिखायी देते हैं या नेताओं का हैलीकॉप्टर दिखायी देता है। इनके नेताओं के जाने पर हमें कोई एतराज नहीं है। हम भी मंत्री थे। फोटो खिंचवाने का शौक होना चाहिए। क्या बाढ़ पर भी राजनीति होगी? जहां पैकेट बंटने थे, वहां मंत्री बैठ गए। वह दो-तीन कैमरामैन भी ले गए थे। जो फोटो खींची हैं, उनसे क्या फायदा होने वाला है। कुछ लोग हैलीकॉप्टर को रोड पर उतार रहे हैं, यह एक जांच का विषय है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैकेट बांटे, उनमें मंत्री जी का फोटो था। क्या मंत्री जी की फोटो देख कर भूख मिटती है। उसमें जो अनाज होता है, उनसे लोगों की भूख मिटती है लेकिन बाढ़ पर भी राजनीति, बाढ़ पर भी सियासत। क्या राजनेता इस बात को नहीं मानेंगे कि जब प्राकृतिक आपदा आ जाए तो राजनीति से ऊपर उठ कर हमें काम करना चाहिए लेकिन आज यह सरकार राजनीति से ऊपर उठ कर काम नहीं कर रही है। हमारा आरोप है कि केन्द्र सरकार को जितनी मदद बिहार सरकार की करनी चाहिए थी, वह उतनी मदद नहीं कर रही है। आरजेडी के मित्र ने हर एक-एक लाइन पर बिहार सरकार को गाली दी है। मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जितना बाढ़ राहत का काम अच्छी तरह से चला है उसकी आजादी के बाद से कोई मिसाल नहीं है। 20 घंटे रात-दिन मुख्यमंत्री गरीबों की सेवा कर रहे हैं। हम चाहते थे कि इस मुद्दे पर केन्द्र के मंत्री उनकी हौसला अफजाही करेंगे। उन पर आरोप लगाये गये। जो जल संसाधन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने हम से कुछ मांगा ही नहीं है। मैंने उस समय उठ कर कहा कि गृह मंत्री जी ने खुद कहा है कि मांगा है और हम दे रहे हैं। दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि कुछ मांगा ही नहीं है। वह केवल पॉलिटिकल स्कोर करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के जितने भी प्रोजैक्ट हैं, अगर देश को 2020 में विश्व गुरु बनना है, तरक्की करनी है तो बिहार के 9 करोड़ लोगों की उपेक्षा करके देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अगर बिहार के लोग गरीब रहेंगे तो देश कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, नियमों को शिथिल करके उनको इंदिरा आवास दिलाए जाएं, जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उनको केन्द्र सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज दिया जाए। मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हमें उनसे अपेक्षा है। वह जब जवाब देने के लिए खड़े हों तो हमारे जख्मों पर मरहम लगाएं, वह जयप्रकाश यादव और सैफुद्दीन सोज की तरह नमक नहीं छिड़कें क्योंकि मुझे गृह मंत्री जी से बहुत अपेक्षा है। वह राजनीति से ऊपर उठ कर बिहार की मदद करेंगे। बिहार के 20 जिलों में जो विकास के काम हुए थे, जितनी सड़क बनी थी, उसके बाद बिहार के लोगों को उम्मीद जगी थी कि पहली बार एक सरकार आई है जो काम कर रही है। बाढ़ आई, पता नहीं किसकी नजर लग गई, पूरे 20 जिले ही बह कर चले गए।

बिहार को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए केन्द्र सरकार नीतिश कुमार की सरकार को मदद करेगी और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, अब तक बिहार के इतने सदस्य बोल चुके हैं कि अब वहां की जो गंभीर समस्या है, इसके बारे में सबको पता है।

[अनुवाद]

लेकिन स्थिति ऐसी है कि इस पर फिर से कहा जा सकता है। अत्यंत संक्षेप में, मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष राज्य बुरी तरह प्रभावित है, विगत से भी अधिक बिहार के आधे जिले प्रभावित हैं। 7,000 से अधिक गांव बाढ़ग्रस्त हैं; 30 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं; असंख्य लोग विस्थापित हो गए हैं; पांच लाख घर पानी में डूबे हुए हैं; सात लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में पानी खड़ा है

[श्री निखिल कुमार]

अथवा बाढ़ग्रस्त है। इससे छोटे, मध्यम और बड़े किसान भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्हें हानि हुई है। लगभग 1,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

संक्षेप में, इस वर्ष उत्तरी बिहार के गांवों पर यह प्रभाव हुआ है। अभी मैंने कहा कि उत्तरी बिहार में यह स्थिति है। इसका कारण है कि बिहार में उत्तरी बिहार ही सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है। एक छोटा सा आंकड़ा चौंका देने वाला है–देश के कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र बिहार में हैं जिसका अर्थ हुआ कि समूचे देश में लगभग प्रत्येक पांचवां बाढ़ संभावित क्षेत्र बिहार में है। ऐसा क्यों होता है?

मैं इस बात पर आऊं, उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह हर साल घटित होने वाली घटना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह तथ्य है, यह हर वर्ष आती है। राज्य सरकार इस बात से परिचित है। राज्य सरकार के खिलाफ मेरी यही शिकायत है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। श्री राजीव रंजन अब यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जब वे बोल रहे थे तब उन्होंने भी यह जिक्र किया था कि यह एक मानवीय विपत्ति का मामला है और इसे राजनीतिक चर्चा का विषय न बनाया जाए। मैं उनसे सहमत हूं। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहा हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जब यह पता है कि यह हर साल होने वाली घटना है, उत्तरी बिहार के लोगों पर विपत्ति आती है तो पूर्व व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश, इस साल यह (व्यवस्था) नहीं की गई थी। इस वर्ष वास्तविक राहत और बचाव कार्य, मुख्यमंत्री के विदेश के दौरे से वापस आने के बाद, 2 अगस्त को शुरू हुआ। दवाईयों का भंडारण किया जाना चाहिए था। नौकाएं तैयार रखी जानी चाहिए थी; अन्य राहत सामग्री तैयार रखी जानी चाहिए थी; खाद्यान्नों का भंडारण किया जाना चाहिए था; और उसे बाढ़ आते ही वितरण के लिए तैयार रखा जाना चाहिए था।

ऐसा नहीं है कि बाढ़ आएगी और ये सारे काम शुरू किये जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होने से सप्ताह भर पहले आप ये सारी चीजें शुरू करें। यह एक ज्ञात तथ्य है। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक कार्य नहीं कर रही है। सामान्य दिनों में भी, मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं होता; कम से कम गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को तो यह उपलब्ध नहीं होता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को उचित दरों पर ये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयोजन पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए, यह और भी आवश्यक है कि हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए यह सब पहले से किया जाए। महोदय, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया। एक मात्र अच्छी बात यह हुई कि बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग केन्द्र सरकार की आपदा प्रबंधन समिति अथवा आयोग के पास आया और केन्द्र सरकार ने बिहार में आपदा अनुक्रिया बल भेजा। यह बल काफी पहले भेज दिया गया था। यह बल उन जिलों में फैल गया जहां बाढ़ आने की संभावना थी और गांववासियों को प्रशिक्षण दिया। मैं इस पर बाद में आऊंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते तैयारी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आने पर, राहत कार्य उस समय पर और कुशलता से नहीं किया जा सका जिस समय पर और कुशलता से होना चाहिए था जिसके परिणामस्वरूप आंदोलन हुआ और लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं दो ऐसी जगह बताता हूं जहां प्रदर्शन सचमुच अत्यंत उग्र था; एक मोतिहारी में और दूसरा मधुबनी में। पुलिस ने गोलीबारी की और आपराधिक मामले दर्ज किये। महोदय, इन दर्ज किये गए मामलों में से एक में, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता का नाम भी आया है। यदि वे वहां जिलाधीश से कुछ करने के लिए, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कह रहे थे तो क्या यह आपराधिक कृत्य था? लेकिन इसे आपराधिक कृत्य बनाया गया था। उनका भी नाम लिखा गया। लाठी चार्ज, पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई और आपराधिक मामले दर्ज किये गये। राज्य सरकार का दृष्टिकोण संवेदनहीनता का है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं केवल वर्तमान सरकार से भविष्य में ऐसा करने से बचने की अपील करता हूं। यह मानवीय विपत्ति का मामला है और आप पहले से ही प्रभावितों पर और विपत्तियां नहीं लाद सकते।

मैं कह रहा था कि यह हर साल होने वाली चीज है। यह क्यों होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन नदियों में बाढ़ आती है वे सभी नेपाल से आती हैं। यह भलीभांति ज्ञात है। वे नेपाल से अत्यंत तीव्र गति से आती हैं क्योंकि वे ऊंचाई से आती हैं। वे अपने साथ गाद लाती हैं और यह गाद बिहार के नदी तलों में जमा हो जाती है। जिसके परिणामस्वरूप, कालक्रमेण नदी का स्तर बढ़ता रहा है। यह गाद और कीचड़ निकाले जाने की आवश्यकता है। यह नहीं किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण के उपायों में गाद निकालना शामिल है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में बहुत अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश, बिहार में इसका केवल 29 प्रतिशत प्रयोग किया गया है। यह 29 प्रतिशत, विशेषत: विगत 17 महीनों में प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक विस्मयकारी तथ्य है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। यह एक तथ्य है। वह धन जो बाढ़ आने से पहले बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर खर्च किया जाना चाहिए था,

नहीं किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन गाद निकाली जानी चाहिए।

दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि ये नदियां सीमा पार से आती हैं और सीमा पार से आने वाली किसी भी नदी के मामले में यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरे राज्य के सहयोग को ध्यान में रखें। इस मामले में यह (राज्य) नेपाल है। इसके बावजूद तटबंध बनाना संभव है। महोदय, 3,430 कि.मी. तटबंधन बनाया जाना चाहिए लेकिन इसमें से केवल 27 प्रतिशत बनाया गया है। यदि तटबंध बना दिया गया होता अथवा समय रहते इसका कार्य शुरू भी हो गया होता तो काफी अधिक क्षति को रोका जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूं जहां तटबंधों में दरार आई क्योंकि इन तटबंधों का रखरखाव अति निम्न स्तर का था। संयोगवश, ये दोनों स्थान संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, के निर्वाचन क्षेत्र मधुबनी जिले में आई और इस दरार के कारण अनेक गांव बाढ़ग्रस्त हुए। इन्हीं स्थानों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। इन्हीं स्थानों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ना। वे स्थान भी यही हैं जहां पुलिस को आपराधिक मामले दर्ज करने पड़े। इससे राज्य सरकार को बचना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और मैं राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाता हूं। मैं स्पष्ट करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। तटबंधों का समुचित रखरखाव और देखभाल क्यों नहीं की गई?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: नेताओं को जाकर भड़काना भी नहीं चाहिए। ये लोग भड़का रहे हैं। *...(व्यवधान)* इसीलिए वहां पर यह गड़बड़ हो गई। *...(व्यवधान)*

श्री निखिल कुमार: अगर मैं भड़का रहा हूं तो मैं वे दो जगह बताता हूं। कमलाबलान और भूतही बलान जहां पर एम्बैंकमेंट को ब्रीच किया गया है। पूरा एरिया वॉटरलौग्ड हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आपकी भी बारी आने वाली है। फिर ये लोग टोकाटोकी करेंगे। फिर मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकूंगा।

श्री निखिल कुमार: यह जो भड़काने की बात कह रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि पौने 1800 करोड़ रुपये दिये गये थे जिसमें से 454 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह राशि एक तिहाई से भी कम है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मानवेन्द्र जी, उन्होंने आपकी हैल्प तो नहीं मांगी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के और भी लोग बोलने के लिए बाकी हैं।

श्री निखिल कुमार: सर, मुझे पता है लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, अगर सरकार उन पर ध्यान दे और उन पर विचार करके कार्रवाई करे तो शायद यह आगे नहीं चलेगी। इसलिए कृपा करके मुझे मेरी पूरी बात कहने दी जाए। ये जो बिहार में नदियां आती हैं, ये सब नेपाल से आती हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इन नदियों का दोहन किया जाना आवश्यक है। आप इन नदियों का दोहन कैसे करते हैं? इसके लिए आपको नेपाल सरकार से कुछ सहयोग करना होगा। दुर्भाग्य से, हमारा मित्र पड़ोसी दीर्घकाल से चली आ रही उस विपत्ति को नहीं समझ पाया है जो उत्तरी बिहार के लोगों पर आती है। अत:, मैं, हमारी अपनी सरकार और हमारे मित्र पड़ोसी, नेपाल की सरकार से पुरजोर अपील करता हूं। यह ऐसी चीज है जिसे मात्र राष्ट्रीय राजनीति से अलग हटकर देखा जाना चाहिए। इन नदियों पर बांध बनाने आवश्यक है। भंडारण परियोजनाएं शुरू करना महत्वपूर्ण है और उनका जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रयोग भी आवश्यक है। चिस्पानी-कर्नाली पर, पंचेश्वर पर, बूढ़ी गंडक पर और सप्तकोसी उच्च बांध पर, ये चार परियोजनाएं हैं। दुर्भाग्यवश, पंचेश्वर के लिए काफी पहले, 1996 में एक संधि की गई थी, जिसे महाकाली संधि कहा जाता है, इस पर काफी बातचीत के बाद हस्ताक्षर हुए थे, संधि पर हस्ताक्षर हुए 11 वर्ष बीत चुके हैं और इसे अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है, कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा, तीन अन्य मुख्य परियोजनाएं जिनका मैंने जिक्र किया है, भी कार्यान्वित हो जाती तो नेपाल को काफी फायदा होता क्योंकि इनसे विद्युत उत्पादन होता है। कुल 2,600 मेगावाट का उत्पादन होता जिससे नेपाल को फायदा होता। हमारी सरकार से मेरी एकमात्र अपील यही है कि इसे नेपाल सरकार को इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए राजी करना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें। आपने 15 मिनट से अधिक का समय ले लिया है।

[हिन्दी]

आपकी पार्टी के मेरे पास 9 और सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सर, आपने एक बार घंटी बजाई थी और यहां बैठ गये थे। ...*(व्यवधान)*

श्री निखिल कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने इस बार बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं लेकिन यह काम और भी अच्छा हो सकता था अगर ये जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, इस समय यह एडहॉक है, यह बॉरोड है, इसे अमलीजामा पहनाकर कुछ न कुछ एक वैल स्ट्रक्चर्ड रूप दिया जाना चाहिए, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का है और इनको उन इलाकों में लोकेट कीजिए जहां आप समझते हैं कि डिजास्टर होने वाला है या आने वाला है यानी आपदा संभावित क्षेत्रों में पहले पहुंचा जाना चाहिए।

आप जल्दी समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। एक फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम की बहुत जरूरत है। आप बाढ़ पर तब तक प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण नहीं पा सकते जब तक कि फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम आपके पास नहीं होगा।

उपाध्यक्ष जी, इसके साथ साथ जो कुछ भी होना है, वह नेपाल के सहयोग से होना है। अब बहुत साल हो गये हैं और साल-दर-साल यह चलता आ रहा है कि हर साल उत्तर बिहार के लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप इन लोगों को बाढ़ से बचाइये। इसके लिए नेपाल सरकार से बातचीत करिये। इस बातचीत के आधार पर नेपाल सरकार से सहयोग लेने के बाद सफलता प्राप्त करें।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व की तरह इस वर्ष भी देश प्रकृति की निष्ठुरता तथा बाढ़ की विभीषिका का शिकार रहा है।

उड़ीसा सहित उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के अधिकांश राज्यों को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। लेकिन यह बहुत ही दु:खद बात है कि जहां एक ओर लोग प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित हैं वहीं सरकार राजनीतिक प्रयोजन को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय सहायता कम कर रही है। हमारे कष्टों का यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है।

उड़ीसा के पास देश के जल संसाधन का 11 प्रतिशत से ज्यादा है, लेकिन यह एक विडम्बना ही है कि प्रकृति हमारे राज्य के प्रति मेहरबान नहीं है। पिछले कई वर्षों से बार-बार बाढ़ आने, सूखा पड़ने तथा चक्रवात आने से उड़ीसा में बर्बादी होती रही है। इनमें से कई तो अत्यंत प्रचंड थे। मैं आपके माध्यम से पिछले दस वर्षों का ब्यौरा दूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछले दशक में क्या हुआ है।

वर्ष 1997 और 1998 में यह सूखे से प्रभावित रहा; 1999 में यह भीषण चक्रवात और बाढ़ से प्रभावित हुआ। सन 2000 में इस राज्य में सूखा पड़ा। वर्ष 2007 में बाढ़ आई और वर्ष 2002 में सूखा पड़ा। पुन: वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 में बाढ़ आई। इस वर्ष अर्थात 2007 में भी हमारा राज्य बाढ़ से प्रभावित है। इसलिए मैंने पिछले दशक की स्थिति बता दी है। राज्य या तो बाढ़ या सूखे से प्रभावित रहा है और इसका आर्थिक विकास कम हो गया है। कोई ऐसा राज्य जो पिछले दशक से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा हो, यदि केन्द्र सरकार उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आती, तो वह कैसे खड़ा हो सकता है।

महोदय, हमारे राज्य का पश्चिमी भाग अधिकांशत: सूखे से प्रभावित रहा है। लेकिन इस वर्ष पश्चिमी भाग भी बाढ़ से प्रभावित है। सुंदरगढ़ और सम्बलपुर भी प्रभावित हुए हैं। कालाहांडी, जो सूखा प्रवण जिला है, भी इस साल बाढ़ से प्रभावित है। मुम्बई-हावड़ा रेल लाइन पूरी तरह पानी में बह गई है। पिछले सात दिनों से संपर्क टूटा हुआ है। पश्चिमी उड़ीसा, जहां इस तरह की बाढ़ कभी नहीं आई, में भी रेल लाइन पानी में बह गई है।

महोदय, उड़ीसा राज्य जुलाई-सितम्बर, 2006 में पांच बार बाढ़ से बर्बाद हुआ है। बाढ़ खत्म होने के बाद 18 सितम्बर, 2006 को उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को एक अंतिम ज्ञापन सौंपा था जिसमें एन.सी.सी.एफ. से 2382.43 करोड़ रुपये की सहायता देने तथा विशेष घटक के रूप में एक लाख मीट्रिक टन अनाज के कारण, राहत और पुनर्वास बाढ़ के कारण, राहत और पुनर्वास पर खर्च करने के लिए देने का अनुरोध किया था। उस राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था जहां पिछले साल बाढ़ आई थी।

सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष मानसून के दौरान राज्य का दौरा किया था और बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए उन्होंने एन.सी.सी.एफ. से 200 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि केवल 25 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई और शेष 175 करोड़ रुपये की राशि को राज्य के लिए 2006 के सी.आर.एफ. में और

वर्ष 2007-08 के लिए सीआरएफ की अग्रिम धनराशि के रूप में समायोजित कर दिया गया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न की गई इस गंभीर समस्या पर राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार कर रही है। इसका कारण है कि वहां केन्द्र सरकार की पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए, वह राज्य सरकार की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है, जबकि राज्य भीषण प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बावजूद आंकड़ों के खेल के अलावा वास्तव में कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कोई घोषणा की है, लेकिन गृह मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की घोषणा का पालन नहीं कर रहे हैं। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कमी नहीं देखी। यह और कुछ नहीं, बल्कि उड़ीसा के पीड़ित लोगों के प्रति केन्द्र सरकार का सौतेला व्यवहार है। एन.सी.सी.एफ. से सहायता आपदाओं की गंभीरता के आधार पर नहीं, बल्कि केवल राजनीतिक प्रयोजन को ध्यान में रखकर जारी की जाती है।

इस साल बाढ़ पांच बार आई। यह गंभीर किस्म की आपदा थी। सुवर्णरेखा बोंस, कंसबन्स, जलाका, जैका, बैतरणी, बुडाबलंगा, बंसाद्रा, रूसीकल्या, महानदी, हटिया और उसकी सहायक नदियों में रिकार्ड किये गये जल स्तर का पिछले सारे रिकार्ड को तोड़ दिये हैं। इससे अवसंरचना तथा लोगों की आजीविका को बहुत हानि हुई है। इतने वर्षों तक इस प्रकार के भीषण प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद किसी भी राज्य की स्थिति कैसे सामान्य रह सकती है?

जुलाई और अगस्त के भीषण बाढ़ से उबरने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने 2007 को बाढ़ संबंधी राहत तथा तात्कालिक पुन:स्थापना उपायों हेतु एन.सी.सी.एफ. से 506.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य सरकार ने 2006-07 के दौरान अनुदान के रूप में 58.66 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से के समायोजन के पश्चात 2007-08 हेतु सी.आर.एफ. आवंटन जारी करने का अनुरोध किया है। राज्य ने बी.पी.एल. श्रेणी के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों जिनके मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे हेतु 50,000 इंदिरा आवास योजना आवासों के विशेष आवंटन का भी अनुरोध किया है। साथ ही एस.जी.आर.वाई. के तहत विशेष संघटक के अंतर्गत निधियों तथा 38,600 एम.टी. खाद्यान्नों की तत्काल स्वीकृति मांगी है। इन सबका राज्य सरकार ने अनुरोध किया है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भीषण प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त है राज्य को सहायता देगी। एन.सी.सी.एफ. की निधि उनकी नहीं है। यह देश की जनता की है। उन्हें राज्य के आपदाग्रस्त राज्य के लोगों की सहायता करनी चाहिए। यदि उनके पास पैसा नहीं है तो सभा से स्वीकृति हेतु अनुमति मांगनी चाहिए। सभा भी निधियां प्रदान कर सकती है। परन्तु राज्य तथा आपदा ग्रस्त लोगों को सहायता न करना तथा चुपचाप बैठे रहना संघ सरकार की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को उड़ीसा के लोगों की मदद करनी चाहिए।

***श्रीमती जयाप्रदा** (रामपुर): मैं देश में बाढ़ की स्थिति पर बोलना चाहती हूं परन्तु चुनाव भी है एवं दुर्भाग्यवश रामपुर में भीषण बाढ़ आई है। मैं बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए आपकी अनुमति से मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहूंगी। कृपया मुझे अनुमति दें। दक्षिण एशिया में विशेषकर भारत विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं को झेलता है। 55 प्रतिशत भू-भाग भूकंप क्षेत्र में है, 8 प्रतिशत भूभाग चक्रवात तथा 5 प्रतिशत बाढ़ ग्रस्त रहता है। प्राकृतिक आपदाओं में से उत्तर भारत में बाढ़ से अत्यधिक मौत होती है तथा बीमारियां फैलती हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था पर बोझ पड़ता है।

वर्ष 2007 में उत्तरी राज्यों में भीषण बाढ़ आई है जिसमें अनेक जानें गई हैं, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी 15 और व्यक्तियों की मौत के बाद यह संख्या 122 हो गई है जबकि मुख्य नदियां अभी भी उफान पर हैं तथा विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में बड़ा भूभाग बाढ़ की चपेट में है।

महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2187 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। इनमें से 1091 गांव पूरी तरह बाढ़ में डूबे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ से 1.40 करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। 20 राज्य प्रभावित हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आदि में 32 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर आई विनाशकारी बाढ़ ने लगभग 2 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है।

हम सभी यह जानते हैं कि ऐसा केवल इसी वर्ष नहीं हुआ है। बाढ़ के कारण उत्तरी राज्यों को हुई हानि का लंबा इतिहास रहा है। 40 मिलियन हेक्टेयर अथवा भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 1/8 भाग बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। असम में ब्रह्मपुत्र बेसिन, उत्तर प्रदेश,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती जयाप्रदा]

बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा बेसिन के केन्द्रीय और निचले भाग और उड़ीसा का डेल्टा क्षेत्र निरंतर बाढ़ से प्रभावित होने वाले हैं।

प्रत्येक वर्ष 76 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ आती है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ से 1300 से अधिक जानें जाती हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र हिमालय की नदियों के बेसिन तक सीमित न होकर देश के अन्य भागों में भी इसका तेजी से विस्तार हो रहा है।

1953-93 की अवधि के दौरान बाढ़ से फसल, मकानों और जन सुविधाओं को हुई औसत हानि का अनुमान लगाया गया था जो कि प्रति वर्ष 972 करोड़ रुपये थी, जबकि 1988 में 4,630 करोड़ रुपये की अधिकतम हानि हुई।

1966 में राजस्थान में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से लगभग 100 व्यक्ति मारे गये और बाद के महीनों में मलेरिया महामारी के कारण 100 से अधिक लोगों की जानें गयीं।

2000 में पश्चिम बंगाल में 1,262, उत्तर प्रदेश में 400 और बिहार में 258 लोगों की जानें गयीं।

बाढ़ से न केवल काफी अधिक संख्या में लोगों की जानें जाती हैं और उनमें विकलांगता भी आती है, बल्कि इससे समस्त परिवार और उनकी आय भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार संपत्ति और पशुधन की हानि से परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बाढ़ के दौरान भूमि में खारे पानी के संदूषण से व्यापक स्तर पर खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, बाढ़ के दूसरे परिणाम जैसे कि महामारी से ग्रामीण क्षेत्रों में हताहतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है जहां कम सफाई और बहुत सारे संचारी रोगों के विद्यमान होने के कारण रोग दर अधिक रहती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां कुछ दिनों तक स्वच्छ पेय जल बहुत कम मात्रा में मिलता है वहां मोतीझरा, मलेरिया और गैस्ट्रोइंटेस्टिन रोग फैलने की आशंका रहती है।

हम सभी जानते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा है और मानव ऐसी आपदाओं को नहीं रोक सकता है चूंकि प्रकृति पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। परन्तु 21वीं शताब्दी में हमने ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में प्रगति की है। मूलत: हमारे अधिकांश प्रयास सैद्धांतिक रहे हैं क्योंकि हमारे पास समुचित बाढ़ नियंत्रण थवा आपदा प्रबंधन नीतियां नहीं हैं, इसलिए हम अभी भी ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा नियंत्रण के लिए संस्थागत ढांचे को सशक्त करने के लिए कम प्रयास किया गया है। यदि पहले से ही सार्थक प्रयास किए जाएं तो बाढ़ के दौरान जान की हानि को कम किया जा सकता है। बाढ़ के पश्चात् महामारियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, इसलिए सरकार बाढ़ के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकती है। जोखिम कम करने और जोखिम अंतरण विकल्पों जैसे बीमा, व्यापक नीतिगत जागरूकता और दोषपूर्णता कम करने के लिए शिक्षा अभियानों के लिए हमारी नीतियों में विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

उठाये जाने वाले प्रश्न

* सरकार ने अभी तक यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है कि विद्यमान संस्थागत तंत्र वे सेवाएं प्रदान करें जिनकी उनसे प्रभावी रूप से और कुशलतापूर्वक प्रदान किये जाने की उम्मीद की जाती है।
* सरकार ने दूर-संवेदी, भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि के अनुप्रयोग के व्यापक उपयोग के लिए पहल क्यों नहीं की है।
* बाढ़ से जुड़े मुद्दों के संबंध में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?
* क्या सरकार की कोई नोडल एजेंसी है जो मैक्रो और माइक्रो स्तर पर बाढ़ प्रबंधन की निगरानी करती है? ये प्रभावी क्यों नहीं है?
* क्या यह पता लगाने के लिए कोई सामाजिक लेखा परीक्षा की गई है कि समुदायों को बाढ़ के पहले और उसके पश्चात् के परिदृश्य के दौरान क्या आवश्यकता पड़ती है अथवा वे क्या अपेक्षा रखते हैं?
* क्या आपके पास कोई समिति है जो बाढ़ के पश्चात् लोगों के मानसिक आघात का समाधान कर सके?
* क्या हमारी नीतियां आपदा को दूर करने और विकास योजनाओं के बीच कड़ी पर बल देती है?
* क्या भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना दोषपूर्णता को दूर करने के लिए समर्थ है?
* आरक्षित क्षेत्र के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कौन से संचार उपकरण और नीतियां अपनायी जा रही हैं?

* क्या हमारी सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के दोहन के लिए समर्थ है ताकि लोगों को आपदा आने से पहले निवारक उपायों के बारे में सूचित किया जा सके।

* क्या सरकार का कोई 'हीलिंग टच' कार्यक्रम है जोकि मुसीबत में आए लोगों को जान और माल की हानि पर काबू पाने में मदद कर सके?

प्राथमिक रूप से हमारी नीतियां राहत पर जोर देती हैं जिसमें प्रमुखता से आपदा के बाद देखभाल पर ध्यान दिया जाता है जबकि इसमें, तैयारियों, निवारण और इसको कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिक सस्ता और सतत होगा। ग्रामीण लोगों को संगठित कर एवं इसमें शामिल कर व्यापक अभियान के माध्यम से इसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा।

आपदा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित रुटीन कार्य आवश्यक हैं जिसे बाढ़ मौसम के पूर्व शायद ही किया जाता है।

रामपुर जिले में भयंकर बाढ़—प्रशासन गंभीर नहीं

उत्तराखंड में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप रामपुर जिले के कोसी और रामगंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कें बुरी तरह से खराब हो गई हैं और दर्जनों गांवों का शेष विश्व से सम्पर्क टूट गया है। हजारों एकड़ में लगी फसलें और चारा डूब गए हैं। पशु सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गांवों में बाढ़ के कारण पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। बाढ़ के कारण लोगों का गांवों से प्रवास हो रहा है क्योंकि कई कच्चे घर ध्वस्त हो गए हैं। गांवों में पानी के कारण, लोग अपने चूल्हे में आग नहीं जला सकते। टूटी सम्पर्क सड़कों के कारण कोसी नदी पर रामपुर पुल का सम्पर्क कट गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा के कारण मैदानी भाग में आपदा आ गई है। कोसी और रामगंगा नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के कारण रामपुर और स्वार के बीच की सड़क पूरी तरह से टूट गई है। स्वार, डडियाल, सैदनगर और शाहाबाद क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। डडियाल और स्वार क्षेत्र की नदियों में बाढ़ आई हुई है।

14 अगस्त को रामनगर बैराज से 17509 क्यूसेक पानी कोसी नदी में छोड़ा गया।

पानी छोड़े जाने से नदी का पानी गांवों में प्रवेश कर गया। नदी किनारे के दर्जनों गांव बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। डडियाल बांध से भी करीब 6500 क्यूसेक पानी बह रहा है। डडियाल बांध पर जल स्तर ने 209.60 मीटर के चिह्न को छू लिया है। डांसघर में जलस्तर 194.45 मीटर तक बढ़ गया है। यहां नदी खतरे के निशान से 70 से.मी. ऊपर बह रही है।

आज शाम 6 बजे यह आशा की जाती है कि रामनगर बैराज से करीब 14000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। यदि वर्षा नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि जगलस्तर नहीं बढ़ेगा। कोसी नदी में जल बढ़ने के पुराने रिकार्ड टूट गए हैं। वर्ष 2003 में भी कोसी नदी में करीब 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था।

बाढ़ के बारे में प्रशासन गंभीर नहीं है

* जल स्तर बढ़ रहा है लेकिन बाढ़ से लोगों को बचाने अथवा उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है।

* बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और वहां से हटाने के लिए बैराज पर जाल आदि अथवा नदियों और नहरों को काटने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है।

* प्रशासन ने खाद्यान्नों को बचाने के लिए अथवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए कोई आर्थिक उपाय करने और खाद्य सामग्री वितरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है अथवा सामाजिक संस्थाओं अथवा राजनीतिज्ञों द्वारा रक्षा किटों के वितरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि स्वार टंडा विधान सभा क्षेत्र में 31 अगस्त को उप चुनाव होना है।

* 15.8.2007 को प्राप्त सूचना के अनुसार बैराज से और अधिक जल छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है जिससे और अधिक खतरा मंडरा रहा है।

* खाद्य पूर्वानुमान हेतु पर्याप्त आयोजना का अभाव है। उचित तंत्र और यथोचित उपाय करके कई लोगों की जान बचाई जा सकती है।

चूंकि प्रत्येक वर्ष भारत में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जानमाल की रक्षा के तरीकों को सुधारने के क्रम में बाढ़ से संबद्ध बहुआयामी समस्याओं के समाधान हेतु कार्ययोजना बनाए। उचित प्रबंधन और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार और सिविल समाज दोनों ही आपदा के लिए समयबद्ध तैयारी, निवारण और उसे कम करने के प्रति कार्य कर सकते हैं।

[श्रीमती जयाप्रदा]

इस संदर्भ में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए

गंगा के मैदानी क्षेत्र में अधिकांश महत्वपूर्ण नदियों की उत्पत्ति नेपाल में अथवा इसके भी आगे से है और भारत के अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला उनका प्रवाह क्षेत्र बड़ा व्यापक है। अब तक, हम नेपाल (नेपाल में ऊंचे बांध का निर्माण करके) में बड़े जलाशयों का निर्माण करने के लिए नेपाल सरकार के साथ वार्ता करने में समर्थ नहीं हुए हैं। इससे इन राज्यों में बाढ़ से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है।

क्षति को कम करने के लिए गांवों अथवा सरकार अधिकृत भूमि के निकट बाढ़ आने वाले क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचे स्तर पर ऊंचा प्लेटफार्म बनाया जाना चाहिए। ताकि संकट के दौरान लोगों को इस क्षेत्र में लाया जा सके।

जो सरकार बाढ़ आपदा को समय पर नियंत्रित कर सके और यह जान सके कि बाढ़ आने के पूर्व और बाढ़ के बाद क्या किया जाये, तो इससे जानमाल की क्षति को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है।

[हिन्दी]

रामपुर जनपद में भारी बाढ़ आई, प्रशासन गंभीर नहीं

उत्तराखंड में भारी बारिश से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की कोसी नदी और रामगंगा नदी खतरे का निशान पार कर गई है। जिससे रामपुर जिले के कई दर्जन गांव जलमग्न हो गये हैं, सड़कें धंस गई तथा दर्जनों गांवों का सम्पर्क जिले से टूट गया है। जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी विभिन्न फसलें और पशुओं का चारा जलमग्न है। सबसे ज्यादा दिक्कत में पशु हैं, अधिकतर ग्रामीणों के खेत बाढ़ की चपेट में आने के कारण पशुओं की चारे की भी समस्या आ गयी है और गांवों में पानी घुस जाने से लोगों का पलायन शुरू हो गया है और लोगों के कच्चे घर भी ढह कर गिर गये हैं। तमाम गांवों में पानी भर जाने से लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं। कोसी नदी पर बना पानपुर पुल सम्पर्क मार्ग कटने से अलग-अलग हो गया है।

पहाड़ों पर हो रही बारिश ने मैदानी क्षेत्रों में तबाही का मंजर उपस्थित कर दिया है। कोसी, रामगंगा नदी और उससे जुड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से रामपुर स्वार मार्ग के बीच सम्पर्क मार्ग पूरी तरह कट गया है। रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र, दढ़ियाल क्षेत्र, सैदनगर क्षेत्र, शाहबाद क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। और लोगों का जनजीवन तहस-नहस हो गया है। लोग रातें भी बड़ी मुश्किलों से आ रहे हैं। स्वार क्षेत्र के दढ़ियाल क्षेत्र में भी नदियां उफान पर हैं। दिनांक 14 अगस्त को भी रामनगर बैराज से कोसी नदी में 17509 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे नदियों का रुख गांवों की ओर हो गया है। नदी किनारे बसे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दढ़ियाल बांध पर भी 65 हजार क्यूसेक पानी बह रहा है। यहां जल स्तर 209.60 मीटर तक पहुंच गया है। लालापुर डांस घर में भी 60 क्यूसेक पानी चल रहा है यहां जल स्तर 194.45 मीटर पहुंच गया है और नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं आज शाम छह बजे रामनगर के बैराज से 14 हजार क्यूसेक पानी पास होने की संभावना है। अगर वर्षा न हुई तो जलस्तर बढ़ने की संभावना कम ही है। कोसी नदी में आज बढ़े जलस्तर ने काफी पुराना रिकार्ड तोड़ दिया। सन् 2003 में 60 हजार क्यूसेक पानी पास हुआ था।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

पिछले दिन इस विषय पर चल रही चर्चा के दौरान माननीय मंत्री ने हस्तक्षेप किया और एक पुस्तिका का उल्लेख किया जिसका प्रकाशन मंत्रालय द्वारा हमें जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। मैंने इस पुस्तिका को पढ़ा है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि कोई चर्चा और शुरू होने के पहले ऐसा पहली बार हुआ है कि मंत्रालय से बाढ़ की स्थिति के संबंध में इसे कोई पुस्तिका मिली है। लेकिन पुस्तिका में जो उल्लेख किया गया है, स्थिति उससे ज्यादा बदतर है। इसमें 1 जून से 8 अगस्त के बीच की बाद की गंभीर स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है लेकिन इसके बाद भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ जिलों में दो बार बाढ़ आई। मैं पश्चिम मिदनापुर से होकर आया हूं। 8 अगस्त के बाद भी भारी बाढ़ आई है।

महोदय, प्रत्येक वर्ष हम बाढ़ देखते थे लेकिन अब स्थिति कुछ अलग है। मानसून की मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र को तबाह कर दिया और बादल भी फट रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन की इस विनाशकारी बाढ़ के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह मुख्य बात है। जो नई बात है, वह जलवायु परिवर्तन की है। बाढ़ सिर्फ बरसात के मौसम में ही नहीं आती है बल्कि यह बार-बार आ रही है। यह अत्यधिक बारिश का मामला है।

महोदय, हम इस मानसून में पश्चिम बंगाल में बरसाती बाढ़ की पहली स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भारी बाढ़

की स्थिति बार-बार पैदा होती है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपकी क्या योजना है। मैं इस संबंध में धनराशि और सहायता आदि जारी करने के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। मैं आश्वस्त हूं कि यह सरकार राज्यों को अधिक सहायता देने के साथ सामने आएगी क्योंकि राज्यों ने सहायता के लिए अनुरोध किया है।

महोदय, आपदा राहत कोष में इसका उल्लेख पहले से ही है कि 723.92 करोड़ रुपये की धनराशि उसमें उपलब्ध है। इस कोष से अधिक धनराशि होनी चाहिए। यह दूसरी बात है लेकिन मैं निवारात्मक उपायों के बारे में बात कर रहा हूं। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कौन-कौन से निवारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है?

महोदय, मैं इस संबंध में श्री उन्नीकृष्णन को उद्धृत करना चाहता हूं:

> "यदि हम आपदा निवारण और समाधान पर एक पाउंड खर्च करते हैं तो इसका लाभ आपदा के बाद किये जाने वाले खर्च से 100 गुणा अधिक होगा।"

महोदय, यही मुख्य बात है। आप करोड़ों करोड़ रुपये स्वीकृत कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता हर वर्ष पैदा होने वाली बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पड़ती है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निवारात्मक उपायों के लिए कितनी राशि दे रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या योजना और विचार है। इसलिए महोदय इसे सभा के समक्ष स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे समक्ष स्थिति स्पष्ट करेंगे।

महोदय, हमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों और पाकिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी बात करनी होगी। क्योंकि पानी इन्हीं देशों से आता है और यह सारा का सारा बहकर हमारी तरफ आ जाता है।

दूसरी बात मैं तटबंधों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पुराने तटबंध काफी खराब स्थिति में हैं। मैं कुछ उद्धृत करता हूं:

> "बांधों, नदियों और लोगों से संबंधित साउथ एशिया नेटवर्क के हिमांशु ठक्कर ने उन तटबंधों की लगभग 100 रिपोर्टें लॉग कर रखी हैं। जिनसे संबधित मानदंडों का इस वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश में उल्लंघन हो रहा है।"

सभी तटबंध बहुत ही खराब स्थिति में हैं। आपकी इस बारे में क्या सोच है?

अब मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करता हूं और विशेषकर मैं स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना की बात कर रहा हूं। मैं मिदनापुर निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का एक भाग खड़गपुर से सोझाकोनिया और वहां से बालासोर तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यह वर्षा जल के बहाव में बाधा पैदा करता है। जल निकासी प्रणाली बहुत खराब है। इस वर्ष इससे उस क्षेत्र में भारी बाढ़ आई है। इसलिए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। उस राजमार्ग पर बड़ी संख्या में पुल बनाए जाने चाहिए। अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसी स्थिति में हैं। इसलिए तटबंधों के बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे राज्य के सदस्य बोल रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यदि चर्चा लेने वाले भाग सदस्य यह बताएं कि राज्य के सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन कार्य पर राज्य के बजट की कितनी योजनागत और कितनी गैर-योजनागत सहायता राशि व्यय की जानी है और उसे न्यायसंगत ठहराएं तो इससे हमें सहायता मिलेगी और हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि यह संकट क्यों बना हुआ है। जल संसाधन मंत्रालय के मेरे संक्षिप्त कार्य अवधि के दौरान मैंने दलगत भावनाओं से उठकर राज्य सरकारों के आश्चर्यजनक और दुखद आंकड़ों को देखा। जब भी बाढ़ प्रबंधन, भू-क्षरण प्रबंधन अथवा सिंचाई से संबंधित मामला सामने आता है तो मैं देखता हूं कि योजनागत और गैर-योजनागत व्यय संबंधी राज्यों की बजट सहायता इतनी मामूली होती है कि उससे जिले का भी काम नहीं किया जा सकता, संपूर्ण राज्य का काम तो भूल जाइए। यदि इस पर ध्यान दिया जाता है और यदि इस पर उद्देश्यपरक बहस होती है तो मैं समझता हूं कि एक समग्र दृष्टिकोण सामने आ सकता है।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं संसदीय कार्य मंत्री को उनके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वे राज्य सरकारों के साथ पहले ही विचार-विमर्श कर चुके हैं। यदि राज्य सरकारों की ओर से कोई कमी है तो मैं समझता हूं कि उनसे बात करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। अब मुझे पता नहीं है कि उसके द्वारा क्या पहल की गई है। लेकिन यह एक मामला है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

मैं अब मंत्रियों की स्थिति पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक ओर नदियों में गाद भरने से तटबंध की ऊंचाई घटती है जिसका बहुत खराब ढंग से रखरखाव किया जा रहा है। दूसरी ओर यदि आप नदियों की गहराई कम करते हैं तब उनकी जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमें ऊंचे स्थल पर आवास बनाने के लिए जोर देना चाहिए। इस पर

[श्री प्रबोध पाण्डा]

बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरवेल के स्तर को बढ़ाना चाहिए ताकि जल संक्रमित न हो।

दूसरी बात हमें पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिए। मौसम विभाग बहुत कमजोर है। कभी-कभी यह किसानों और स्थानीय लोगों को मौसम की भ्रामक जानकारी देता है। अत: मेरा कहा है कि प्रौद्योगिकीय उन्नयन किया जाना चाहिए। अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें। आप पहले ही 12 मिनट से अधिक राज्य ले चुके हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बाढ़ के दौरान मैंने यह पाया है कि विभिन्न कार्यालयों में रविवार के दिन कार्यालय में कोई नहीं मिलता है क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन होता है। इसलिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों और जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं उन अन्य मामलों पर बोलने नहीं जा रहा हूं जिन पर अन्य सदस्यों द्वारा पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस संबंध में आगे आना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही अच्छे विषय उठा रहे हैं। जो भी विषय उठाये गये हैं, मैं उन सभी का उत्तर देना चाहूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश जब मैं इस वाद विवाद का उत्तर दूंगा तो संभवत: जिन सदस्यों ने सभा में वह विषय उठाए थे वह उस समय वे ही सभा में उपस्थित न हों। ...*(व्यवधान)* दुर्भाग्य से अगर अगले वर्ष ऐसी कोई विपदा आती है तो यही विषय दुहराए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: पुनरावृत्ति सभी जगह होती है, यह प्रतिवर्ष होती है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरा अनुरोध है कि कम से कम वे सदस्यगण तो उपस्थित रहें जिन्होंने वह विषय उठाये हैं ताकि सरकार का उत्तर तो सुन सकें।

[हिन्दी]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, हम लोग, जो नहीं बोले हैं, क्या हमारे सुनने से काम नहीं चलेगा?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बोलने की अनुमति देने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अभी 14 माननीय सदस्य शेष हैं जिन्होंने बोलना है। अत: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पांच मिनट से ज्यादा समय कोई सदस्य न लें। मैं समझता हूं कि सदस्यों को केवल पांच मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, पांच मिनट का समय बहुत कम है, यह एक बड़ी समस्या है। आपको दूसरे और तीसरे वक्ता को कुछ समय देना होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर छ: घंटे डिबेट हो चुकी है। मेरे पास जो सूची है, यदि उसके हिसाब से देखा जाए और सभी सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया जाए, तो लगभग 20 घंटे और लगेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस वाद-विवाद में कई सदस्य भाग ले चुके हैं। निश्चय ही कुछ और सदस्य भी बोलेंगे। मैंने माननीय गृह मंत्री से बात की है। वह इस वाद-विवाद का उत्तर आज नहीं देंगे। जब इस वाद-विवाद को लिया जायेगा। उस दिन वे इसका उत्तर देंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। वे अपना प्रश्न संक्षेप में पूछ सकते हैं और अगर प्रत्येक सदस्य संक्षेप में बोलेगा तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य से पहले हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को समय दे सकेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जिस तरह से माननीय सदस्य अपनी बात सदन के सामने रख रहे हैं, उसके हिसाब से दो दिन और इस चर्चा में लग सकते हैं। कृपया सभी सदस्यों से अनुरोध है कि केवल पांच मिनट में अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करें।

मो. मुकीम (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बाढ़ जैसे गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं समझता हूं कि प्रत्येक वर्ष सदन में बाढ़ पर चर्चा होती है, लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल पाता है। प्रत्येक राज्य में कभी-न-कभी बाढ़ आती है, लेकिन उत्तर

प्रदेश का पूर्वी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में हर साल बाढ़ की समस्या से यहां की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरा जिला सिद्धार्थ नगर है, जो नेपाल बार्डर पर स्थित है। प्रत्येक साल बाढ़ से बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जिले में तबाही होती है। अभी इस वर्ष भी बाढ़ आई थी और बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जिले में जान, माल और फसल का नुकसान हुआ है। हमारा जिला नेपाल बार्डर पर होने के नाते, नेपाल से जो नदियां निकलती हैं, चाहे वह राप्ती नदी हो, बूढ़ी राप्ती नदी हो, बाण गंगा हो, गोराही हो, पूड़ा हो, ये सभी नदियां नेपाल से हो कर हमारे जिले में प्रवेश करती हैं। जब नेपाल में पानी बढ़ता है, तो हमारे जिले को भी अपनी चपेट में ले लेता है। सदन में कई माननीय सदस्यों ने मांग उठाई है कि भारत और नेपाल सीमा पर एक डैम बनाया जाए, ताकि नेपाल से आने वाला पानी, जो पूर्वी उत्तर प्रेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को अपनी चपेट में लेता है, उससे निजात मिल सके। इस साल भी बाढ़ आई और जो सहायता उत्तर प्रदेश सरकार से मिलनी चाहिए थी, उसे राज्य सरकार ने तुरंत मुहैया कराया। आपने समाचारों में भी पढ़ा होगा कि काफी जानें इस बाढ़ की वजह से चली गई। महाराजगंज जिला, जो हमारे पड़ोस का जिला है, करीब 15-16 लोग डूब कर मर गए। हमारी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती तुरंत दूसरे दिन घटना स्थल पर पहुंची और जो प्रभावित परिवार के लोगों को सहायता दी। इन सब बातों से बाढ़ का स्थायी समाधान निकल पाना असंभव है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से जो विशेष पैकेज की मांग की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज देकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिए, वहां की नदियों के किनारे के गांवों के मकान जो कटाव में आ गए हैं, उन मकानों को बचाने के लिए इंतजाम किए जाएं और जो कच्चे बांध वहां बने हुए हैं, उनको पक्का किया जाए ताकि बार-बार बाढ़ आने से जो बांध टूटते हैं, पक्के होने से वे बाढ़ आने पर नहीं टूटेंगे और बढ़े पैमाने पर तबाही नहीं होगी।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि फसलों और मकानों का जो नुकसान हुआ है, वैसे तो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि उनको इंदिरा आवास योजना के तहत आवास देने की योजना है।

अपराह्न 3.00 बजे

इंदिरा आवास में बहुत सारी जो गाइडलाइंस हैं, उनमें बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत सारे लोगों के मकान इस बाढ़ में ध्वस्त हो गये हैं, बहुत सारी जमीन बर्बाद हो गई है, फसल का नुकसान हो गया है, लेकिन उसमें जो गाइडलाइन है, उसमें बी.पी.एल. की जो परिभाषा है, मैं समझता हूं, उसको शिथिल करना चाहिए। उसको शिथिल करके जिन लोगों के भी मकान बाढ़ में गिर गये हैं, उनको इंदिरा आवास योजना में जो 25 हजार रुपये की धनराशि मिलती है, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी राशि 50 हजार रुपये कर दी जाये और जो फसल का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराकर पांच हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सारे किसानों को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने के लिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं।

मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी मेरी इस मांग पर विचार करके उत्तर प्रदेश को बाढ़ के संबंध में विशेष आर्थिक पैकेज देने पर विचार करेंगे और देने की कृपा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद। नियम 193 के अंतर्गत इस वाद-विवाद को शुरू करने के लिए मैं, श्री अनंत कुमार को बधाई देता हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम हर वर्ष बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा या भूकम्प पर चर्चा करते हैं। महोदय, 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नाम से एक बाढ़ आयोग गठित किया गया था ताकि 40 मिलियन हैक्टेयर कृषि भूमि को बाढ़ से बचाया जा सके लेकिन आज बाढ़ से प्रभावित होने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि 45 मिलियन हेक्टेयर हो गयी है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि वह इतने वर्षों तक क्या कर रही थी। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है या नहीं? यह बहुत बड़ी क्षति है और यह भ्रष्टाचार का स्रोत बन गया है। यद्यपि, यह गैर-भेदभाव वाले मामले हैं, लेकिन बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि आज भ्रष्टाचार के स्रोत बन गए हैं।

मैं महाराष्ट्र पर सीएजी रिपोर्ट से एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है, ''यद्यपि, माननीय मंत्री ने लातूर भूकम्प का प्रबंध बहुत अच्छे ढंग से किया है। जब वे लातूर से माननीय सदस्य थे तो उन्होंने भूकम्प राहत प्रदान करने में बहुत अच्छा कार्य किया था। अत: बाढ़ के संबंध में भी उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि वह बहुत सक्षम मंत्री हैं। लेकिन मैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र पर सीएजी रिपोर्ट 10 जुलाई, 2007 को सभा में रखी गयी। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: अगर आप महाराष्ट्र पर चर्चा करेंगे तो अन्य उड़ीसा पर चर्चा करना चाहेंगे और मुझसे आशा की जायेगी कि मैं उत्तर दूं।

श्री बिक्रम केशरी देव: संसद सदस्य की हैसियत से मैं वही उद्धृत कर रहा हूं जो कुछ सभा पटल पर रखे जा चुके हैं और जो सार्वजनिक दस्तावेज है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उसके बारे में जब तक मुझे पूरी सूचना नहीं प्राप्त होती तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं यहां राज्यों के बारे में खुलासा नहीं कर रहा हूं। मैं उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र से संबंधित महाराष्ट्र विधान सभा में ही चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री देव जी, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, निधियों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। विधान सभा के सभा पटल पर सीएजी की रिपोर्ट 10 जुलाई, 2007 को रखी गयी थी यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

श्री शिवराज वि. पाटील: इस पर महाराष्ट्र विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए थी। इसीलिए महाराष्ट्र विधान सभा का गठन किया गया है। उसी प्रकार जैसे यदि उड़ीसा पर चर्चा करनी है तो।

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं उड़ीसा के मामले पर भी आऊंगा।

महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री महोदय मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं इसे सभा पटल पर न रखूं अत: मैं इसे नहीं रखूंगा। बहरहाल, यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है और पूरा देश जानता है कि उस समय की सरकार द्वारा बाढ़ राहत धन का अन्यत्र उपयोग किया गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से राज्यों के बारे में मेरे पास सूचना है लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करते क्योंकि यहां सभा में हम तू-तू, मैं-मैं नहीं चाहते।

श्री बिक्रम केशरी देव: ऐसा ही मुम्बई में मीठी नदी के संबंध में हुआ, जहां निधियों का दुरविनियोजन किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ से निपटने के लिए कुछ ठोस उपाय किये जाने चाहिए और कैप्टन दस्तूर के समय ही नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी समाधान दिया गया था। इसके बाद यह स्वर्गीय के.एल. राव द्वारा किया गया था और जब एनडीए सरकार आयी, तो हमने नदियों को जोड़ने के लिए एक कार्य दल का गठन किया।

आज, मैं यह जान कर बहुत खुश हूं कि माननीय जल संसाधन मंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में गम्भीर है। ऐसा देखा गया है कि जल एक नेगेटिव वस्तु है। यह किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। यह प्रकृति की देन है। यह मूलत: एक नेगेटिव वस्तु है। अत: सरकार को राष्ट्रीय नदी नीति तैयार करनी चाहिए ताकि देश को लाभ हो सके।

दूसरा, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार कोस्टल रेग्युलेशन जोन I, II, III है, उसी प्रकार हमें रिवर रेग्युलेशन जोन I, II, III भी बनाना चाहिए। इससे नदियां संरक्षित होंगी, वनीकरण किया जा सकेगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ मुक्त क्षेत्रों में बदला जा सकेगा। इसके स्थायी समाधान के लिए, प्रत्येक वर्ष आप थोड़ा-थोड़ा करके धन दें। मुझे याद है पिछली बार मंत्री महोदय ने एक वाद-विवाद का उत्तर देते समय कहा था कि सरकार का कार्य बाढ़ के कारण मानसिक रूप से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता उपलब्ध कराना है क्योंकि उनका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसा उन्होंने इस सम्माननीय सभा में एक वाद-विवाद में कहा था। यह राहत सामयिक प्रकृति की है किंतु जो भी धनराशि व्यय की जाए ये दीर्घकालिक उपायों के लिए हो ताकि हम बाढ़ की विभीषिका से बच सकें। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों, अरबों रुपये गंवाते हैं और इस वर्ष भारत में बाढ़ की पूर्वसूचना संयुक्त राष्ट्र द्वारा दे दी गई थी। इस प्रकार की बाढ़ दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और नेपाल में कभी नहीं आयी। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे हमारे यहां गरीबी बढ़ेगी; गरीबी रेखा के नीचे और भी ज्यादा लोग आ जाएंगे। लाखों इंदिरा आवास मकानों की हानि हुई है; लाखों एकड़ कृषि भूमि का नुकसान हुआ है। सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करना एक नियमित घटना बन गई है। धन का क्या होता है, यह हम नहीं जानते।

मैं अपने राज्य उड़ीसा के संबंध में बात करना चाहता हूं। उड़ीसा ने 303 करोड़ रुपये की मांग की है किंतु हमें सिर्फ 30 करोड़ रुपये ही मिले हैं। आज सुबह, 'शून्य काल' के दौरान, मैंने एक मुद्दा उठाया था कि कालाहांडी जिले में थुआमुल रामपुर नामक एक जनजातीय खंड बाढ़ से इतना प्रभावित हुआ है कि वहां कोई वाहन नहीं जा सकता है और वहां मलेरिया फैल गया है, 30 आदिवासियों की डायरिया और मलेरिया से मौत हो गई है। पीने का पानी दूषित हो गया है। आसपास के जिलों में भी यह बीमारी फैल रही है। मुझे डर है कि श्री गमांग के निर्वाचन क्षेत्र अथवा श्री परशुराम मांझी के निर्वाचन क्षेत्र में इसके फैलने की आशंका है। वहां ऐसे मामले सामने आए हैं। सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कोई सहायता

वहां नहीं पहुंच रही है। यह उड़ीसा सरकार का दस्तावेज है। यदि आप अनुमति दें, तो मैं इसे प्रमाणित करना चाहूंगा।

क्या मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं।

श्री बिक्रम केशरी देव: यह राज्य सरकार का दस्तावेज है, इसलिए इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे केवल उद्धृत कर सकते है।

श्री बिक्रम केशरी देव: पहले चरण में उड़ीसा में 12 जिले; 16 ब्लॉक; 593 जीपी; 2703 गांव; 16 शहरी स्थानीय निकाय और 15 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है।

अब रिपोर्ट आई हैं कि हानि और भी अधिक हुई है। अत: उड़ीसा की जनता को तत्काल सहायता की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री उड़ीसा राज्य को यह सहायता प्रदान करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि वे महाराष्ट्र को नहीं भूले हैं। यह देश के हित में है। इसलिए मैंने इसे उद्धृत किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और हमें कुछ सम्पत्ति का सृजन करना चाहिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं। यही मेरा कहना है। इस सम्माननीय सभा में चुने जाने के बाद यह देखना मेरा कर्त्तव्य है कि सरकारी धन की बचत हो और यह धन गरीबों तक पहुंचे। यही मेरा कर्त्तव्य है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, फ्लड के बारे में जो डिस्कशन चल रही है, उसमें मैं भी कुछ बातें दर्ज करवाना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपके वहां भी फ्लड है?

चौधरी लाल सिंह: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: उधर से तो फ्लड आती है।

चौधरी लाल सिंह: जी हां, मैं बताऊंगा कि कहां-कहां फ्लड आती है। मैं सिर्फ दो-चार बातें कहना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने यह बहुत अच्छा काम किया है कि डिजास्टर मैनेजेंट एक्ट लाए। लेकिन उसमें कुछ कमी है जिसे मैंने उस दिन बताया था और आज भी बताऊंगा। उसमें न लोकल एमएलए की इन्वॉल्वमैंट है और न ही लोकल एमपी की है। आपने एक्ट बनाया, लेकिन मेरी सबमिशन है कि आप एक्ट की तरमीम करें। उसमें लोकल एमएलए और लोकल एमपी इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि वे उसमें बैठें और बात करें। वहां कलैक्टर और अधिकारी घूम-फिरकर कुर्सी पर बैठने वाले ही होते हैं। सारा दिन गली-गली, गांव-गांव घूमने वाले, हर दरिया, पहाड़ चढ़ने वाले, हर जगह जाने वाले नुमाइन्दों को इस एक्ट में इग्नोर किया गया है। जब तक इस बारे में नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक्ट में बहुत फैसीलिटीज लिखी गई हैं। मैं अपनी स्टेट के बारे में कहना चाहता हूं। जब से एक्ट बना है, न उन्होंने एक्ट के बारे में कुछ किया, न एक्ट आगे बढ़ा और न ही उसका कोई बैनीफिट मिला। यह एक रिलीफ होता है। मैं कहना चाहता हूं कि रिलीफ मैनुअल को थोड़ा चेंज कर दीजिए। किसी व्यक्ति का पूरा मकान तबाह हो जाता है, लेकिन उसे सिर्फ 200 रुपये, 2,000 रुपये पकड़ा दिये जाते हैं। यह क्या क्राइटेरिया है? किसी व्यक्ति का मकान चला गया, जमीन चली गई, प्रॉपर्टी तहस-नहस हो गई, लेकिन यदि उसे उस पर कोई रिलीफ न मिले तो उसका क्या मकसद है, उल्टा वह दरखास्त और कहानियां लिख-लिखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमता रहता है। पटवारी, डिपार्टमैंट सब भागते हैं, वे सिर्फ उसका फैसा खाते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राहत संबंधी प्रणाली में परिवर्तन किया जाए।

मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि लोग लोकल नाले, लोकल रिवर्स पर तकरीबन काबिज हो चुके हैं, इनक्रोचमैंट बढ़ती जा रही है, इनक्रोचर, कवरिंग आदि सब हो गया। जब पानी चलने के रास्ते रोक दिये गये, जो एक नैचुरल फिनॉमिना है, कुदरत की तरफ से नैचुरल बहाव बनाया गया है, यदि आप उसके रास्ते में बैठ जाएंगे, तो डूबेंगे नहीं, बहेंगे नहीं तो आपके साथ क्या होगा। सरकारें यह जरूर ध्यान रखें कि भगवान, खुदा के बनाए हुए सिस्टम नहीं टूटे। आप उन्हें तोड़ रहे हैं। आपके पैसे, आपके फंड्स आदि भगवान के पानी के आगे कुछ नहीं हैं, जब तक आप उन्हें मानकर नहीं चलेंगे। दरिया जैसे छोड़े गए थे, आपने उन्हें कवर किये, आपने टोटल फॉरैस्ट काट दिये। फॉरैस्ट कटने से अनइवन रेनफॉल, अनइवन स्नोफॉल और ऊपर से पूरी मिट्टी नीचे, दरिया ऊंचे होते जा रहे हैं, नाले ऊंचे होते जा रहे हैं, जो सॉयल कन्जर्वेशन होनी चाहिए, टोटली बहाव चला गया। मेरी सबमिशन है कि आप इसकी तरफ खास ध्यान रखें। हमारे सारे दरिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी हैं, सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की जिसे उच्छ कहते हैं, वह एक बची है, बाकी दरियाओं में आप कुछ नहीं कर सकते। उस ट्रिब्यूटरी में हम उस पानी को एज ए हाइडल इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट यूटीलाइज

[चौधरी लाल सिंह]

कर सकते हैं। 280 मेगावाट बनता है जिससे 14,000 एकड़ जमीन को पानी मिल सकता है। जखोल, फोरलेन, बोरठेन, भाग, यह कुछ बहुत बड़े-बड़े एरियाज हैं। हमारे पास कितनी जमीनें हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। एक लैंड सीलिंग एक्ट बना था। उसके मुताबिक थोड़ी सी जमीनें रही हैं। मेरे कहने का मकसद है कि हमारी 200 एकड़ के करीब एग्रीकल्चरल जमीन चली गई, और जा रही है।

मैं यह सबमिशन करना चाहता हूं कि जो जगहें हैं, उस उज रीवर को आप रिकमंड करें। आपका महकमा इसमें वाटर कन्जर्वेशन का काम करता है। सोज साहब का भी डिपार्टमैंट भी इससे एफीलेटिड है। इसलिए मैंने कहा कि उज रीवर ट्रीटी में नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करें ताकि बाढ़ में बहने वाले लोगों की बचत हो सके। हमारा प्रोजैक्ट बने और हमें इरीगेशन भी मिले।

मेरी यह प्रार्थना है कि इनक्रोचमैंट की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, तो कुछ नहीं होगा। आज छोटे-चोटे नालों पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, रीवर के किनारे भी लोग बस गये। बाद में केस बनता है कि लोग बह गये, यह हो गया, वह हो गया। इसमें गवर्नमैंट ऑफ इंडिया या किसी अन्य सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होती और न ही कोई सरकार कमी चाहती है। कोई सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोई आदमी बह जाये या मर जाये। लेकिन इसकी प्लानिंग का सवाल है, जो आप करते हो। हमारा कहना है कि जमीन पर वह प्लानिंग नहीं होती। आपके भेजे हुए फंड्स का मिसयूज होता है। उनका प्रॉपर यूटीलाइजेशन नहीं होता। इन पर कोई चैक नहीं है। इस पर कोई चैक और बैलेंस नहीं है। मेरा सबमिशन है कि आप खास तौर से इस पर ध्यान दें।

आपके नुमाइंदे या रिप्रैजेटेटिव जहां भी बैठे हैं, आप उनकी ड्यूटी लगायें कि जो पैसा आपने बाढ़ आपदा के नाम पर भेजा है, वे उसे चैक करें, नहीं तो हर साल फ्लड-फ्लड शोर मचता रहेगा। यह चंद लोगों का तमाशा बन गया है। जिसका नुकसान हुआ है, उसे कुछ मिले या न मिले, लेकिन जिनका नुकसान नहीं हुआ, उनकी कोठी, महल और चौबारे बन गये हैं। बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति हर वर्ष प्रभावित रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता। मेरी सबमिशन है कि इसकी तरफ खास ध्यान दिया जाये।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों से बाढ़ तथा सूखे का सामना करना हमारे देश के लिए एक प्रथा सी बन गई है। इस संबंध में, मैं मंत्रालय से यह जानना चाहूंगा कि हम पूरे देश में राज्यवार राहत कार्यों पर कितनी राशि व्यय कर रहे हैं।

एक आकलन के अनुसार, स्थायी जल निकायों के निर्माण के स्थान पर हम इस पर अधिक धन खर्च कर रहे हैं।

महोदय, बाढ़ के विषय को उठाने से पहले, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि इस बार 9 से 12 अप्रैल, 2007 के बीच में आंध्र प्रदेश में भारी ओलावृष्टि के साथ अत्यधिक बारिश हुई जिसकी वजह से 7 जिलों, नामतः, रंगारेड्डी, वारांगल, नालगोंडा, करीमनगर, मेक, निजामाबाद और विजयनगरम में जन-धन की काफी हानि हुई। इस ओलावृष्टि में लगभग 42 लोग मारे गये। लगभग 200 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा दें तथा नुकसान की भरपाई करें।

महोदय, 1 जून, 2007 से लेकर 8 अगस्त 2007 के बीच मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई। हमारे राज्य का मौसम विज्ञान प्रखण्ड तीन भागों में है। तटीय आंध्र प्रदेश में, सामान्य वर्षा 295 मि.मी. होता है, लेकिन इस अवधि के दौरान वास्तव में 423 मि.मी. वर्षा हुई है। तेलंगाना में, सामान्य वर्षा 435 मि.मी. है जबकि इस अवधि के दौरान वास्तव में 379 मि.मी. वर्षा हुई जो कि वहां की सामान्य वर्षा से 13 प्रतिशत कम है। रायलसीमा में, सामान्य वर्षा 174 मि.मी. है जबकि इस बार वहां 368 मि.मी. वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो कि 112 प्रतिशत अधिक है।

महोदय, हम काफी भाग्यशाली हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य, महाराष्ट्र ने हमें दो नदियां-गोदावरी और कृष्णा दी हैं। लेकिन इन नदियों के कारण यहां बाढ़ भी आती है। हमारे पड़ोसी राज्यों में भारी वर्षा के कारण गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में अत्यधिक पानी का प्रवाह होता है जिससे विनाशकारी बाढ़ आती है।

उड़ीसा में भी, सामान्य वर्षा 660 मि.मी. है परंतु इस अवधि के दौरान यहां 802 मि.मी. दर्ज की गई, जो 21 प्रतिशत अधिक है। परिणामस्वरूप, बाढ़ के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश की वामसाधरा तथा नागावल्ली नदियों से काफी परेशानी हुई। कुल मिलाकर 14 जिले बाढ़ग्रस्त हुए हैं। उन 14 जिलों में से दो जिलों, करनूल और प्रकासम में बाढ़ की स्थिति अत्यधिक गंभीर रही। करनूल में, 383 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई जबकि वहां की सामान्य वर्षा 70 मि.मी. है। गुंटूर में भी ऐसा ही हुआ। कुल मिलाकर हानि यह हुई कि 12 जिलों में लगभग 45 लोग मारे गये और 15 मछुआरे लापता हो गए।

महोदय, मैं एक चीज को सुधारना चाहता हूं। गृह मंत्रालय ने देश की बाढ़ की स्थिति पर एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। इसमें प्रभावित गांवों की संख्या 47 बताई गई है। यह सही नहीं

है। प्रभावित गांवों की कुल संख्या 457 है तथा क्षतिग्रस्त घरों की संख्या दो लाख से भी अधिक है। लगभग 47,000 पशुधन की हानि हुई है। लगभग 36 हेक्टेयर भूमि को फसल प्रभावित हुई है तथा इस बाढ़ के दौरान लगभग 942 टैंक क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस बाढ़ में लगभग 1100 हाईस्कूल, आंध्र प्रदेश आवासीय विद्यालय और 60 सामाजिक कल्याण हॉस्टल डूब गए हैं।

पिछली सुनामी में, लगभग 6,808 फिसिंग नेट गुम हो गए थे। यह मामला अभी लम्बित है। वे बहुत महंगे थे लेकिन एनसीसी कोष के माध्यम से इसका मुआवजा नहीं दिया गया था। सबसे अधिक प्रभावित जिला करनूल था तथा तुंगभद्र, हांडरी और कुंडु नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं तथा इससे हानि हुई थी।

आंध्र प्रदेश को 284.51 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें पहली किश्त के तौर पर लगभग 77 करोड़ रुपये मिले। इसमें से, पिछले वर्ष की अग्रिम राशि के तौर पर लगभग 64 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई। केन्द्रीय दल ने 17-19 जुलाई को हमारे राज्य का दौरा किया था लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। अत: मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि बिना किसी कटौती के पहली किश्त जारी की जाए।

मकानों के लिए मुआवजे के भुगतान, फसल की हानि के लिए राजसहायता के भुगतान, अपर्याप्त सामग्री की आपूर्ति तथा मुआवजे और राहत सामग्री के वितरण के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार को ठीक करने की आवश्यकता है। मेरे राज्य सरकार ने लगभग 1,538 करोड़ रुपये की कुल हानि का विवरण प्रस्तुत किया है। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे और धनराशि प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उड़ीसा के हमारे साथी द्वारा कही गयी बातों से सम्बद्ध करते हुए अपने क्षेत्र की कुछ बातों को माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

वैसे तो उड़ीसा का जो पश्चिमी जिला है, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती है, लेकिन इस बार सेकण्ड फेज की लो डिप्रेशन के कारण इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मुंबई-हावड़ा मेनलाइन डिस्टर्ब हो गयी और आज तक वह चालू नहीं हो पाई है। इसके कारण कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस, जो दिल्ली से उस एरिया को कनेक्ट करती है, गीतांजलि एक्सप्रेस, बॉम्बे मेल, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बोकारो-मद्रास एक्सप्रेस, जनेश्वरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तपस्विनी एक्सप्रेस आदि तमाम दूरगामी ट्रेन्स अभी भी ठप्प पड़ी हुई हैं। मंत्री जी तुरंत रेलवे विभाग से सम्पर्क करके इनको चालू कराने के लिए प्रयास करें और इसे सफिशिएण्ट फण्ड दिया जाना चाहिए।

महोदय, नेशनल हाइवे संख्या 215 और नेशनल हाइवे 23, जो मेरे जिले में आते हैं, बारिश से डिस्टर्ब हो गए हैं, वहां से गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, जिसकी वजह से मरीजों को, बच्चों को स्कूल और इग्जाम के लिए आना-जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में स्पेशल अटेंशन दिया जाए।

मैं पुन: मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में कभी बाढ़ के रूप में, कभी साइक्लोन के रूप में और कभी सूखे के रूप में बार-बार कैलामिटी आती है। उसके लिए केन्द्र सरकार को खासकर रेलवे को पर्याप्त फंड राज्य सरकार को देना चाहिए। मुम्बई-हावड़ा मेन रेललाइन, नेशनल हाइवे नम्बर 23 और 215 के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, आप रख सकते हैं।

***श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विशेषकर धारवाड़, हावेरी और गडग जिलों तथा कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों अर्थात बेलगाम, बागलपुर, दवनगिरी, शिमोगा, उत्तर कन्नड़, रायचुर, बेल्लारी और कोपला में हुई बारी बारिश और बाढ़ के कारण जान और माल की भारी क्षति हुई है। पशुधन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का भी काफी नुकसान हुआ है।

कर्नाटक सरकार द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार, 11,29,600 लोग तथा 1,412 गांव प्रभावित हुए 22,214 घर क्षतिग्रस्त हुए; धनराशि संदर्भ में 7.26 करोड़ रुपये की हानि हुई; 156 गंजी केन्द्र खोले गए; 39 कीमती जानें गई; 834 पशु मारे गए; 1,84,806 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल की हानि हुई (लगभग 433.05 करोड़ रुपये), तथा लगभग 559.98 करोड़ रु. मूल्य की आधारभूत संरचना की हानि हुई। बाढ़ का पानी अभी तक नीचे नहीं उतरा है। जिससे स्थिति और गंभीर बन गई है। यह आकलन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

तब किया गया जब बाढ़ का पानी बिल्कुल रुका हुआ था। कहने की जरूरत नहीं कि अभी अंतिम आकलन किया जाना है। माननीय मंत्री महोदय कर्नाटक में हुई हानि की कल्पना आसानी से कर सकते है।

मैं मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा विशेषकर कर्नाटक के हावेरी जिले के शिगांव, सावानुर, हनगल, हावेरी, बादामी, हिरकेरूर और रणबेन्नूर ताल्लुकों में जो हुआ उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। वहां तीन नदियां बहती हैं जिनके नाम हैं-तुंगभद्रा, वरादा और कुमदादवती। इन ताल्लुकों में हुई अभूतपूर्व भारी बारिश के कारण अनेक नाले और टैंक क्षतिग्रस्त हो गए हैं डूब जाते हैं क्योंकि वे कई वर्षों से ओवर फ्लो कर रहे थे जिससे वे टूट गए हैं।

इस क्षेत्र के किसान कपास, मक्का, धान और मिर्च इत्यादि उगाते रहे हैं परन्तु भारी बारिश और बाढ़ के कारण उनकी सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है। वे इस स्थिति से उबरने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं जो बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई हैं।

कुमुदादवती नदी के साथ के कुछ गांव; जीरकल्र ताल्लुक में मसुर और टिप्पईकोप गांव; रणबेन्नूर ताल्लुक में कुप्पालुर गांव; बनागल ताल्लुक में कुडाल गांव; वरदा नदी के पास कनीमेल्ली हटली, कलसुर नादी नीराटगी तथा अन्य गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बेन्नी हटला (नाला) के कारण धुनदाशी, होन्नापुर, ताडस, अन्दईगड़ी गांव पानी में डूबे हैं। कुण्डुगोल ताल्लुक में कई गांव, बेन्नी हटल्ला (नाला) के पास धारवाड़ जिले में पानी जमा हो गया है जिससे सारी फसल नष्ट हो रही है।

गडाग जिले में शिराहट्टी ताल्लुक में इटागी, सासरावाड़, बालेसुर और कई अन्य गांव भारी वर्षा तथा तुंगभद्रा नदी में उफान के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। किसानों की हालत बहुत बुरी है। उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों के द्वारा किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा जले पर नमक छिड़कने जैसा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष से केन्द्र सरकार ने किसानों को जो राहत प्रदान की है वह इस बाढ़ में हुई जान माल और पशुओं की हानि के मुकाबले बिल्कुल अपर्याप्त है। चूंकि प्रभावित किसानों और लोगों के द्वारा प्राप्त धनराशि खेतों और फसलों की हुई हानि के मुकाबले बहुत ही कम है, आपदा राहत कोष के दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए हो-हल्ला हुआ लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों की वाजिब मांगों पर ध्यान देने के लिए कुछ नहीं किया गया है।

मेरे विचार से फसलों की हानि तथा विशेष रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दिया गया मुआवजा काफी कम है तथा इसे बिना और समय नष्ट किये संशोधित किया जाना चाहिए। मेरी यही सलाह है। जिन लोगों की सूखाग्रस्त जमीन बाढ़ के कारण जलमग्न हो गई उन्हें कम से कम 10,000 रु. प्रति एकड़ तथा जिन लोगों की सिंचित भूमि भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुई है। उन्हें बीस हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, मकानों को हुई भारी क्षति के लिए उन्हें बहुत ही कम धनराशि दी जाती है। इसे संशोधित करके कम से कम 25,000 किया जाना चाहिए और जिसका पूरा घर गिर गया हो उसका मूल्यांकन तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों द्वारा समुचित रूप से करवाया जाना चाहिए और उसके अनुसार बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि पीड़ित व्यक्ति एक नया घर बना सके। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब किसानों के लिए यह बहुत कठिन हो जाएगा जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। क्या यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वे गरीब किसानों के साथ उस समय न्याय करें जब वे विपत्ति में हों, परेशान हों तथा जब उन्हें मदद की आवश्यकता हो।

जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई हो अथवा जिनके मवेशी बाढ़ में मर गये हों उनके लिए मुआवजे की धनराशि को दोगुना किया जाना चाहिए।

कर्नाटक में केवल 156 गंजी केन्द्र हैं। जब कर्नाटक के लोगों पर इस प्रकार की विपदा आई है तो यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि वह राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आए। इस संबंध में, चूंकि बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ है। इसलिए, मैं सरकार से और अधिक 'गंजी केन्द्र', खोलने का अनुरोध करता हूं क्योंकि उन्हें इसकी इस समय जरूरत है।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि बाढ़ से केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि अन्य राज्य जैसे कि बिहार, असम, गोवा और महाराष्ट्र भी प्रभावित हुए हैं। इन राज्यों में भी मुआवजे की राशि को संशोधित करना चाहिए क्योंकि किसानों ने अपनी पूरी कमाई गंवा दी है।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की भयानक विपदा के बावजूद कर्नाटक को अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। बाढ़ के कारण हुए नुकसान की पूर्ति के लिए मैं केन्द्र सरकार से कर्नाटक प्रदेश को राहत के तौर पर 500 करोड़ रुपये और विशेष राहत पैकेज देने का अनुरोध करता हूं।

मैं यह दोहराना चाहूंगा कि पीड़ित राज्यों में हुई हानि पर विचार करते हुए राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष और राष्ट्रीय राहत कोष से धनराशि प्रदान किये जाने संबंधी मानदंडों को बिना समय गंवाए संशोधित किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इस अनुरोध पर विचार करेगी।

केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार उसकी निगरानी में 71 बड़े जलाशयों में से 41 में कुल भंडारण क्षमता से 20 प्रतिशत अधिक भंडारण हो गया है। बड़ी नदियों जैसे कि गंगा, सिंधु, गोदावरी में पिछले दस वर्षों के औसत के मुकाबले अधिक पानी है।

संयुक्त राष्ट्र ने भारत और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति को अभी तक की सबसे बुरी स्थिति बताई है।

केन्द्र ने अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की है। कर्नाटक सरकार ने अपना ज्ञापन माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री को प्रस्तुत किया है लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है।

इसलिए मैं भारत सरकार से तत्काल राहत देने का आग्रह करता हूं।

अपराह्न 3.26 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर): सभापति महोदय, सरकार के आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से करीब 3,213.42 करोड़ रुपए की क्षति हुई है और 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैं समझता हूं जब 11 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है, तो पचासों लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए होंगे। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पांच वर्षों के लिए 21,333.33 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इतनी बड़ी क्षति बाढ़ से होती है। तीन स्थितियों में पानी आता है। एक तो नदियों के माध्यम से पानी आता है। वह पानी पहाड़ी क्षेत्रों से आकर नदियों में मिलता है। नदियों ने जो रास्ता बना लिया है, उसके माध्यम से वह पानी समुद्र में चला जाता है। हमारे पास आंकड़े हैं कि कौन सी नदी में किस महीने में कितने-कितने क्यूसेक पानी बहता है। लेकिन दुख का विषय है कि कई-कई हजार करोड़ रुपये सरकार खर्च करती है, उसके बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जैसे कहा कि बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार के पास को ठोस योजना नहीं है। जिन नदियों में अधिक पानी आता है, वह जून, जुलाई और अगस्त इन तीन महीनों में आता है। उस पानी को अगर छोटी-बड़ी नहरों के माध्यम से ऐसी जगहों पर पहुंचा दिया जाए जहां पानी की आवश्यकता है, सूखा है, तो वहां के लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को ठोस योजना बनानी चाहिए। अगर वह ऐसा करेगी तो जो बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पैसा खर्च होता है, वह बच जाएगा और सूखे क्षेत्र में पानी के लिए तरस रहे किसानों तथा लोगों को पानी मिल जाएगा। अगर हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं होगी तो फिर वही पानी इकट्ठा होकर बाढ़ का रूप लेता रहेगा और उससे तबाही होती रहेगी। इस तरह की योजना बनाने का काम जल संसाधन मंत्रालय को करना चाहिए। अगर वह ठोस नीति के तहत काम कर दे, तो बाढ़ की विभीषिका पर काबू पाया जा सकता है।

मैं एक बात अपने क्षेत्र की भी कहना चाहता हूं। भारत सरकार ने जो बाढ़ से हुई क्षति के जो आंकड़े दिये हैं, उसमें जिला बिजनौर का जिक्र नहीं है। मेरा जिला उत्तरांचल की सीमा से लगा हुआ है। बालावाली के बाद जिला बिजनौर की सीमा शुरू होती है और वहां गंगा नदी में अत्यधिक पानी आता है। पिछले 15 वर्षों में सात-आठ किलोमीटर का कटान गंगा नदी के बहाव बदलने के कारण हो गया है। इससे वहां के किसानों की हजारों एकड़ जमीन की क्षति हुई है।

मैं पिछले महीने 27 तारीख को अपने क्षेत्र में गया था। वहां बीसियों गांव गंगा नदी की वजह से कटान में थे, लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को जिला बिजनौर का कोई आंकड़ा नहीं भेजा। इस बात का मुझे खेद है। वहां पर छोटी-छोटी नदियां हैं, जैसे खो है, मालान है।

सभापति महोदय: कृपना समाप्त करें।

श्री मुन्शी राम: वहां कई छोटी-छोटी नदियां हैं। उनमें भी केवल मात्र साल में दो महीने पानी आता है। अधिक पानी आने की वजह से वहां की तमाम फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन उसका भी जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है, जिसका मुझे खेद है। गंगा नदी के बहाव में बदलाव की वजह से जिला बिजनौर के सात-आठ किलो मीटर के एरिया का कटान हो चुका है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें, क्योंकि साढ़े तीन बज रहे हैं और प्राइवेट मेम्बर बिजनेस शुरू होना है। आपके पास लिखित भाषण है। शेष भाग को आप सभा पटल पर रख दें।

श्री मुंशी राम: ठीक है।

सभापति महोदय: वह भाषण भी सदन की कार्यवाही का अंश माना जाएगा।

***श्री मुंशी राम:** सभापति जी, मैं उत्तराखंड की सीमा से लगा क्षेत्र बिजनौर, लोक सभा से प्रतिनिधित्व करता हूं। गंगा, मालन, गांगन, खौ, नक्टा आदि नदी जो मेरे क्षेत्र से होकर गुजरती है। उपरोक्त नदियों के कारण मेरे क्षेत्र का छोटा किसान नदियों में अत्यधिक पानी आने के कारण उनकी फसल को नष्ट कर देता है जिसके कारण वह तबाह हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा नदी अपने पुराने बहाव स्थान से 8-10 कि.मी. कटान करके किसानों को भूमिहीन बना दिया जिसके कारण इस क्षेत्र के काफी गरीब किसान कागजों पर भूमी घर है। परन्तु मौके पर उनके पास भूमि नहीं है। अर्थात गंगा नदी को विशेष पैकेज के द्वारा पूर्व स्थान पर बहाने के लिए उसमें जमा रेत को निकाल कर साफ किया जाये। मैं समझता हूं कि जितनी लागत उस रेत को निकालने में लगेगी उससे कई गुना लागत में वह रेत बेचा जा सकता है। इसी प्रकार बिजनौर या अन्य स्थानों पर बने बैराज पर पूरी तरह रेत से भरे हैं जिन्हें विशेष पैकेज के द्वारा साफ करा कर रेत साफ कराये जाये। जहां पानी होना चाहिए था वहां रेत भरा है उसे खाली कराया जाये। इसी के साथ साथ बिजनौर बैराज से बालावाली तक बन्दा बनाया जाये जिससे इस क्षेत्र के रहने वाले गरीब किसान प्रभावित न हो। मालन नदी जहां गंगा में मिलती है उसे उस स्थान से हटा कर समानान्तर नहर बना कर पानी आगे डाला जाये जिससे गंगा नदी का पानी क्षेत्र में न फैल सके।*

अपराह्न 3.30 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्ताइसवें, अट्ठाइसवें और उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा-

(एक) 9 मई, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन से इस संशोधन के अध्यधीन सहमत हुई कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित इसकी सिफारिशों के पैरा 4 तथा पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए;

(दो) 16 मई, 2007 को सभा में प्रस्तुत समिति के 28वें प्रतिवेदन; और

(तीन) 16 अगस्त, 2007 को सभा में प्रस्तुत समिति के 29वें प्रतिवेदन से इस संशोधन के अध्यधीन भी सहमत हुई कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित इसकी सिफारिशों के पैरा 4 तथा पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए।" से सहमत है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा-

(एक) 9 मई, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन से इस संशोधन के अध्यधीन सहमत हुई कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित इसकी सिफारिशों के पैरा 4 तथा पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए;

(दो) 16 मई, 2007 को सभा में प्रस्तुत समिति के 28वें प्रतिवेदन; और

(तीन) 16 अगस्त, 2007 को सभा में प्रस्तुत समिति के 29वें प्रतिवेदन से इस संशोधन के अध्यधीन भी सहमत हुई कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित इसकी सिफारिशों के पैरा 4 तथा पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए।" से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:*स्थापित*

(एक) काम का अधिकार विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि काम का अधिकार और किसी नागरिक को समुचित काम दिये

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।

जाने तक भत्ता, काम का अधिकार निधि की स्थापना, काम का अधिकार बीमा का सृजन और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि काम का अधिकार और किसी नागरिक को समुचित काम दिये जाने तक भत्ता, काम का अधिकार निधि की स्थापना, काम का अधिकार बीमा का सृजन और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.32½ बजे

(दो) बाल विकास विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि बालकों का सर्वांगीण विकास करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बालकों का सर्वांगीण विकास करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती अर्चना नायक: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.33 बजे

(तीन) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007*

(अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(चार) संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007*

(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.34 बजे

(पांच) बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा (अनिवार्य रूप से मातृभाषा में प्रदान किया जाना) विधेयक, 2007*

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बच्चों को बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा मातृभाषा के अनिवार्य प्रयोग और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बच्चों को बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा मातृभाषा के अनिवार्य प्रयोग और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(छह) कृषि उत्पाद (लाभकारी मूल्य) विधेयक, 2007*

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसानों के कृषि उत्पाद के लिए उत्पादन लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का निर्धारण करके, सरकारी अभिकरणों के माध्यम से इन उत्पादों का अनिवार्य क्रय करके भरपूर फसल की स्थिति में ऐसे सरकारी अभिकरणों द्वारा अनिवार्य बाजार हस्तक्षेप करके लाभकारी मूल्य का संदाय सुनिश्चित करने तथा इस प्रयोजनार्थ एक स्वायत्त बोर्ड का गठन करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि किसानों के कृषि उत्पाद के लिए उत्पादन लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का निर्धारण करके, सरकारी अभिकरणों के माध्यम से इन उत्पादों का अनिवार्य क्रय करके भरपूर फसल की स्थिति में ऐसे सरकारी अभिकरणों द्वारा अनिवार्य बाजार हस्तक्षेप करके लाभकारी मूल्य का संदाय सुनिश्चित करने तथा इस प्रयोजनार्थ एक स्वायत्त बोर्ड का गठन करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(सात) विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 2007*

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपेक्षित, परित्यक्त और निराश्रित विधवाओं के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए ऐसी विधवाओं हेतु एक कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना करके राज्य द्वारा किये जाने वाले उपायों और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उपेक्षित, परित्यक्त और निराश्रित विधवाओं के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए ऐसी विधवाओं हेतु एक कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना करके राज्य द्वारा किये जाने वाले उपायों और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.35½ बजे

(आठ) ट्रस्ट निगम विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सामाजिक बाध्यता के साथ उद्यमों के और विकास के लिए ट्रस्ट नियमों के सृजन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सामाजिक बाध्यता के साथ उद्यमों के और विकास के लिए ट्रस्ट निगमों के सृजन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(नौ) प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकरण का विनियमन करने और उससे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकरण का विनियमन करने और उससे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.36½ बजे

(दस) प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक, 2007*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन और डाक तथा तार घर की सुविधाओं तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन और डाक तथा तार घर की सुविधाओं तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(ग्यारह) ग्रामीण विद्युतीकरण विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों को उनके कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए विद्युत की निर्बाध पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में कम से कम एक बत्ती का कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषकों को उनके कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए विद्युत की निर्बाध पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में कम से कम एक बत्ती का कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.38 बजे

(बारह) बाल कल्याण विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालकों के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बालकों के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

सभापति महोदय: मद संख्या 26, 27 और 28-श्री एल. राजगोपाल-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.39 बजे

(तेरह) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.40 बजे

(चौदह) ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि तथा अन्य ग्रामीण उपजीविकाओं में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कृषि तथा अन्य ग्रामीण उपजीविकाओं में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007* (अनुच्छेद 371ज के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरेन रिजीजू: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.42 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन* हुए]

(सोलह) अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजातियों और राज्य के अन्य वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ तथा इसके प्राकृतिक संसाधनों के विकास और दोहन के लिए विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजातियों और राज्य के अन्य वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ तथा इसके प्राकृतिक संसाधनों के विकास और दोहन के लिए विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कीरेन रिजीजू: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

(सत्रह) दयाभूत प्राणान्त (अनुज्ञा और विनियमन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि असाध्य रोग या किसी अन्य कारण से पूर्णत: और सर्वदा के लिए अशक्त तथा/या शट्याग्रस्त व्यक्तियों के जीवन का अनुकम्पाशील, मानवीय और वेदनाहीन अंत करने तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि असाध्य रोग या किसी अन्य कारण से पूर्णत: और सर्वदा के लिए अशक्त तथा/या शय्याग्रस्त व्यक्तियों के जीवन का अनुकम्पाशील, मानवीय और वेदनाहीन अंत करने तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय: मद संख्या 34 और 35-श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 36, 37 और 38-श्री हंसराज जी. अहीर-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.44 बजे

(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007*

(अनुच्छेद 244 आदि का संशोधन)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तापिर गाव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 बजे

स्व-रोजगार संवर्धन विधेयक, 2006-*जारी*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हम लोग दूसरी चर्चा पर आ गए हैं, यह प्रस्ताव आइटम संख्या 40 में है "कि शिक्षित बेरोजगार युवकों में स्व-रोजगार का संवर्धन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए।"

यह चर्चा पहले से चल रही है। आज इसे जारी रखना है और कुछ वक्ता बोलना चाहते हैं जिन्होंने पहले से नाम दिये हुए हैं।

डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव अलवर): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य श्री चन्द्रकांत खैरे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय को द परमोशन ऑफ सैल्फ एम्पलाएमेंट बिल के माध्यम से सदन के सामने पेश किया है। इस देश की मूल समस्याओं में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और आजादी के 60 वर्षों बाद भी हमारी आबादी

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 24.8.07 में प्रकाशित।

[डा. करण सिंह यादव]

बढ़ती गई है, हम करीब 110 करोड़ के पास पहुंच गए हैं। मुल्क ने तरक्की भी बहुत की लेकिन मुल्क में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आज हम आंकड़े देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ लोगों में बेरोजगारी तो है ही लेकिन उससे ज्यादा विकराल समस्या पढ़े-लिखे लोगों की है। जिन मां-बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा-दीक्षा देकर ग्रेजुएशन, बीएड करवाया, डॉक्टर और इंजीनियर बनाया, प्रोफेशनल बनाया और आज वे बच्चे अपने सर्टीफिकेट हाथ में लिये हुए घूमते रहें तो इससे बड़ी त्रासदी न तो उन बच्चों के लिए हो सकती है और न उन मां-बाप के लिए हो सकती है। बहुत-सी सर्विसिस में यह बात साफ उभर कर आई है कि इससे तो अनपढ़ बेहतर हैं जो कम से कम अपनी मेहनत मजदूरी तो करते हैं क्योंकि ग्रामीण भारत में सैल्फ एम्पलाएमेंट का सबसे बड़ा जरिया खेती है जिसमें अनपढ़ आदमी पहले दिन से जानता है कि मुझे अपने पिताजी की जमीन को जोतना है और उसमें से अपनी दाल-रोटी निकालनी है। वह घर में एक या दो गाय-भैंस रखकर डेरी के माध्यम से अपना रोजगार पैदा कर लेता है। भारत की आजादी के बाद पढ़े-लिखे लोगों ने नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी समझा और लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पंखे की ठंडी हवा में या एयरकंडीशन कमरे में सफेद कॉलर जॉब को ही नौकरी समझा। सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है यह आज देश के सामने है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आज 18 से 35 वर्ष के युवा बेरोजगार हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। यह हमारी कुल आबादी का 25 से 29 प्रतिशत कांस्टीट्यूट करते हैं। इन पढ़े-लिखे युवाओं में एम्पलाएमेंट की अलग कैटेगिरी है, कुछ तो क्रानिकली अनएम्पलाएड हैं, जिस दिन से डिग्री ली उस दिन से ही चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। वे घरवालों से पैसे लेते हैं और इंटरव्यू देकर आते हैं लेकिन नतीजे नहीं निकल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें थोड़े दिनों के लिए किसी आसपास की फैक्टरी में या किसी सरकारी संगठन में छोटा-मोटा कांट्रैक्चुअल जॉब मिला, उसमें कुछ दिन काम किया, बाद में फैक्टरी मालिक ने उन्हें सूटेबल नहीं पाया और उन्हें निकाल दिया, इस तरह से वे कभी जॉब में रहे और कभी बाहर निकल कर आ गये। खास तौर पर पढ़े-लिखे लोगों में जो ग्रामीण पढ़े-लिखे लोग हैं, उनमें ज्यादा अनइम्पलायमैंट है। हमारी शिक्षा प्रणाली का ऐसा दोष है कि शहरों में पढ़े-लिखे हमारे सौभाग्यशाली बच्चे, जो आज हमारी सदन की कार्यवाही देख रहे हैं, ये अच्छे स्कूलों से आते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, अच्छी कम्युनिकेटिव स्किल है और कुछ नहीं तो ये 10+2 करने के बाद किसी कॉल सेन्टर में बैठकर अपने कान पर हैडफोन लगाकर काम कर सकते हैं। इस तरह से इन्हें नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली में जॉब मिल जाता है। लेकिन गांव का बच्चा, जो पिछड़े और दलित समाज से आता है, गांवों के स्कूलों में जिसे सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है। आई.क्यू. तो उसकी भी अच्छी है, लेकिन उसे वह व्यावहारिक ज्ञान नहीं मिलता, उसे वह कम्युनिकेटिव स्किल नहीं आती, जिसके कारण वह अपनी बात भी ढंग से नहीं कह पाता। वह अपनी डिग्री लिए घूमता रहता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे युवा हैं, वे बेरोजगारी के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं।

सभापति महोदय, अगर हम आज अपने देश के इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंजिज को देखें तो एक सर्वे के अनुसार लगभग साढ़े तीन से चार करोड़ के आसपास अनइम्पलॉयड लोगों के नाम इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंजिज में दर्ज हैं। जब हम इन्हीं इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंजिज में देखते हैं तो इनमें लगभग पचास लाख वे लोग हैं, जो ग्रेजुएट या इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त किये हुए है। बाकी तीन करोड़ लोग वे हैं, जो ग्रेजुएट से कम हैं। लेकिन पचास लाख लोग ग्रेजुएट या उससे ऊपर हैं। हम इन इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंजिज की फिगर्स को सारे कंट्री का एक रूप नहीं मान सकते। क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंज तक जाकर अपने नाम दर्ज नहीं करवाते हैं। अगर आज यह सरकार तय कर दे कि नौजवानों को, पढ़े-लिखे बेरोजगारों को कोई बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा तो हो सकता है कि ये फिगर जो तीन से साढ़े तीन करोड़ है, बढ़कर इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस तरह से आज स्थिति बहुत भयावह है और कई प्रश्न हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हमारे पास जो पचास लाख के लगभग इम्पलायमैन्ट एक्सचेंजिज में रजिस्टर्ड अनइम्पलायड ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से लगभग 21 लाख वे लोग हैं, जिन्होंने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया है। मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आर्ट साइड के ग्रेजुएशन की कोई अहमयित नहीं है और मैं समझता हूं कि बी.ए. की डिग्री बंद कर देनी चाहिए। कालेजों में इस तरह की शिक्षा देने और हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उस डिग्री की कहीं कोई रिकग्निशन नहीं है, उससे कहीं जॉब नहीं मिलता है।

इसके अलावा कम से कम दस लाख साइंस साइड के ग्रेजुएट्स हैं। हम समझते थे कि विज्ञान पढ़े-लिखे व्यक्ति को बेहतर नौकरी मिलेगी, लेकिन वे भी बेरोजगार घूम रहे हैं। आजकल बी.एस.सी. की डिग्रियां हाथों में लेकर लोग घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम सात लाख कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश में पिछले दिनों इंजीनियरिंग कालेजेज खोलने में लिबरेलाइजेशन हुआ। हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, इस बढ़ती हुई इकोनोमी में देश को टैक्निकल ग्रेजुएट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरह से जगह-जगह खूब इंजीनियरिंग कालेजेज खुल गये। महोदय, आप जानते हैं कि आज यह स्थिति

हो रही है कि लड़के का एडमिशन साइंस में दूसरे कोर्सेज में नही हो पायेगा। लेकिन पचपन प्रतिशत, पचास प्रतिशत और पैंतालिस प्रतिशत अंक प्राप्त किये हुए बच्चे के माँ-बाप भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए कैपिटेशन फीस का सहारा लेते हैं। वे कहीं कैपिटेशन फीस देंगे, कहीं आपसे कहवायेगा और कहीं मुझसे कहलवायेगा। इसका नतीजा यह है कि इंजीनियर्स तो बन रहे हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स में भी अनइम्पलायड इंजीनियर्स की संख्या भारत में आज दो लाख से ज्यादा है। डॉक्टर्स में थोड़ा कम अनइम्पलायमैन्ट है। लेकिन डॉक्टर्स भी आज की तारीख में अनइम्पलॉयड हैं।

करीब 50,000 डॉक्टर्स हैं जिनके पास प्रोपर रोजगार नहीं है और जो छोटी-मोटी नौकरियां कर रहे हैं। जिस तरह के टैक्नीकल कोर्सेज आ रहे हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं, क्या वो रोजगारोन्मुख है? क्या हम इंजीनियरों, नर्सों डाक्टरों और कम्पाउंडरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या हम इन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे यहां नर्सिंग स्टॉफ की बहुत कमी है और एक तरफ हम कहते है कि हमारे यहां सिविल इंजीनियर्स का कंस्ट्रक्शन बूम इंडस्ट्री में इतना जबर्दस्त है कि हमें बहुत ज्यादा लोग चाहिए। लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहूंगा कि सरकारें भी एक्सप्लॉयटर करने लगी है। आज चाहे राजस्थान हो या दिल्ली हो या फिर देश की अन्य राज्य सरकारें हों, उनके पास नर्सिंग जॉब्स उपलब्ध हैं लेकिन उनको रेगुलर एडवर्टाइज नहीं करेंगे। उनको कॉंट्रैक्ट पर लेंगे। आपको 4000-5000-6000 रुपये देंगे और इस तरह से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर से यूपीए सरकार ने इस ओर ध्यान देने की कोशिश की है और मेरा कहना है कि यह सबसे ज्यादा प्रॉयोरिटी सैक्टर है क्योंकि ये जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। नक्सलवाद को पनपाने वाले कोई गांव के अशिक्षित लोग नहीं थे। ये बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेलिखे विचारक चिन्तक लोग थे जिन्हें यह लगा कि इस डिग्री से हमें कुछ माल मिलने वाला नहीं है। हमें वह क्रांति करनी होगी। मैं उनके राजनीतिक विचार को सलाम करता हूं चाहे वे मिसगाइडेड रहे हों लेकिन आज नक्सलवादी नहीं पनप रहे हैं। आज आतंकवादी पनप रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र की दुखद घटना बताता हूं कि 5-6 लड़के जिनके पास मोटर साइकिलें हैं और दिन में जिन्हें खाने पीने के लिए अच्छा सामान चाहिए, रोजगार नहीं है, घरवालों से पैसे लेकर आते हैं और उन्होंने मोटर साइकिल चोरी करने का धंधा चालू कर दिया। चोरियां, डकैतियां, जेब काटना, चैन स्नैचिंग इत्यादि जो क्राइम के जो आज फिगर्स आ रहे हैं, वे अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा

नहीं की जा रही है। उनमें से अधिकांश लोग शिक्षित हैं, जो हताश हैं और जिन्हें रोजगार के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा है। फिर वे गलत गिरोह के हाथ में पड़ जाते हैं तो देश की सुरक्षा और आन्तरिक शांति के लिए जरूरी है कि हम शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की तरफ ध्यान दें। हम अपनी शिक्षा नीति की तरफ ध्यान दें और इस बात की कोशिश करें कि हमारे यहां आईटीआईज ज्यादा से ज्यादा खुलें। आज भारत में 7000 आई.टी.आई. हैं। चीन जिसका मुकाबला हम करने जा रहे हैं, वहां पांच लाख आई.टी.आईज. हैं। आपके नॉलेज कमीशन ने भी फिगर्स दी हैं कि हमें गांव-गांव में आई.टी.आई. चाहिए। गांव-गाव में लोगों को शिक्षित रूप से सशक्त करने की जरूरत है कि वे स्किल्ड को तैयार करें-मोटर मैकेनिकल बनें, कंसट्रक्शन वर्कर बनें, दीवार चुनने वाला आदमी बनें। मैं एक बार जर्मनी में कहीं सैर-सपाटे पर जा रहा था और कुछ छात्रों का एक दल घूम रहा था। आज से बीस साल पुरानी बात है। मैंने एक लड़के से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने बहुत गौरव से कहा कि 'मैं ईंट बिछाने का कोर्स कर रहा हूं'।

[हिन्दी]

मैं समझा नहीं क्योंकि ब्रिक-लेइंग का हमारे यहां तो कोई कोर्स नहीं है। हमारे यहां मजदूर ट्रेडीशनली ट्रेन्ड होते हुए मकान बनाने वाले कारीगर बन जाते हैं। जब तक कारपेन्ट्री, डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिक, कंस्ट्रक्शन जॉब ओरिएंटेड नहीं होगी, तब तक हम बेरोजगारी की समस्या से नहीं निपट सकते हैं। आजकल ट्रेन्ड बना है, लोग बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन), बीसीए (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशंस) और एमबीए इत्यादि कोर्सेज में जाने लगे हैं। ऐसे कोर्सेज करके जो लोग निकलते हैं, उनको अच्छा रोजगार मिल जाता है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा और यहां माननीय लेबर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि आप इसी माह में इस सरकार का प्रोग्राम एनाउंस करने वाले थे। स्किल्ड डैवलपमेंट मिसन जो प्लानिंग कमीशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और आपका विभाग मिलकर कर रहा है जहां पर कम से कम साल में दस लाख जॉब्स प्रति वर्ष ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में क्रिएट होंगे। वह जो स्किल्ड डैवलपमेंट इनीशिएटिव है, उसकी इस मुल्क को बहुत जरूरत है।

अपराह्न 4.00 बजे

लड़कों को उस हिसाब से ट्रेंड करके ले आयें जिससे वे अपने कोर्सेस कर सकें और अपने काम में लग जायें। श्री चन्द्रकांत खैरे जो बिल लेकर आये हैं, उसके मुताबिक सैल्फ एम्पलायमेंट की

[डा. करण सिंह यादव]

पौसिब्लिटीज को एक्सपैंड किया जाये। सरकार के पास योजनाएं हैं, जो लड़के स्किल्ड हो जाते हैं, उन्हें खुद का काम करना चाहिए। चाहे छोटा यूनिट लगाना हो, लेकिन उसके लिए वह फाइनैंस कहां से लायेगा, कौन उसे जगह देगा, कहां से उसे बिजली कनेक्शन मिलेगा, जो माल उसने बनाया है, उसे कौन खरीदकर ले जायेगा, इन सब बातों को रैगुलेट करने के लिए माननीय खैरे साहब ने अपने बिल में कुछ सुझाव रखे हैं। प्रत्येक जिले में एक स्व-रोजगार अधिकारी होना चाहिए। अगर बच्चा स्किल्ड है, या अनस्किल्ड है, अनएम्प्लायड है तो एम्प्लायमेंट आफिसर उसका एप्टीट्यूड देखकर कि वह फल या सब्जी की दुकान चला सकता है या छोटा-मोटा कारोबार कर सकता है या पीसीओ खोल सकता है या किसी और काम के लायक है या इंडस्ट्रियल एंसिलियरी पार्ट्स बनाने के लायक है, तो उसे काम दिया जा सकता है। इसके अलावा गांव के लोग शहरों में आकर टैक्सी ले लेते हैं। वे लोग नौकरी के लिए इधर-उधर न जाकर इन जाब्स को छोटा न समझकर करते रहें। जैसे पीसीओ चलाना है, डिग्निटी ऑफ लेबर कांसैप्ट लोगों को देना पड़ेगा। यह सरकार, संसद, समाज और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जो बच्चे पढ़ा-लिखाकर तैयार कर रहे हैं, वे बेरोजगार न रहें, उन्हें दोनों हाथों में काम मिल और वे इस देश के उत्थान, निर्माण में अपना योगदान दें।

सभापति महोदय, मैं एक बार पुन: माननीय चन्द्रकांत खैरे के बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय: आपने अपनी बात अच्छे ढंग से रखी है, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदय, मैं श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैर-सरकारी विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं।

[हिन्दी]

जिन्होंने हमें जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उनकी वजह से मैं यहां हूं और एक संसद सदस्य होने के नाते उनके मन की भावनाओं को देश का नागरिक होने के नाते रख रहा हूं। हमारे यहां भाई-बहन रात-दिन पढ़कर स्कूल से निकलते हैं, उसके बाद कालेज में जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकलते हैं। जब उन नौजवानों को सही ढंग से नौकरी नहीं मिलती तो वे हताश हो जाते हैं।

[अनुवाद]

1991 से सेवा क्षेत्र में तथा भारतीय उद्योग में काफी परिवर्तन आया है। अर्थव्यवस्था में काफी उन्नति हुई है तथा हमारे युवाओं को उसी स्तर की विशेषज्ञता तथा ज्ञान दिया जाना चाहिए। दसवीं योजना में युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर दिये जाने की संकल्पना की गई है तथा विकास का लक्ष्य श्रम सघन क्षेत्र रखा गया है। श्रम सघन क्षेत्र में कृषि तथा इससे संबंधित सेवाएं, कृषि, वानिकी, ऊर्जा, पौधारोपण तथा लघु और मध्यम उद्यमों का संवर्धन शामिल हैं। इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग बेहतर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की व्यवस्था करना और युवाओं को उनके जीवन में दक्षता पाने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। मैं उपर्युक्त विषय पर और जोर देना चाहूंगा, जिसका कि मैं अपने भाषण में उल्लेख करूंगा।

[हिन्दी]

साठ सालों में देश में बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था लेकिन नहीं बदला। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं बदला और किसने नहीं बदला। हम लोग संसद में हैं।

[अनुवाद]

कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। आजादी के 60 वर्षों के बाद जैसा कि माननीय खैरे जी ने उल्लेख किया है कि लगभग तीस मिलियन बेरोजगार हमारे देश में हैं।

इन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते है? श्री खैरे जी ने अपने विधेयक में उल्लेख किया है कि प्रत्येक जिले में डी.एम. स्तर का एक अधिकारी होना चाहिए, जो कि बेरोजगार युवकों को प्रेरित कर, उनकी पहचान करके उनके कौशल का उन्नयन कर उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके तथा उनके साथ विभिन्न स्तरों जैसे वाणिज्यिक बैंकों के साथ समन्वय कर सके। हमारे गांवों में रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, उनके साथ एक समन्वय बनना चाहिए। उसके लिए जिला स्तर का अधिकारी होना जरूरी है। चूंकि हम इस सम्मानित सभा के लिए चुने गए हैं, अत: हमें अपने युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। उत्तरवर्ती सरकारों ने 25 सितम्बर, 2001 का आम आदमी के संबंध में आंकलन करने का प्रयास किया। दो योजनाओं

का विलय कर सम्पूर्ण की गयी थी। जवाहर लाल ग्राम स्मृति योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना एक साथ जोड़ी गयी थी। मैं इन सब बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यही मेरी बहस को अंतिम रूप देगी।

महोदय, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त पारिश्रमिक रोजगार उत्पन्न कर खाद्य सुरक्षा तथा अवसंरचना की दृष्टि से स्वास्थ्य सामाजिक उत्थान तथा स्थानीय युवाओं की सहायता करना था। इसके पश्चात उत्तरवर्ती सरकारों तथा वर्तमान सरकार ने काम के बदले अनाज नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार गारंटी योजना बनी, जिसे 2005 में आरम्भ किया गया था। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पेशेवरों में तथा साथ ही किस प्रकार सुधार करें। अपने युवाओं को पेशेवर कैसे बनाएं।

मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमें अपने देश में व्यावसायिक शिक्षा का आंकलन करना ही चाहिए। हमारे देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को देखिए। हमें अपने इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम जी ने अपने बजट भाषण में सरकारी-निजी भागीदारी में व्यावसायिक शिक्षा मिशन के लिए 50 करोड़ रुपये के अनुदान का उल्लेख किया है। हमारा यह आग्रह है कि आम आदमी की सहायता के लिए ऐसा शीघ्रातिशीघ्र हो। उन्होंने अपने बजट भाषण में और आई.टी.आई. की संख्या बढ़ाए जाने तथा उनका और अधिक विशिष्टीकरण तथा उन्हें उन्नत बनाए जाने का उल्लेख किया था, जिससे कि तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे युवाओं को उनके क्षेत्र में पेशेवर बनाया जा सके।

लघु उद्योग मंत्रालय की भी हमारे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खादी ग्रामोद्योग आयोग (केबीआईसी) लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है।

महोदय, हमारे देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। क्योंकि वे गांवों में रहते हैं, इसी कारण वे कृषि कार्यों तथा कृषि सुधार संबंधी कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से हम निचले स्तर पर आम आदमी तक पहुंच सकते हैं तथा उत्पादकता सुधारने में उनकी सहायता कर सकते हैं। पिछली एन.डी.ए. सरकार के शासन काल में नीम योजना, खास योजना तथा वेटीवीर योजना आरम्भ की गयी थी। सरकार से मेरा यह आग्रह है कि वह लोगों के हित में कार्य करे और नई नीतियां बनाए तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग में सुधार करें। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग का नीम योजना नामक कार्यक्रम वर्तमान सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि हमारे कल्याण के विषय में विचार किया जाए और देश के सभी क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों में सुधार लाया जाए।

मैं इस सम्माननीय सभा में झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। गैर-सरकारी संगठनों और ग्रामीण युवाओं के माध्यम से प्रयास करके आम आदमी की सहायता के लिए हमने इन कार्यक्रमों के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित किया है।

मुझे कर्नाटक में 'धर्मस्थल' का दौरा करने का अवसर मिलता था। मैं कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को समय निकाल कर दक्षिण भारत में कर्नाटक जाने का प्रयास करना चाहिए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): आपकी तरह ही जब मैं चुनकर यहां आया था, तो मैंने इस संबंध में प्रयास किये थे।

श्री दुष्यंत सिंह: मैं कर्नाटक में 'धर्मस्थल' नामक क्षेत्र में गया। मैं बताना चाहता हूं कि धर्मस्थल में धर्माधिकारी, श्री देवेन्द्र हेगड़े ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। हर भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने धर्मस्थल में धर्माधिकारी के तत्वाधान में एस.के.डी.आर.पी. धर्मार्थ न्यास का सृजन किया है, जहां बेरोजगार युवाओं को इनके संस्थान में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं। उन्हें जूस आदि बनाने और अन्य व्यवसायों में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसका एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे कम यात्रा में वित्त उपलब्ध कराने के विषय पर भी ध्यान देते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में होने वाली बिचौलिये की भूमिका खत्म कर दी गयी है और एस.के.डी.आर.पी. धर्मार्थ न्यास के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने इस संबंध में प्रयास करके उत्पादन को विपणन से जोड़ दिया है। उन्होंने सीरी नामक एक माडल विकसित किया है। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हम भी एक ऐसा ही मॉडल सृजित कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्वसहायता समूह मॉडल के विषय में विचार किया जाना चाहिए। सी.आई.जी. मॉडल के विषय में विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान के हाडती क्षेत्र में साड़ियों में कोटा-डोरिया के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रसिद्ध फैशन डिजाईनर वहां आए और उन्होंने कोटाडोरिया के विशिष्ट उद्योग समूह के साथ कार्य किया और इसे विश्वविख्यात बनाया। प्रसिद्ध फैशन डिजाईनर सुश्री बी.बी. रूसेल वहां आयी थीं, उन्हें इस क्षेत्र की बेहतर जानकारी है। उन्होंने एक नये क्षेत्र में इस स्थान की पहचान बनायी है।

[श्री दुष्यंत सिंह]

हमारी जनसंख्या में कृषकों की संख्या अधिक है। मैं इस विषय पर विशेष बल देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि समूची सभा इस मुद्दे पर मुझसे सहमत होगी। हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे आर्थिक विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इससे आम आदमी को प्रोत्साहन मिलता है। केन्द्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विशिष्ट बल दिया है। माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, अभी यहां उपस्थित नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर काफी ध्यान दिया गया है। हमारे पास अप्रसंस्कृत खाद्य को प्रसंस्कृत खाद्य में बदलने के नए क्षेत्र होने चाहिए। इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने और आम आदमी की आजीविका में सहायता करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। भरतपुर-धौलपुर क्षेत्र में सरसों की काफी उपज होती है। सरसों का उत्पादन से शहद के उत्पादन और अंततः आम आदमी को सहायता मिलती है। मधुमक्खी पालन के बक्स सरसों के खेतों के पास रखे जाते हैं। मधुमक्खियां सरसों के फूलों से रस लेकर इसे प्रसंस्कृत करके शहद में बदलती हैं और हर किसी को इससे लाभ प्राप्त होता है। हमें ऐसे तरीकों पर विचार करके आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, अंत में, मैं बताना चाहता हूं कि अपने भाषण में मैंने कुछेक पहलुओं का उल्लेख किया है। पहला, एक के बाद एक सरकारें सत्ता में आई हैं। इन्हें भारत के युवाओं की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा वर्ग है। हमें युवाओं के स्व-प्रोत्साहन कार्यक्रम पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। यह कैसे सम्भव है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमें अपने युवाओं की दक्षता और योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षित करना और महत्वपूर्ण रूप से प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। उनके पास इस संबंध में किताबी ज्ञान तो होता है, परन्तु प्रशिक्षु प्रशिक्षण नहीं होता। इसे होटल उद्योग के समान परस्पर जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

महोदय, अपनी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाने के संबंध में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आम आदमी की सहायता करने के लिए तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद और सहायता प्रदान करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए हैं और इन क्षेत्रों को ऐसे सूक्ष्म वित्त केन्द्रों में बदला जाना चाहिए। जैसेकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चल रहे हैं और उन्हें विशिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत अंगीकृत किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने कृषि क्षेत्र में भी सुधार करना ही चाहिए। हमें अन्य देशों से भी कृषि की नई तकनीकें सीखनी चाहिएं। हमारे कृषकों को अन्य देशों की यात्रा करनी चाहिए। मैं इजरायल का उदाहरण देना चाहता हूं वहां के लोग कैसे पानी का संरक्षण करते हैं और किस प्रकार बीजों को उन्नत करके उपज का स्तर बढ़ाया जाए। हमें एक नए स्तर तक अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि हम सब पहले भारतीय हैं। इस सभा में, हम सबको एकत्रित होना चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए। अपने देश भारत को एक नया रूप देने के लिए हमें दलीय व्यवस्था और सामुदायिक व्यवस्था से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय संभापति महोदय, आपने मुझे, माननीय सदस्य, श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा सदन में प्रस्तुत स्व-रोजगार संवर्धन विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री ऑस्कर फर्नांडीस बहुत सीनियर एवं जागरूक मंत्री माने जाते हैं। इस सदन में पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है और खासकर प्रश्न-काल में बहुत सारी बातें आई हैं। श्री पुन्नू लाल मोहले, संसद सदस्य ने एक प्रश्न किया था। उसका सरकार की तरफ से जो जवाब आया, उसके अनुसार आबादी के आधार पर देश के आधे से अधिक लोग बेरोजगार हैं, यानी देश में 58 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2 करोड़ 80 हजार के करीब पंजीकृत हैं। जवाब में 31 दिसम्बर 2005 तक रोजगार कार्यालय में दर्ज संख्या को दर्शाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहा था, चूंकि मैं वहां से आता हूं। वहां 15 लाख के करीब पंजीकृत माना गया है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बहुत सा धन प्रदेशों को मुहैया कराया गया है। यदि आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो बैंकों को जो लक्ष्य दिया जाता है, वह समय से पूरा नहीं हो पाता है। देश में रोजगार सृजन के आंकड़े दिये गये हैं, उसमें करीब 2 करोड़ 28 हजार 908 लोग पंजीकृत हैं और 3,43,362 लोगों के लिए रोजगार का

सृजन किया गया है, जिनको बैंक द्वारा निबटाया गया है। वर्ष 2007 के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति को यदि देखा जाए तो 46,784 स्वरोजगार योजना के मामले बैंकों द्वारा निबटाए गए हैं। अनुमानित रोजगार सृजन 610176 किया गया है। वर्ष 2006-07 में 388.87 रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके बारे में दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जब आंकड़े उत्तर प्रदेश की यह स्थिति बताते हैं तो अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति होगी? आंकड़ों से तो पता ही नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है?

महोदय, नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के आंकड़ों से देखा गया है कि शहरों में गांवों से ज्यादा बेरोजगारी है और कम पढ़े-लिखे लोगों की बजाय ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों मे बेरोजगारी ज्यादा है, जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसाकि अभी करण सिंह यादव जी ने बताया। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी ज्यादा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। हम आज इतना आगे बढ़ गए हैं कि पुरुषों और महिलाओं में कोई भेद नहीं है। लोग अपने बच्चों, चाहे बालक हो या बालिका, पढ़ाकर आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। शहरी क्षेत्रों में 1 हजार पर 45 लोग बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार पर 17 लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार से आंकड़ों की तरफ देखा जाए तो प्रति 1 हजार पर 955 व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। लेकिन गांवों में प्रति 1 हजार पर 983 लोगों को काम मिला हुआ है। एनएसएसओ के अनुसार 42 प्रतिशत जनता ही अब तक रोजगार प्राप्त कर सकी है। यह आंकड़े देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और भी भीषण हो जाएगी। आबादी के आधार पर 44 प्रतिशत लोग गांवों में रोजगार में लगे हुए हैं और शहरी क्षेत्रों में 37 प्रतिशत रोजगार में लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में 28 प्रतिशत लोग व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट आदि व्यवसाय में लगे हुए हैं और ग्रामीण इलाकों में 64 प्रतिशत पुरुष और 45 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। शहरी क्षेत्रों में देखा गया है कि 81 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं और 69 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। आंकड़ों को देखें तो बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी है। जहां तक दसवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर में देश में बेरोजगारी की संख्या को देखा जाए तो यह लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। एनएसएसओ और वित्त मंत्रालय के अनुसार योजना आयोग को जो रिपोर्ट गई है, उसके अनुसार गरीबी रेखा हमारे देश में प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

1999 के आंकड़ों के अनुसार 26 प्रतिशत है और 2004 में यह 28 प्रतिशत हो गई है। अगले साल मार्च में अगर देखा जायेगा तो मेरे ख्याल से पांच करोड़ के लगभग हो जाएगी। यह जो आपके आंकड़े बताते हैं, उस पर केन्द्र सरकार ने एक योजना बनाई, जिसको स्किल्स योजना कहा गया है, जो ग्रामीण युवकों को, जो शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक हैं, उनको हैवी इंडस्ट्रीज की तर्ज पर हाई-फाई तरीके प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसके लिए चार केन्द्र आपने नोएडा, गोवा, बंगाल और त्रिची में खोले हैं। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें मैं संख्या देख रहा था, उसमें आप अगर 200-400 लेंगे तो जो आपके बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं, वे तो पूरे हो नहीं पाएंगे, न प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे, न इतने लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में, जहां पर बेरोजगारी के आपके आंकड़े बता रहे हैं और खासकर समय-समय पर इसी सदन में चर्चा हुई है कि युवाओं को व्यापार में प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों को आने आना पड़ेगा। आज बैंकों में चाहे जो भी ऋण के लिए जाता है, हम यहां किसान की बात करते हैं, लेकिन जो बेरोजगार नवयुवक हैं, अगर किसी बेरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना में भी हम लोगों को सामने कभी-कभी सिफारिशें आती हैं, बेरोजगार युवक आते हैं और वे यह कहते हैं कि इतने दिन से एप्लाई किया है, मैनेजर हमें दौड़ा रहा है, सुन नहीं रहा है और देखा गया है कि बैंक और बेरोजगार युवक के बीच में कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, जो अगर एक लाख रुपये का लोन मिलता है तो उसमें भी उसको 90 हजार रुपये मिल पाते हैं, 10 हजार रुपये की हेराफेरी कहीं न कहीं बीच में दलाली में चली जाती है। इस बात को कई बार वित्त मंत्री जी के सामने भी कहा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो उसको बता दीजिए उसको दिखवा लिया जायेगा। लेकिन रहा सवाल कि आज प्राय: स्थिति देखी गई है, चाहे वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों या प्राइवेट बैंक हों या तमाम ऐसे बैंक हैं, जो लक्ष्य को पूरा नहीं करते और उनकी केवल एक मंशा रहती है। खासकर जो बेरोजगार हैं, वे बेचारे कहां से पैसा पायें, उसके पास तो नौकरी के लिए फार्म भरने के लिए भी पैसा नहीं रहता कि वह बैंक ड्राफ्ट के लिए पैसा दे पाये। ये तमाम सारी दिक्कते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी यह बात कही है कि युवा अगर पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद वह सीधे रोजगार के लिए भटकता है कि कहीं हमें रोजगार मिले। बल्कि युवा पढ़-लिख कर कोई ऐसा रोजगार करे कि कम से कम अन्य लड़कों को रोजगार दे सके, ऐसा व्यवसाय करे, जिससे अन्य लड़कों को रोजगार दे सके तो वह भी प्रोत्साहन हमने नहीं बनाये हैं। अगर बनाये हैं तो उसमें इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, उसमें इतने ज्यादा लैकुनाज हैं कि उस फार्मेलिटी को पूरा करने में बेरोजगार बिल्कुल पस्त हो जाता है। यही कारण है कि वह गलत रास्ते पर भटकता है और नक्सलाइट बनता है, उग्रवाद की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार की आज युवा पीढ़ी के सामने समस्या है।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2020 तक देश में कुल 21 करोड़ युवा बेरोजगार हो जाएंगे। जो स्थिति है, जो आंकड़े हमें बताते हैं, आज देखा गया है कि चाहे वह शहरों में आप देख लीजिए, आलीशान शापिंग मॉल और तमाम मैट्रो फ्लाईओवर हम बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना पड़ेगा कि जनसंख्या भी हमारी बढ़ रही है, उसको कैसे रोकें। जो लोग हैं, यह तो हमारे संविधान का मूल आधार है कि हमें सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने की बात है। सरकार ने विभिन्न मौकों पर समय-समय पर, चाहे देहातों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो, लेकिन आज वहां की स्थिति देखी जाये तो आप किसी गांव में चले जायें तो जो बेचारे बेरोजगार हैं, खासकर खेतीहर किसान, वहां तमाम नवयुवक आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जॉब कार्ड नहीं बना। काम भी अगर हो रहा है तो वह जे.सी.बी. मशीनों से हो रहा है, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। फिर वह गांवों से शहरों की ओर पलायन करता है और जाकर चौराहे पर खड़ा होकर रोजगार अगर पाता है तो पाता है, नहीं तो शाम को वापस घर चला जाता है। यह समस्या हमारे सामने है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने जो समाजवादी पार्टी और डॉ. लोहिया का एक नारा था कि सबको रोजगार दो, अगर रोजगार नहीं तो उसको कम से कम बेकारी का भत्ता दो। हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। इस समय की वर्तमान सरकार ने उसे खत्म कर दिया है। आज यह स्थिति है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जब हम सदन में चर्चा करते हैं, तो इस पर बहुत चर्चाएं होती हैं।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: आज जरूरत इस बात की है कि हम रोजगार मुहैया करायें और अगर हम रोजगार न दे सकें, तो कम से जो शिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें, तभी हम विकास कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को लाने का विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे देश की बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से संबंधित है। उनका सुझाव है कि स्व-रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करके, एक सीमा तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और विधेयक में इसकी योजना है जो कि प्रशंसनीय है।

अब, जब हम स्व-रोजगार योजना के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सी योजनाओं को सरकार स्वयं प्रोत्साहन दे रही है। परन्तु मुझे नही पता कि सरकार समय-समय पर इनकी समीक्षा करती भी है या नहीं, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि इनकी कोई सकारात्मक परिणाम निकला या नहीं। विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु भी योजनाएं है, ताकि वे स्वयं को स्व-रोजगार प्राप्त करने योग्य बना सकें।

कल मुझे चेरथला जिला से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि पोलिटेक्नीक नामक एक समुदाय में प्रतिवर्ष तीन समूहों में चार माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना अब खत्म कर दी गयी है। विद्यार्थियों का कहना है कि सत्र के मध्य में योजना समाप्त कर दी गयी है। मैं यह पत्र माननीय मंत्री महोदय जी को देता हूं। मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें क्यों की जाती हैं। उपयोगी योजनाएं, जिनके माध्यम से लोगों को कोई दक्षता प्राप्त हो और रोजगार मिल सके, उन्हें किसी द्वारा बिना सोचे समझे समाप्त कर दिया जाता है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं।

इसके अलावा, आज सरकार की नीति के प्रति भी एक बड़ी चिन्ता है, जिसके माध्यम से देश में स्वरोजगार में लगे काफी लोग बेरोजगार हो सकते हैं। मैं खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के संदर्भ में बात कर रहा हूं।

इस संबंध में बहुत से आंकड़े दिए गए हैं। मैं उन्हें यहां पढ़ना नहीं चाहता। मैं 18 दिसम्बर, 2006 को लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर का उद्धरण देना चाहता हूं। एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने कहा है कि "सारे खुदरा व्यापार में नहीं बल्कि मोटर वाहन, मोटर साइकिल मरम्मत, व्यक्तिगत और घरेलू काम में आने वाली वस्तुओं के खुदरा कार्य में लगे लोगों को छोड़कर वर्ष 2004-05 के आंकड़ों के अनुसार खुदरा व्यापार में कार्यरत लोगों की संख्या 33.51 मिलियन होने का अनुमान है।

महोदय, स्व-नियोजित दुकान आदि चलाने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 33.51 मिलियन थी। हमारी अर्थव्यवस्था के स्व-रोजगार में लगे कामगारों की संख्या अब कुल मिलाकर

1999-2000 के 21 करोड़ से बढ़कर 2004-05 में 26.1 करोड़ हो गयी है। ये आंकड़े श्री फर्नांडीस द्वारा स्वयं दिये गये हैं।

अब इस नीति का पालन किया जा रहा है। आज के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उ.प्र. में रिलायंस द्वारा सब्जी की दुकानें चलाई जा रही है यह अच्छी बात है और यह रुचिकर हैं कि नई बड़ी कंपनियां सब्जी बेचने के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। लोगों ने तहस नहस कर दिया और सरकार ने उन दुकानों के कार्यकरण को रोकने का निर्णय लिया है। संभवत: यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनो में क्या होने जा रहा है।

इस स्व-रोजगार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि नई संभावनाओं का सृजन करने की बजाए यदि आप अपनी नीतियों के द्वारा मौजूदा संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार की लापरवाही पूर्ण कार्यवाही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नीतियों को सरकार को वापस लेना चाहिए अथवा इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। मै समझता हूं कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी इस निर्णय और इसके आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अपनी चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। मुझे नहीं पता कि सरकार ने इसे किस प्रकार से लिया है। लेकिन मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि जो लोग खुदरा व्यापार में संलग्न और इसमें निवेश करते हैं वे छोटे लोग हैं। ठेले वाला भी एक खुदरा विक्रेता है। उसके पास एक दुकान है और वह छोटी-छोटी चीजें बेच रहा है। इसका अर्थ है कि वह स्वयं और उसका परिवार ठीक-ठाक से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। कतिपय मामलों में वे दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया कराते हैं। लेकिन अब इस प्रकार की नीतियों को अपनाने के बाद देश में अधिकांश स्वनियोजित लोगों का भविष्य खतरे में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी इसके बारे में हजारों बार पुनर्विचार करें। संभवत: फिर आप इस तरह के प्रस्तावों को वापस ले लें।

आगे यह कि बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री ने कहा है कि वे आईटीसी, आईटीआई का उन्नयन करने जा रहे हैं। मैं एक आईटीआई के बारे में निर्णय लेने के बारे में बात कर रहा था। यदि हम इन आईटीआई का उन्नयन करते हैं और छात्रों को बेहतर गुणवत्ता का प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है तो इससे वे अपने जीवन में एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे एवम् स्व-रोजगार प्राप्त करने से सक्षम बन सकेगे। संभवत: यदि सरकार उसे बढ़ावा देना चाहती है तो ऐसे हजारों आईटीसी को बढ़ावा देना चाहिए और अधिक लोगों को प्रशिक्षण लिया जाए। यहां मैं अपनी शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमारी शिक्षा व्यवस्था जस की तस है और संभवत: इस बारे में अनेक आयोगों का गठन किया गया है। जहां तक मुझे याद है कोठारी आयोग ने एक सिफारिश की है कि कम से कम दसवीं श्रेणी तक के छात्रों को कैरियर चुनने का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कुछ रोजगार चुनें और स्व-रोजगार को अपनाएं। तब उसे उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए चाहे वह कृषि छोटी तकनीक या प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्राप्त करें जिसके लिए ये संस्थान हैं, आईटीसी और आईटीआई मददगार है। इस प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। दसवीं के बाद शिक्षा का अर्थ है कि एक छात्र 12वीं श्रेणी में जाता है और तब वह स्नातक के लिए जाता है। हमारे पास काफी स्नातक हैं और उनकी संख्या मिलियन में है। संभवत: वे लिपिक हो सकते हैं। बस इतनी बात है। अब वे अधिक बेरोजगार होंगे। इसलिए शिक्षा का रुझान प्रशिक्षण देने की ओर होना चाहिए। मैं पूर्व वक्ता की इस अवधारणा का समर्थन करता हूं कि अधिक अप्रेंटिसशीप लिया जाना चाहिए ताकि ये लोग स्वयं किसी तरह का रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हों।

महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करने से हम सभी को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के संदर्भ में सोचने तथा खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे जोखिमपूर्ण निर्णय न लेने के लिए सरकार से अनुरोध करने का मौका मिलेगा चूंकि इस निर्णय से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा लाए गए स्व-रोजगार विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

चुनाव के समय हर बार राजनीतिक दल यह घोषणा करते हैं कि वे देश में बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे लेकिन चुनाव के बाद और राजनीतिक दल उनके बारे में नहीं सोचता है। चुनाव के दौरान उन्हें रोजगार का आश्वासन दिया जाता है लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद उनकी उपेक्षा तथा अनदेखी की जाती है। युवकों में तनाव और निराशा है। वे अभियांत्रिकी महाविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए काफी धनराशि व्यय कर रहे हैं। महंगी तकनीकी शिक्षा के कारण लोग जैसे-तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब वे लाखों रुपये की भारी फीस का भुगतान कर रहे हैं। मैंने यह कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी देखा है कि वे डॉक्टर बनने के लिए लगभग 20 लाख या 30 लाख खर्च कर रहे है। लोग अपने बच्चों का अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला बढ़ाने के

[श्री देवव्रत सिंह]

आएगा और बैंक इतने दिनों में उसे ऋण उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ यह भी समय सीमा निश्चित होनी चाहिए कि इतने दिनों में उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको इसके साथ इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि उस व्यक्ति के उत्पाद को, जो वह स्व-रोजगार योजना के तहत उत्पादित करेगा, उसके लिए मार्केटिंग आदि की व्यवस्था हो। आज इस चीज के लिए चार बातें आवश्यक हैं। पहले तो बैंक की मदद से लोन स्वीकृत हो, दूसरा उसे स्व-रोजगार करने के लिए स्थान मिले, जहां वह रोजगार को स्थापित कर सके, तीसरा यह है कि उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था हो और चौथा यह कि सरकार का यह प्रयास हो कि वह खुद उसके सामान को क्रय करके उसकी मदद करे।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। स्व-रोजगार के सिद्धांत को बढ़ाने के लिए देश में इस बात का प्रयास होना चाहिए कि हम राज्य सरकारों से कहें कि जब हम इस संबंध में विधेयक बनाएं, उससे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी या जल संसाधन आदि विभाग कार्य चला रहे हैं, उनमें बेरोजगार लोगों, डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स को दस लाख रुपये से नीचे के काम इस योजना के तहत दिये जाने चाहिए। यह सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: श्री बी.के. देव जी। देखिए इसके बाद का भी जो विधेयक है वह इसी से मिलता-जुलता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बहुत संक्षेप में बोलें, जिससे वह विधेयक भी पेश हो जाए और आप की बची हुई बात उस पर भी सदन सुन ले। इसलिए हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और उनसे जुड़े मामलों पर विचार करना है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसका संबध राष्ट्र के भविष्य से है। जो शिक्षित युवा शिक्षित होते हैं, स्कूल और कॉलज इस सपने के साथ जाते है कि वे देश के लिए कुछ करेंगे, वे स्वयं के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब वे इन संस्थाओं से बाहर निकलते हैं, जब उन्हें सरकार द्वारा कोई अवसर प्राप्त नहीं होता तो वे भटक जाते हैं, और वे समाज विरोधी गतिविधियों की ओर एवं अन्य गतिविधियों की ओर मुड़ जाते हैं तथा वे अतिवाद एवं ऐसी ही अन्य चीजों की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

इसलिए, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ओर शिक्षित बेरोजगार हैं, जो डिग्री प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर दूसरे युवा हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन वे कार्यकुशल और दक्षता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग हैं जिन्हें कालीन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने और हस्तशिल्प की जानकारी होती है। उन्हें कौन प्रमाणपत्र देता है और उन्हें किस प्रकार स्व-रोजगार दिया जा सकता है? इन लोगों को अंधकार में छोड़ दिया जाता है और उन्हें मझधार में छोड़ दिया जाता है। वे कहीं नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों को मान्यता केवल तभी मिलती है जब वे किसी कला महाविद्यालय अथवा शिल्प महाविद्यालय से डिग्री लेते है। लेकिन एक ग्रामीण, एक कारीगर जिसे दरी बनाने, बुनने इत्यादि का ज्ञान है, वह स्वरोजगार प्राप्त करना चाहता है।

आप उनकी कार्यकुशलता को कैसे प्रमाणित करेंगे और आप उन्हें डिग्री कैसे देंगे? यही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा, उनकी इस दक्षता को बैंक भी नहीं मानते हैं। उन्हें तो कॉलेज अथवा स्कूल की डिग्री चाहिए। मैं गांव के ऐसे छोटे कारीगरों के बारे में बात कर रहा हूं जिनसे मिलकर देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र बनता है। मेरा तात्पर्य देश के दूसरे सबसे बड़े रोजगार प्रदान करने वाले लघु उद्योग क्षेत्र तथा छोटे मोटे कामकाज और कृषि उद्योग क्षेत्र से है। अत:, मैं इस बारे में सरकार से चाहता हूं कि वह स्थिति स्पष्ट करें। देश में आ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अत्याधुनिक मशीनरी के उपयोग के लिए विदेशों से आ रहे बड़े निवेश से मानव रोजगार कम हो रहा है। हमें अपने युवा लोगों को हो रहे बाहरी निवेश का सामना करने में समर्थ बनाना होगा। हमें बहुत खुशी है कि अब वे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करने वाले हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन ही पर्याप्त नहीं है। आप 247 आईटीआई का उन्नयन कर रहे हैं। यह काफी नहीं है। हमें और मिनी टूल रूमों की आवस्यकता है क्योंकि अनुभव से यह देखा गया है कि मिनी टूल रूमों और टूलरूमों की सहायता से रोजगार 102 प्रतिशत से बढ़कर 104 प्रतिशत हो जाता है। यह एक ऐसा व्यवसायोन्मुखी क्षेत्र है जिसमें उन्हें प्रत्यक्ष रोजगार और सुनिश्चित रोजगार मिल सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के संबंध में मैं एक ही बात बार-बार नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके भुगतान के लिए एकल खिड़की प्रणाली होनी चाहिए जहां उद्यमी अथवा बेरोजगार युवाओं को दर दर भटकना न पड़े अथवा प्रबंधक से लेकर बैंकर के घर तक चक्कर न काटना पड़े। जिला उद्योग केन्द्र के साथ मिलकर उचित तालमेल बनाया जाना चाहिए। हम यह बार-बार कहते आ रहे है। इसी कारण, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सबसे बड़ी विफलता सामंजस्य का अभाव है।

महोदय, सरकार प्रधान मंत्री रोजगार योजना और अन्य लघु योजनाओं की इन सभी योजनाओं के लिए ऋण गारन्टी प्रदान करती है। इसमें ऋण गारन्टी प्रदान की जाती है। अतः, सरकार अथवा जिला स्तर पर बैठा अधिकारी अथवा मुंबई में बैठा अधिकारी इस बारे में इतना कठोर रवैया क्यों अपनाया है? ऋण गारन्टी पहले ही भारत सरकार प्रदान कर चुकी है। इसलिए उसे अधिक उदार होना चाहिए। इससे आप रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।

यहां एक बहुत उल्लेखनीय चीज बेरोजगारी भत्ता है। बेरोजगारी भत्ता राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य और अन्य राज्य बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसे देशव्यापी बनाया जाना चाहिए और देश भर में सभी बेरोजगार युवाओं के लिए किसी प्रकार का टोकन भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

हमारे युवा सबसे बड़ी ताकत हैं क्योंकि हमारे पास देश में 40 मिलियन युवा हैं। उनकी क्षमताओं का सदुपयोग किया जाना चाहिए। उनकी क्षमताओं का उपयोग उचित व्यवसायों में नहीं किया जा रहा है। इसलिए, पाठ्यक्रमों का विशेषीकरण, जैसा कि श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने गाडगिल रिपोर्ट के अनुसार, ठीक ही कहा है, 10वीं क्लास से शुरू किया जाना चाहिए। किसी बालक के विद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात उसका विशेष अध्ययन आरंभ हो जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सभी माननीय सदस्यो को बोलने का मौका दिया। मैं श्री चंद्रकांत खैरे को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमें चर्चा करने का मौका दिया।

अपराह्न 5.01 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय रोजगार के बारे में चर्चा चल रही है और हमें अपनी सबसे ज्यादा ताकत इस मुद्दे पर लगाने की जरूरत है, तभी नौजवानों को नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। जितने सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला है, उनके सुझाव भी हम जरूर लेगे और विशेष चर्चा करने के लिए भी हम तैयार हैं। सभी सदस्यों के सुझाव लेने के लिए हम एक बैठक बुलाएंगे और उसमें माननीय सदस्यों से अलग-अलग विचार लेंगे। मिनी टूल रूम के बारे में भी आपने बताया है। यह बहुत अच्छा सुझाव है, हम इसे जरूर अमल में लाने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, सभी प्वाइंट्स कवर करना जरूरी है, इसलिए मुझे भाषण पढ़ना है।

[अनुवाद]

मैं इस स्व-रोजगार प्रोत्साहन विधेयक, 2006 को प्रस्तुत करने के लिए श्री चन्द्रकांत खैरे जी का आभारी हूं। इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य देश में युवाओं के समक्ष आ रही स्वरोजगार और बेरोजगारी की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है।

इस संबंध में, मैं यह उल्लेख करूंगा कि सरकार श्रम सघन क्षेत्रों जैसे निर्माण, जमीन-जायदाद, आवास, परिवहन, पर्यटन, लघु उद्योग, आधुनिक खुदरा-व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को बढ़ावा देकर बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इन सभी सेवाओं को सहायक नीतियों के माध्यम से प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है।

सुनियोजित पहल करने के अलावा, सरकार ने विभिन्न रोजगार सृजन और गरीबी उपशमन कार्यक्रम जैसे विशेष उपाय किये हैं। इन कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम हैं-स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, खादी ग्रामोद्योग आयोग का ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों की विभिन्न योजनाएं।

दक्षता की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच लगातार संलग्न स्थापित करने के लिए, दक्षता विकास पर अब अधिक बल दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, देश के विभिन्न भागों में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है, जिनसे विश्व स्तर के शिल्पकार उत्पन्न होंगे।

बेरोजगारी की गंभीर समस्या को मानते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 लागू किया है जिसके जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

सुरक्षा में संवर्धन किया जाएगा और प्रत्येक वित्त वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का गारन्टीयुक्त पारिश्रमिक रोजगार प्रदान किया जाएगा जिसके वयस्क सदस्य हाथ से किये जाने वाले श्रमिक कार्य एवं उससे जुड़े संबंधित कार्यों के लिए स्वयंमेव आगे आते हैं। इस अधिनियम में, रोजगार गारन्टी की विफलता की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में सौ दिन का रोजगार नहीं दे सके तो अनएम्प्लॉयमैंट एलाउंस देने का भी प्रावधान किया है।

[अनुवाद]

माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत निर्माण योजना की घोषणा की है जिसमें ग्रामीण अवसंरचना के छह महत्वपूर्ण क्षेत्र यथा सिंचाई, सड़क, जल-आपूर्ति, आवास, विद्युत और दूरसंचार संपर्क को शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

उसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों और अर्बन एरियाज में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अर्बन एरियाज में जो फैसिलिटीज मिलेंगी, वही ग्रामीण क्षेत्रों में देने की प्रधान मंत्री जी ने विशेष योजना बनायी है जिससे सबको फायदा मिलेगा।

[अनुवाद]

इससे न केवल ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि इससे अंतत: ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और ग्रामीण जनता के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होंगे।

11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना न केवल रोजगार की बढ़ोत्तरी में तेजी लाना बल्कि कम मजदूरी पाने वालों की मजदूरी में वृद्धि करने की रणनीतियां तैयार करना भी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के 70 मिलियन नए अवसर सृजित करने के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। भविष्य में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में सृजित किये जाएंगे।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सरकार बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पहले से ही आवश्यक उपाय कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहल के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।

सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के सीमित दायरे के मद्देनजर सभी को रोजगार या स्वरोजगार प्रदान करना अकेले केन्द्र सरकार के लिए संभव नहीं है। रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को तैयार करना और उसे लागू करना दोनों ही कार्य राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

रोजगार सृजन की गति और पद्धति अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की दर और ढांचे पर निर्भर करती है। देश बेरोजगारी भत्ते पर होने वाले भारी खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं है। अत: सरकार का विचार है कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने से अधिकांश संसाधनों का उपयोग विकास कार्यक्रमों की बजाय गैर-विकासात्मक गतिविधियों में होगा। इतनी अधिक मात्रा में संसाधनों को बेरोजगारी भत्ते जैसे अनुत्पादक गतिविधियों में उपयोग करने के स्थान पर विकासात्मक गतिविधियों में ही लगाया जाना चाहिए। जिससे पर्याप्त उत्पादनशील रोजगार सृजित होगा। इसलिए, सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है।

यह पूर्णत: शिक्षित बेरोजगार युवाओं का विशेषाधिकार है कि वे वेतन वाली नौकरियां करें या स्वरोजगार अपनाएं। प्रत्येक बेरोजगार युवा स्वरोजगार नहीं कर सकता। बेरोजगार युवाओं के लिए वेतन वाली नौकरियां ही सर्वोत्तम विकल्प है। श्रमिक बाजार परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर, श्रमिक बाजार की मांगों के अनुसार-कौशल विकास और कौशल उन्नयन के द्वारा वेतन वाली नौकरी ही वहनीय रोजगार है। स्वरोजगार की गारंटी का प्रावधान पात्र बेरोजगार युवाओं के बेहतर हित में हो, ऐसा जरूरी नहीं।

मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस सभा में बेरोजगारी की स्थिति से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। सं.प्र.ग. सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी है और वह शिक्षित युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव कदम उठाती रही है। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि बेरोजगारी की समस्या हम सभी के लिए एक बड़ी चिन्ता का विषय है। हमारी सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी संभव प्रयास करने हेतु बहुत गंभीर है। अत: मेरा इस गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य श्री चन्द्रकांत खैरे जी से अनुरोध है कि इसे वापिस ले ले।

इसके साथ ही, मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार अन्य 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन करने के बारे में भी सोच रही है। इनके उन्नयन का कार्य प्रत्येक आईटीआई को 2.5 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके निजी-सरकारी भागीदारी द्वारा किया जा रहा है। यह वह स्कीम है जिसके अंतर्गत हम 1396 आईटीआई का उन्नयन निजी-सरकारी भागीदारी द्वारा कर रहे हैं जो उन 500 आईटीआई से अलग है जिसका हमने उल्लेख किया है। स्नातकों को रोजगार के लिए बेहतर बनाने के लिए इन सभी आईटीआई में नए नए बहुकौशल पाठ्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं।

550 करोड़ रुपये के परिव्यय से कौशल विकास पहल नामक एक अन्य स्कीम भी शुरू की जा रही है।

श्री विक्रम केशरी देव: आप जो कौशल विकास कर रहे हैं उसके बाद आप उन्हें किस प्रकार का प्रमाण-पत्र देंगे? क्या वह प्रमाणपत्र उन्हें देश के भीतर या बाहर नौकरियां देगा?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: यह एक बड़ा सटीक प्रश्न है। हम उन्हें एक अखिल भारतीय प्रमाण पत्र दे रहे है। वे विश्व बाजार में जा सकते हैं और बेहतर प्लेसमेंट (नौकरी) पा सकते हैं।

कौशल विकास पहल नामक स्कीम शुरू की जा रही है जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में एक मिलियन लोगों को और उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट विकल्पों वालों अल्पावधि पाठ्यक्रम होंगे और इसमें डिलीवरी सिस्टम में इच्छानुरूप सुविधा दी जाएगी। ये चिन्हित ट्रेड्स उद्योग की आवश्यकता के अनुसार है और उसके बाद हम आशा करते हैं कि इनसे हमारे देश में लाखों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे।

[हिन्दी]

एम्पलाएमेंट एक्सचेंज के बारे में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं, एम्पलाएमेंट ऑफिसर के स्थान के बारे में सुझाव दिये हैं, किस तरह से एम्पलाएमेंट एक्सचेंज को रिसेट या रिमॉडल करेंगे। आज के दिन इस समस्या को डील करने के लिए एम्पलाएमेंट एक्सचेंज को क्या शेप देनी है इसके बारे में हम डिपार्टमेंट में चर्चा कर रहे हैं और साथ में मैम्बर्स के सुझाव भी लेगें और युवाओं को फायदा देने की कोशिश करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में अपना भाषण में उल्लेख किया है। माननीय प्रधान मंत्री बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में इस लैवल पर सिर्फ पांच प्रतिशत लोग टेक्नीकल क्वालीफाइड है, इसे 50 प्रतिशत तक लाने के लिए योजना बनानी है। यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी इस बारे में चर्चा कर रही हैं और इस स्कीम के लिए ताकत दे रही हैं। राजीव जी के बारे में भी इससंदर्भ में उल्लेख आया है कि राजीव जी ने युवाओं को ताकत देने के लिए पूरी मदद की, मैं इसे रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं सदन के सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिन्दी बोलने का प्रयास किया।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर-पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुझे श्री चंद्रकांत खैरे जी द्वारा प्रस्तुत इस स्वरोजगार विधेयक संबंधी वाद विवाद में भाग लेना था, पर मैं नहीं जानता कि इस वाद-विवाद में भाग लेने के मेरे विशेषाधिकार को क्यों छीन लिया गया है।

हमें वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? इसे स्पष्ट किया जाए क्योंकि आज गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है। हमें विशेषाधिकार प्राप्त है और हमें वाद विवाद में भाग लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है। हमने नियमों के अनुसार अपने नाम दिए हैं। हमें हमारे विशेषाधिकार से वंचित किया गया है। यदि कोई भी पीठासीन अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो यह वास्तव में खेदपूर्ण है।

अब मैं सभा की गणपूर्ति की मांग करता हूं।

सभापति महोदय: नहीं, श्री चौधरी, इस मुद्दे पर एक अन्य विधेयक आ रहा है। आप उसमें भाग ले सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी: यह सदस्यों की स्वतंत्रता का प्रश्न है। स्पष्टीकरण और कारण बताए बिना ही हमें हमारे विशेषाधिकार से वंचित कर दिया गया है। हमारे अधिकार छीन लिये गए हैं। यह खेदपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

माननीय सदस्य ने उत्तर दे दिया है। इस विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए श्री खैरे उपस्थित नहीं है।

श्री विक्रम केशरी देव: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि जिस माननीय सदस्य ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है वे यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिए इस विधेयक को लोगों की राय के लिए भेज दिया जाए।

सभापति महोदय: इस तरह का कोई नियम नहीं है।

अब मैं विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि शिक्षित बेरोजगार युवकों में स्व-रोजगार का संवर्धन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.17 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004
(नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, एक विधेयक श्री चंद्रकांत खैरे जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया था, जो बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी को खत्म करने के संबंध में था। ठीक उसी से मिलता-जुलता एक विधेयक में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में रोजगार के अधिकार की गारंटी के संबंध में हैं। 16क राज्य प्रत्येक समर्थ नागरिक, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को लाभप्रद रोजगार प्रदान करेगा। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सभी को रोजगार देने से संबंधित उपबंधों को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक इसे नागरिकों का मौलिक अधिकार न बना दिया जाए। भारत में ज्ञात बेरोजगारों की संख्या चार करोड़ से अधिक है। लेकिन राज्य प्रशासन को इन बेरोजगार युवाओं के बारे में कोई चिंता नहीं है, जिसके कारण उनमें आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है और वे हर दूसरे दिन या तो आत्महत्या कर रहे हैं या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। जब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक समानता को साकार करना कठिन है। ऐसी स्थिति में राज्य को अपने प्रशासन को मितव्ययी बनाना चाहिए और इस प्रकार बचाये गये धन को बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को रचनात्मक कार्यों में शामिल किया जा सके। भारत के संविधान को ठीक से पढ़ा जाए तो एक तरफ जहां हमारे मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है, वही दूसरी तरफ राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भी हैं और हमारे देश के राज्य प्रशासन की सारी नीतियां नीति निर्देशक तत्वों के तहत संचालित होनी चाहिए। ऐसी संविधान निर्माताओं ने अपनी मंशा व्यक्त की थी और उन्होंने उसमें क्या कहा-जो भारतीय संविधान की धारा 39 है।

[अनुवाद]

"पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।"

[हिन्दी]

प्रत्येक नागरिक जो पुरुष हो या स्त्री हो, उनकी जीविका का सम्पूर्ण साधन मुहैया करना यह राज्य का कर्त्तव्य होगा और उसी के आगे दूसरी बात कही गई कि:

[अनुवाद]

समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित में छह सहायक सिद्ध हों।"

[हिन्दी]

जो हमारे संसाधन होंगे, इनका उपयोग हम इस रूप में करेंगे कि सभी को समान रूप से साधन मुहैया हो सकें।

[अनुवाद]

' आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो।"

[हिन्दी]

हम इस रूप में इस देश को संचालित करें कि धन का संग्रह कुछ खास हाथों में नहीं हो सके, समान रूप से उसका वितरण हो सके कि किस तरह का समाज हमारे देश में बन रहा है।

हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। तकरीबन दो फीसदी के हिसाब से यह रफ्तार दो से कम हो गई लेकिन हमारे देश में जो सम्पूर्ण साधन लगाकर रोजगार के अवसर हम मुहैया कर रहे हैं, उसकी वृद्धि डेढ़ फीसदी के आसपास है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में बनने जा रही है। कुछ दिन पहले इस देश के एक प्रमुख समचार पत्र ने खबर छापी कि इस देश में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल बीस रुपये रोजाना पर अपनी जिंदगी गुजर-बसर करते हैं। क्या हम इस तरह का हिन्दुस्तान बनाने जा रहे हैं जो केवल 20-22 करोड़ लोगों के लिए होगा जिनके पास ही सारे संसाधन रहेंगे और बाकी लोग साधन विहीन होंगे? यदि इस तरह का हिन्दुस्तान हम बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमारी आजादी के जो 60 वर्ष बीते हैं, उसके अनुरूप इस काम को नहीं करना चाहते हैं। हमारे देश में जो रोजगार का सृजन है, सार्वजनिक क्षेत्र में वह घटकर एक प्रतिशत से नीचे हो गया है। वह 0.80 रोजगार का सृजन हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। रोजगार सृजन की सबसे बड़ी संभावनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं। प्राइवेट सैक्टर में थोड़ा-बहुत रोजगार बढ़ा। आज से दस साल पहले 0.44 फीसदी निजी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो रही थी। आज 010961 फीसदी मामूली सी वृद्धि हुई। लेकिन जो हमारे देश का संगठित क्षेत्र है, उससे रोजगार के सारे अवसर कम हो रहे हैं। आज से दस साल पहले 1.2 फीसदी के हिसाब से जो संगठित क्षेत्र था, उसमें रोजगार बढ़ा। लेकिन अब उसमें रोजगार का सृजन 0.38 फीसदी होगा। हम कहां से लोगों को रोजगार दे सकते हैं? यदि रोजगार मिल भी रहा है तो वह अर्ध रोजगार है। हमारी जीविका के लायक नहीं है। हम एक सुंदर जीवन जीने की जो कल्पना करते हैं, दुनिया में मानवीय गुणवत्ता के हिसाब से हमारे देश का स्थान 127वां हो गया है। इसका मतलब जो सुख-सुविदाओं की बुनियादी जरूरतें हैं, हमारे देश के लोगों को व्यापक पैमाने पर मुहैया नहीं हो रही है। इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने भर का रोजगार देना यह राज्य का दायित्व है। इसीलिए हमने इस बात की कोशिश की है कि यदि हमारे देश के जो बुनियादी अधिकार है, उसके खाने में रोजगार के अधिकार को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह देश चलाने वालों की जिम्मेबारी हो जाएगी और यदि रोजगार मुहैया नहीं करते हैं तो हमें सुंदर जीवन जीने भर का एक बेरोजगारी भत्ता मिले, यह प्रावदान करने के लिए हमने संवैधानिक विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसे सभी सम्मानित सदस्यों का समर्थन मिलेगा और भारत सरकार उसे स्वीकार करके अलग से एक संवैधानिक संशोधन लाएगी जिससे रोजगार की गारंटी का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो बुनियादी अधिकार का अनुच्छेद है, उसमें सम्मिलित कर लिया जाए।

[अनुवाद]

"पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुतकरने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि वे चाहते हैं कि यह सभा राष्ट्र के हित में कार्य करे।

हम सब को पता है कि बच्चों को दी जाने वाली स्कूली शिक्षा रोजगार के अवसरों के अनुरूप न होने से आज युवा वर्ग गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। महोदय, यह विरोधाभासी स्थिति है कि मानव संसाधन मंत्रालय पाठ्यक्रम तैयार करता है और इस देश के युवा वर्ग में जिज्ञासा पैदा करता है जबकि श्रम मंत्रालय का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि युवा वर्ग इस जिज्ञासा को पूरा करने की योग्यता प्राप्त करे। यह आश्चर्यजनक बात है कि मानव संसाधन मंत्री इस देश के युवा वर्ग से सम्बद्ध महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं है। इसके अलावा, मानव संसाधन मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय इस राष्ट्र के लिए वैश्विक राष्ट्र के रूप में तथा विश्व द्वारा दिये जाने वाले अवसरों के रूप में अपार संभावनाएं लाते हैं। योग्यता, नियोजकता, अपेक्षित कौशल के रूप में युवा वर्ग की नियति को आकार देने में सरकार के विभिन्न वर्गों के दायित्वों में संगति न होने के कारण आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि हम इस स्थिति का, इसकी जटिलता का समाधान नहीं ढूढ़ते हैं और इसे सरकार के विभिन्न मंत्रालयों पर छोड़ देते हैं तो इस विषय पर वाद-विवाद चलता ही रहेगा।

श्री मोहन सिंह सही समय पर विधेयक लाए हैं जो एक तरह से अनजाने में सरकार को समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाता है। यदि हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो इससे इस बेमेल दायित्वों का समाधान करने का सरकार पर निश्चित रूप से दबाव पड़ेगा। लेकिन मैं माननीय श्रम मंत्री की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने पहले स्वरोजगार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जो इस देश के युवा वर्ग के रोजगार, नियोजनीयता से जुड़ा है।

महोदय, युवा वर्ग के लिए प्रतिबद्ध और शिक्षा के क्षेत्र में तीन दशक से भी अधिक समय देने वाले व्यक्ति के रूप में मैं

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

बताना चाहता हूं कि यह समस्या शायद शिक्षा प्रणाली में है। पांच दशक से अधिक समय पूर्व गांधी जी ने संक्षेप में बताया था कि हमारे विद्यालयों में युवाओं को स्कूली शिक्षा के साथ हुनर भी सिखाए जाने की आवश्यकता है। हमने पाया कि यह बात काफी मौलिक थी। हमने इस बात को पूर्ण समाधान के रूप में नहीं लिया और आज हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस बात पर बल भी देना चाहता हूं और मुझे पता है कि ज्ञान आयोग तथा एन.सी.ई.आर.टी. ने पूर्णत: शैक्षिक स्कूल प्रणाली तथा शैक्षिक अवसरों को उस तंत्र के साथ मिलाने की संभावनाओं को देखना शुरू कर दिया है जो अनुदेश अथवा ज्ञान अर्जन के माध्यम से हुनर और सामर्थ्य में मिलेगा। मुझे नहीं लगता इससे उन्हें वास्तव में ज्ञान प्राप्त होगा। उन्हें किसी तरह की जानकारी मिलती है जिसे वे 'तदनुसार वे शिक्षित है वे कहते हैं।

यदि हम युवा वर्ग की इस महान राष्ट्र के लिए अपेक्षाएं देखें, इस राष्ट्र की प्रगति के लिए उनकी जिम्मेदारियां देखें तो मुझे नहीं लगता कि हमें पूर्ण वचनबद्धता समझने की आवश्यकता है। अत:, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय तथा उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समान प्रयोजन पर एकजुट कार्य करने की आवश्यकता है जिससे ऐसा मंच बनेगा जो हमारी जनता को अधिक अवसर ही नहीं वरन् बहुत स्पष्ट लाभ भी प्रदान करेगा।

चूंकि मंत्री महोदय सभा में उपस्थित हैं इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि युवा वर्ग को समझने तथा उनके के लिए अपेक्षित मूल जातीय कौशल की योजना तैयार करने और इस कौशल को वर्तमान पाठ्यक्रम प्रणाली में समेकित किये जाने की आवश्यकता है। ये अवसरों तथा वर्तमान, शिक्षा के रूप में इनका सुधार होना चाहिए। यहां से हमें समझ आएगा कि ऐसी प्रक्रिया को कार्यान्वित का क्या अर्थ होता है जो क्षमताओं और योग्यताओं को विकसित करेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम की ये शाखाएं शायद समृद्ध राष्ट्रों में भी है, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में ऐसी बात बैठ गई प्रतीत होती है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण उचित नहीं है। अत: कम उम्र में स्वरोजगार और रोजगार देना प्रगति का मार्ग नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि इन दो शाखाओं को परस्पर मिलाकर एक निकाय बना दिया जाए जिसमें श्रम के प्रति मूल दृष्टिकोण हो तथा यह दृष्टिकोण भी शामिल हो कि शारीरिक श्रम बुरी बात नहीं है और केवल बौद्धिक ज्ञान से संभावनाओं को साकार नहीं किया जा सकता। यहां से हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण शुरू करेंगे जिसकी हम कल्पना करते हैं तथा महात्मा गांधी के विचारों को साकार करेंगे जो यह राष्ट्र चाहता है। अत: मैं कहना चाहता हूं कि हम श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर ध्यान दे रहे हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं कि 18 वर्ष की आयु होने पर हम उन्हें मूल शक्ति देते हैं। आपको इच्छानुसार शिक्षा मिलती है और उसके बाद यदि आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको राज्य से कम से कम कुछ सहायता मिलनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत हम राष्ट्र के 95 प्रतिशत बच्चों की स्कूली शिक्षा चाहते हैं। सर्वशिक्षा अभियान के लगभग 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि युवा वर्ग के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा अब व्यापक अवसर है। इस तरह के मंच और कार्यक्रमों के द्वारा हम पाएंगे कि बेरोजगार शिक्षित युवा वर्ग की समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। अत:, इस समस्या का तत्काल समाधान किये जाने की आवश्यकता है कि जब यह युवा वर्ग इन संभावनाओं में प्रवेश करेगा तो वह राष्ट्र उसके लिए क्या प्रावधान करेगा।

अत: मै मंत्री महोदय पर यह विचार छोड़ता हूं कि इस देश में दो शाखाओं को मिलाने और कुछ समझ की आवश्यकता है। यदि हम देश के युवा वर्ग को शिक्षित देखना चाहते हैं तो उन्हें आश्वस्त करना होगा कि सरकार उन्हें सही अवसर प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक 2004 का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस विधेयक में उन्होंने काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की बात कही है और यदि काम नहीं मिले तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करना चाहूंगा। मान्यवर, आज के नौजवानों के बारे में यदि यह कहूं कि–

> "निकले हैं कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं,
> इन राह में भटकने वालों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं।"

जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, निरुद्देश्य शिक्षा, कोरी सैद्धांतिक शिक्षा, आखिर आगे जाकर जब एजुकेशन के बारे में हम कहते हैं,

[अनुवाद]

शिक्षा क्या है? शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण, संपूर्ण और अति संतुलित विकास है।

[हिन्दी]

बालक के व्यक्तित्व का समग्र, सर्वांगीण और संतुलित विकास का नाम शिक्षा है। हमारे स्कूलों और कालेजों की शिक्षा की तरफ ध्यान दें। आप इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी या आईआईएम की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सामान्य स्कूल और कालेजों की तरफ ध्यान दें। एक छोटा सा उदाहरण है, मैंने एक बच्चे को पूछा कि क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं एमपी हो गया हूं। मैंने कहा आप और एमपी? एमपी तो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसने कहा मैं मैट्रिक पास हो गया हूं। मैंने कहा अच्छा है, आप कौन सी डिवीजन से हुए हैं? उसने कहा आप डिवीजन नहीं जानते हैं, रॉयल डिवीजन। मैंने कहा रॉयल डिवीजन कौन सा है, उसने कहा फर्स्ट डिवीजन विद टू बॉडी गॉर्ड्स। बात हंसने की है लेकिन अगर हम गंभीरता से चिंतन करें तो यह थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन सप्लीमेंटरी प्रमोटिड या पास बाए ग्रेस। मैंने कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान को पूछा कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, क्यों पढ़ रहे हो? उसने कहा घर वाले पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ रहा हूं। केवल नौकरी प्राप्त नहीं होती है इसलिए वह बालक बिना उद्देश्य की शिक्षा प्राप्त करते हुए चला जाता है और जब बीए या बीकॉम की डिग्री आती है या डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री लेकर निकलता है तो चौराहे पर खड़ा होता है जहां चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वह शिक्षा चरित्र निर्माण, सदाचार या देशभक्ति की शिक्षा हो, कुछ करने की तमन्ना हो, स्वावलंबन की शिक्षा हो तब तो कोई बात है कि नौजवानों और विद्यार्थियों में भावना पैदा हुई कि "खुद को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है" लेकिन आज हर आदमी पढ़-लिख कर पंखे की हवा खाना चाहता है, नौकरी प्राप्त करना चाहता है और येन-केन प्रकारेण वह एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर काटता रहता है। परिणामस्वरूप यह बेकारी की समस्या आजादी के बाद दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, जैसे कहावत है कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया। जैसे-जैसे हम इसका उपाय सोचने लगे, वैसे-वैसे बीमारी बढ़ती चली गई। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, चाहे गांव के लोग शहर में आएं या शहर में स्लम्स में रहने वाले लोग हों। जब नौजवान देखता है कि पढ़ने-लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो आपने उद्देश्य के अंदर ठीक कहा, आपने जो उद्देश्यों के बारे में कथन किया कि वह अपराधिक तत्व बन जाता है। हम उन कुल किताबों को काबिले जप्ती समझते हैं, जिन्हें पढ़ कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। ऐसी मूल्यविहीन शिक्षा और परिणामस्वरूप वह समाज का, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज, राष्ट्र, अपने लिए, अपने परिवार और अपने माता-पिता के लिए हमें कुछ करना है। देश का नाम रोशन करना है। जिस उम्र में उसे कालेज में चहकना एवं महकना चाहिए, पढ़लिख कर, योग्य बन कर, संस्कारिक बन कर, उस उम्र में वह चहकने और महकने के स्थान पर बहक रहा है और बहकने के कारण वह उस विश्वविद्यालय में तोड़-फोड़ करने पर, गुरूजनों की बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता है। हड़ताल करने पर युवा शक्तियों का एक्सप्लायटेशन होता है, परिणामस्वरूप बेकारी ऐसे बढ़ती चली गई, जैसे रामचरित मानस में एक कथा आती है, हनुमान जी जब समुद्र को पार करना चाहते थे तो सुरसा परीक्षा लेने के लिए आई। यह पौराणिक कथा है। यहां तुलसी दास जी लिखते हैं-"जस-जस सुरसा बदनुं बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा"। जैसे-जैसे सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए मुंह फैलाया, वैसे-वैसे हनुमान जी दुगने हो गए। इस तरह उसमें वर्णन आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बेकारी दिन दूनी और रात चौगुनी होती जा रही है। सरकार ज्यों-ज्यों उपाय करती गई, त्यों-त्यों और भी बेकारी बढ़ती गई। आज एम्प्ल्यॉयमेंट एक्सचेज में आपने चार करोड़ की संख्या बताई है, ये चार करोड़ की संख्या वह होगी, जिनका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है, लेकिन गांवों के अंदर जो बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं, हम गांवों के अंदर जाते हैं वहां नौजवान ताश खेलते हुए मिलते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप लोग बीए कर रहे थे, उसका क्या हुआ तो वे कहते हैं कि कोई नौकरी नहीं मिलती है क्या करें।

महोदय, जब नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर वे प्रयास करते हैं कि जैसे-तैसे कुछ भी काम करने को मिल जाए, उसे करते हैं। सही काम तो तब होगा जब पेशे से ईमानदार, निष्ठावान और वफादार होगा। ये तीन चीजें उसमें रोजगार या व्यवसाय के प्रति होंगी, तब तो नौजवान दिल लगा कर काम करेगा। लेकिन जब उसकी इच्छा के विपरीत, जबर्दस्ती, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात होगी। अगर वह नौकरी पर लग भी गया, तो वह वहां क्या निहाल करेगा। उसकी इच्छा के विपरीत जब नौकरी होगी, तो वह क्या हाल करेगा, इसकी हम स्वयं कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करना चाहूंगा।

महोदय, आज देश में उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ रहा है। बिना कुछ किये हुए शॉर्टकट मैथोड से सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा चल रहा है। इसका कारण जैसा मैंने कहा कि मूल्यविहीन शिक्षा है। अगर उसे यह शिक्षा दी जाती है कि जैसी होगी दृष्टि वैसी करेगा सृष्टि, जैसी प्राप्त होगी शिक्षा, वैसी

[प्रो. रासा सिंह रावत]

प्राप्त होगी दीक्षा और जैसा होगा विचार, वैसा बनेगा आचार। उसका चाल-चलन विचारों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे साहित्य का अध्ययन करेगा, उसके अनुसार उसके विचारों को पुष्टता मिलेगी। लेकिन जब वह देश में बेरोजगारी की स्थिति देखता है, तो वह एकदम एके-47 लेकर, अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाता है और बैंक में डाका डालने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे कुछ पैसा मिल जाएं, लेकिन वह जेल चला जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री, श्री ऑस्कर फर्नांडीस साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी सरकारें आईं, उन्होंने आश्वासन भी खूब दिए, प्रयास भी बहुत हुए, 60 साल आजादी के हो गए। उसके बाद भी जो स्थिति है, वह हमारे सामने है। हम इस सच्चाई से आंख नहीं मूंद सकते कि कभी गरीबी हटाओ का नारा लगा, कभी युवाओं को रोजगार देने का नारा लगा, कभी नारा लगा कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वोकेशनल एजूकेशन देंगे, लेकिन इन सबके नारे ही लगते रहे और ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे युवाओं को रोजगार मिले।

महोदय, मैं वोकेशनल एजूकेशन की स्थिति से परिचित हूं मैं सीनियर सैकेंड्री स्कूल का शिक्षक रहा हूं। थर्ड ग्रेड, सैकिंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लैक्चरर रहा हूं। मास्टर, लैक्चरर, प्रिंसीपल रहा हूं। मुझे स्टेट एवॉर्ड मिला है। सब कुछ मैंने देखा है। मैंने देखा है कि वोकेशनल एजूकेशन की जैसी दुर्गति है वैसी किसी और की नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा स्कूल में पढ़ने पर तो मिलती नहीं है। लोग देखते हैं कि डिवीजन तो उनका जुड़ेगा, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। बाद में वे आई.टी.आई., इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलीटैक्निक कॉलेज में जाते हैं। फिर जैसे-तैसे करके वे सीखते हैं, लेकिन उसमें दक्षता नहीं आ पाती है। इसलिए मैं मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। हमारे संविधान के अंदर नीति-निर्देशक सिद्धांतों की दुर्गति तो हमने भी तक देख ली। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में, चाहे वह राजभाषा हिन्दी को लागू करने की बात हो, चाहे देश में नशाखोरी बन्द करने की बात हो और चाहे शिक्षा के प्रचार-प्रसार की बात हो, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए संविधान के जो फंडामैंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जैसे देश में कहीं भी काम का अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही काम देने का अधिकार भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। नौजवानों को उनकी योग्यता, उनकी प्रवृत्ति, उनके एटीट्यूड के अनुसार चैनेलाइज करके उन्हें काम मिलना चाहिए। अगर काम नहीं मिलता है, तो जब तक काम नहीं मिले, तब तक बेकारी भत्ता दिया जाना चाहिए अन्यथा एम्पटी माइंड इज डेविल्ज वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर वाली उक्ति चरितार्थ होती है। इसलिए कहना तो आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमने प्रधान मंत्री रोजगार योजना प्रारम्भ की। इसमें हम बैंकों से युवाओं को अपना काम-धंधा करने के लिए लोन देते हैं। हम स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना की बैठकों में जाते हैं और वहां देखते हैं कि इतने लोगों का चयन हुआ और उद्योग अधिकारी भी चयन करके भेज देता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो ट्रेनिंग कराने वाला संस्थान है, वह ट्रेनिंग भी दे देता है, लेकिन बाद में नौजवान बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं। वे चक्कर काटते-काटते इतने निराश और हताश हो जाते हैं कि न तो उन्हें बैंकों का लोन मिलता है और न वे कोई और काम कर पाते हैं, क्योंकि बैंकों में तो कमीशन या चैक या जैक अथवा रिश्वत जब तक नहीं दी जाती है, तब तक वह नौजवान कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। यह हकीकत है।

मान्यवर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं निष्कर्ष की ओर जा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान को यदि नौकरी नहीं मिली, तो स्वरोजगार वाली बात जो पहले चल रही थी, सैल्फ एम्पलायमेंट, खुद अपना धंधा करें, यह होना चाहिए। वह खुद अपना धंधा कब करेगा, तब करेगा, जब अपना हाथ जगन्नाथ होगा। लेबर इज विक्ट्री, श्रम की विजय होती है। नौजवान अपने हाथ से कुआं खोदकर पानी पीने को तैयार होगा। ऐसे संस्कार यदि हम नौजवानों को देंगे, तो वह लोन लेकर अपना धंधा शुरू करेगा और तब वह सब्जी का ठेला लगाने में भी शर्म महसूस नहीं करेगा। खून का पसीना करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। पंखे की हवा नहीं चाहेगा। स्वरोजगार गारंटी योजना के अन्दर यदि सड़क पर भी काम करना पड़े, तो वह काम करने के लिए तैयार रहेगा।

हमारा नौजवान ऐसे कार्यों के प्रति तभी आकर्षित होगा, जब हम उसे मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे, जब उसको स्वावलंबन की शिक्षा प्रदान करेंगे, जब उसको अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी के भूत को भगाने के लिए प्रभावकारी उपाय बरतने चाहिए। आपने जो सुझाव दिया कि संविधान का मौलिक अधिकार इसे बना दिया जाए। हमारी राजस्थान की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया है। सरकार ने भी नौजवानों की बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया था। आशा तो बंधी है, लेकिन केवल भत्ता देने से ही काम नहीं चलेगा, हमें रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के

लिए निजी क्षेत्र में उनकी भागीदारी तय करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मोहन सिंह जी के द्वारा लाए गए राइट टू इम्प्लायमेंट बिल का मैं समर्थन करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं इस संबंध में एक कहानी सुनना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां, बाप, दादी, नानी सभी खुशियां मनाते हैं। उसके बाद उसके पालन-पोषण पर अपनी सारी सम्पत्ति लुटा देते हैं। अपने मुंह का निवाला, अपना प्रोटीन और कैलोरी उसको दे देते हैं। उस बच्चे को अपनी कण्डीशन के अनुसार क्वालीटेटिव एजुकेशन दिलाते हैं। जब बच्चा स्कूल से आता है, तो मां उसके सिर पर हाथ लगाकर प्यार से खाना सुबह और शाम को खिलाती है। एक दिन आता है, जब बच्चा एजुकेटिड और ट्रैन्ड हो जाता है। उसके बाद मां-बाप उसके लिए एक सूट और सिलवाते हैं कि अब यह दफ्तर जाएगा, इसको रोजगार मिलेगा। उसके बाद वह अपने सर्टिफिकेट लेकर दफ्तरों के चक्कर काटना शुरू करता है। एप्लीकेशन और फोटो कापियों का ढेर लगा देता है। सरकार की इतनी स्कीम्स हैं कि उनकी एप्लीकेशन्स बना-बनाकर उसकी इंतिहा हो जाती हैं। यदि आप स्कीम्स को देखें तो आईआरडीपी, ट्राईसम, सिट्रा, एसजीआरवाई, एनआरईपी, आरएलईजीपी, जेआरवाई, एनएफ, एफडब्ल्यूपी और नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारण्टी एक्ट है। वह सभी स्कीम्स में एप्लाई करता है क्योंकि वह सोचता है कि कोई न कोई स्कीम तो उसके काम आएगी। जब वह शाम को लौटता है और मां खाना देती है तो उसकी तरफ मुंह नहीं करती है, प्लैट को सरका देती है, चाहे वह खा ले, चाहे कुत्ता खा ले। वह बच्चा जो उसके जिगर का टुकड़ा था, जो उसकी जान थी, जिसके लिए तरसती और रोती तो, वही मां उससे मुंह फेर लेती है और कहती है कि तू आवारा है, लोफर है, नालायक है, गलत है। सभी इलजाम उस नौजवान पर आते हैं। इसके बाद जवानी भटकना शुरू हो जाती है। यहां शराबी, नशेड़ी और एक्सपलाइटर्स हैं, जो उसको अपने जाल में फंसाते हैं। नौकरी लेते-लेते, वह थानों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि यह क्रिमिनल है, बदमाश है, गुण्डा है। लेकिन उसे किसने बनाया इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोग सिन्सियर एफर्ट्स करके ईमानदारी से चीजों को लागू नहीं करवाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह महज किताबों में बड़ा खूबसूरती से लिखा जाता है। जो भी सरकार आयेगी, मेरी आये, पहली आये या कोई भी आये, वह अपने नाम पर स्कीमें बना बनाकर पेश करती है और सोचती है कि हमने यह दिया। लेकिन दिया क्या? आप युवकों, युवा इंजीनियर्स, डाक्टरों, कम्प्यूटर इंजीनियर्स, आई.सी.डब्ल्यू.ए., स्नातकों, कृषि उत्पादों से जुड़े, आई.आई.टी. से जुड़े व्यक्तियों आदि को क्या दिया। बच्चे ने बड़ी ट्रेनिंग ली है, यह उनकी जो वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन है। दूसरी तरफ हमारे देश की जो रद्दी एजुकेशन है, उसका तो हाल ही मत पूछो। हमारे यहां एजुकेशन 3-4 किस्म की है। स्टेट बोर्ड अलग से पढ़ाता है, सी.बी.एस.ई. अलग से पढ़ाता है, एक लग्जरी एजुकेशन है और एक कम्पीटीशन है। बच्चा परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, मुश्किल में है, क्योंकि मुकाबले में एक बच्चे को स्कूल में न चाक मिला, न टाट मिला, न टीचर मिला, न स्टाफ मिला और एक बच्चा, जिसके मां-बाप परिपक्व थे, इन्फ्लुएंशियल थे, पैसे वाले थे, उन्होंने उसको उस जगह पढ़ाया, जिस जगह सब कुछ था और कम्पीटीशन में आपने तीनों को एक जगह खड़ा कर दिया। मुझे बताओ, आपके सिस्टम में जब बुनियादी चीजें आप ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा, इसलिए आपको शिक्षा प्रणाली को अवश्य ही बदलना चाहिए। यह जो वोकेशनल ड्रामेबाजी है, इसको खत्म करने की जरूरत है, मैं यह कहना चाहता हूं।

मेरा आपसे सबमिशन है कि पढ़ा-लिखा नौजवान जब मैट्रिक में पढ़ता है। नाइंथ में पढ़ता है, उससे लोग पूछते हैं तो वह कहता है कि मैं यह बनूंगा, मैं वह बनूंगा। वह कभी नहीं कहता कि मैं चपरासी लगूंगा, कभी नहीं कहता कि मैं बेरोजगार रहूंगा, कभी वह कहता है कि डाक्टर बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा, कभी पायलट बनूंगा, बहुत चीजें लिखता है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी एड़ी की जगह चप्पल टूटी हुई मिलती है, क्योंकि मां-बाप के पास भी पैस खत्म हो गये, मां-बाप गरीब हैं, मां-बाप मुफलिस हैं, मां-बाप उसको एजुकेशन देते-देते कमजोर हो गये होते हैं। मैं पूछता हूं कि उस बच्चे का अंजाम क्या है? मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली वह फोर्थ क्लास में भी इंटरव्यू देता है। उसकी क्वालिफिकेशन एम.एस.सी., पी.एच.डी. और एम.फिल. है। एक बच्चा आठवीं पास वाला भी उसी लाइन में खड़ा होता है, 10+2 वाला भी उसी लाइन में खड़ा होता है और वह भी उसी लाइन में खड़ा होता है कि मझे एम्प्लायमेंट चाहिए, मैं भूखा हूं। जब वह पढ़ता था तो उसके चेहरे पर रौनक थी, खूबसूरती थी, उसके बाल भी ठीक थे, उसका मुंह भी ठीक था, कपड़े भी ठीक थे। उस समय जब दो-चार साल की बेरोजगारी आती है तो उसके बाद उस बेरोजगार बच्चे की हर चीज फटीचर हो जाती है। उस समय नये-नये बच्चे बाहर आते हैं, उसका कम्पीटीशन फिर उनसे होता है, जब इण्टरव्यू रूम से पहला बच्चा बाहर आता है तो वह उससे पूछता है, फिर अगला वाला बच्चा आ गया, उनके नम्बर

[चौधरी लाल सिंह]

बढ़ गये, उनकी परसेंटेज बढ़ गई, उनकी डिग्री समाप्त हो गई, उसकी डिग्री बूढ़ी हो गई। मैं यह पूछना चाहता हूं, आपको व्यावहारिक पक्ष निश्चय ही देखना चाहिए। लोक सभा के लोग प्रैक्टीकल लोग होते हैं। उन्हें जानकारी अच्छी है। हमें जमीन से जुड़े हैं, हम वास्तविकता से परिचित रहते हैं, लेकिन क्या हम यहां बैठकर अपने बच्चों के साथ इन्साफ नहीं करते? मैं कहता हूं कि इससे बड़ा गुनाह हमें लगना है। हम समाज के दोषी हैं, हम यहां हैं; हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हिंदुस्तान यंग है, सबसे यूथ है, देश की 70 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या युवाओं की है और यूथ की पोजीशन आप स्वयं देखें, आप बहुत शिष्ट, सादे विचारों वाले मंत्री हैं। हमें आपसे पूरी उम्मीद है। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और ये मौके बार-बार नहीं आते। यह मौका है, आप मौके को इस्तेमाल कीजिए। ये सर्विसेज देने का मौका, जो हमें मिला है, यह सर्विस का मौका लोगों ने हमें दिया है और आपको ज्यादा मिल गया है, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि हमारे इन बच्चों का, हमारे बेरोजगारों का कोई प्रैक्टिकल हल ढूढें।

कहानियां, किस्से, थ्योरी जब पढ़ो, तब ऐसा लगता है। जब कोई बच्चा इंडस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो इंडस्ट्री मैनेजर उसे कहानियां सुनाता है। वह पूछता है बताओ तुम्हें कौन सी फैक्टरी लगानी है? वह उसे ख्वाब दिखाता है, टेलीफोन दिखाता है, गाड़ी दिखाता है, उसकी बड़ी लंबी-चौड़ी कहानी होती है, उसका एक दफ्तर होता है और यही उसका सपना होता है। उसके बाद जब वह फार्मेलिटीज के बारे में बताता है, तो फार्मेलिटी करते-करते उसकी कमर टूट जाती है। उस इंडस्ट्री वाले के पास यह पावर ही नहीं है कि वह फाइनेंशियल हेल्प करे, वह उल्टा एक्सपेक्ट करता है। मैनेजर बैठे होते हैं, कोई क्रेडिट मैनेजर है, कोई टैक्निकल मैनेजर है, कोई नत्थू मैनेजर, मैनेजर ही मैनेजर हैं। मैनेजर कहता है कि चलो मैं तुम्हें मिशनरी खद्दर दिखाऊंगा या चलो मैं तुम्हें फलां चीज दिखाऊंगा। सभी लोग उस यंग मैन का इस्तेमाल नहीं, बल्कि मिसयूज करते हैं। मेरी सबमिशन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह चीज बुजुर्गों ने रखी हैं, उन्होंने हमें बताया कि ध्यान रखना, कल उसे आपको फंडामेंटल राइट में मिलाना पड़ेगा। आपको एक्शन जमीन पर लाना पड़ेगा। आप रोजगार क्यों नहीं देंगे? आप इसके लिए रिस्पांसिबल है। अपनी रिस्पांसिबिलिटी से कैसे पीछे हटा जा सकता है? अब मुझे कोई मेरी जम्मू-कश्मीर कांस्टीच्युएंसी में कहेगा कि लाल सिंह जी, हमारा यह काम कराइए, तब अगर मैं कहूंगा कि इधर यह होता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि मैं ड्रामे में आया हूं, यहां कोई सैर करने वाला माहौल नहीं है। यह तो प्रैक्टिकल फील्ड है। मेरा सबमिसन है कि यहां के जो ब्यूरोक्रैट्स हैं, उन्होंने हमसे पूछकर बहुत अच्छा प्लान बनाया है। पार्लियामेंटेरियन से पूछो कि रोजगार कैसे चलेगा? हम बतायेंगे कि रोजगार कैसे मिलेगा? जब हम हवा में बैठकर प्लान बनाएंगे, तो प्लान हवा में ही उड़ता रहेगा, वह जमीन पर नहीं आएगा। हमें मंत्री जी से बहुत उम्मीद है और हम आशा करेंगे कि वे बेरोजगारों का पूरा ध्यान रखें। अभी वैष्णो देवी वाले मामले पर जो ध्यान देना था, वह रह गया है। यह अगली बार आएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोहन सिंह जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मोहन सिंह जी द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, 2004, नए अनुच्छेद 16(क) के अंत: स्थापन पर जो चर्चा हो रही है, उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी आपने एक नौजवान, नवयुवक के जज्बात को देखा। यह बात सत्य है कि आजादी के 60 वर्ष के बाद और 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष विकास करे, खुशहाल बने। इस विधेयक के माध्यम से मुझे स्वर्गीय राजीव गांधी की याद आती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वोट देने के अधिकार की आयु को 18 वर्ष किया था। आज इस अनुच्छेद विधेयक 16(क) में आदरणीय मोहन सिंह जी ने बड़े विस्तार से, सारगर्भित विचार रखे हैं। 18 वर्ष की आयु में आपने वोट आफ राइट दिया है, उसी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले जो हमारे नवयुवक हैं, उनको रोजगार देने की बात हो रही है। अभी इसके पहले चंद्रकांत खैरे जी का जो विधेयक था, वह बेरोजगारी पर था, इसमें केवल रोजगार देने की बात है।

सभापति महोदय: शैलेन्द्र कुमार जी, आप अपना भाषण आगे कर सकेंगे।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले चक्रभट्टा हवाई पट्टी में हवाई

सेवा प्रारंभ करने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बिलासपुर जिला रायपुर राजधानी का दूसरे नम्बर का शहर है और उक्त जिले में 1200 करोड़ रुपये का एनटीपीसी का कारखाना है, कोरबा में ताप विद्युतगृह है। वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को रायपुर जाने में कई घंटे लगते हैं। एचसीएल का कोयले का मुख्यालय विलासपुर में है। वहां गुरु घासी दास यूनीवर्सिटी है जिसमें बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। हाई कोर्ट है, बिलासपुर जिला कमिश्नरी भी है, फर्टीलाइजर और सीमेंट कम्पनी का कारखाना भी है। इन सबको देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि रायपुर राजधानी जाने के लिए हवाई सेवा नहीं है। पहले वहां 12 सीटर एयर बस की सुविधा थी जो मध्य प्रदेश और अन्य जगह जाती थी। उसे बंद कर दिया गया है जिससे वहां के लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। यात्रियों को चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता आदि जगह जाने में असुविधा होती है। बीमार, पीड़ित और अन्य लोग हैं, जो कई-कई घंटे गाड़ियों में जाते हैं, आज उन्हें अनेक सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। जैसे रायपुर राजधानी में एयर डक्कन की सेवा, एयरलाइन्स की सेवा, ऐसी अन्य कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं और पूरे देश में जा रही हैं।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि विलासपुर हवाई सेवा चक्रभाटा में की जाए। वहां हवाई जहाज चलने लायक पट्टी बन चुकी है। राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है। अत: चक्रभाटा हवाई पट्टी पर हवाई सेवा प्रारंभ की जाए, चाहे वह प्राइवेट एयरलाइन्स हो या अन्य कोई एयरलाइन्स हो, जिससे डायरैक्ट दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई या अन्य शहरों के लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो सके। वहां जो कर्मचारी, अधिकारी और आम नागरिकों को, जो आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार करते हैं, शासकीय कार्य करते हैं, जो लोग आते-जाते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी आना-जाना पड़ता है। इन सब महत्वपूर्ण चीजों को देखते हुए बिलासपुर चक्रभाटा में हवाई सेवा प्रारंभ की जाए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में, जो हमारा लोक सभा क्षेत्र है, उसमें तहसील कालपी में जो वेद व्यास की जन्मस्थली है, कुतुब मीनार जैसी एक मीनार है। उसकी लम्बाई भी वैसी है और ऊंचाई भी वैसी है। उसे क्षेत्रवासी और आसपास के लोग लंका के नाम से जानते हैं। उस लंका की स्थिति बड़ी जर्जर हो गई है। वहां हर साल मेला लगता है, लाखों लोग वहां आते-जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि उस मीनार को पुरातत्व विभाग अपने अंडर में ले ले और उसकी व्यवस्था करे। उसकी जो जीर्ण-क्षीण हालत हो गई है, उसकी मरम्मत करवाई जाए, जिससे उस मीनार को टूटने से बचाया जा सके। हम देखते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और हमारे वहां लेका है।

मेरी पुन: आपके माध्यम से मांग है कि उसकी मरम्मत करवाई जाए और केन्द्रीय पुरातत्व विभाग उसे अपने अंडर में ले ले।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): धन्यवाद महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं पिछले तीन दिनों से नोटिस दे रहा हूं और आज शाम मुझे बोलने का अवसर मिला। मैंने नोटिस लगभग पूर्वाह्न 8.30 बजे दिया था। परन्तु बोलने का अवसर नहीं मिला। मुझे नहीं पता ऐसी स्थिति में सदस्य सभा में अपनी बात कैसे कह सकता है।

महोदय जब मेजिया ताप विद्युत स्टेशन (एम.टी.पी.एस.) ने मेरे जिले बांकुरा, पश्चिम बंगाल में 1987 में भू-अर्जन किया तब डी.वी.सी. और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। तीन इकाइयों को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। उस समय समझौते के अनुसार 520 भू-स्वामियों जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा जिन्होंने अपनी भूमि का 80 प्रतिशत खो दिया था, को रोजगार का अवसर मिलेगा।

तीन इकाइयां आरंभ हो चुकी हैं। चार इकाइयां पहले ही आरंभ हो चुकी हैं। पांचवीं और छठी इकाइयां आरंभ की जानी हैं। इसके बावजूद 520 भूमि खोने वाले किसानों में से 240 किसानों को अभी भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार डी.वी.सी. के मेजिया ताप विद्युत स्टेशन द्वारा समझौते का पालन नहीं किया गया है। इसलिए, मैं पुन: अनुरोध करता हूं। मैंने इस मुद्दे को न केवल 14वीं लोक सभा अपितु 12वीं और 13वीं लोक सभा में भी उठाया था, मैं पुन: याद दिलाता हूं। विद्युत मंत्री यहां नहीं हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा उन तक अपना संदेश पहुंचाऊंगा कि डी.वी.सी. पश्चिम बंगाल सरकार के समझौते को नहीं मान रही है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच पहले से ही समझौता हो चुका है। इसके बावजूद 240 भूमि खोने वाले किसानों को रोजगार का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

इतना ही नहीं। वहां साल भर कार्य चलता है। कुछ ठेकेदार कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रबंधन से अनुरोध है कि जब वे ठेकेदारों को ठेका देते हैं तो वे कृपया करके ठेकेदारों को बताएं कि एम.टी.पी.एस., बी.डी.ओ. कार्यालय तथा डी.एम. कार्यालय में उन किसानों की सूची है-जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ठेकेदारों को पहले इन किसानों को काम पर लगाना चाहिए जिससे

कि बाहरी व्यक्तियों को काम पर न लाया जाए। वहां ऐसा नहीं हो रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से मैं केन्द्रीय विद्युत मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि वहां किसानों को किस प्रकार काम दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय मात्र तीन इकाइयां थी। अब छठी इकाई आरंभ की जाने वाली है। इसके पश्चात सातवीं और आठवीं इकाई भी जुलाई माह में आरंभ होगी। मंत्री जी वहां शिलान्यास के समय उपस्थित थे। मैं भी था, विद्युत मंत्री को पुन: स्मरण कराया गया था। इसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया। मेरा माननीय मंत्री से पुन: अनुरोध है कि ऐसा किया जाए।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं इस बात को माननीय विद्युत मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं गुजरात, जहां बिजली की अत्यधिक कमी है के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

हाल ही में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आवंटित कोटे में से गुजरात का कोटा फरवरी 2006 में 210 मेगावाट कम करके महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली को आवंटित कर दिया गया था। चूंकि, गुजरात में भी भीषण विद्युत संकट है इसलिए हमारी सरकार तथा मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से कोटा पूर्ववत बहाल रखे जाने का अनुरोध किया था। अनेक अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार ने जनवरी 2007 तक मात्र 55 मेगावाट की आपूर्ति आरंभ की।

अत:, मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा विद्युत मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गुजरात को उसके हिस्से की बाकी 155 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति शीघ्र से शीघ्र बहाल की जाए। मुझे आशा है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री निश्चय ही गुजरात सरकार की भावनाओं से विद्युत मंत्री को अवगत कराएंगे जिन्होंने विद्युत आपूर्ति के हमारे हिस्से जो हमें अनेक वर्षों से प्राप्त हो रहा था को कम कर दिया था। मात्र 55 मेगावाट की आपूर्ति बहाल की गई है। अभी भी 155 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति बहाल की जानी है जिसे शीघ्र से शीघ्र बहाल किया जाए।

श्री विजय हान्डिक: मैं माननीय विद्युत मंत्री को इस बात से अवगत कराऊंगा।

सभापति महोदय: सभा बुधवार, 29 अगस्त 2007 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 29 अगस्त 2007/7 भाद्रपद, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री के.एस. राव श्री बृज किशोर त्रिपाठी	181
2.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	182
3.	श्री गिरधारी लाल भार्गव	183
4.	श्री डी.वी. सदानन्द गौडा	184
5.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	185
6.	श्री रायापति सांबासिवा राव	186
7.	श्री एल. राजगोपाल	187
8.	श्री महावीर भगोरा	188
9.	श्री रेवती रमन सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	189
10.	श्री काशीराम राणा	190
11.	श्री सुग्रीव सिंह	191
12.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली डा. एम. जगन्नाथ	192
13.	श्री बसुदेव आचार्य	193
14.	श्री असादूद्दीन ओवेसी प्रो. प्रेम कुमार धूमल	194
15.	श्री श्रीपाद येसो नाईक श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	195
16.	श्री गणेश सिंह	196
17.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर श्री प्रभुनाथ सिंह	197
18.	श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	198
19.	डा. आर. सेनथिल	199
20.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री वी.के. ठुम्मर	200

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1836, 1897, 1940
2.	आदित्यनाथ, योगी	1849
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1865, 1926, 1955, 1968, 1976
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	1919, 1938
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1829, 1893, 1896, 1914, 1921
6.	अजय कुमार, श्री एस.	1836, 1936
7.	अनंत कुमार, श्री	1853
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	1820
9.	आठवले, श्री रामदास	1804, 1918, 1951
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1823, 1836, 1924
11.	बर्मन, श्री रनेन	1814, 1882, 1934, 1966
12.	बखला, श्री जोवाकिम	1822, 1908
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	1846, 1916
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1840, 1913
15.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1944
16.	बोस, श्री सुब्रत	1802, 1875, 1950
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1844
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1839, 1912
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1855, 1907
20.	चिन्ता मोहन, डा.	1837
21.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1921
22.	चौधरी, श्री अधीर	1888
23.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1839, 1912

1	2	3
24.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	1901, 1944, 1963
25.	धोत्रे, श्री संजय	1896
26.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	1880, 1935
27.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1827
28.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1817
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1862
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1857
31.	गंगवार, श्री संतोष	1833
32.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1896
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1851
34.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	1848
35.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1892
36.	हसन, चौ. मुनव्वर	1832, 1854
37.	हुसैन, श्री अनवर	1824, 1889, 1921
38.	जगन्नाथ, डा. एम.	1920, 1952, 1967, 1971
39.	जयाप्रदा, श्रीमती	1803
40.	जेना, श्री मोहन	1821
41.	झा, श्री रघुनाथ	1870, 1905, 1927
42.	जिन्दल, श्री नवीन	1847
43.	कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम.	1810
44.	कलमाडी, श्री सुरेश	1867, 1948
45.	कनोडीया, श्री महेश	1834, 1902, 1945
46.	करुणाकरन, श्री पी.	1826, 1890
47.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1812, 1879, 1954
48.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1801, 1813, 1893, 1896, 1915
49.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1800, 1872, 1874, 1929, 1956
50.	कृष्ण, श्री विजय	1871
51.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1832
52.	माधवराव, श्रीमती मनोरमा	1818, 1885, 1944, 1953
53.	महरिया, श्री सुभाष	1819, 1906, 1947
54.	महतो, श्री नरहरि	1841
55.	महताब, श्री भर्तृहरि	1843, 1893, 1944
56.	महतो, श्री टेकलाल	1835, 1904
57.	मंडल, श्री सनत कुमार	1896
58.	माने, श्रीमती निवेदिता	1857
59.	मसूद, श्री रशीद	1828, 1922
60.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1805, 1921
61.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1850
62.	मोरे, श्री वसंतराव	1831
63.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1857, 1923, 1949
64.	ओराम, श्री जुएल	1869
65.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1898, 1941, 1961, 1972
66.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1815, 1883, 1917, 1932
67.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1917
68.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1839, 1872
69.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1903, 1964
70.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1895, 1939, 1960, 1973
71.	पाठक, श्री ब्रजेश	1896
72.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1836, 1909
73.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	1811, 1887, 1933
74.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1944
75.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1910
76.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1823, 1836, 1924

1	2	3
77.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1855, 1919
78.	राई, श्री नकुल दास	1820
79.	राजगोपाल, श्री एल.	1881
80.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1845
81.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	1807
82.	राणा, श्री काशीराम	1876, 1938
83.	रानी, श्रीमती के.	1838
84.	राव, श्री के.एस.	1873, 1931
85.	राव, श्री रायापति सांबासिवा राव	1893, 1937, 1958
86.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1896
87.	रावले, श्री मोहन	1946
88.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	1816, 1884, 1944, 1949, 1965
89.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1847
90.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1896
91.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1859, 1946, 1948
92.	रिजीजू, श्री कीरेन	1799, 1847, 1917
93.	साई प्रताप, श्री ए.	1801
94.	सज्जन कुमार, श्री	1913
95.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1806, 1877, 1930, 1957, 1970
96.	सरोज, श्री तूफानी	1861
97.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1830
98.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1861, 1925
99.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1891
100.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1923
101.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1836, 1865, 1868, 1921, 1926
102.	शिवन्ना, श्री एम.	1864
103.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1872, 1928
104.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	1847
105.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1900, 1943, 1962, 1969
106.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	1836
107.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1903, 1946
108.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1825, 1839
109.	सिंह, श्री गणेश	1899, 1942
110.	सिंह, श्री मोहन	1860, 1924
111.	सिंह, प्रभुनाथ	1905
112.	सिंह, श्री रेवती रमन	1894
113.	सिंह, श्री सुग्रीव	1895, 1939, 1960, 1973
114.	सिंह, श्री सूरज	1832, 1836
115.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1834, 1902
116.	सुब्बा, श्री एम.के.	1889, 1897
117.	सुब्बारायण, श्री के.	1863
118.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1798, 1886
119.	सुमन, श्री रामजीलाल	1836, 1837
120.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1809, 1878, 1902
121.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1907, 1948, 1964
122.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1885, 1895, 1911
123.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1856, 1959
124.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1859
125.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1836, 1865, 1866, 1868, 1921
126.	विनोद कुमार, श्री बी.	1841, 1852, 1974
127.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	1876
128.	यादव, श्री मित्रसेन	1889
129.	यादव, श्री राम कृपाल	1944, 1948
130.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1842, 1914, 1975

अनुबंध दो

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	186
वित्त	:	182, 183, 184, 185, 188, 193, 195, 196, 200
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	187, 190, 198
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	189
विद्युत	:	181, 197
ग्रामीण विकास	:	194, 199
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	191
शहरी विकास	:	192

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	1934, 1950
पृथ्वी विज्ञान	:	1879, 1937
वित्त	:	1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1809, 1812, 1813, 1814, 1818, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1828, 1830, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1846, 1848, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855, 1857, 1858, 1860, 1863, 1865, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1882, 1883, 1886, 1888, 1893, 1894, 1895, 1901, 1903, 1905, 1907, 1908, 1911, 1912, 1916, 1917, 1918, 1920, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1943, 1952, 1954, 1956, 1057, 1958, 1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1808, 1827, 1856, 1868, 1876, 1881, 1909, 1959, 1963
विधि और न्याय	:	1831, 1838, 1843, 1849, 1859, 1880, 1915, 1970

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	1817, 1896, 1899, 1933
विद्युत	:	1829, 1835, 1844, 1847, 1861, 1864, 1867, 1885, 1887, 1897, 1900, 1914, 1929, 1944, 1945, 1960, 1962, 1968, 1969
ग्रामीण विकास	:	1811, 1819, 1834, 1884, 1889, 1890, 1892, 1898, 1902, 1904, 1906, 1921, 1923, 1930, 1942, 1947, 1949
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1806, 1807, 1810, 1816, 1910, 1932, 1951
शहरी विकास	:	1803, 1815, 1820, 1821, 1827, 1832, 1833, 1845, 1853, 1862, 1891, 1913, 1919, 1922, 1946, 1948, 1953, 1955, 1971.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।